भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
दूरभाष : +91-11-23236308
फैक्स : +91-11-23213294
ई–मेल : ap@trai.gov.in
वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में

यह मेरा सौभाग्य है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए मुझे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2014–15 की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट भेजने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में वह सूचना सम्मिलित है जो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।

इस रिपोर्ट में, अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के विशेष उल्लेख के साथ, दूरसंचार व प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य तथा भादूविप्रा द्वारा विनियामक मुद्दों पर की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल है।

(राम सेवक शर्मा)

अध्यक्ष

दिनांक : दिसम्बर, 2015

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
	परिदृश्य	1-11
भाग–I	नीतियां तथा कार्यक्रम	13-76
	क. दूरसंचार क्षेत्र के सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	ख. नीतियों तथा कार्यक्रम की समीक्षा	
	भाग–I के अनुबंध	
भाग–II	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और प्रचालनों की समीक्षा	77-134
भाग–III	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भादूविप्रा के कार्य	135-154
भाग–IV	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन	
	क. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	157-170
	ख. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2014–2015 के लेखापरीक्षित लेखे	171-201
	ग. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अंशदायी भविष्य निधि 2014–2015 के लेखापरीक्षित लेखे	202-222

दूरसंचार एवं प्रसारण सेक्टरों का परिदृश्य

परिदृश्य

1. वर्ष 2014–15 दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के लिए घटनाओं से भरा वर्ष रहा। दूरसंचार क्षेत्र में, भादूविप्रा ने स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण और स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मुद्दों का समाधान किया। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने और इनमारसैट/सैटेलाइट सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित सिफारिशें सरकार को भेजी गई। टैरिफ के मामले में भादूविप्रा ने ज्यादातर सेवाओं के संबंध में सहिष्णुता की नीति जारी रखी। डोमस्टिक लीज्ड सर्किट (डीएलसी) के लिए सीलिंग टैरिफ कम किया गया। इस कमी से, छोटे शहरों, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने वाले थिन रूट की मांग करने वाले उपभोक्ताओं को फायदा होगा। डीएलसी के लिए सीलिंग टैरिफ में कमी करने से अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवाएं (एक्सेस प्रभार) विनियम, 2014 जारी किए। इन विनियमों से कॉलिंग कार्ड शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी का ऑपरेटर चुनने का वास्तविक विकल्प मिलेगा। इससे आईएसडी कॉल दरों में भी कमी आएगी। उपभोक्ताओं के हितों में भी कारगर कदम उठाए गए। प्रसारण क्षेत्र में, केबल सेक्टर का डिजिटलीकरण किया गया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता को सशक्त बनाना और उसे बेहतर क्वालिटी वाली सेवाएं प्रदान करना था। विभिन्न कठिनाइयों और चुनौतियों में भी बेहतर विकल्प निरंतर प्राप्त किए गए और उनकी निगरानी की गई। कार्यान्वयन के पहले दो चरण पूरे कर लिए गए हैं और लगभग 30 प्रतिशत केबल टीवी वाले घरों को कवर किया गया है। भादूविप्रा ने सेक्टर की स्थिरता और एकसमान विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जो एनालॉग युग से भारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस तरह का वातावरण बनाने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रसारण एवं केबल सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।

2. वर्ष 2014–15 के दौरान, दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

I. दूरसंचार क्षेत्र

(i) दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2014–15 के दौरान, उपभोक्ताओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली। वित्तीय वर्ष के अंत में उपभोक्ताओं की संख्या 996.49 थी, जिनमें से 969.89 मिलियन उपभोक्ता वायरलेस उपभोक्ता थे। वर्ष के दौरान, वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या में 65.38 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि समग्र टेलीघनत्व 75.23 से बढ़कर 79.38 हो गया। वर्ष के दौरान ग्रामीण टेलीघनत्व 43.96 से बढ़कर 48.37 और शहरी टेलीघनत्व 145.78 से बढ़कर 148.61 हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा का लाभ उठाने के लिए 36.84 मिलियन उपभोक्ताओं ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पास अपने पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए। इसके साथ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोधों की संख्या मार्च, 2014 के 117.01 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2015 के अंत में 153.85 मिलियन हो गई। देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च, 2014 के 251.59 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2015 को 302.35 मिलियन दर्ज की गई। देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल संख्या 31 मार्च, 2014 की 60.87 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च, 2015 को 99.20 मिलियन हो गई।

(ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के तहत अधिदेशानुसार भादूविप्रा के कार्यों में शामिल एक महत्वपूर्ण कार्य बाजार संरचना एवं सेक्टर में नए ऑपरेटरों के प्रवेश, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, कम मात्रा में उपलब्ध संसाधन जैसे स्पेक्ट्रम का प्रबंधन, उपभोक्ता संरक्षा एवं सुरक्षा सहित विविध विषयों पर सरकार को सिफारिशें भेजना है। इस अधिदेश के तहत, वर्ष के दौरान, विभिन्न नीति विनियामक सिफारिशें की गई, जिनमें 'इनमारसैट/सैटेलाइट फोन सेवाओं का प्रावधान', स्पेक्ट्रम शेयरिंग संबंधी दिशानिर्देश', अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप', 'माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबॉन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियर का आवंटन और मूल्य निर्धारण', स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्यः 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंस', और 'स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्यः 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड' पर की गई सिफारिशें शामिल हैं।

(iii) 'एकसमान लाइसेंस जीएमपीसीएस प्राधिकार' या इस लाइसेंस के तहत एक और प्राधिकार तैयार करने' के तहत इनमारसैट सेवाओं को शामिल करने की उपयुक्तता और व्यावहारिकता के संबंध में दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर प्राधिकरण ने 'इनमारसैट/सैटेलाइट फोन सेवाओं के प्रावधान' पर अपनी सिफारिशें तैयार करके 12 मई, 2014 को अग्रेषित की।

(iv) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपनी स्पेक्ट्रम धारिता को साझा करने और स्पेक्ट्रम कुशलता में सुधार करने का अवसर प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ प्राधिकरण ने 'स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर दिशानिर्देश' पर 21 जुलाई, 2014 को अपनी सिफारिशें की। भारत में प्रति दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) स्पेक्ट्रम धारिता कम और खंडों में है। स्पेक्ट्रम विखंडन के परिणामस्वरूप कम मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का क्षमता से कम इस्तेमाल हो रहा है। शेयरिंग से उन जगहों में अतिरिक्त क्षमता प्रदान की जा सकती है, जहां स्पेक्ट्रम की कमी के कारण नेटवर्क संकुलन है।

(v) दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर, प्राधिकरण ने सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श करने के बाद 'अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने' पर 22 जुलाई, 2014 की अपनी सिफारिश के तहत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए विस्तृत दूरसंचार योजना की सिफारिश की।

(vi) एमडब्ल्यू कैरियर्स के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दूरसंचार विभाग के विशिष्ट संदर्भ पर, प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों से विचार–विमर्श करने और आंतरिक विश्लेषण करने के बाद 29 अगस्त, 2014 को 'माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबॉन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियर्स के आवंटन और मूल्य निर्धारण' पर अपनी सिफारिशें भेजी थीं।

(vii) एक्सेस लाइसेंस (सीएमटीएस/यूएएस), जो 1995–96 में प्रदान किए गए थे, 2015–16 में समाप्त होने हैं। दूरसंचार विभाग ने 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के लिए सभी सेवा क्षेत्रों के लिए लागू आरक्षित मूल्य पर प्राधिकरण से सिफारिशें मांगी थी। हितधारकों से विचार–विमर्श करने और आंतरिक विश्लेषण करने के बाद प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर, 2014 को दूरसंचार विभाग को ''स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्य : 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंस'' पर अपनी सिफारिशें भेजी थीं।

(viii) प्राधिकरण ने 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड के आरक्षित मूल्य पर अपनी सिफारिशों पर तेजी से कार्रवाई करने के दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर विचार करने के बाद, ''स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्य : 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड'' पर अपनी सिफारिशें 31 दिसंबर, 2014 को सरकार को भेजीं। इन सिफारिशों पर विभिन्न तरीकों से विचार किया गया, जिनका इस्तेमाल 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण करने और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य तय करने में किया गया।

(ix) वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने सिफरिशों के अलावा, (क) आईपी आधारित नेटवर्कों का स्थानांतरण (ख) ब्रॉडबैंड की त्वरित सुपुर्दगी : हमें क्या करने की आवश्यकता है? (ग) अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (घ) आभासी नेटवर्क आपरेटरों के रूप में सेवाओं की डिलिवरी से नेटवर्कों के लिए लाइसेंस की डिलिंकिंग और (ड.) ओवर–द–टॉप (ओटीटी) सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र पर परामर्श प्रक्रिया शुरू की।

(x) विनियामक प्रवर्तन, भादूविप्रा की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलु है। बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, उल्लंघन के मामलों जैसे पोर्टिंग अनुरोधों को गलत तरीके से अस्वीकार करना; टैरिफ रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन मे विफल रहना या दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) के उपबंधों का उल्लंघन करके उपभोक्ताओं से अधिक प्रभार लेना; लेखांकन प्रथक्करण रिपोर्टों में सूचना विलंब से देना या झूठी सूचना देना; ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए नेटवर्क सेवा गुणवत्ता मापदंड और उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता मापदंडों के लिए निर्धारित बैंचमार्क को पूरा करने में विफल रहने पर आर्थिक दंड लगाने वाले विभिन्न विनियम और आदेश जारी किए गए हैं।

(xi) उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना, भादूविप्रा के प्रमुख अधिदेशों में से एक है। प्राधिकरण ने विभिन्न क्षेत्रों, जो दूरसंचार उपभोक्ताओं के कल्याण और हितों का अतिक्रमण करते है, में विनियामक तंत्र की स्थापना करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उपभोक्ताओं के लिए अच्छा अनुभव और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा ने सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा मानकों की गुणवत्ता निर्धारित की हैं। पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को सुगम और सरल बनाने के लिए प्राधिकरण ने 25 फरवरी, 2015 के छठे संशोधन के तहत एमएनपी में संशोधन किया है, जिसमें अंतःसेवा क्षेत्र पोर्टिंग के साथ एमएनपपी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलावों को अनुमति दी गई है।

II. ब्रॉडबैंड सेक्टर

इस अवधि के दौरान, प्रसारण एवं केबल सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार हैंः–

(i) प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, मार्च, 2015 को 277[1] मिलियन घरों में से 175[1] मिलियन घरों मे टीवी सेट हैं, जो केबल टीवी प्रणाली, डीटीएच सेवा, आईपीटीवी सेवाओं और दूरदर्शन के भौमिक टीवी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पे टीवी यूनिवर्स में लगभग 101[1] मिलियन केबल टीवी उपभोक्ता, 76.05 मिलियन पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ता (41.152 मिलियन सक्रिय उपभोक्ता सहित) और लगभग आधा मिलियन आईपीटीवी उपभोक्ता शामिल हैं। दूरदर्शन के भौमिक टीवी नेटवर्क में भौमिक ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के जरिये देश की लगभग 92[2] प्रतिशत आबादी जुड़ी हुई है।

(ii) प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्र में सरकारी सेवा प्रसारक–दूरदर्शन, जो फ्री–टु–एयर डीटीएच सेवा उपलब्ध करा रहा है, के अलावा, 53 पे प्रसारक, लगभग 60,000 केबल ऑपरेटर, 6000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) (डीएएस में पंजीकृत 155 एमएसओ सहित), छः पे डीटीएच ऑपरेटर शामिल हैं। वित्तीय वर्ष, 2014–15 के अंत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 829 टीवी चैनल पंजीकृत थे, जिनमें से 205 एसडी पे टीवी चैनल, 42 एचडी पे टीवी चैनल और 4 विज्ञापन–फ्री पे चैनल हैं।

(iii) भारत का टेलीविजन उद्योग वर्ष 2013–14 मे 41700[3] करोड़ रुपये का था, जो 2014–15 में बढ़कर 47500[3] करोड़ रुपये का हो गया है। इस प्रकार, इसमें लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अभिदान राजस्व टीवी उद्योग के समग्र राजस्व के प्रमुख शेयर का कारण बना। अभिदान राजस्व वर्ष 2013–14 के 28100[3] करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 32000[3] करोड़ रुपये हो गया है। भारत में टीवी सेक्टर में विज्ञापन आय 2013–14 के 13600[3] करोड़ रुपये से बढ़कर 2014–15 में 15500[3] करोड़ रुपये हो गया है। एफएम (आवृत्ति मॉडुलन) रेडियो सेक्टर में शानदार वृद्धि देखने को मिली। सरकारी सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो

---

[1] स्रोतः एमपीए रिपोर्ट, 2015

[2] स्रोतः एमआईबी वेबसाइट : www.mib.gov.in

[3] स्रोत : फिक्की –केपीएमजी इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट रिपोर्ट, 2015

(एआईआर), जिसके पास 414[4] स्टेशनों और 596[4] प्रसारक ट्रांसमीटर [145[4] मीडियम वेव), 403[4] एफएम और 48[4] एसडब्ल्यू (शॉर्ट वेव)] का नेटवर्क है, के अलावा, मार्च, 2015 तक 243 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन थे। ऑल इंडिया रेडियो सेवा देश के लगभग 99.20 प्रतिशत[4] भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और ये 99.18 प्रतिशत[4] आबादी को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, मार्च, 2015 को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए जारी किए गए 208 लाइसेंस में से 180 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू कर दिए गए हैं।

रेडियो उद्योग पूरी तरह से विज्ञापन से होने वाली आय पर निर्भर है, इसमें वर्ष 2014–15 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उद्योग में विज्ञापन से आय वर्ष 2013–14 की 1406 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2014–15 में 1633 करोड़ रुपये रही।

(iv) पिछले दशक के दौरान, केबल और सैटेलाइट (सीएंडएस) टीवी बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक बदलाव भारत में टीवी सेक्टर का डिजिटलीकरण रहा। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है। मार्च, 2015 के अंत तक, चरण 1 में लगभग 9 मिलियन एसटीबी और चरण 2 में लगभग 15 मिलियन एसटीबी लगाए गए। लगभग 7000 शहरों को कवर करते हुए डीएसएस कार्यान्वयन के चरण 3 के क्षेत्रों में एनालॉग ट्रांसमिशन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2015 है, जबकि चरण 4 के क्षेत्रों के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2016 है। डिजिटलीकरण के पहले दो चरणों का अनुभव काफी उत्साहजनक रहा है। एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटलीकरण का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा और यह देश में प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं में योजनाबद्ध तरीके से विकास का वाहक बनेगा। इसी दौरान, डीटीएच सेक्टर में सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 3.3 लाख उपभोक्ता प्रतिमाह की वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह स्पष्ट दिखाता है कि डिजिटल एड्रेसेबल प्लेटफार्म की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ रही है, क्योंकि इसके पास सभी हितधारकों को देने के काफी कुछ है।

(v) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डीटीएच लाइसेंस अवधि बढ़ाने के लिए कुछ नियम एवं शर्तों पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी हैं। भादूविप्रा ने दिनांक 23 जुलाई, 2014 को सरकार को भेजी गई अपनी सिफारिशों में, निम्नलिखित मुख्य पहलुओं पर विचार किया है:–

(क) डीटीएच सेक्टर के लिए एक नई लाइसेंस पद्धति शुरू की जाएगी, जो अन्य के साथ अधिक लंबी लाइसेंस अवधि और तार्किक लाइसेंस फीस को अनुमति देती हों।

(ख) ऑपरेटरों के लिए माइग्रेशन शुल्क पर मौजूदा पद्धति को छोड़कर नई पद्धति को अपनाने के लिए एक माइग्रेशन योजना।

(ग) डीटीएच एसटीबी की इंटरओपरेबिलिटी।

(घ) नियंत्रण और 'प्रासंगिक' बाजारों और क्रॉस होल्डिंग की परिभाषा।

[4] स्रोतः एआईआर वेबसाइट – www.air.org.in

(च) प्रासरकों और डीपीओ और डीपीओ के बीच क्रॉस होल्डिंग/नियंत्रण संबंधी नीति पर एकसमानता।

(vi) क्रॉस मीडिया प्रतिबंधों और सुरक्षापायों के मसलों का समाधान करके प्रसारण क्षेत्र का सही विकास सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भादूविप्रा से प्रसारण और टीवी वितरण सेक्टर और टीवी, प्रिंट और रेडियो सेक्टरों में क्रॉस मीडिया होल्डिंग में वर्टिकल इंटीग्रेशन के मुद्दे पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भादूविप्रा से ऐसे उपाय सुझाने का भी अनुरोध किया है, जो प्रिंट और रेडियो सेक्टरों में वर्टिकल इंटीग्रेशन के मुद्दे का समाधान करने के लिए अपनाए जा सकें। भादूविप्रा ने 12 अगस्त, 2014 को सरकार को भेजी गई अपनी सिफारिशों में निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर विचार किया है:–

(क) 'नियंत्रण' और स्वामित्व की विस्तृत परिभाषा।

(ख) क्रॉस मीडिया स्वामित्व, प्रासंगिक प्रोडक्ट सेगमेंट और प्रोडक्ट मार्केट में प्रासंगिक भौगोलिक बाजार।

(ग) प्रासंगिक बाजार में मीडिया सेगमेंट के केन्द्रीकरण के उपाय।

(घ) क्रॉस मीडिया स्वामित्व के लिए नियम।

(च) आंतरिक बहुलता को प्रभावित करने वाले मुद्दे।

(ठ) मीडिया के मुद्दों के लिए आयोग बनाना।

(vii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों संबंधी मुद्दों'' पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी थी। भादूविप्रा ने 29 अगस्त, 2014 को सरकार को भेजी गई अपनी सिफारिशों में निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर विचार किया है :–

(क) सीआरएस के परिचालन के लिए प्रारंभिक अनुमति पांच (5) वर्ष के लिए होगी;

(ख) एक बार में पांच (5) वर्ष के लिए अनुमति का विस्तार निष्पादन मूल्यांकन के बाद किया जाएगा;

(ग) सीआरएस को स्थानीय रूप से प्रासंगिक खबरों, वर्तमान घटनाओं, जो एआईआर के लिए विशेष रूप से प्राप्त की गई हों, को स्थानीय भाषा/बोली में अनुदित करके मूल रूप में प्रसारित करने की अनुमति होगी;

(घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा कम करने और राहत कार्य में सीआरएस को पूर्ण उपयोग करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के वायरलेस नियोजन और समन्वय विंग से परामर्श करके विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करेगा।

(च) सूचना एवं प्रसरण मंत्रालय सामुदायिक रेडिया स्टेशन स्थापित करने के लिए संपूर्ण आवेदन/स्वीकृति प्रक्रिया को शामिल करके एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करेगा। ऑनलाइन सिस्टम स्वीकृति प्रक्रिया में शामिल विभिन्न सरकारी विभागों को शामिल करके एक सुगम ई–गवर्नेंस प्लेटफार्म पर आधारित होगा।

(viii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चरण–3 नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, 264 नए शहरों में एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी थीं। भादूविप्रा ने 24 मार्च, 2015 को सरकार

को सिफरिशें देते समय, तीन स्वतंत्र मूल्य निर्धारण आधारों के साधारण औसत के रूप में 253 नए शहरों में एफएम रेडियो का मूल्य निर्धारण किया था और फिर प्रत्येक शहर के लिए इस औसत के 80 प्रतिशत के रूप में 253 नए शहरों में से प्रत्येक शहर के लिए एफएम रेडियो चैनलों आरक्षित मूल्य निर्धारित किया था। इसके अलावा, 'अन्य' श्रेणी के 11 शहरों, जो जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हैं और जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, में से प्रत्येक शहर के लिए प्रत्येक चैनल के लिए आरक्षित मूल्य 5 लाख रुपये रखा गया, जैसा कि केबिनेट ने चरण 3 नीति में स्वीकृति दी है।

(ix) केबल टीवी ऑपरेटरों के स्तर पर परिचालित किए जा रहे ग्राउंड बेस्ड चैनलों से संबंधित मुद्दों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दूसरे पत्र के जवाब में भादूविप्रा ने 19 नवंबर, 2014 को ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर अपनी सिफारिशें दीं। अपनी सिफारिशों में, 'प्लेटफार्म सेवा' और विषय–वस्तु की किस्म, जो इन चैनलों पर प्रस्तुत की जा सकेगी, को परिभाषित करने के अलावा, भादूविप्रा ने निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर विचार विमर्श किया:–

(क) पीएस चैनलों की कुल संख्या की सीमा तय करना, जो वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटर (डीपीओ) डीएएस और गैर–डीएएस, दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को ऑफर कर सकता है।

(ख) पीएस हेतु पंजीकरण के लिए आसान ऑनलाइन सिस्टम तैयार करना।

(ख) ग्राउंड बेस्ड प्रसारकों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क के लिए स्व–प्रेरित सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई थी।

(x) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र के जवाब में भादूविप्रा ने 'केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा डीटीएच का उपयोग और तत्संबंधी दिशानिर्देश'' के मुद्दे पर 22 जनवरी, 2015 को सरकार को अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। भादूविप्रा ने निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं का उल्लेख किया:–

(क) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए डीटीएच का गैर–व्यावसायिक इस्तेमाल, प्रसार भारती और संबंधित केन्द्र/राज्य सरकारों के बीच उचित समझौते के बाद प्रसार भारती के माध्यम से होना चाहिए।

(ख) चूंकि सैटेलाइट ट्रांसपोंडर क्षमता एक सीमित संसाधन है, इसलिए गैर–व्यावसायिक इस्तेमाल के आधार पर डीटीएच शिक्षा चैनल चलाने के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों के लिए ट्रांसपोंडर क्षमता का आवंटन बड़े ही ध्यान से और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

(ग) भादूविप्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि एजुसैट कार्यक्रम के जरिये विषय–वस्तु का प्रसार प्रसारण के अंतर्गत आता है।

(xi) खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य शेयरिंग) अधिनियम, 2007 (अब से खेल अधिनियम) के उपबंध के लिए प्रसार भारती द्वारा प्रस्तावित संशोधन के मुद्दे पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र के जवाब में भादूविप्रा ने 14 नवंबर, 2014 को सरकार को अपना स्पष्टीकरण भेजा कि प्रसार भारती के मौजूदा नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर खेल अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन किया जाता है तो इससे खेल के मुख्य उद्देश्यों में बदलाव हो जाएगा। इसने सरकार से तदनुसार मामले की समीक्षा करने का भी अनुरोध किया।

(xii) भादूविप्रा ने 18 जुलाई, 2014 को दो विनियम अर्थात "दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014" और "दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (आठवां संशोधन) विनियम, 2014" जारी किए। अंतःसंयोजन विनियम में किए गए ये संशोधन डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम और गैर–एड्रेसेबल सिस्टम, दोनों पर लागू हैं, इसमें अन्य के साथ व्यावसायिक स्थापना' और "व्यावसायिक उपभोक्ता" की परिभाषा शामिल की गई है। यह संशोधन करने का उद्देश्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए टीवी सेवाओं के वितरण के विनियामक फ्रेमवर्क को सरल और सुगम बनाना था ताकि उन्हें सेवाएं प्रतिस्पर्धी दामों पर उपलब्ध कराई जा सकें। विनियामक फ्रेमवर्क से वैल्यू चेन में सभी हितधारको के हितों के बीच संतुलन स्थापित होने और बिजनस लेन–देन में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है।

(xiii) एमएसओ द्वारा उपभोक्ताओं को बिल और रसीदें नहीं दिए जाने के मुद्दे, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को मिलने वाले राजस्व की हानि होती है, का समाधान करने और क्यूओएस विनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा ने 25 मार्च, 2015 को एक विनियम नामतः "सेवा (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम) की गुणवत्ता के मानक (संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 4)" जारी किया, जो डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) के माध्यम से प्रदान की जा रही केबल टीवी सेवाओं पर लागू है, जिसमें मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसवी) पर आर्थिक दंड लगाने का उपबंध शामिल किया गया है। इसमें आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो 20 रुपये प्रति उपभोक्ता से अधिक नहीं होगा। इस विनियम में यह भी प्रावधान है कि उपभोक्ताओं को केबल टीवी सेवाएं प्रीपेड और पोस्ट–पेड, दोनों सेगमेंट में उपलब्ध कराई जाएंगी और उपभोक्ताओं के पास इनमें से किसी को भी चुनने का विकल्प होगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसओ उपभोक्ता द्वारा चुने गए प्रीपेड और पोस्ट–पेड विकल्पों का समयबद्ध तरीके से पालन करें, प्रत्येक उल्लंघन के लिए एमएसओ पर आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान किया गया है, जिसकी राशि 100 रुपये प्रति उपभोक्ता से अधिक नहीं होगी।

(xiv) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16 अप्रैल, 2014 के निर्णय, जिसमें भादूविप्रा को व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ अनुबंध की जांच करने का निर्देश दिया गया है, को देखते हुए भादूविप्रा ने 16 जुलाई, 2014 और 18 जुलाई, 2014 को दो टैरिफ आदेश नामतः "दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (बारहवां संशोधन) आदेश, 2014" और "दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2014" जारी किए। यह आदेश टीवी सिग्नलों के वांछित इस्तेमाल के आधार पर व्यावसायिक उपभोक्ताओं को टीवी सिगनलों के वितरण के टैरिफ में स्पष्टता लाने का एक प्रयास है और इसका उद्देश्य टैरिफ विनियम में पारदर्शिता बढ़ाना है।

(xv) भादूविप्रा ने प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के लिए थोक और खुदरा स्तरों पर प्रभारों पर उच्चतम सीमा निर्धारित की हैं। मुद्रास्फीति के लिए व्यवस्था करने के लिए प्राधिकरण ने

समय–समय पर मौजूदा उच्चतम सीमा पर मुद्रास्फीति लिंक्ड वृद्धि की अनुमति दी है। इस संबंध में 31 दिसंबर, 2014 को एक संशोधन नामतः ''दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2014'' जारी किया गया था।

(xvi) भादूविप्रा ने 06 जनवरी, 2015 को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 17 सितंबर, 2014 के निर्देशों के अनुरूप, एक टैरिफ आदेश नामतः ''दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (दूसरा), टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015'' जारी किया जो गैर–एड्रेसेबल (एनालॉग केबल टीवी) सिस्टम पर लागू है। उक्त टैरिफ आदेश में प्रमुख उपबंध निम्नानुसार हैं:–

(क) नए चैनलों और फ्री–टु–एयर से पे चैनलों में परिवर्तित चैनलों का मूल्य निर्धारण करना।

(ख) थोक स्तर पर अ–ला–कार्टे आधार पर चैनलों की पेशकश को अनिवार्य बनाना।

(ग) सुनिश्चित करना कि दो शर्तों, जो अवश्य पूरी होनी चाहिए, को परिभाषित करके अ–ला–कार्टे और बुके दरों के बीच संबंध है। यह अ–ला–कार्टे चैनलों के गलत मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए है।

(घ) उपभोक्ताओं के लिए 2007 से पहले के बुके की पेशकश जारी रखना।

(च) प्रसारकों के लिए कुछ रिपोर्टिंग अपेक्षाएं भी रखी गईं थी।

(xvii) डीएसएस का प्रभावी कार्यान्वयन करने और भादूविप्रा द्वारा निर्धारित विनियामक फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा द्वारा समय–समय पर सेवा प्रदाताओं के लिए कई निर्देश और आदेश जारी किए गए थे। कुछ मामलों में भादूविप्रा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे।

भाग-I

नीतियां एवं कार्यक्रम

(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिस्थिति की समीक्षा

1.1 दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2014–15 के दौरान उपभोक्ताओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली। वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत में समग्र दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 996.49 मिलियन थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में यह संख्या 933.00 मिलियन थी। इस प्रकार, इसमें 63.49 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। समग्र उपभोक्ता संख्या और टेलीघनत्व को **सारणी–1** में दर्शाया गया है।

सारणी–1 : समग्री उपभोक्ता संख्या और टेलीघनत्व

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल वायरलेस + वायरलाइन
कुल उपभोक्ता (मिलियन)	**969.89**	**26.59**	**996.49**
शहरी उपभोक्ता (मिलियन)	**555.71**	**21.47**	**577.18**
ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन)	**414.18**	**5.12**	**419.31**
समग्र टेलीघनत्व	**77.27**	**2.12**	**79.38**
शहरी टेलीघनत्व	143.08	5.53	148.61
ग्रामीण टेलीघनत्व	47.78	0.59	48.37
शहरी उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी	57.30%	80.73%	57.92%
ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी	42.70%	19.27%	42.08%
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन)	**83.68**	**15.52**	**99.20**

वायरलेस, वायरलाइन सेगमेंट में उपभोक्ताओं की संख्या; मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हेतु अनुरोध; टेलीघनत्व; इंटरनेट उपभोक्ता; दूरसंचार टैरिफ में रूझान; तिमाही दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक; और दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन का विवरण नीचे के पैराओं में दिया गया है।

(क) वायरलेस

1.1.1 31 मार्च, 2015 को वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या 969.89 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2014 का यह संख्या 904.51 मिलियन थी, इस प्रकार, वर्ष 2014–15 के दौरान, इसमें 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 6 वर्षों के दौरान, वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या **चित्र 1** में दर्शाई गई है।

चित्र–1 : वायरलेस उपभोक्ता (मिलियन में)

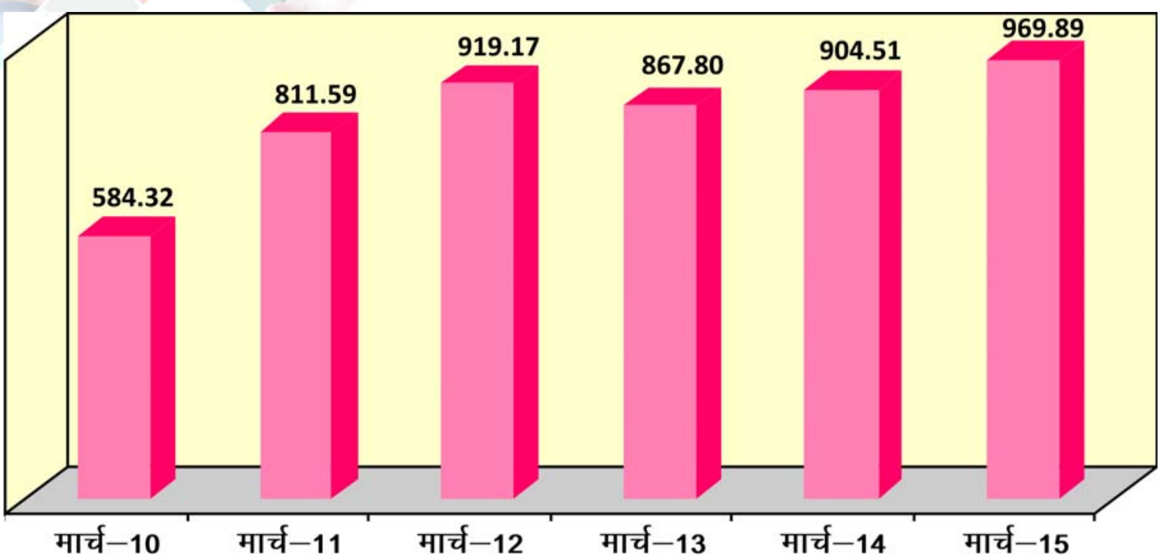

(ख) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

1.1.2 वर्ष 2014–15 के दौरान, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा का लाभ उठाने के लिए 36.84 मिलियन उपभोक्ताओं ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पास अपने पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए। इसके साथ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोधों की संख्या मार्च, 2014 के 117.01 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2015 के अंत में 153.85 मिलियन हो गई। मार्च, 2015 के अंत में सेवा क्षेत्र–वार संचयी पोर्टिंग अनुरोध **सारणी 2** में दर्शाए गए हैं।

सारणी–2 : मार्च, 2015 के अंत में संचयी एमएनपी अनुरोध (सेवा क्षेत्रवार)

जोन – 1		जोन – 2	
सेवा क्षेत्र	**पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या**	**सेवा क्षेत्र**	**पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या**
दिल्ली	5,998,851	आन्ध्र प्रदेश	1,4647,077
गुजरात	12,540,674	असम	489,915
हरियाणा	5,615,988	बिहार	3,461,119
हिमाचल प्रदेश	523,934	कर्नाटक	17,668,838

जोन – 1		जोन – 2	
सेवा क्षेत्र	**पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या**	**सेवा क्षेत्र**	**पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या**
जम्मू एवं कश्मीर	35,640	केरल	5,329,524
महाराष्ट्र	11,772,191	कोलकाता	3,558,498
मुम्बई	8,476,932	मध्य प्रदेश	9,504,934
पंजाब	5,313,934	पूर्वोत्तर	267,666
राजस्थान	14,659,318	ओडिशा	3,080,418
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	7,766,018	तमिलनाडु	9,430,901
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	7,686,895	पश्चिम बंगाल	6,016,057
जोड़	**80,390,375**	**जोड़**	**73,454,947**
जोड़ (जोन–1 + जोन–2)			**153,845,322**

(ग) वायरलाइन

1.1.3 31 मार्च, 2015 को वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 26.59 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2014 को यह 28.50 मिलियन थी, इस प्रकार, वर्ष 2014–15 के दौरान, इसमें 6.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 26.59 मिलियन वायरलाइन उपभोक्ताओं में से 21.47 मिलियन शहरी उपभोक्ता और 5.12 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ता थे। पिछले पांच साल के लिए वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या **चित्र 2** में दर्शाई गई हैं ।

(घ) टेलीघनत्व

1.1.4 मार्च, 2015 के अंत में टेलीघनत्व 79.38 हो गया था, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह 75.23 था, जो 4.15 की वृद्धि को दर्शा रहा है। मार्च, 2010 से टेलीघनत्व के रूझान **चित्र–3** में दर्शाए गए हैं।

चित्र–2 : वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)

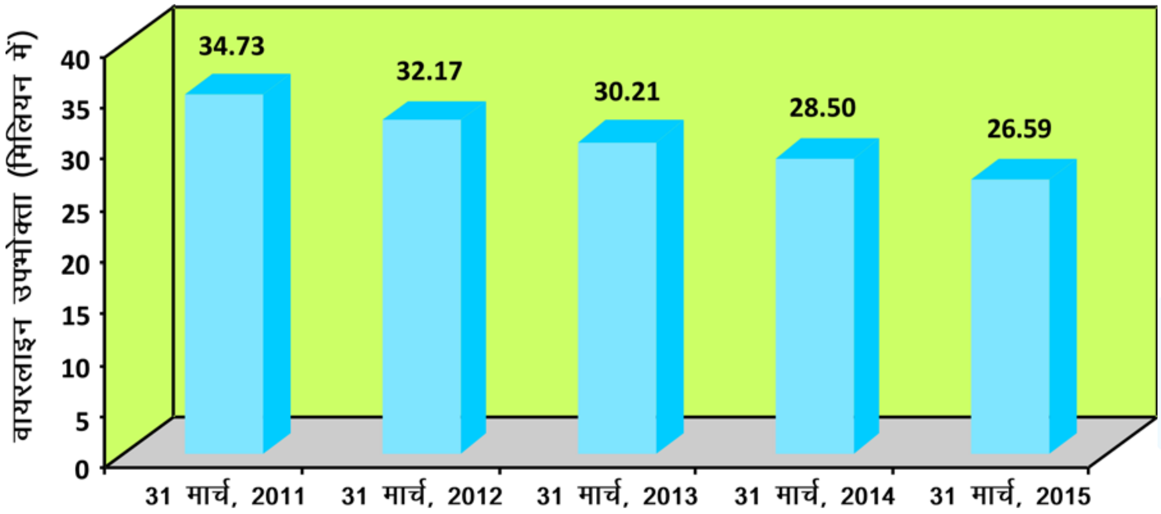

चित्र–3 टेली–घनत्व में वृद्धि

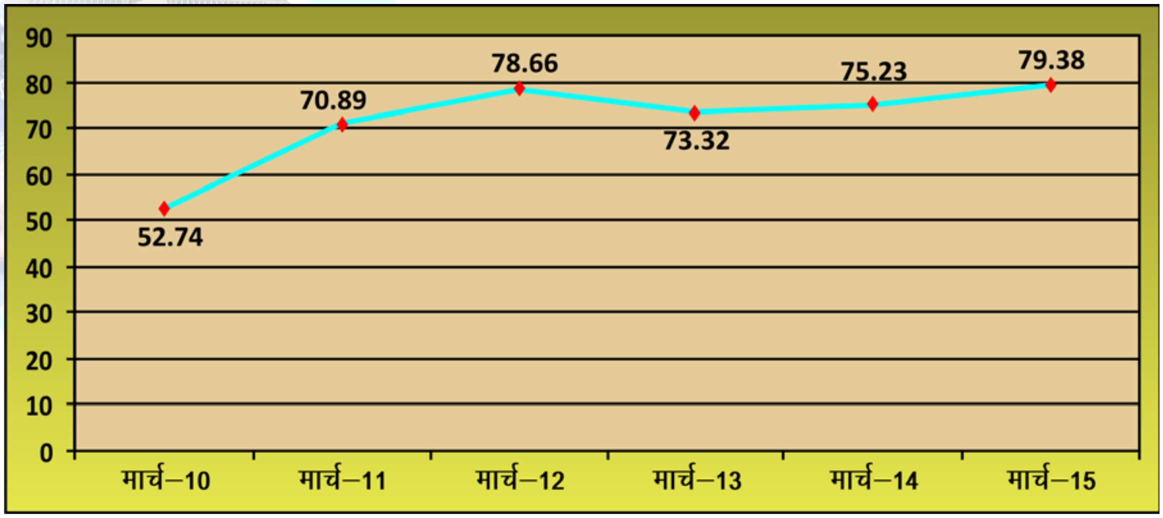

(च) इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता

1.1.5 31 मार्च, 2015 को देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 302.35 मिलियन था, जबकि 31 मार्च 2014 को यह संख्या 251.59 मिलियन थी। 31 मार्च, 2015 को ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल संख्या 99.20 मिलियन थी जबकि 31 मार्च, 2014 को यह 60.87 मिलियन थी।

सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2015 को देश में उपभोक्ताओं का विवरण **सारणी 3** में दिया गया है।

सारणी–3 : इंटरनेट उपभोक्ता

[उपभोक्ता मिलियन में]

सेगमेंट			श्रेणी	इंटरनेट उपभोक्ता		% वृद्धि
				मार्च–2014	मार्च–2015	
क.	वायरलाइन		ब्रॉडबैंड	14.86	15.52	4.45%
			नैरोबैंड	3.64	3.55	-2.46%
			कुल	18.50	19.07	3.09%
ख.	वायरलेस	फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो और वीसैट)	ब्रॉडबैंड	0.40	0.44	11.00%
			नैरोबैंड	0.04	0.03	-15.82%
			कुल	0.44	0.48	8.55%
		मोबाइल वायरलेस (फोन + डोंगल)	ब्रॉडबैंड	45.61	83.24	82.48%
			नैरोबैंड	187.04	199.57	6.70%
			कुल	232.65	282.81	21.56%
कुल इंटरनेट उपभोक्ता			**ब्रॉडबैंड**	**60.87**	**99.20**	**62.96%**
			नैरोबैंड	**190.72**	**203.15**	**6.52%**
			कुल	**251.59**	**302.35**	**20.18%**

सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014–15 के लिए तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ता **सारणी 4** में दर्शाए गए हैं।

सारणी 4 : तिमाही वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या

[उपभोक्ता मिलियन में]

सेवा	जून-14	सितंबर-14	दिसंबर-14	मार्च-15
ब्रॉडबैंड	68.83	75.73	85.74	99.20
नैरोबैंड	190.31	178.67	181.65	203.15
कुल इंटरनेट	259.14	254.40	267.39	302.35

(छ) भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन के सूचक

1.1.6 भादूविप्रा 'भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन के सूचक' पर एक तिमाही रिपोर्ट निकालता है। इस रिपोर्ट में दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए पैरामीटर और रूझान प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष, 2014–15 के लिए, मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही की उक्त रिपोर्ट जारी की गई है। इसका सार नीचे **सारणी 5** में दिया गया है।

सारणी–5 : निष्पादन सूचक (31 मार्च, 2015 को)

दूरसंचार उपभोक्ता (वायरलेस+वायरलाइन)	
कुल उपभोक्ता	996.49 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % बदलाव	2.63%
शहरी उपभोक्ता	577.18 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ता	419.31 मिलियन
प्राइवेट ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	89.89%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	10.11%
टेलीघनत्व	79.38
शहरी टेलीघनत्व	148.61
ग्रामीण टेलीघनत्व	48.37
वायरलेस उपभोक्ता	
कुल वायरलेस उपभोक्ता	969.89 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % बदलाव	2.75%
शहरी उपभोक्ता	555.71 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ता	414.18 मिलियन
जीएसएम उपभोक्ता	917.73 मिलियन
सीडीएमए उपभोक्ता	52.16 मिलियन

प्राइवेट ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	91.68%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	8.32%
टेलीघनत्व	77.27
शहरी टेलीघनत्व	143.08
ग्रामीण टेलीघनत्व	47.78
वायरलाइन उपभोक्ता	
कुल वायरलाइन उपभोक्ता	26.59 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में % बदलाव	-1.50%
शहरी उपभोक्ता	21.47 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ता	5.12 मिलियन
प्राइवेट ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	24.93%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	75.07%
टेलीघनत्व	2.12
शहरी टेलीघनत्व	5.53
ग्रामीण टेलीघनत्व	0.59
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की संख्या	5,85,981
पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की संख्या	7,36,855
इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	
कुल इंटरनेट उपभोक्ता	302.35 मिलियन
नैरोबैंड उपभोक्ता	203.15 मिलियन
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	99.20 मिलियन
वायर इंटरनेट उपभोक्ता	19.07 मिलियन
वायरलेस इंटरनेट उपभोक्ता	283.29 मिलियन
शहरी इंटरनेट उपभोक्ता	194.79 मिलियन
ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता	107.57 मिलियन
कुल इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 जनसंख्या	24.09
शहरी इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 जनसंख्या	50.15
ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 जनसंख्या	12.41
प्रसारण और केबल सेवाएं	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत प्राइवेट टीवी सैटेलाइट चैनलों की संख्या	829
प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	243
पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ता	76.05 मिलियन
सक्रिय डीटीएच उपभोक्ता	41.15 मिलियन

दूरसंचार वित्तीय डाटा (मार्च–15 को समाप्त तिमाही)	
तिमाही के दौरान सकल राजस्व (जीआर)	65227 करोड़ रुपये
पिछले वर्ष की तुलना में जीआर में % बदलाव	1.99%
तिमाही के दौरान समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)	45158 करोड़ रुपये
पिछले वर्ष की तुलना में एजीआर में % बदलाव	3.60%
एक्सेस एजीआर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का शेयर	10.88%
एक्सेस सेवाओं के लिए मासिक औसत राजस्व प्रति यूजर (एआरपीयू)	122 रुपये
राजस्व और उपयोग पैरामीटर (मार्च–15 को समाप्त तिमाही)	
मासिक एआरपीयू जीएसएम पूर्ण मोबिलिटी सेवा	120 रुपये
मासिक एआरपीयू सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा	108 रुपये
उपयोग के मिनट (एमओयू) प्रति उपभोक्ता प्रति माह जीएसएम पूर्ण मोबिलिटी सेवा	383 मिनट
उपयोग के मिनट (एमओयू) प्रति उपभोक्ता प्रति माह सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा	265 मिनट
इंटरनेट टेलीफोनी के लिए उपयोग के कुल आउटगोइंग मिनट	245 मिलियन
मोबाइल यूजर के डाटा उपयोग (मार्च–15 को समाप्त तिमाही)	
डेटा उपयोग प्रति उपभोक्ता प्रति माह – जीएसएम	89.06 एमबी
डेटा उपयोग प्रति उपभोक्ता प्रति माह - सीडीएमए	278.22 एमबी
डेटा उपयोग प्रति उपभोक्ता प्रति माह – कुल (जीएसएम+सीडीएमए)	99.46 एमबी

(ज) दूरसंचार क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन

वित्तीय सूचना में 54 लाइसेंसधारी दूरसंचार सेवा सेक्टर कंपनियां शामिल की गई हैं। सूचना, इस सेवा प्रदाताओं द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत की गई अंकेक्षित/अनांकेक्षित वित्तीय सूचना[1] पर आधारित है। वित्तीय सूचना में मुख्यतः भारतीय दूरसंचार सेवा सेक्टर के राजस्व, लाभप्रदता और निवेश को शामिल किया गया है।

राजस्व[2]

दूरसंचार सेवा सेक्टर का कुल राजस्व[3] 2013–14 के 2,33,815 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014–15 में 2,54,547 करोड़ रुपये हो गया,जो इसमें 8.87 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शा रहा है। वार्षिक लेखों पर आधारित और अंतःसंयोजन ऑपरेटर प्रभार के लिए समायोजन करने के बाद, तदनुरूपी आंकड़ा 2013–14 में 2,19,552 करोड़ रुपये और वर्ष 2014–15 में 2,42,900 करोड़ रुपये था, जो इसमें 10.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा है। इसे **सारणी 6** में और प्रमुख एक्सेस दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का राजस्व **चित्र 4** में दर्शाया गया है।

ईबीआईटीडीए

ईबीआईटीडीए ब्याज, कर एवं मूल्यह्रास और परिशोधन पूर्व आय को दर्शाता है। वर्ष 2014–15

[1] केवल एक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) को छोड़कर, जिसके लिए लेखांकन वर्ष 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त हो रहा है, शेष टीएसपी के लिए लेखांकन वर्ष 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो रहा है।

[2] इसमें दूरसंचार सेवाओं का राजस्व अन्य आय के साथ शामिल है।

[3] दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत राजस्व और लाइसेंस शुल्क के तिमाही विवरण पर आधारित ।

सारणी–6 : सेक्टर–वार राजस्व

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2014-15			2013-14*		
	पब्लिक	प्राइवेट	कुल	पब्लिक	प्राइवेट	कुल
दूरसंचार सेवा से राजस्व	31424	196580	228004	30282	180154	210436
कुल राजस्व	33333	209567	242900	32615	186938	219553

* नई जोड़ी गई कंपनियों, जिन्होंने 2014–15 से भादूविप्रा को सूचना देनी शुरू की है, की सूचना शामिल करने के लिए वर्ष 2013–14 के आंकड़ों में संशोधन किया किया गया है।

चित्र–4 : प्रमुख एक्सेस दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का राजस्व

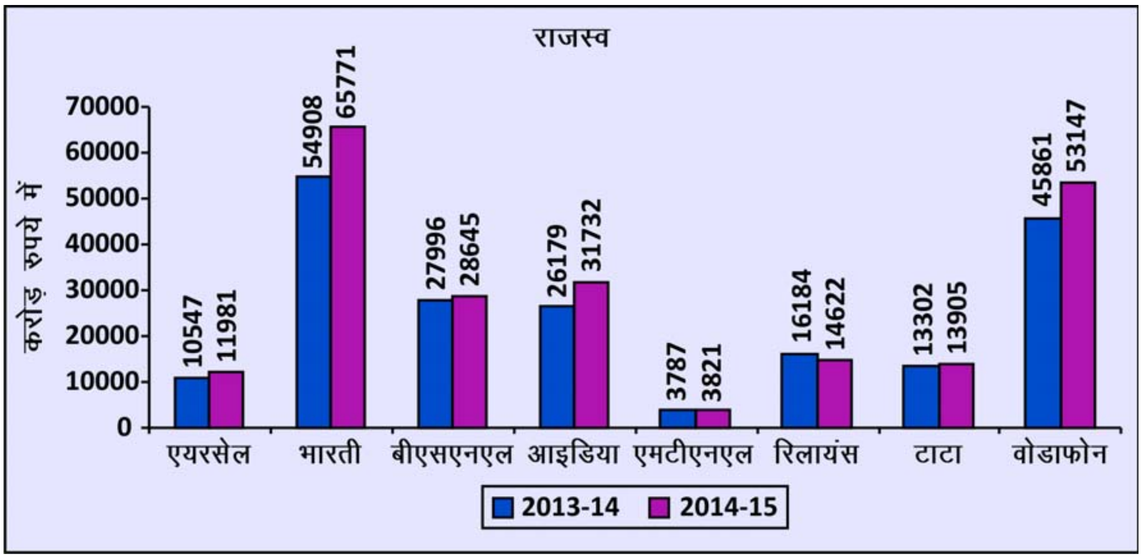

के लिए दूरसंचार क्षेत्र का ईबीआईटीडीए 60,401 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष यह 43,738 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा है।

वर्ष 2014–15 के लिए दूरसंचार क्षेत्र का ईबीआईटीडीए मार्जिन 24.87 प्रतिशत रहा जबकि पिछले वर्ष यह 19.92 प्रतिशत था, इस प्रकार यह 4.95 प्रतिशत वृद्धि को दर्शा रहा है। वर्ष 2013–14 और 2014–15 के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्र के क्षेत्र–वार ईबीआईटीडीए मार्जिन **सारणी 7** और **चित्र 7** में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7 : वर्ष 2013–14 और 2014–15 के लिए क्षेत्र–वार ईबीआईटीडीए

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2014-15			2013-14		
	पब्लिक	प्राइवेट	कुल	पब्लिक	प्राइवेट	कुल
ईबीआईटीडीए	782	59619	60401	-794	44532	43738

चित्र 5 : दूरसंचार सेवा क्षेत्र का ईबीआईटीडीए मार्जिन

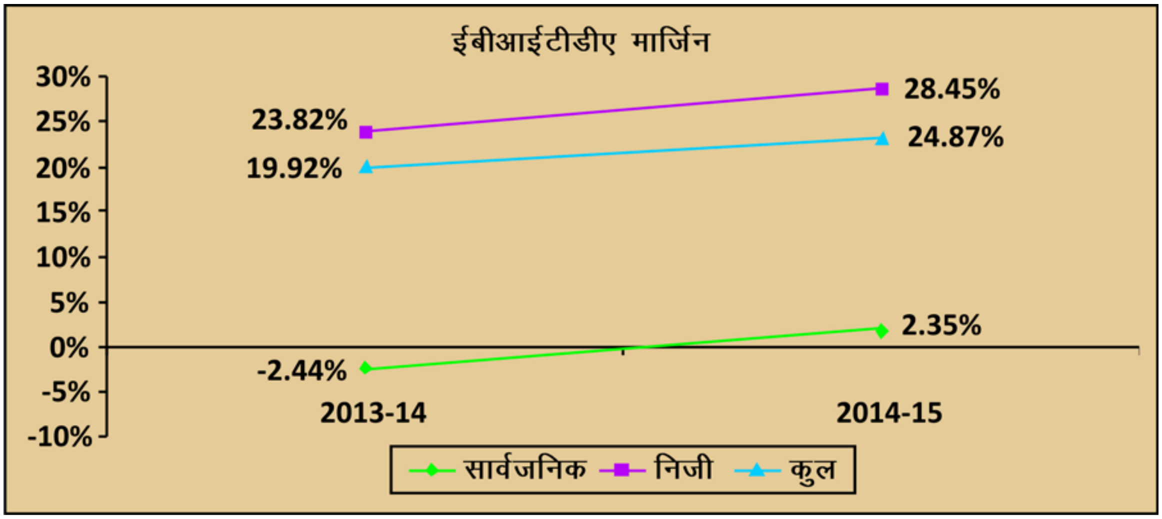

दूरसंचार सेवा क्षेत्र का परिचालन व्यय अनुपात

दूरसंचार सेवा क्षेत्र के समग्र परिचालन व्यय अनुपात में 4.95 प्रतिशत की कमी आई है। क्षेत्रवार परिचालन व्यय और इसका अनुपात क्रमशः **सारणी 8** और **चित्र 6** में दर्शाया गया है।

नियोजित पूंजी[4]

नियोजित पूंजी कार्य करने के लिए करोबार में निवेश की गई निधियों या करोबार चलाने के लिए लगाई गई निधियों को दर्शाती है।

नियोजित पूंजी में पिछले वर्ष की तुलना में 33.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पब्लिक सेक्टर में 24.46 प्रतिशत की कमी और प्राइवेट सेक्टर ने 55.51 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। **सारणी 9** और **चित्र 7** में दर्शाई गई नियोजित पूंजी दूरसंचार सेवा क्षेत्र की नियोजित पूंजी को दर्शा रही है।

पूंजी निवेश (सकल ब्लॉक और चालू पूंजीगत कार्य)

दूरसंचार सेवा क्षेत्र में सकल ब्लॉक (सकल अचल परिसंपत्तियां) में 11.99 प्रतिशत की वृद्धि

सारणी–8 : क्षेत्र–वार परिचालन व्यय और इसका अनुपात

विवरण	2014-15			2013-14		
	पब्लिक	प्राइवेट	कुल	पब्लिक	प्राइवेट	कुल
परिचालन व्यय (रुपये करोड़ में)	32551	149948	182499	33409	142406	175815
सार्वजनिक प्राइवेट कुल	97.65%	71.55%	75.13%	102.44%	76.18%	80.08%

4 शुद्ध ब्लॉक, चालू पूंजी और कार्यशील पूंजी के योग को दर्शाता है, जिसमें कार्यशील पूंजी चालू परिसंपत्ति घटा चालू देयताएं है।

चित्र–6 : परिचालन व्यय अनुपात

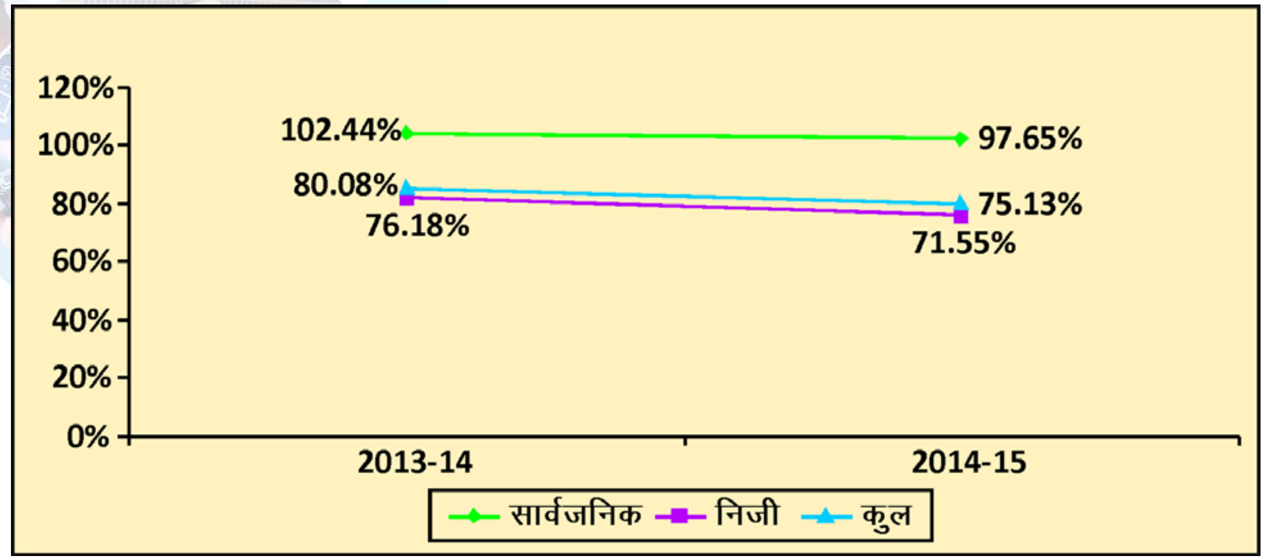

सारणी–9 : नियोजित पूंजी

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2014-15			2013-14		
	पब्लिक	प्राइवेट	कुल	पब्लिक	प्राइवेट	कुल
नियोजित पूंजी	48371	265834	314205	64031	170946	234977

चित्र–7 : दूरसंचार सेवा क्षेत्र की नियोजित पूंजी

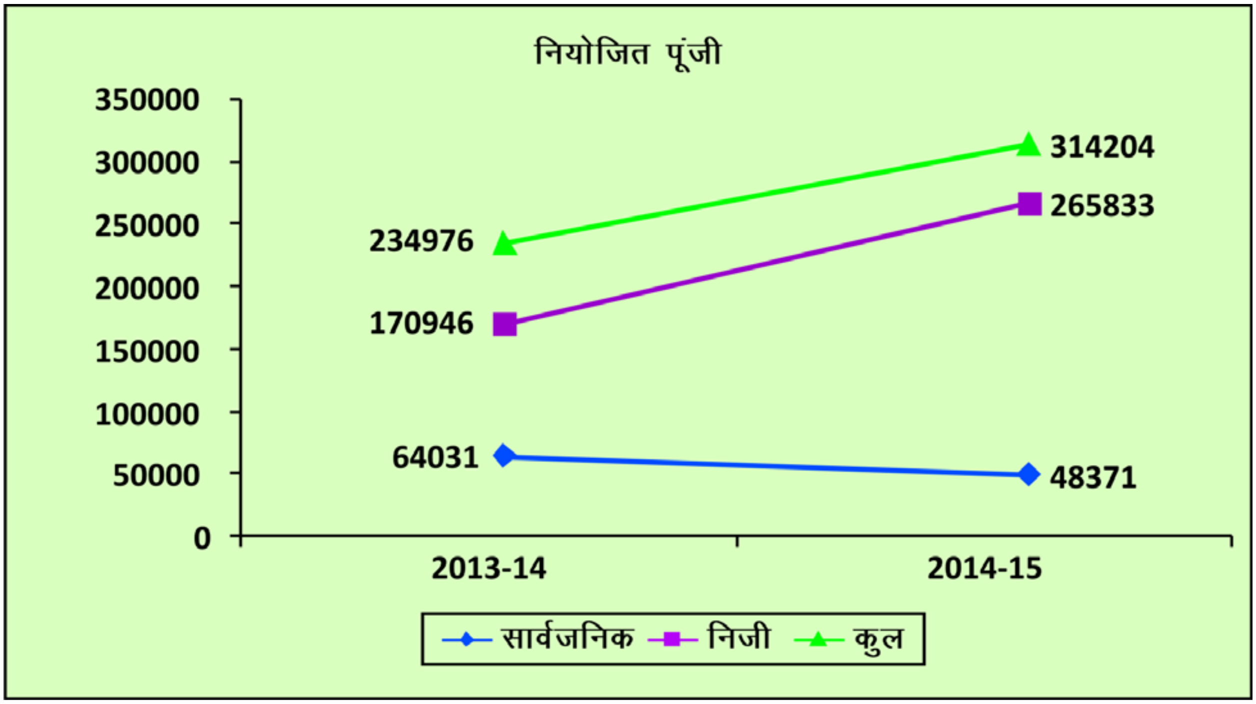

हुई है। पब्लिक सेक्टर में 1.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि प्राइवेट सेक्टर में 17.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। **सारणी 10** सकल ब्लॉक में क्षेत्रवार वृद्धि और **चित्र 8** प्रमुख एक्सेस दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सकल ब्लॉक (अचल परिसंपत्तियां) को दर्शा रहा है।

सारणी–10 : सकल ब्लॉक में क्षेत्रवार निवेश

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2014-15			2013-14		
	पब्लिक	प्राइवेट	कुल	पब्लिक	प्राइवेट	कुल
सकल ब्लॉक	198859	431597	630456	196871	366068	562939
चालू पूंजीगत कार्य	4545	91373	95918	4373	77857	82230
सकल जोड़	203404	522970	726374	201244	443925	645169

चित्र–8 : प्रमुख एक्सेस दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सकल ब्लॉक (अचल परिसंपत्तियां)

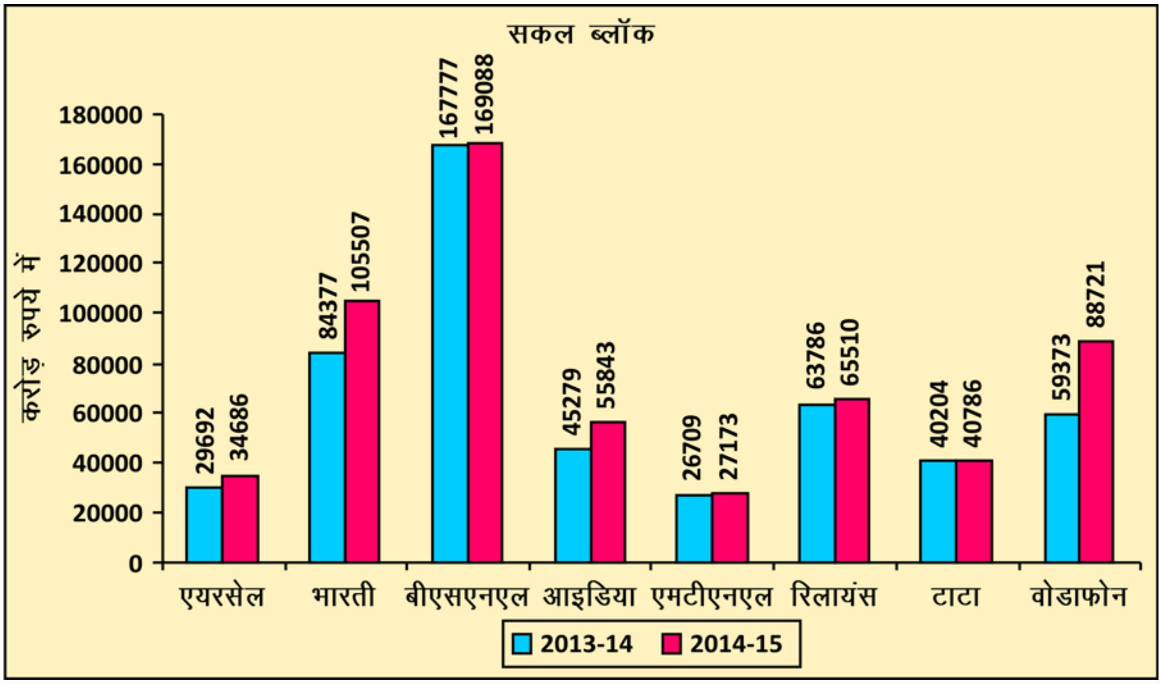

नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात

सारणी–11 : नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात

विवरण	2014-15			2013-14		
	पब्लिक	प्राइवेट	कुल	पब्लिक	प्राइवेट	कुल
नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात (प्रतिशत में)	64.96%	73.95%	72.57%	47.29%	105.39%	89.56%

चित्र–9 : नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात

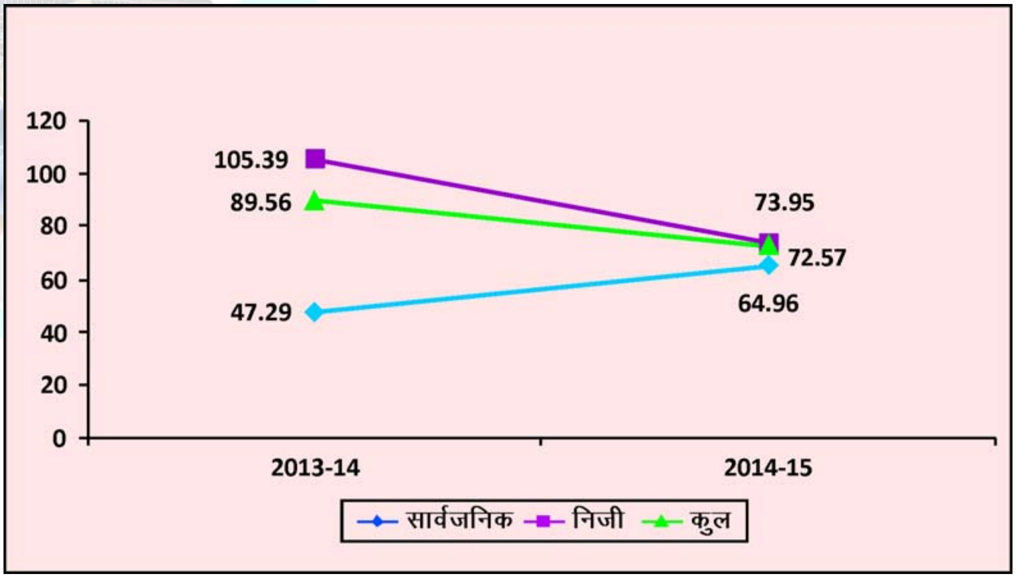

शुद्ध अचल परिसंपत्ति (शुद्ध ब्लॉक) टर्नओवर अनुपात

सारणी 12 और **चित्र 10** परिसंपत्ति (शुद्ध) टर्नओवर अनुपात को दर्शा रहा है।

सारणी–12 : अचल परिसंपत्ति (शुद्ध) टर्नओवर अनुपात

विवरण	2014-15			2013-14		
	पब्लिक	प्राइवेट	कुल	पब्लिक	प्राइवेट	कुल
अचल परिसंपत्ति (शुद्ध) टर्नओवर (प्रतिशत में)	56.47%	79.91%	75.58%	47.93%	88.13%	78.64%

चित्र–10 : अचल परिसंपत्ति (शुद्ध) टर्नओवर अनुपात

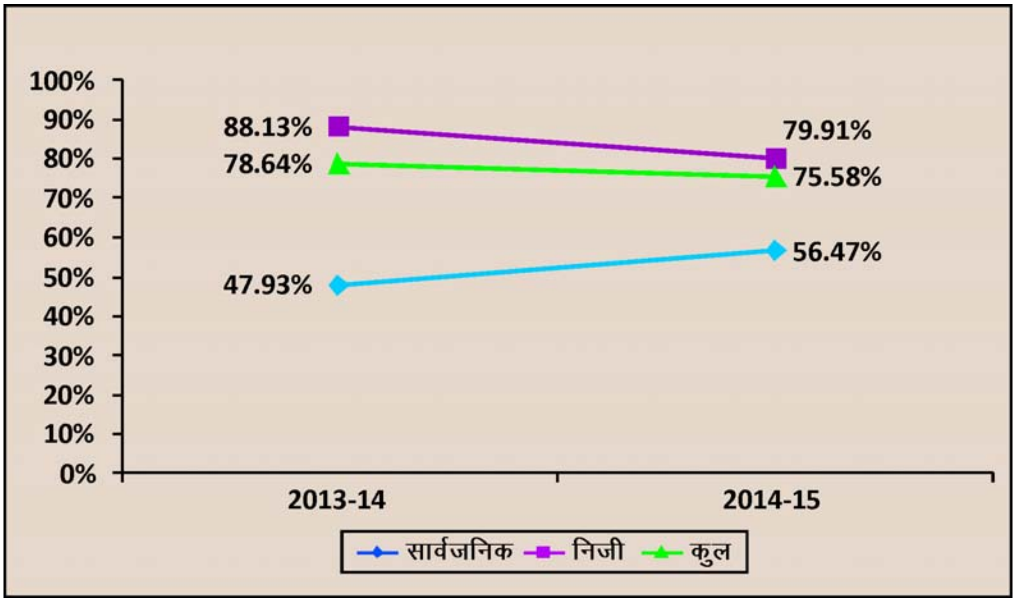

ऋण इक्विटी अनुपात[5]

2014–15 में, दूरसंचार क्षेत्र का ऋण इक्विटी अनुपात बढ़कर 1.33 हो गया है। प्राइवेट सेक्टर का ऋण इक्विटी अनुपात पब्लिक सेक्टर के अनुपात की तुलना में काफी अधिक है। **सारणी 13** में क्षेत्र–वार ऋण इक्विटी अनुपात और **चित्र 11** में ऋण इक्विटी अनुपात दर्शाया गया है।

सारणी–13 : क्षेत्र–वार ऋण इक्विटी अनुपात

विवरण	2014-15			2013-14		
	सार्वजनिक	निजी	समग्र	सार्वजनिक	निजी	समग्र
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना में)	0.45	1.61	1.33	0.29	1.80	1.30

चित्र–11 : ऋण इक्विटी अनुपात

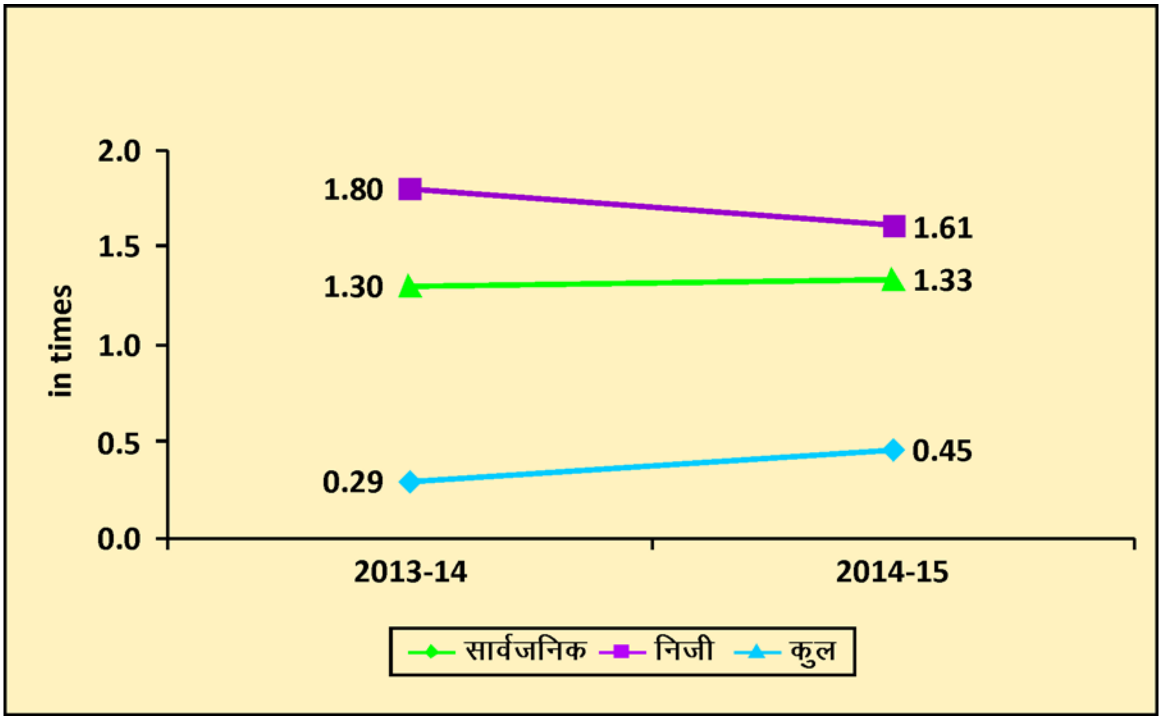

[5] ऋण में दीर्घकालिक कर्ज, अल्पकालिक कर्ज, दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता शामिल हैं। इक्विटी में शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां और अधिशेष शामिल हैं।

(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा

1.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की दूरसंचार क्षेत्र (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क; (ख) दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार; (ग) बेसिक और मूल्यवर्धित सेवाओं, दोनों में प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश; (घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीनी अनुकूलता और प्रभावी अंतःसंयोजन; (ड.) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन; (छ) सेवा की गुणवत्ता; और (छ) सार्वभौमिक सेवा बाध्यताओं से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का वर्णन नीचे किया गया है।

1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

1.2.1.1 वायरलेस

31 मार्च, 2015 को वायरलेस ग्रामीण [मोबाइल और डब्ल्यूएलएल (एफ)] बाजार 414.18 मिलियन का हो गया है जबकि 31 मार्च, 2014 को यह 371.78 मिलियन था। निष्पादन सूचक रिपोर्ट के अनुसार, कुल 42.70 प्रतिशत वायरलेस उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मार्च, 2010 से ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई है। सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या और उनका बाजार शेयर **सारणी 14** और **चित्र 12** में दर्शाए गया है।

चित्र–12 : ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ता (मिलियन में)

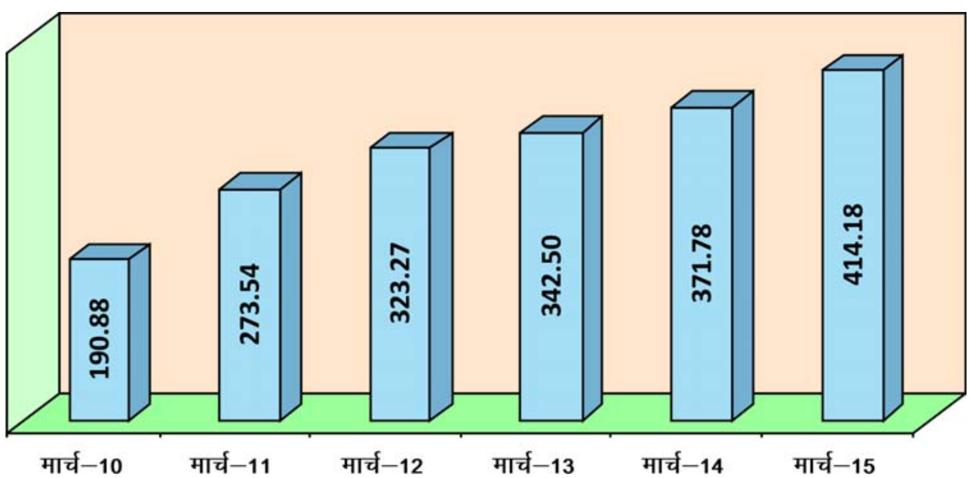

सारणी–14 : सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ता और बाजार शेयर

क्र. सं.	वायरलेस समूह	मार्च, 2014 को उपभोक्ता (मिलियन में)	मार्च, 2015 को उपभोक्ता (मिलियन में)	मार्च, 2014 को ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)	मार्च, 2015 को ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)	ग्रामीण उपभोक्ताओं का बाजार शेयर (मार्च, 2014 को)	ग्रामीण उपभोक्ताओं का बाजार शेयर (मार्च, 2015 को)
1.	भारती	205.39	226.02	93.76	107.61	25.22	25.98
2.	वोडाफोन	166.56	183.80	89.39	97.91	24.04	23.64
3.	आइडिया	135.79	157.81	74.72	89.29	20.10	21.56
4.	रिलायंस	110.89	109.47	27.32	27.75	7.35	6.70
5.	बीएसएनएल	94.65	77.22	32.53	29.52	8.75	7.13
6.	एयरसेल	70.15	81.40	25.51	28.65	6.86	6.92
7.	टाटा	63.00	66.32	15.19	17.25	4.09	4.16
8.	टेलीविंग्स	35.61	45.62	11.20	14.19	3.01	3.43
9.	सिस्टमा	9.04	8.86	2.11	1.95	0.57	0.47
10.	वीडियोकॉन	4.99	7.13	0	0	-	-
11.	एमटीएनएल	3.37	3.51	0	0	-	-
12.	लूप	2.90	-	0	-	-	-
13.	क्वाड्रेंट	2.17	2.73	0.05	0.07	0.02	0.02
14.	कुल	**904.51**	**969.89**	**371.78**	**414.18**	**100.00**	**100.00**

चित्र–13 : ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ताओं के सेवा प्रदाताओं का बाजार शेयर (प्रतिशत में)

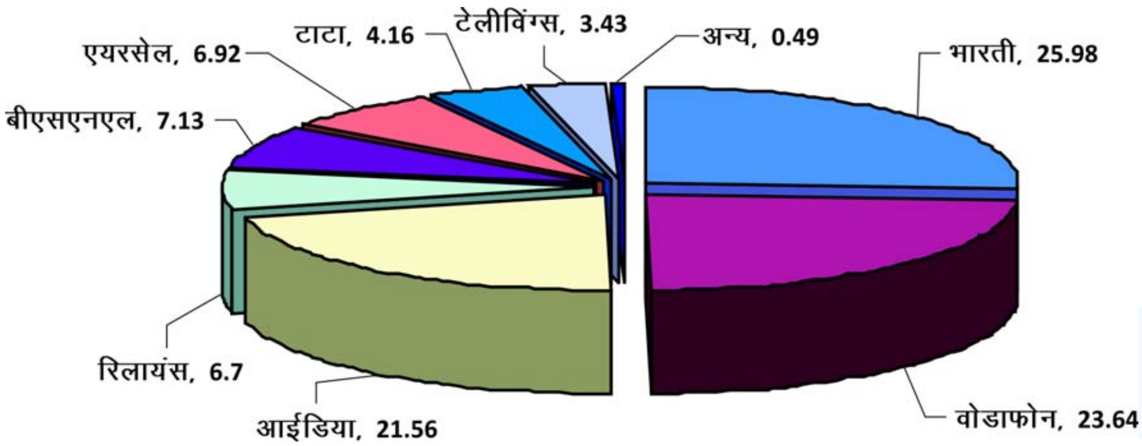

टिप्पणी: अन्य में सिस्टमा और क्वाड्रेंट शामिल हैं।

1.2.1.2 वायरलाइन

ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं में कमी आ रही है। 31 मार्च, 2015 को ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या 5.12 मिलियन थी जबकि 31 मार्च, 2014 के अंत में यह 5.96 मिलियन थी। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 14.09 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सेवा प्रदातावार वायरलाइन ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या और उनका बाजार शेयर **सारणी 15** में दर्शाया गए है।

सारणी–15 : सेवा प्रदातावार वायरलाइन ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या और उनकी बाजार हिस्सेदारी

क्र. सं.	वायरलाइन समूह	कुल वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की बाजार हिस्सेदारी (% में)	
		मार्च–14	मार्च–15	मार्च–14	मार्च–15	मार्च–14	मार्च–15
1	बीएसएनएल	1,84,88,147	1,64,12,440	58,94,988	50,07,402	98.98%	97.73%
2	एमटीएनएल	35,42,075	35,51,671	-	-	-	-
3	भारती	33,56,141	34,11,121	-	-	-	-
4	क्वाड्रेंट	2,12,549	2,27,467	-	55,373	-	1.08%
5	सिस्टमा श्याम	55,213	57,119	9,595	9,596	0.16%	0.19%
6	टाटा	15,49,648	16,72,789	49,330	49,243	0.83%	0.96%
7	रिलायंस	12,39,722	11,82,177	1,972	1,890	0.03%	0.04%
8	वोडाफोन	55,350	79,560	-	-	-	-
	कुल	**2,84,98,845**	**2,65,94,344**	**59,55,885**	**51,23,504**	**100%**	**100%**

2014–15 के दौरान, प्रत्येक तिमाही के अंत में ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की स्थिति **चित्र 14 में** दर्शाई गई है।

चित्र–14 : वर्ष 2014–15 के दौरान ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता

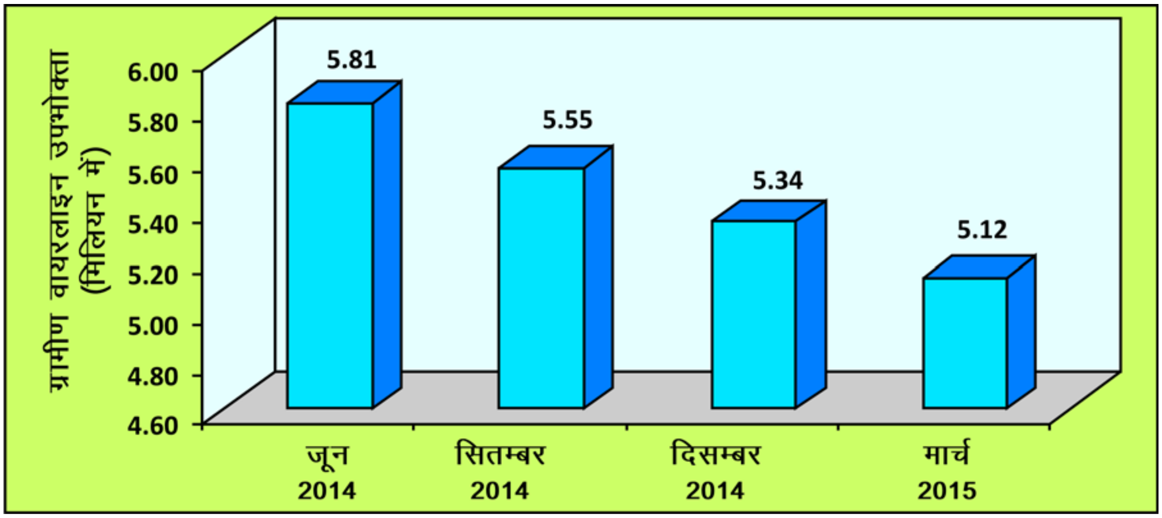

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की स्थिति **चित्र 15** में दर्शाई गई है:

चित्र–15 : पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता

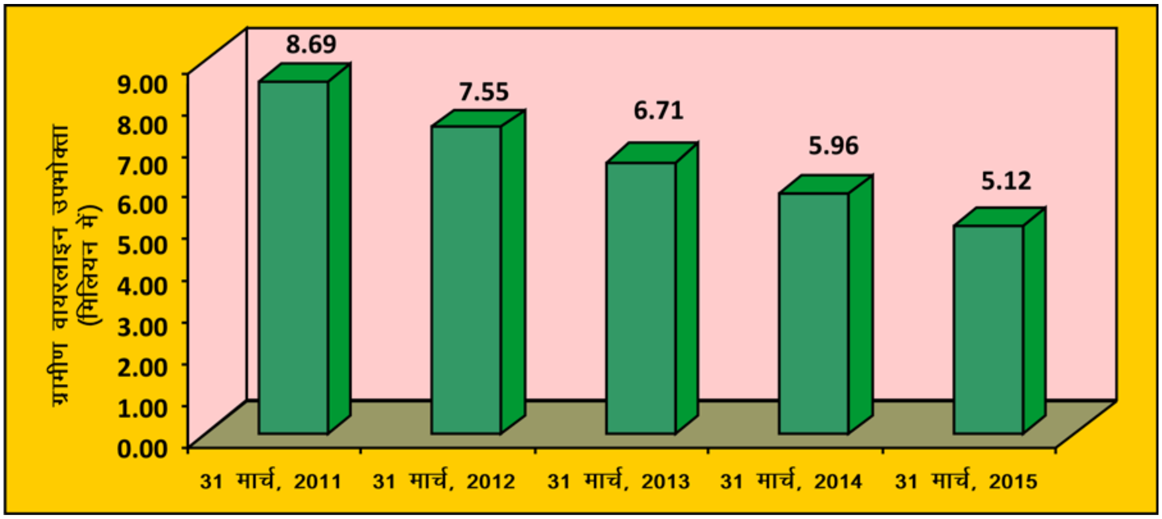

1.2.2. दूरसंचार टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

1.2.2.1 वायरलेस सेवाएं

31 मार्च, 2015 को वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या 969.89 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2014 को यह संख्या 904.51 मिलियन थी। वित्तीय वर्ष, 2014–15 में उपभोक्ताओं की संख्या में 65.38 मिलियन की वृद्धि हुई। वायरलाइन सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या, मार्च, 2010 की 584.32 मिलियन से बढ़कर मार्च 2015 में 969.89 मिलियन हो गई। वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत में 969.89 मिलियन उपभोक्ताओं में से 917.73 मिलियन उपभोक्ता (94.62 प्रतिशत) जीएसएम उपभोक्ता थे और 52.16 मिलियन उपभोक्ता (5.38 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे। मार्च, 2010 से मार्च, 2015 के दौरान, उपभोक्ताओं की संख्या का रूझान **चित्र 16** में दर्शाया गया है।

2010–11 से 2014–15 तक वायरलेस (जीएसएम और सीडीएमए) के उपभोक्ताओं की संख्या और वित्तीय वर्ष 2013–14 में उनकी प्रतिशत वृद्धि इस रिपोर्ट के इस भाग के अंत में **अनुलग्नक–1** में दर्शाई गई है। 31 मार्च, 2015 को विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों का बाजार शेयर **चित्र 17** में दर्शाया गया है। 31 मार्च, 2015 को वायरलेस सेवा प्रदाताओं की सेवा क्षेत्रवार सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में **अनुलग्नक**–2 में दर्शाई गई है।

वायरलेस सेगमेंट में, मार्च, 2015 के अंत में जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या 917.41 मिलियन थी, जबकि मार्च, 2014 के अंत में यह संख्या 847.41 मिलियन थी। वर्ष के दौरान, जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 70.32 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई।

जीएसएम सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या और बाजार शेयर के मामले में मैसर्स भारती 226.02 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ सबसे

चित्र–16 : वायरलेस ऑपरेटरों के उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)

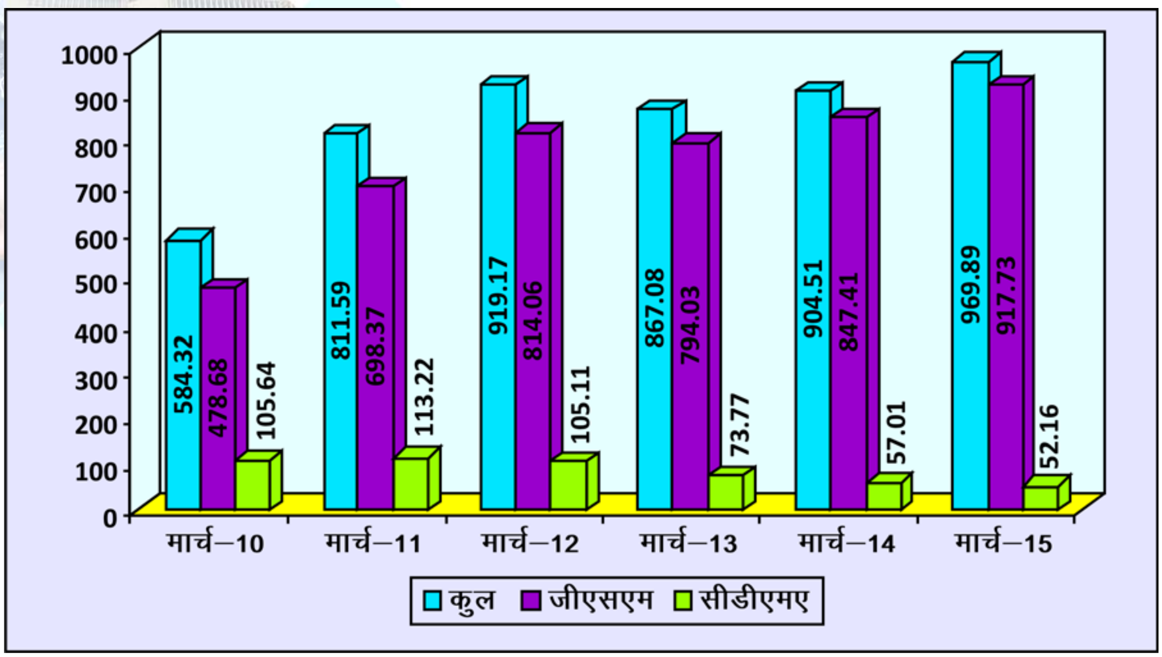

चित्र–17 : वायरलेस सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी (31 मार्च, 2015 को)

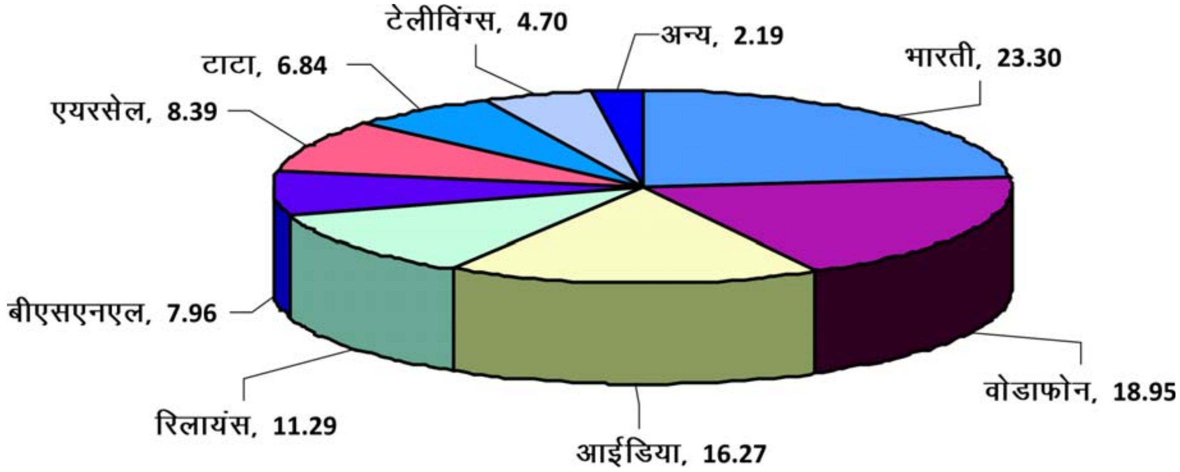

अन्य में सिस्टमा, वीडियोकॉन, एमटीएनएल और क्वाड्रेंट शामिल हैं।

बड़ी जीएसएम सेवा प्रदाता कंपनी बनी रही और उससे नीचे मैसर्स वोडफोन, मैसर्स आइडिया और मैसर्स रिलायंस क्रमशः 183.80 मिलियन, 157.81 मिलियन और 82.43 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ मौजूद थे। 31 मार्च, 2015 को विभिन्न जीएसएम ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी **चित्र 18** में दर्शाया गया है।

वायरलेस सेगमेंट में, मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान, सीडीएमए उपभोक्ताओं की संख्या 52.16 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान यह 57.10

मिलियन थी। सेल्युलर सीडीएमए सेवाओं में, वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या और बाजार हिस्सेदारी के संदर्भ में मैसर्स रिलायंस 27.04 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ सबसे बड़ा सीडीएमए ऑपरेटर बना हुआ है और उसके बाद मैसर्स टाटा और मैसर्स सिस्टमा क्रमशः 14.18 मिलियन और 8.86 मिलियन के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 31 मार्च, 2015 को विभिन्न सीडीएमए ऑपरेटरों का बाजार शेयर **चित्र 19** में दर्शाया गया है।

मार्च, 2010 से मार्च, 2015 की अवधि के लिए सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में सेल्युलर वायरलेस सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की संख्या **चित्र 20** में ग्राफ के रूप में दर्शाई गई है।

चित्र–18 : जीएसएम ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत में) (31 मार्च, 2015 को)

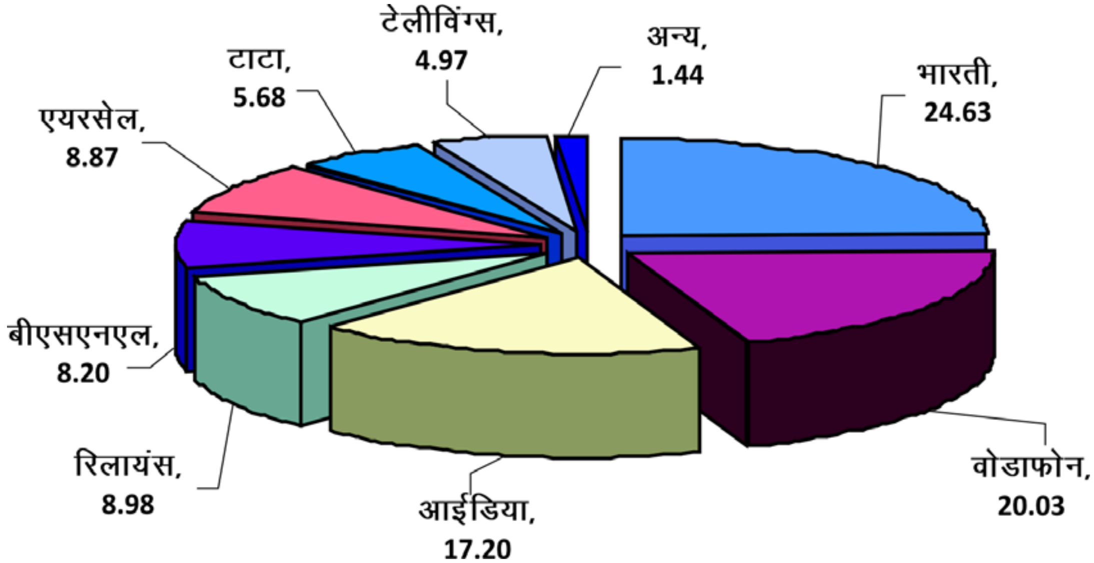

अन्य में वीडियोकॉन, एमटीएनएल और क्वाड्रेंट शामिल हैं।

चित्र–19 : सीडीएमए ऑपरेटरों का बाजार शेयर (प्रतिशत में) (31 मार्च, 2015 को)

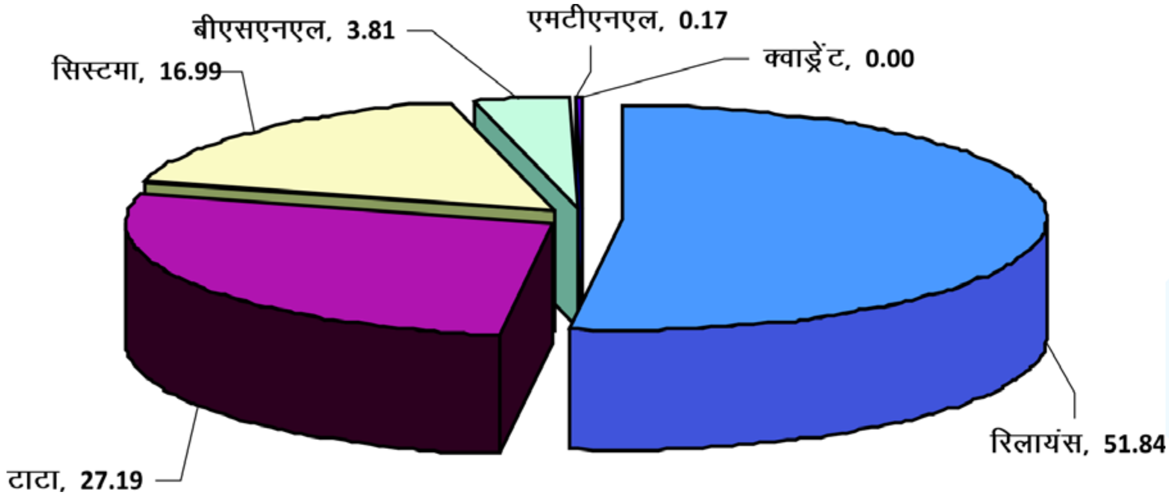

चित्र–20 : मार्च, 2010 से मार्च, 2015 तक मेट्रो और सर्कलों में वायरलेस सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या

(आंकड़े मिलियन में)

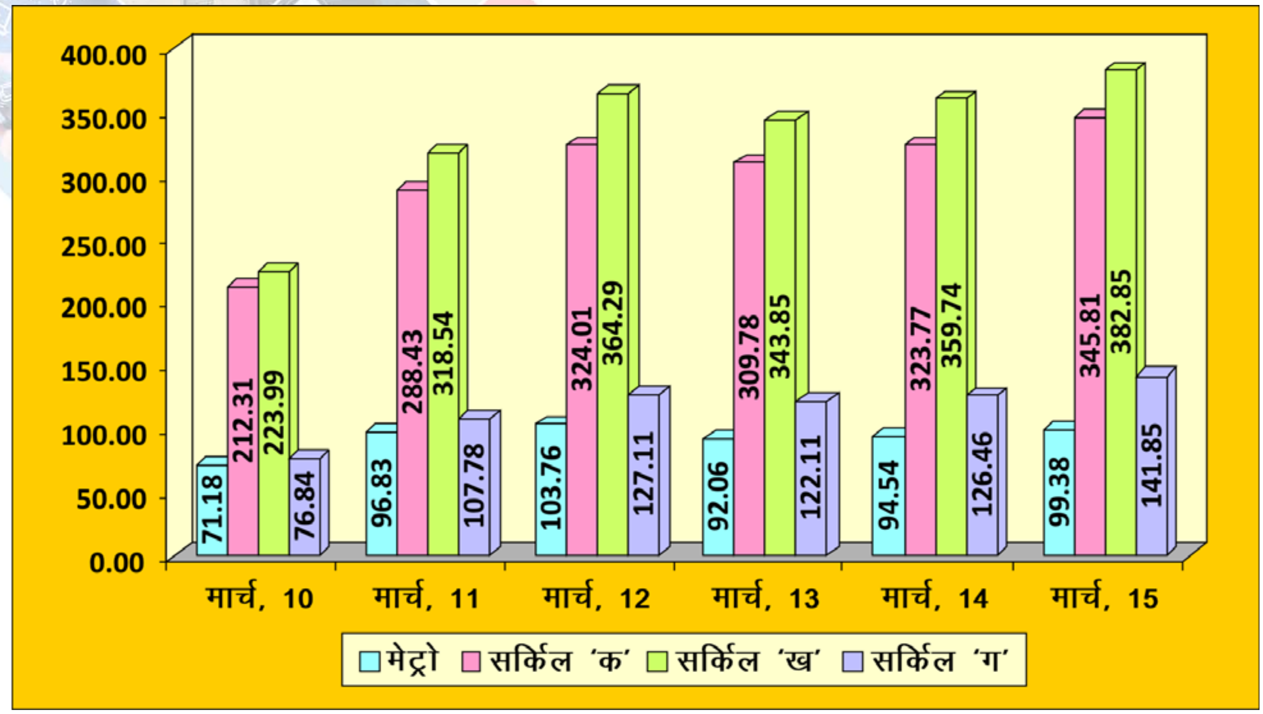

1.2.2.2 वायरलाइन सेवाएं

31 मार्च, 2015 को वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 26.59 मिलियन थी। 31 मार्च, 2015 को 26.59 मिलियन वायरलाइन उपभोक्ताओं की सेवा प्रदातावार ब्यौरा **सारणी 16** में और ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं का ब्यौरा **सारणी 17** में दर्शाया गया है। वायरलाइन उपभोक्ताओं के मामले में बीएसएनएल और एमटीएनएल की बाजार हिस्सेदारी क्रमश 61.71 प्रतिशत और 13.36 प्रतिशत रही, जबकि सभी छः प्राइवेट ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी 24.93 प्रतिशत रही। प्राइवेट ऑपरेटरों का शेयर 31 मार्च, 2014 के 22.70 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2015 को 24.93 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार इसमें 2.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सारणी–16 : 31 मार्च, 2015 को वायरलाइन उपभोक्ताओं का सेवा प्रदातावार ब्यौरा

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	परिचालन का क्षेत्र	उपभोक्ताओं की संख्या (वायरलाइन)
1	बीएसएनएल	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरा भारत	1,64,12,440
2	एमटीएनएल	दिल्ली और मुंबई	35,51,671
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नै सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्वी और उत्तर प्रदेश–पश्चिमी।	34,11,121
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	2,27,467
5	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नै सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्वी और उत्तर प्रदेश–पश्चिमी और पश्चिम बंगाल।	11,82,177
6	सिस्टम श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड	राजस्थान	57,119
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नै सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्वी और उत्तर प्रदेश–पश्चिमी (उत्तराखण्ड सहित) और पश्चिम बंगाल।	16,72,789
8	वोडाफोन	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), असम, बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नै सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्वी और उत्तर प्रदेश–पश्चिमी और पश्चिम बंगाल।	79,560
		कुल	2,65,94,344

स्रोत : टीएसपी द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार।

सारणी–17 : 31 मार्च, 2015 को सेवा प्रदाताओं के वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या

क्र.सं.	सेवा प्रदाता	शहरी उपभोक्ता	ग्रामीण उपभोक्ता	कुल वायरलाइन उपभोक्ता
1	बीएसएनएल	1,14,05,038	50,07,402	1,64,12,440
2	एमटीएनएल	35,51,671	-	35,51,671
3	भारती	34,11,121	-	34,11,121
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड (पूर्व में एचएफसीएल)	1,72,094	55,373	2,27,467
5	सिस्टम श्याम	47,523	9,596	57,119
6	रिलायंस	11,80,287	1,890	11,82,177
7	टाटा	16,23,546	49,243	16,72,789
8	वोडाफोन	79,560	-	79,560
	कुल	**2,14,70,840**	**51,23,504**	**2,65,94,344**

कुल वायरलाइन उपभोक्ताओं में से लगभग तीन–चौथाई उपभोक्ता बीएसएनएल/एमटीएनएल के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और शेष वायरलाइन कनेक्शन विभिन्न प्राइवेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या में विभिन्न सेवा प्रदाताओं का बाजार शेयर **चित्र 21** में दर्शाया गया है :–

चित्र–21 : 31 मार्च, 2015 को वायरलाइन सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

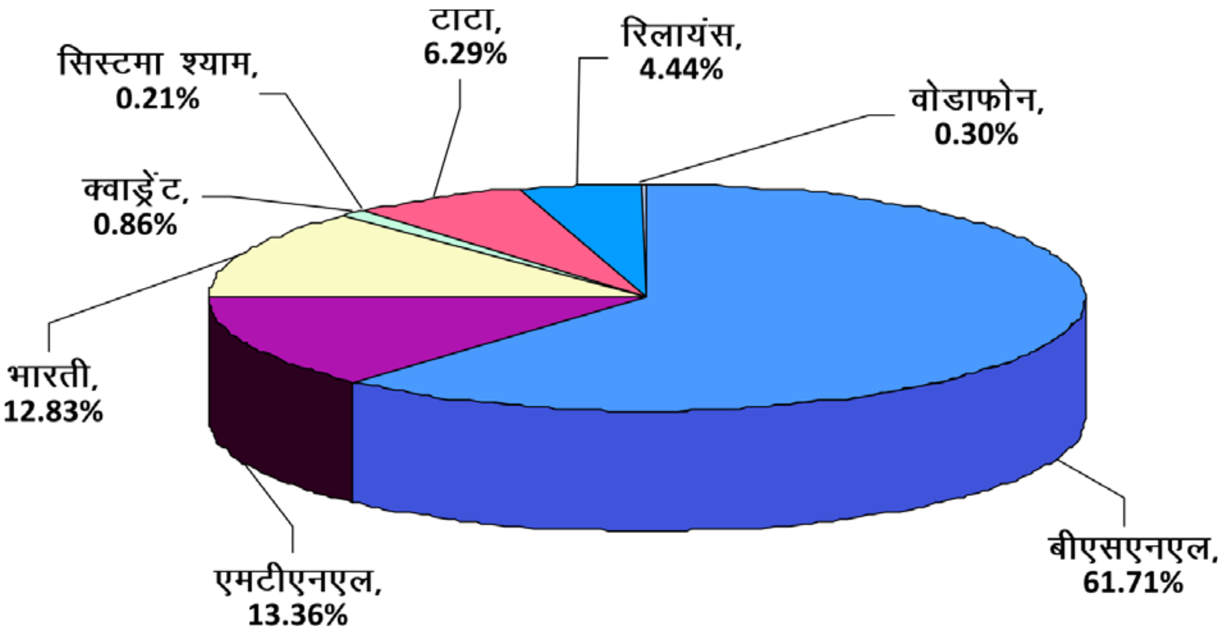

31 मार्च, 2015 को शहरी वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 21.47 मिलियन थी, जिसमें लगभग 69.7 प्रतिशत बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र 22** में दर्शाया गया है।

चित्र–22 : शहरी क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

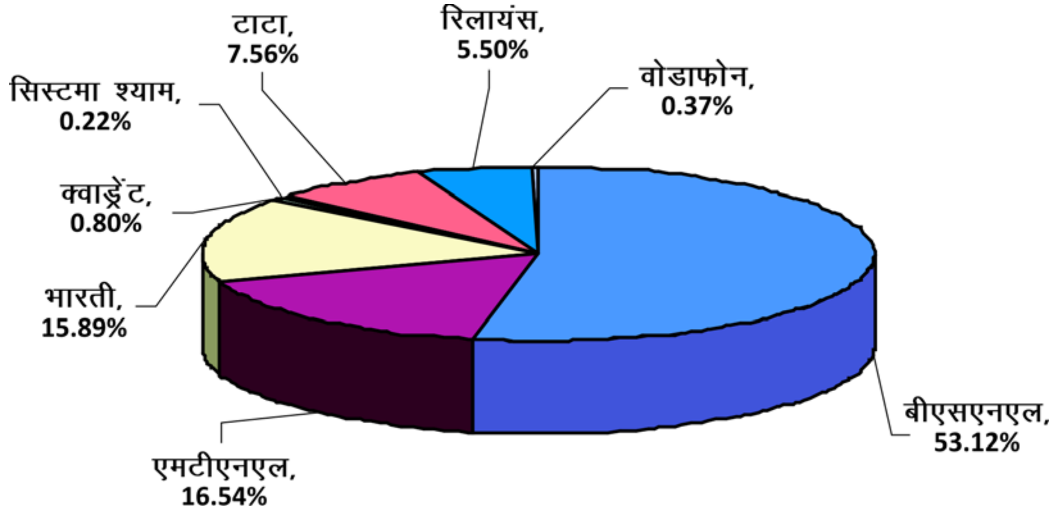

31 मार्च, 2015 को ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 5.12 मिलियन थी। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र 23** में दर्शाया गया है:–

चित्र–23 : ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

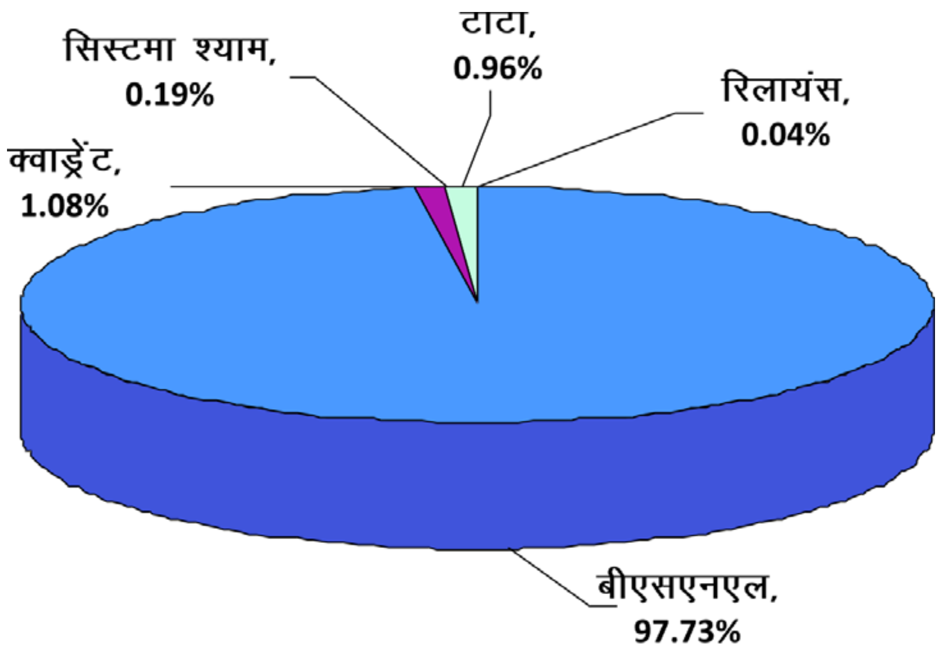

1.2.2.3 पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ)

31 मार्च, 2015 को पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की कुल संख्या 0.74 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2014 को यह संख्या 0.96 मिलियन थी। बीएसएनएल, एमटीएनएल और प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसीओ की संख्या **सारणी 18** में दर्शायी गई है:—

1.2.2.4 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

31 मार्च, 2015 को सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण पब्लिक टेलीफोन (वीपीटी) की कुल संख्या 5.86 लाख थी, जबकि 31 मार्च, 2014 को यह संख्या 5.89 लाख रुपये थी। **सारणी 19** में देश में चल रहे वीपीटी की संख्या दर्शायी गई है।

1.2.2.5 सुसज्जित स्विचन क्षमता

31 मार्च, 2015 को सेवा प्रदाता—वार कुल सुसज्जित स्विचन क्षमता और चालू कनेक्शन **सारणी 20** में दर्शाए गए हैं।

सारणी—18 : भारत में पब्लिक कॉल ऑफिस

क्र.सं.	सेवा प्रदाता का नाम	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2015 को
1	बीएसएनएल	6,15,124	4,65,821
2	एमटीएनएल	1,43,396	1,38,686
3	प्राइवेट ऑपरेटर	1,98,468	1,32,348
	कुल	**9,56,988**	**7,36,855**

सारणी—19 : भारत में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्र.सं.	सेवा प्रदाता का नाम	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2015 को
1	बीएसएनएल	5,81,924	5,81,183
2	प्राइवेट ऑपरेटर	6,988	4,798
	कुल	**5,88,912**	**5,85,981**

सारणी—20 : सेवा प्रदातावार सुसज्जित स्विचन क्षमता

क्र.सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च, 2015 को	
			सुसज्जित स्विचन क्षमता	चालू कनेक्शन
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरा भारत	3,76,89,606	1,64,12,440
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई	88,81,581	35,51,671

क्र.सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च, 2015 को	
			सुसज्जित स्विचन क्षमता	चालू कनेक्शन
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नै सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्वी और उत्तर प्रदेश–पश्चिमी।	1,06,34,000	34,11,121
4	क्वाड्रेंड टेलीवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	5,48,835	2,27,467
5	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नै सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्वी और उत्तर प्रदेश–पश्चिमी और पश्चिम बंगाल।	26,92,000	11,82,177
6	सिस्टम श्याम टेलीसर्विसेस लिमिटेड	राजस्थान	64,000	57,119
7	टाटा टेलीसर्विसेस लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नै सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्वी और उत्तर प्रदेश–पश्चिमी (उत्तराखण्ड सहित) और पश्चिम बंगाल।	46,06,392	16,72,789
8	वोडाफोन	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), असम, बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नै सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्वी और उत्तर प्रदेश–पश्चिमी और पश्चिम बंगाल।	1,80,000	79,560

स्रोतः *सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार।*

1.2.2.6 इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता

31 मार्च, 2015 को इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 302.35 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2014 को यह संख्या 251.59 मिलियन थी। 31 मार्च, 2015 को देश के ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल संख्या 99.20 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2014 को यह 60.87 मिलियन थी।

31 मार्च, 2015 को देश में सेवा प्रदताओं द्वारा सूचित उपभोक्ताओं का विवरण **सारणी 21** में दिया गया है।

2014–15 के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं का विवरण **सारणी 22** में दर्शाया गया है।

सारणी–21 : 31 मार्च 2015 को इंटरनेट उपभोक्ताओं का विवरण (मिलियन में)

सेगमेंट			श्रेणी	इंटरनेट उपभोक्ता		% वृद्धि
				मार्च- 2014	मार्च- 2015	
क.		वायरलाइन	ब्रॉडबैंड	14.86	15.52	4.45%
			नैरोबैंड	3.64	3.55	-2.46%
			कुल	18.50	19.07	3.09%
ख.	वायरलेस	फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई–मैक्स, रेडियो और वीसैट)	ब्रॉडबैंड	0.40	0.44	11.00%
			नैरोबैंड	0.04	0.03	-15.82%
			कुल	0.44	0.48	8.55%
		मोबाइल वायरलेस (फोन + डोंगल)	ब्रॉडबैंड	45.61	83.24	82.48%
			नैरोबैंड	187.04	199.57	6.70%
			कुल	232.65	282.81	21.56%
कुल इंटरनेट उपभोक्ता			**ब्रॉडबैंड**	**60.87**	**99.20**	**62.96%**
			नैरोबैंड	**190.72**	**203.15**	**6.52%**
			कुल	**251.59**	**302.35**	**20.18%**

सारणी–22 : इंटरनेट 2014–15 की चार तिमाहियों के दौरान इंटरनेट उपभोक्ता (मिलियन में)

सेवा	जून-14	सितंबर-14	दिसंबर-14	मार्च-15
ब्रॉडबैंड	68.83	75.73	85.74	99.20
नैरोबैंड	190.31	178.67	181.65	203.15
कुल इंटरनेट	259.14	254.40	267.39	302.35

(c) प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र में सामान्य परिदृश्य की समीक्षा

1.3.1 प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। भारत के पास, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, मार्च, 2015 को 277[1] मिलियन घरों में से 175[1] मिलियन घरों मे टीवी सेट होने का अनुमान लगाया गया हैं, जो केबल टीवी प्रणाली, डीटीएच सेवा, आईपीटीवी सेवाओं और दूरदर्शन के भौमिक टीवी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। डीटीएच के पास 76.05 मिलियन पंजीकृत उपभोक्ता (41.152 मिलियन सक्रिय उपभोक्ता) और आईपीटीवी लगभग आधा मिलियन उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है। केबल टीवी के लगभग 101[1] मिलियन उपभोक्ता होने का अनुमान है। दूरदर्शन का भौमिक टीवी नेटवर्क भौमिक ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के जरिये देश की लगभग 92[2] प्रतिशत आबादी को कवर करता है। प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्र में सरकारी सेवा प्रसारक–दूरदर्शन, जो फ्री–टु–एयर डीटीएच सेवा उपलब्ध करा रहा है, के अलावा, 53 पे प्रसारक, लगभग 60,000 केबल ऑपरेटर, 6000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) (डीएएस में पंजीकृत 155 एमएसओ सहित), छः पे डीटीएच ऑपरेटर शामिल हैं। वित्तीय वर्ष, 2014–15 के अंत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 829[2] टीवी चैनल पंजीकृत थे, जिनमें से 205 एसडी पे टीवी चैनल, 42 एचडी पे टीवी चैनल और 4 विज्ञापन–फ्री पे चैनल हैं। भारत का टेलीविजन उद्योग वर्ष 2013–14 मे 41700[3] करोड़ रुपये का था, जो 2014–15 में बढ़कर 47500[3] करोड़ रुपये का हो गया है। इस प्रकार, इसमें लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सब्सक्रिप्शन, राजस्व टीवी उद्योग के समग्र राजस्व के प्रमुख शेयर का कारण बना। सब्सक्रिप्शन, राजस्व वर्ष 2013–14 के 28100[3] करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 32000[3] करोड़ रुपये हो गया है। भारत में टीवी सेक्टर में विज्ञापन से आय वर्ष 2013–14 के 13600[3] करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 15500[3] करोड़ रुपये हो गई है। एफएम (आवृत्ति

1 स्रोतः एमपीए रिपोर्ट, 2015

2 स्रोतः एमआईबी वेबसाइट – www.mib.gov.in

3 स्रोत : फिक्की –केपीएमजी इंडियन मीडिया और इंटरटेनमेंट रिपोर्ट, 2015

मॉडुलन) रेडियो सेक्टर में शानदार वृद्धि देखने को मिली। सरकारी सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर), जिसके पास 414[4] स्टेशनों और 596[4] प्रसारक ट्रांसमीटर [145[4] मीडियम वेव), 403[4] एफएम और 48[4] एसडब्ल्यू (शॉर्ट वेव)] का नेटवर्क है, के अलावा, मार्च, 2015 तक 243 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन थे। ऑल इंडिया रेडियो सेवा देश के लगभग 99.20%[4] भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और ये 99.18%[4] आबादी को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। रेडियो उद्योग पूरी तरह से विज्ञापन से होने वाली आय पर निर्भर है, इसमें वर्ष 2014–15 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उद्योग में विज्ञापन से आय वर्ष 2013–14 की 1406 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2014–15 में 1633 करोड़ रुपये रही।

इसके अलावा, मार्च, 2015 को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए जारी किए गए 208 लाइसेंस में से 180 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू कर दिए गए थे।

1.3.2 पिछले दशक के दौरान, केबल और सैटेलाइट (सीएंडएस) टीवी बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 3.3 लाख उपभोक्ता प्रतिमाह की वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह स्पष्ट दिखाता है कि डिजिटल एड्रेसेबल प्लेटफार्म की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ रही है, क्योंकि इसके पास सभी हितधारकों को देने के लिए काफी कुछ है। इसके अलावा, भादूविप्रा ने दिनांक 05 अगस्त, 2010 की अपनी सिफारिशों में चरणबद्ध तरीके से केबल टीवी सेवा सेक्टर के पूर्ण डिजिटलीकरण और एड्रेसेबिलिटी के लिए सरकार को अनुशंसा की थी। ये सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और संसद द्वारा केबल टीवी अधिनियम में यथोचित संशोधन किए गए थे। केन्द्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें चार चरणों में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम (डीएएस) को कार्यान्वित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया था। मेट्रों शहरों को कवर करते हुए पहले चरण के लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2012 और एक मिलियन से अधिक आबादी वाले 38 शहरों को कवर करते हुए दूसरे चरण के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2013 रखी गई थी। चार महानगरों को कवर करते हुए पहले चरण में ''डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम'' में माइग्रेशन के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2012 थी और दूसरे चरण (1 मिलियन से अधिक आबादी वाले 38 शहरों के लिए) के लिए अंतिम तिथि 30 मार्च, 2013 थी। तीसरे चरण के लिए नियोजित अंतिम तिथि 30.09.2014 और चौथे और अंतिम चरण के लिए यह 31 दिसंबर, 2014 थी। बहरहाल, तीसरे और चौथे चरण के लिए अंतिम तिथियां क्रमशः 31 दिसंबर, 2015 और 31 दिसंबर, 2016 थी।

4 स्रोतः एआईआर वेबसाइट – www.air.org.in

प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

1.4 पिछले दो दशकों के दौरान, प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। इस क्षेत्र में एनालॉग और डिजिटल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, भौमिक टीवी सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। एफएम रेडियो सेवाओं में निरंतर वृद्धि देखने को मिली। उपभोक्ताओं की संख्या में आनुषंगिक वृद्धि और सेवा प्रदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं के विकास की स्थिति नीचे दर्शाई गई है।

1.4.1 सैटेलाइट टीवी चैनल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमत सैटेलाइट चैनलों की संख्या वर्ष 2009 के 449 से बढ़कर वर्ष 2015 में 829 हो गई है। **चित्र 24** में इस अवधि के दौरान, देश में वर्ष–वार संख्याएं दर्शाई गई हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन (एसडी) पे चैनलों की संख्या वर्ष 2009 के 130 से बढ़कर 2015 में 205 हो गई है। **चित्र 25** में इस अवधि के दौरान देश में वर्षवार संख्याएं दर्शाई गई हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन (एसडी) पे चैनलों के अलावा, पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रसारकों द्वारा

चित्र–24 : भारत में सैटेलाइट टीवी चैनलों की वर्ष–वार संख्या

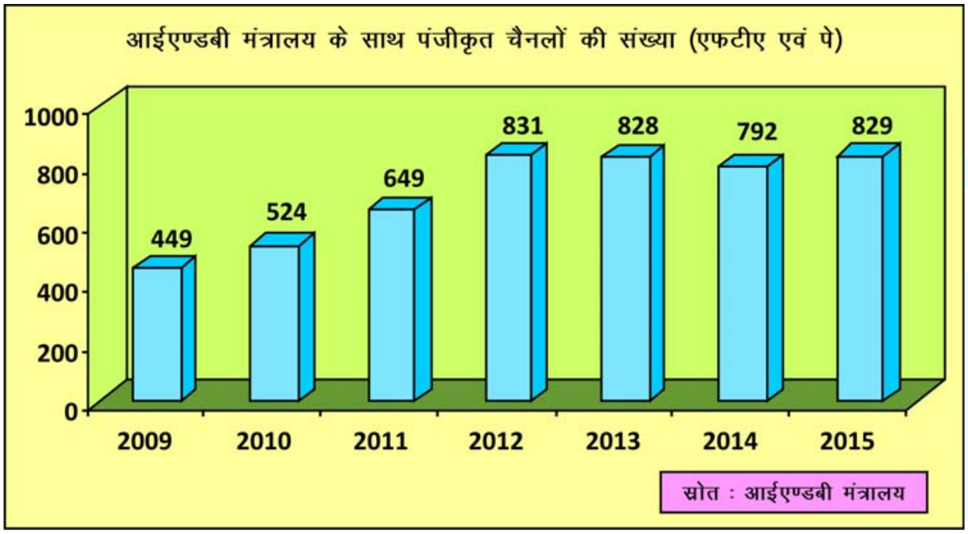

चित्र–25 : भारत में एसडी सैटेलाइट पे टीवी चैनलों की वर्ष–वार संख्या

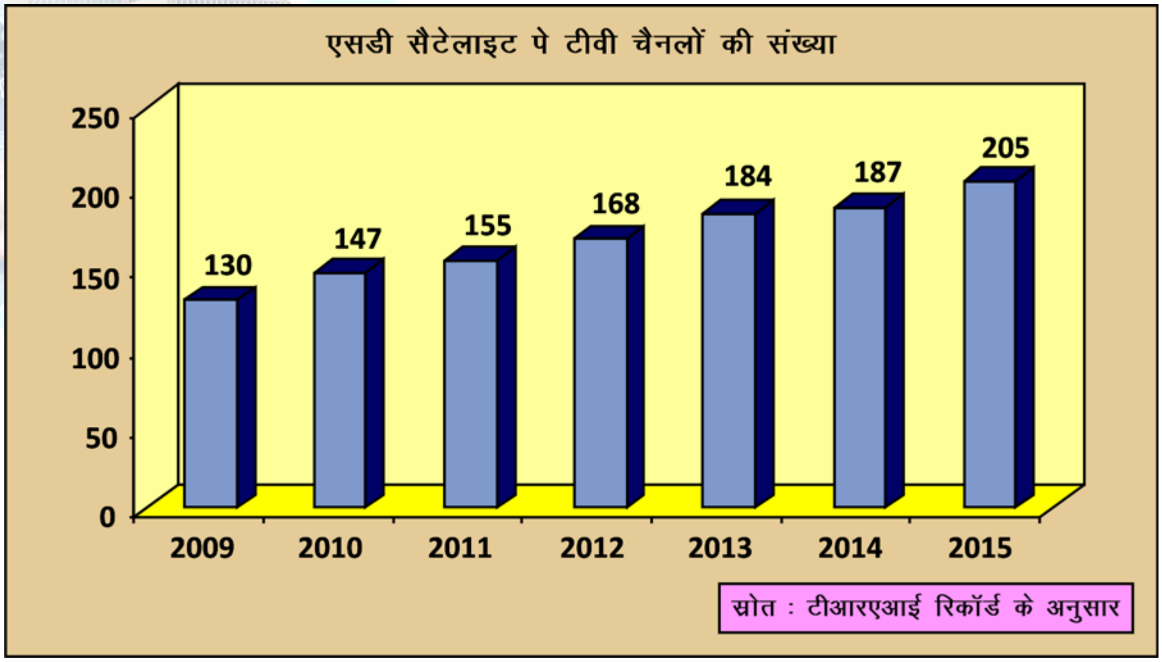

हाई डेफिनेशन (एचडी) पे टेलीविजन चैनल अच्छी खासी संख्या में शुरू किए गए हैं। **चित्र 26** में भादूविप्रा को सूचित किए गए इस अवधि के दौरान के एचडी पे टीवी चैनलों की वर्ष वार संख्याएं दर्शाई गई हैं। मार्च, 2015 के अंत में, भारत में कुल 42 चालू एचडी चैनल थे।

चित्र–26 : भारत में एचडी पे टीवी चैनलों की वर्ष–वार संख्या

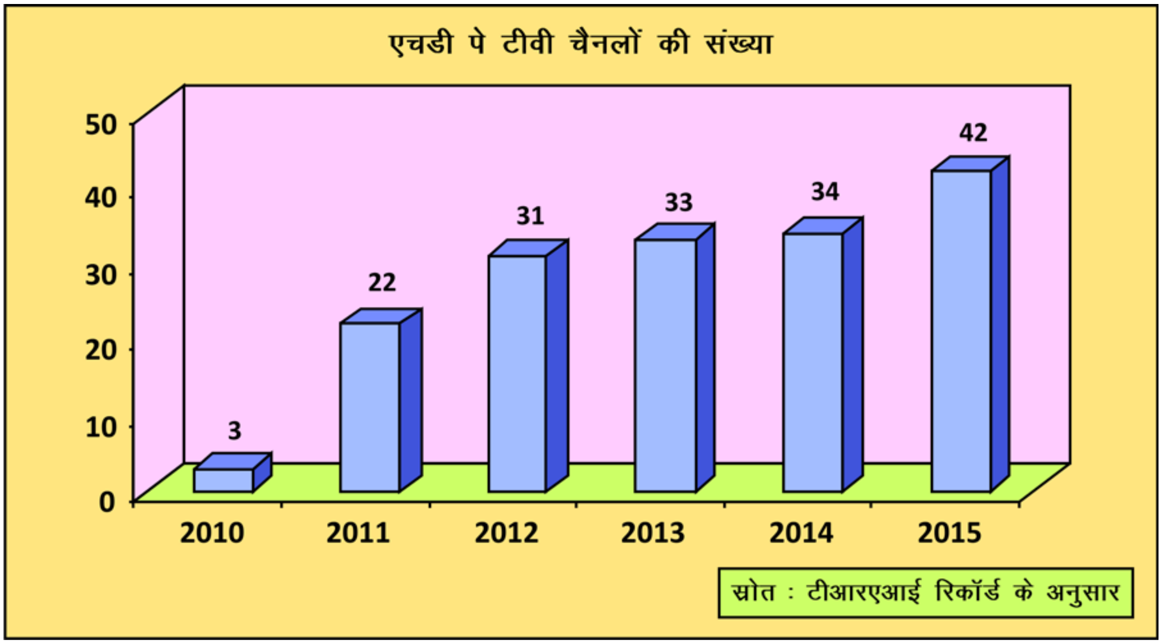

1.4.2 डीटीएच सेवाएं

वर्ष 2003 में अपनी शुरूआत से ही डीटीएच सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। इसमें हर महीने 3.3 लाख नए सक्रिय उपभोक्ता जुड़ते हैं, डीटीएच के पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या 76.05 मिलियन (41.15 मिलियन सक्रिय उपभोक्ताओं सहित) तक पहुंच गई है। मार्च, 2015 को इन उपभोक्ताओं को 6 पे डीटीएच सेवा प्रदाता अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। यह दूरदर्शन की निशुल्क डीटीएच सेवाओं के दर्शकों के अतिरिक्त है। क्षेत्र में पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या में वार्षिक वृद्धि **चित्र 27** में दर्शाई गई है।

इन वर्षों के दौरान, पारंपरिक टीवी चैनलों की उपलब्धता में वृद्धि के अलावा, डीटीएच ऑपरेटरों ने कई नई सेवाएं पेश की जैसे मूल्यवर्धित सेवाएं (वीएएस), मूवी–ऑन–डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग आदि सहित इंटरेक्टिव सेवाएं।

1.4.3 केबल टीवी सेवाएं

केबल टीवी क्षेत्र सबसे बड़ा पे टेलीविजन सेवा क्षेत्र है, जिसके पास अनुमानतः लगभग 101 मिलियन उपभोक्ता हैं। भारत में टीवी वाले घरों की संख्या वर्ष 2015 में बढ़कर 175 मिलियन हो गई है। **चित्र 28** में पिछले 6 वर्षों के दौरान, वार्षिक उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में केबल टीवी क्षेत्र की वृद्धि दर्शाई गई है।

1.4.4 डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम (डीएएस)

टीवी चैनलों की संख्या में घातांकी वृद्धि और एनालॉग केबल टीवी सिस्टम की सहज

चित्र–27 : डीटीएच क्षेत्र के वार्षिक पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या

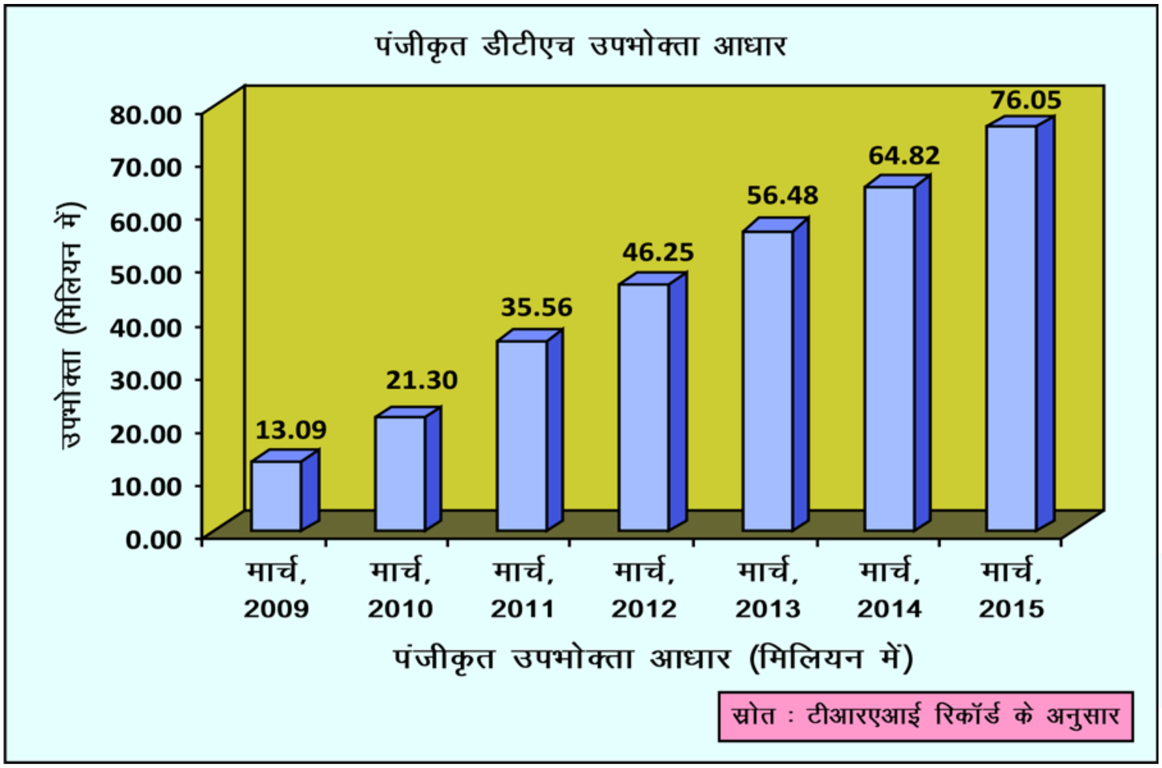

चित्र–28 : केबल टीवी उपभोक्ताओं की वार्षिक संख्या और वृद्धि

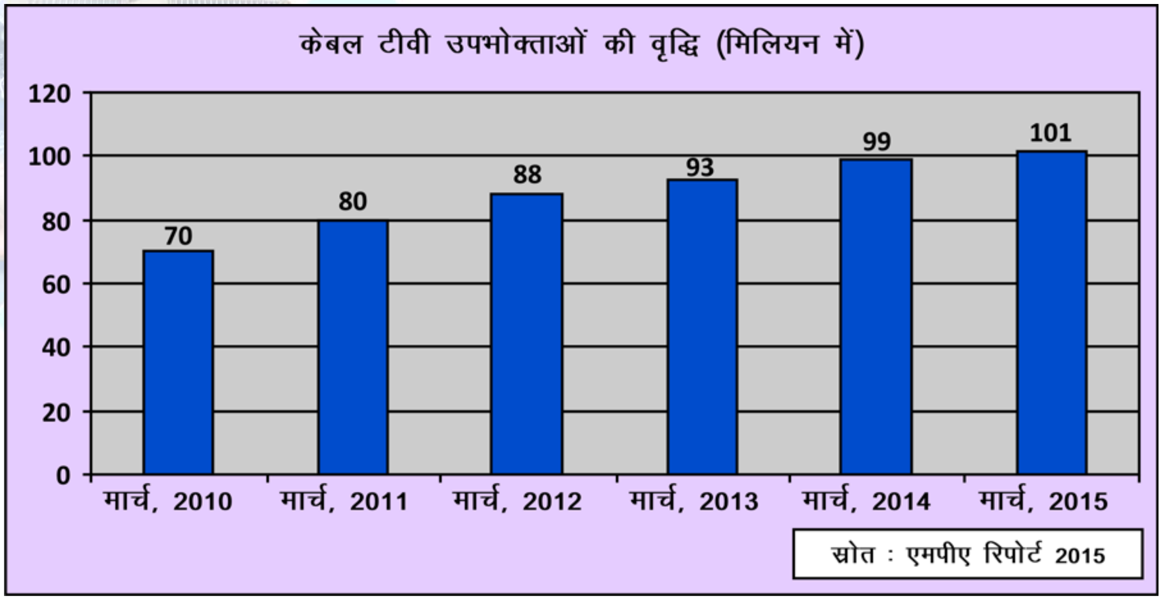

सीमाओं के कारण केबल टीवी क्षेत्र में कई चुनौतियां आईं। प्रमुख सीमा एनालॉग केबल टीवी नेटवर्कों की क्षमता का अभाव है; दूसरा कारण इसकी गैर–एड्रेसेबल प्रकृति है। तकनीकी विकास और डिजिटल युग प्रारंभ होने से केबल टीवी उद्योग के आधुनिकीकरण के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो इसे इसके विशाल और निरंतर बढ़ते मोबाइल उपभोक्ता आधार को नई सेवाएं प्रदान करने में समर्थ बना रहा है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने डिजिटलीकरण का विस्तृत अध्ययन किया और एक व्यापक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की। तत्पश्चात, 5 अगस्त, 2010 को इसने भारत सरकार को देशभर में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम (डीएएस) को कार्यान्वित करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की। इस काम को करते समय, इसने डिजिटलीकरण के उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक विस्तृत योजना भी तैयार की। सरकार ने 25 अक्टूबर, 2011 को इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में संशोधन करते एक एक अध्यादेश[1] जारी किया, डीएएस कार्यान्वयन का कार्य नवंबर, 2012 में शुरू किया गया और और इसे दिसंबर, 2016 तक पूरा किया जाना है। देश के आकार, जटिलता और क्षेत्रीय विशिष्टताओं को देखते हुए एनालॉग केबल टीवी वितरण सिस्टम से डिजिटल में बदलाव के लिए एक प्रारंभिक माइग्रेशन योजना शहरीकरण के आधार पर बनाई गई थी। अनुसूची पर आधारित संशोधित समय–सारणी **सारणी** 23 पर दी गई है।

1 संसद द्वारा विधेयक पारित करने के साथ ही दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 का आध्यादेश 30 दिसंबर, 2011 को एक अधिनियम बन गया।

सारणी–23 : माइग्रेशन अनुसूची – डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम

चरण	क्षेत्र	एनालॉग केबल टीवी को बंद करने की तारीख
चरण–1	चार महानगर यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै	31.10.2012
चरण–2	1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर (38 शहर)	31.03.2013
चरण–3	सभी शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगरपालिकाएं)	31.12.2015
चरण–4	शेष भारत	31.12.2016

1.4.5 डिजिटल एड्रेसेसबल केबल टीवी सिस्टम (डीएएस) का कार्यान्वयन

भादूविप्रा ने अंतःसंयोजन, सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ के पहलुओं को शामिल करते हुए डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत विनियामक योजना तैयार की है।

जहां तक डीएएस के कार्यान्वयन का प्रश्न था तो भादूविप्रा ने तीन–चरणों वाली एक योजना तैयार की थी :–

- पहले चरण के अंतर्गत प्रसारकों को एमएसओ के बीच औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करके कंटेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी। यह, एमएसओ के लिए पर्याप्त कंटेंट की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- दूसरे चरण के अंतर्गत सेट–टॉप बॉक्स की तैयारी करना; उपभोक्ताओं का विवरण जमा करना और उन्हें उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में शामिल करना था। यह सिस्टम में 'एड्रेसेबिलिटी' लाने के लिए महत्वपूर्ण था।
- तीसरे चरण के अंतर्गत एकल उपभोक्ताओं की बिलिंग सुनिश्चित करना था ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद/सब्सक्रिप्शन के अनुसार भुगतान कर सकें। इससे पिछले एनालॉग वाले दिनों में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला जब उपभोक्ता केबल द्वारा उनको जो भी उपलब्ध किया जा रहा है, उसके लिए एकमुश्त रकम का भुगतान करते थे, चाहे वो उसको देखना पसंद करते हों या नहीं, मगर वो उसको देखने के लिए मजबूर होते थे।

सुगम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, भादूविप्रा ने मीडिया के सभी माध्यमों यथा रेडियो, टीवी और प्रिंट में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के जरिये डिजिटलीकरण के विभिन्न लाभों पर बल दिया गया। उद्योग, सेक्टर विनियामक और सरकार के सदस्यों से एक कार्यबल का गठन किया गया था। इस कार्यबल ने फील्ड विजिट किया; समीक्षा बैठकें आयोजित की; जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की; और वो सभी काम किए जो सुगम और व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी थे। कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सेवा प्रदाताओं से डाटा नियमित रूप से लिए गए। सुधारक कदम उठाने की जब भी जरूरत पड़ी तो तुरंत उठाए गए।

कार्यान्वयन के पहले दो चरण पूरे कर लिए गए हैं और लगभग 30 प्रतिशत केबल टीवी

वाले घरों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। पहले चरण के दौरान, लगभग 9 मिलियन एसटीबी लगाए गए और लगभग 15 मिलियन एसटीबी दूसरे चरण में लगाए गए। शेष दो चरणों का काम चल रहा है। वर्ष 2016 के अंत तक पूरे देश में डिजिटलीकरण का कार्य पूरा होने की संभावना है। डिजिटलीकरण के पहले दो चरणों से प्राप्त अनुभव काफी उत्साह बढ़ाने वाला रहा है। एनालॉग सिस्टम की कई कमियों जैसे क्षमता की तंगी, अपारदर्शी बिजनस लेन–देन, सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं के लिए सीमित विकल्प आदि का समाधान किया गया है।

डीएएस क्षेत्रों के उपभोक्ता आज के समय में हाई डेफिनेशन (एचडी) सहित चैनलों के बेहतर विकल्प; बेहतर पिक्चर और साउंड क्वालिटी प्राप्त कर रहे हैं; उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं बेहतर हुई हैं; मद–वार बिलिंग शुरू की गई है। डिजिटल केबल टीवी इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिये अधिक ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दूसरी मूल्यवर्धित सेवाएं और ट्रिपल प्ले सेवाएं प्रदान करने के लिए प्लेटफार्म तैयार है।

भारत द्वारा केबल टीवी नेटवर्कों का डिजिटलीकरण सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है और इसका अनुकरण करने के लिए दूसरे देशों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित होने की आशा है।

1.4.6 रेडियो

रेडियो अपनी विस्तृत कवरेज, पोर्टेबिलिटी, सेट–अप की कम लागत और किफायती जैसे गुणों के कारण जन संचार का एक लोकप्रिय साधन है। भारत में रेडियो कवरेज एमप्लीट्यूड मॉडयुलेशन मोड में शॉर्ट–वेव (एसडब्ल्यू) और मीडियम–वेव (एमडब्ल्यू) बैंड और एफएम बैंड में फ्रिक्वेंसी माड्युलेशन (एफएम) मोड में उपलब्ध है। आज के समय में एफएम रेडियो प्रसारण को रेडियो सेक्टर में मनोरंजन, जानकारी अैर शिक्षा प्रदान करने का मुख्य साधन माना जाता है। सरकारी सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर), जिसके पास 414 स्टेशनों और 596 प्रसारण ट्रांसमीटरों (145 एमडब्ल्यू, 403 एफएम और 48 एसडब्ल्यू) का नेटवर्क है, के अलावा मार्च, 2015 तक 243 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे।

दूसरे शहरों विशेषकर जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य और द्वीप क्षेत्रों में एफएम सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने और कतिपय दूसरे मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार ने 25 जुलाई, 2011 को प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण के चरण–3 विस्तार पर समेकित नीति दिशानिर्देश जारी किए। इस चरण का उद्देश्य अतिरिक्त 839 एफएम रेडियो स्टेश प्रारंभ करके 294 शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच का विस्तार करना है, जिससे एफएम रेडियो स्टेशनों के क्षेत्रीय विकास को बल प्रदान किया जा सकें। चरण 3 के कार्यान्वयन के बाद, एफएम रेडियो देश के लगभग 85 प्रतिशत भूभाग को कवर कर लेगा। एफएम रेडियो के लिए प्राइवेट प्रसारकों को शामिल करने की योजना ने रेडियो कवरेज बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये रेडियो श्रोताओं के लिए बढ़िया क्वालिटी का रिसेप्शन भी प्रदान करता है। इसने विभिन्न शहरों में स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में भी योगदान दिया है। प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या में वर्ष–वार वृद्धि **चित्र 29** में और

प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों के विज्ञापन आय में वार्षिक वृद्धि (भादूविप्रा के रिकॉर्ड के अनुसार) को **चित्र 30** में दर्शाया गया है।

देश का रेडियो सेक्टर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के साथ एक और विस्तार का गवाह बना। देश के

चित्र–29 : प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि

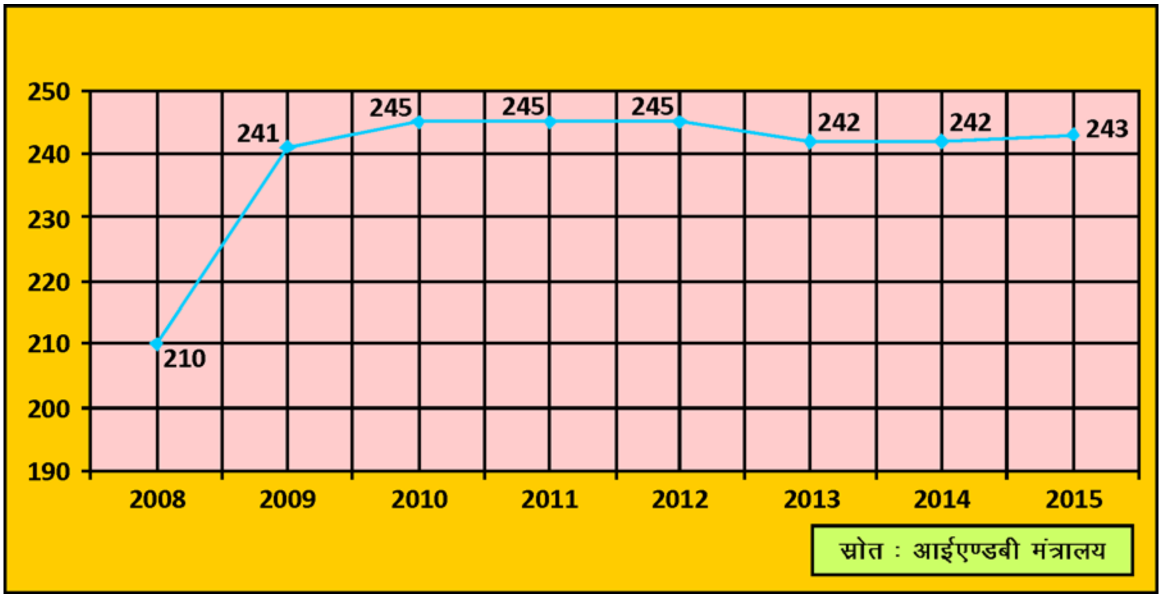

चित्र–30 : एफएम सेक्टर विज्ञापन राजस्व (वार्षिक)

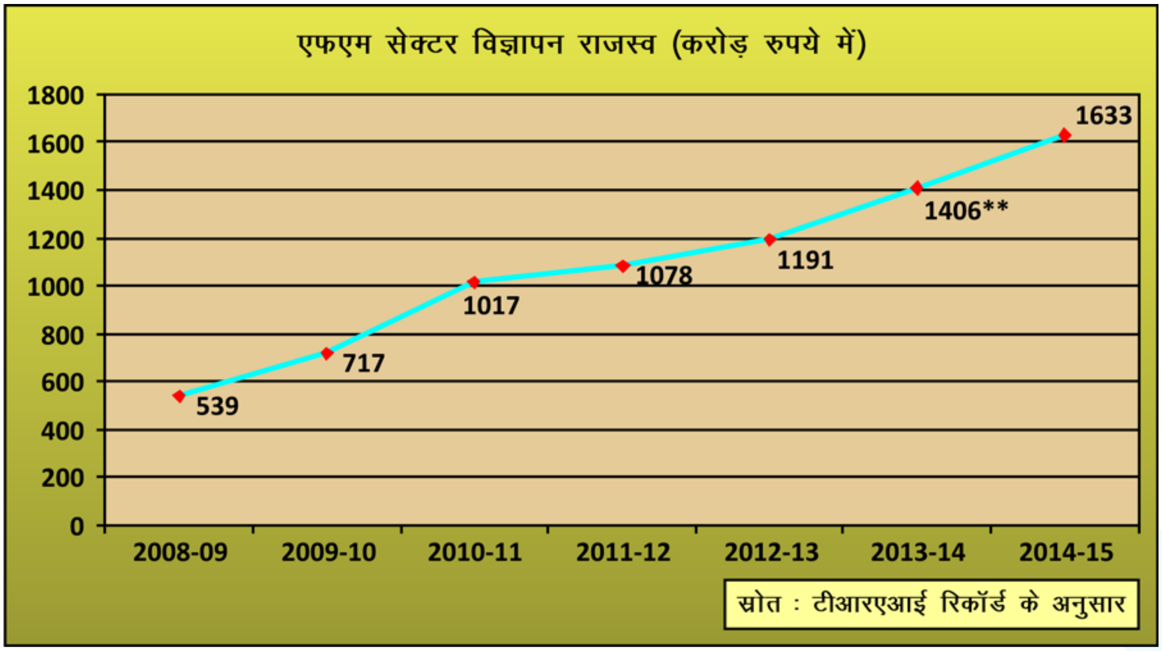

*** एक सेवा प्रदाता द्वारा बाद में विज्ञापन आय में सूचित करेक्शन के कारण 2013–14 में दर्शाए गए 1407 करोड़ से संशोधित किया गया।*

विशाल भूभाग, अनेक भाषाओं, समृद्ध संस्कृति और विविध सामाजिक स्तरों को देखते हुए सीआरएस के लिए भारी संभावनाएं मौजूद हैं। सामुदायिक रेडियो प्रसारण आम आदमी के रोजमर्रा की चिंताओं पर फोकस करने के उद्देश्य के साथ छोटे समुदायों को जोड़ने का मकसद पूरा करता है और साथ ही स्थानीय अपेक्षाओं को समझने में भी उनकी मदद करता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल करके सीआरएस स्थापित किए गए हैं। मार्च, 2015 को सीआरएस स्थापित करने के लिए जारी किए गए 208 लाइसेंस में से 180 स्टेशन चालू कर दिए गए हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में वर्ष–वार वृद्धि **चित्र 31** में दर्शाई गई है।

1.4.7 टेलीपोर्ट्‌स

दुनियाभर में टेलीपोर्ट्‌स जटिल समाधान प्रदाता के रूप में उभरा है, जिसमें टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन और पोस्ट–प्रोडक्शन से लेकर कंटेंट होस्टिंग और वितरण, सिस्टम इंटीग्रेशन और नेटवर्क प्रबंधन शामिल है। भारत में उदार अप–लिंकिंग दिशानिर्देश और कम परिचालन लागत एवं कुशल जनशक्ति की उपलब्धता को देखते हुए चैनलों द्वारा बड़े पैमाने पर विदेश से भारत में अप–लिंक्ड किया गया। अगर भारत "टेलीपोर्ट हब" के रूप में विकसित होता है तो जो चैनल भारत में डाउन लिंकिंग के लिए नहीं है, वे अपलिंकिंग के लिए भारत में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। प्रदर्शित तकनीकी क्षमताओं और भौगोलिक लोकेशन के साथ भारत दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखने के लिए टीवी चैनलों को अपलिंकिंग की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। भादूविप्रा ने इस अवसर को पहचान कर "भारत में टेलीविनज चैनलों की अपलिकिंग/डाउनलिंकिंग संबंधी मुद्दों" पर 22 जुलाई, 2010 की अपनी सिफारिशों में सरकार को भारत को टेलीपोर्ट हब के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था।

चित्र–31 : भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि

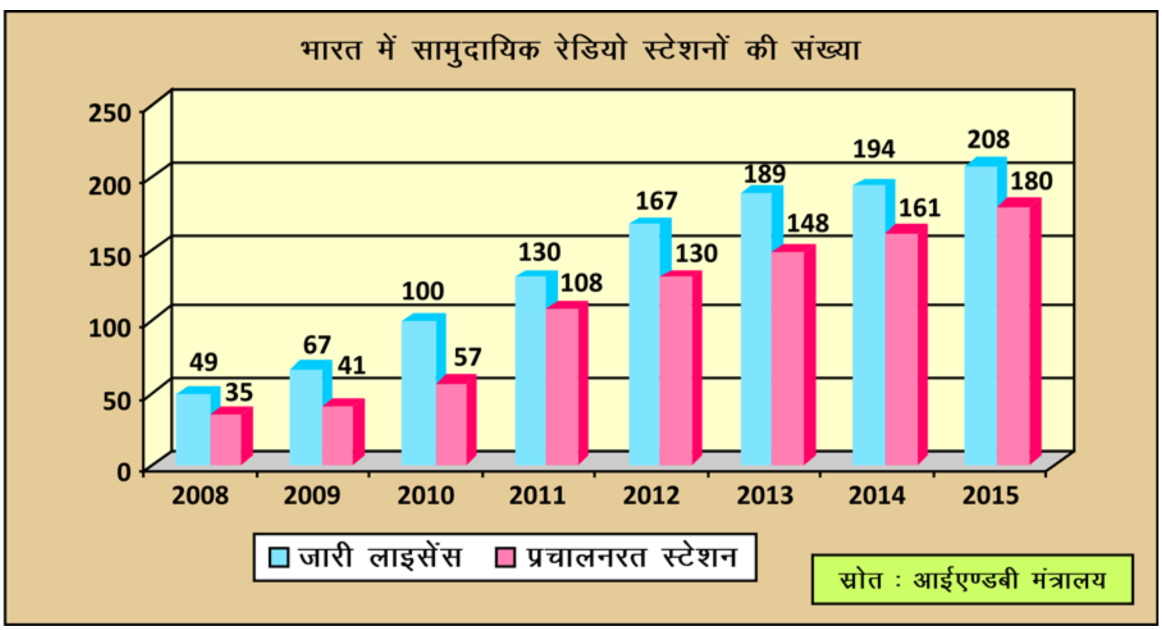

पिछले सात वर्षों के दौरान, अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की संख्या में वर्ष–वार वृद्धि **चित्र 32** में दर्शाई गई है।

1.4.8 प्रसारण क्षेत्र में टैरिफ रुझान

उपभोक्ताओं को कम लागत पर प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए भादुविप्रा समय–समय पर टैरिफ आदेशों के रूप में विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। गैर–एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से सेवित क्षेत्रों, अधिसूचित डीएएस क्षेत्रों और अन्य एड्रेसेबल प्रणालियों जैसे डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी आदि के लिए टैरिफ भादूविप्रा द्वारा जारी संबंधित टैरिफ आदेशों द्वारा शासित होते हैं। इसके अलावा, एड्रेसेबल डिजिटलीकरण के तेजी से कार्यान्वयन को देखते हुए यह संभावना है कि ऑपरेटर मूवी–ऑन–डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग आदि सहित मूल्यवर्धित सेवाएं (वीएएस), इंटरेक्टिव सेवाएं अधिक मात्रा में ऑफर करेंगे। दिनांक 21 जुलाई, 2010 का टैरिफ आदेश, जिसमें संशोधन भी किया गया है, सभी सेवा प्रदाताओं को खुदरा स्तर पर अ–ला–कार्टे आधार पर अपने–अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभी चैनल ऑफर करने का अधिदेश देता है। इसके अलावा, गैर–एड्रेसेबल सिस्टम टैरिफ सीलिंग के संबंध में कतिपय प्रतिबंधों के साथ थोक मूल्य निर्धारित किए गए हैं। थोक और खुदरा स्तर पर इन प्रावधानों से एक ऐसा रुझान उभरने की संभावना है जिसमें चैनलों के सब्सक्रिप्शन उपभोक्ता की पसंद के अनुसार है न कि सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए परिभाषित के अनुसार।

1.4.9 केबल और सैटेलाइट टीवी सेवा सेक्टर में हितधारक

मार्च, 2015 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत टीवी चैनलों की कुल संख्या 829 थी। जिसमें 205 एसडी पे चैनल, 42 एचडी पे चैनल और 4 विज्ञापन मुक्त पे चैनल शामिल हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे टीवी

चित्र–32 : देश में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की संख्या में वृद्धि

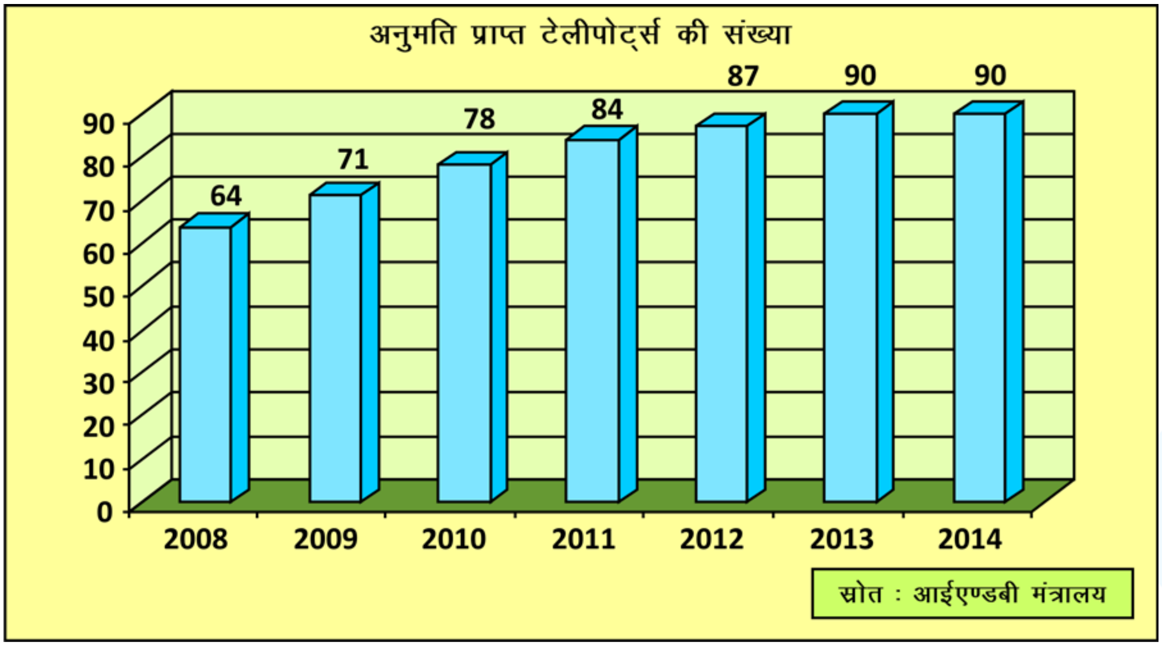

चैनलों, हाई डेफिनेशन चैनलों, पे प्रसारकों, पे डीटीएच ऑपरेटरों और अनुपति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की सूची इस रिपोर्ट के इस भाग के अंत में **अनुलग्नक–3** से **अनुलग्नक–7** में दर्शाई गई है।

प्रसारण और केबल सेवा निष्पादन संकेतक

प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति को **तालिका–24** में दर्शाया गया है।

तालिका–24: प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं की समग्र स्थिति

देश में घरों की संख्या (अनुमानित)	277 मिलियन
टीवी घरों की संख्या (अनुमानित)	175 मिलियन
केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या (अनुमानित)	101 मिलियन
31 मार्च, 2015 को प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकृत पे–डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या	76.05 मिलियन
31 मार्च, 2015 को प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के साथ सक्रिय पे–डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या	41.15 मिलियन
केबल ऑपरेटरों की संख्या (अनुमानित)	60,000
मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों की संख्या (अनुमानित)	6000
डीएएस में पंजीकृत एमएसओ की संख्या	155
पे–डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	6
31 मार्च, 2015 को चैनलों की संख्या	829
31 मार्च, 2015 को एसडी पे–टीवी चैनलों की संख्या	205
31 मार्च, 2015 को एचडी टीवी चैनलों की संख्या	42
31 मार्च, 2015 को एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (आकाशवाणी को छोड़कर)	243
31 मार्च, 2015 को लाइसेंसशुदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	208
31 मार्च, 2015 को प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	180
31 मार्च, 2015 को देश में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्टों की संख्या	90

पिछली चार तिमाहियों में, प्रसारण क्षेत्र का सेवा निष्पादक संकेतक **तालिका–25** में दर्शाया गया हैः–

तालिका–25 : प्रसारण क्षेत्र का सेवा निष्पादन संकेतक

प्रसारण और केबल सेवाएं	समाप्त तिमाही			
	जून 2014	सितम्बर 2014	दिसम्बर 2014	मार्च 2015
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत चैनलों की कुल संख्या	797	813	826	829
एसडी पे–चैनलों की संख्या (परिचालन)	186	187	202	205
एचडी पे–चैनलों की संख्या (परिचालन)	36	38	39	42
डीटीएच पंजीकृत उपभोक्ता आधार (मिलियन में)	67.57	70.33	73.06	76.05
सक्रिय डीटीएच उपभोक्ता आधार (मिलियन में)	38.24	39.13	40.54	41.15
प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	243	243	243	243

भाग-I का अनुबंध

2010–11 से 2014–15 तक वायरलेस [जीएसएम एवं सीडीएमए] सेवाओं का उपभोक्ता आधार

(उपभोक्ता आधार मिलियन में)

सेवा प्रदाता	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	वित्त वर्ष 2014 की तुलना में प्रतिशत अवस्था वृद्धि / कटौती
भारती	162.20	181.28	188.20	205.39	226.02	10.04
वोडाफोन	134.57	150.47	152.35	166.56	183.80	10.35
आईडिया	89.50	112.72	121.61	135.79	157.81	16.22
रिलायंस	135.72	153.05	122.97	110.89	109.47	-1.28
बीएसएनएल	91.83	98.51	101.21	94.65	77.22	-18.42
एयरसेल	54.84	62.57	60.07	70.15	81.40	16.04
टाटा	89.14	81.75	66.42	63.00	66.32	5.27
यूनीटेक / टेलीविंग्स	22.79	42.43	31.68	35.61	45.62	28.11
सिस्टेमा	10.06	15.68	11.91	9.04	8.86	-1.99
वीडियोकॉन	7.11	5.95	2.01	4.99	7.13	42.89
एमटीएनएल	5.47	5.83	5.00	3.37	3.51	4.15
लूप	3.09	3.27	3.01	2.90	0	0
क्वाड्रेंट	1.47	1.33	1.37	2.17	2.73	25.81
एस टेल	2.82	3.43	0	0	0	0.00
ईटीसलत	0.97	0.78	0	0	0	0.00
कुल	**811.59**	**919.17**	**867.8**	**904.51**	**969.89**	**7.23**

स्रोतः सेवा प्रदाता

31 मार्च, 2015 को वायरलेस सेवा प्रदाताओं की सेवा क्षेत्रवार सूची

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	मोबाइल ऑपरेटर	
		जीएसएम	सीडीएमए
		श्रेणी : महानगर	
1.	दिल्ली	भारती एयरटेल	
		वोडाफोन	
		एमटीएनएल	
		आइडिया	
		एयरसेल	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
			एमटीएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			सिस्टेमा
			टाटा
2.	मुंबई	वोडाफोन	
		एमटीएनएल	
		भारती एयरटेल	
		आइडिया	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		एयरसेल	
		टाटा .	
			एमटीएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			टाटा
3.	कोलकाता	भारती एयरटेल	
		वोडाफोन	
		बीएसएनएल	
		आरटीएल	
		डिशनेट	
		टाटा	
		आइडिया	

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	मोबाइल ऑपरेटर	
		जीएसएम	सीडीएमए
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			सिस्टेमा
			टाटा
श्रेणी : सर्किल 'क'			
4.	महाराष्ट्र	वोडाफोन	
		आइडिया	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		एयरसेल	
		टाटा	
		टेलीविंग्स	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			टाटा
5.	गुजरात	वोडाफोन	
		आइडिया	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		टाटा	
		वीडियोकोन	
		टेलीविंग्स	
		एयरसेल	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			सिस्टेमा
			टाटा

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	मोबाइल ऑपरेटर	
		जीएसएम	सीडीएमए
6.	आंध्र प्रदेश	आइडिया	
		भारती एयरटेल	
		बीएसएनएल	
		वोडाफोन	
		एयरसेल	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		टाटा	
		टेलीविंग्स	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			टाटा
7.	कर्नाटक	भारती एयरटेल	
		आइडिया	
		बीएसएनएल	
		वोडाफोन	
		एयरसेल	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		टाटा	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			सिस्टेमा
			टाटा
8.	तमिलनाडु चेन्नई सहित	वोडाफोन	
		एयरसेल	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		आइडिया	
		टाटा	
			बीएसएनएल

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	मोबाइल ऑपरेटर	
		जीएसएम	सीडीएमए
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			सिस्टेमा
			टाटा
श्रेणी : सर्किल 'ख'			
9.	केरल	आइडिया	
		वोडाफोन	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		डिशनेट	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		टाटा	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			सिस्टेमा
			टाटा
10.	पंजाब	आइडिया	
		भारती एयरटेल	
		बीएसएनएल	
		वोडाफोन	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		टाटा	
		क्वाड्रंट	
		डिशनेट	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			क्वाड्रंट
			टाटा
11.	हरियाणा	आइडिया	
		वोडाफोन	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	मोबाइल ऑपरेटर	
		जीएसएम	सीडीएमए
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		टाटा	
		वीडियोकोन	
		एयरसेल	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			टाटा
12.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	आइडिया	
		भारती एयरटेल	
		बीएसएनएल	
		वोडाफोन	
		डिशनेट	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		टाटा	
		टेलीविंग्स	
		वीडियोकोन	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			सिस्टेमा
			टाटा
13.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	वोडाफोन	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		आइडिया	
		डिशनेट	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		टाटा	
		टेलीविंग्स	
		वीडियोकोन	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			टाटा

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	मोबाइल ऑपरेटर	
		जीएसएम	सीडीएमए
14.	राजस्थान	वोडाफोन	
		भारती एयरटेल	
		बीएसएनएल	
		आइडिया	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		टाटा	
		एयरसेल	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			सिस्टेमा
			टाटा
15.	मध्य प्रदेश	आइडिया	
		रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		वोडाफोन	
		टाटा	
		एयरसेल	
		वीडियोकोन	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
16.	पश्चिम बंगाल		टाटा
		रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		वोडाफोन	
		डिशनेट	
		टाटा	
		आइडिया	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	मोबाइल ऑपरेटर	
		जीएसएम	सीडीएमए
			सिस्टेमा
			टाटा
श्रेणी : सर्किल 'ग'			
17.	हिमाचल प्रदेश	भारती एयरटेल	
		रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	
		बीएसएनएल	
		आइडिया	
		डिशनेट	
		वोडाफोन	
		टाटा	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			टाटा
18.	बिहार	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		डिशनेट	
		आइडिया	
		वोडाफोन	
		टाटा	
		टेलीविंग्स	
		वीडियोकोन	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			टाटा
19.	ओडिशा	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		डिशनेट	
		वोडाफोन	
		आइडिया	

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	मोबाइल ऑपरेटर	
		जीएसएम	सीडीएमए
		टाटा	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
			टाटा
20.	असम	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		डिशनेट	
		वोडाफोन	
		आइडिया	
			बीएसएनएल
21.	पूर्वोत्तर	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	
		भारती एयरटेल	
		बीएसएनएल	
		डिशनेट	
		वोडाफोन	
		आइडिया	
			बीएसएनएल
22.	जम्मू एवं कश्मीर	बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		डिशनेट	
		वोडाफोन	
		रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	
		आइडिया	
			बीएसएनएल
			रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड

स्रोतः दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता।

स्टैंडर्ड पे–टीवी चैनलों की सूची

क्र.सं.	चैनल का नाम
1	9एक्स
2	9एक्स जलवा
3	9X झकास
4	9एक्सएम
5	9एक्स
6	एशियानेट
7	एशियानेट प्लस
8	एशियानेट मूवीज
9	सुवर्ना प्लस
10	सुवर्ना
11	बिग थ्रिल (पुराना नाम ''बिग आरटीएल थ्रिल'')
12	बी4यू मूवीज़
13	आठ
14	बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़
15	जूम
16	रोमेडी नाओ
17	ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया
18	टेन क्रिकेट (पुराना नाम ''प्ले टीवी'')
19	एनिमल प्लैनेट
20	डिस्कवरी चैनल
21	डिस्कवरी चैनल–तमिल
22	डिस्कवरी किड्स चैनल
23	डिस्कवरी साइंस
24	डिस्कवरी टर्बो
25	आईडी इन्वेटीगेशन डिस्कवरी
26	टीएलसी
27	ई–24
28	ईटीवी तेलुगु
29	ईटीवी आन्ध्र प्रदेश (पुराना नाम ''ईटीवी–2'')
30	ईटीवी–तेलंगाना (पुराना नाम ''ईटीवी–3'')
31	नैट जिओ वाइल्ड
32	नैट जिओ पीपल (पुराना नाम ''नैट जिओ एडवेंचर'')
33	यूटीवी बिंदास
34	यूटीवी एक्शन
35	आईबीएन लोकमत
36	मां गोल्ड (पुराना नाम '' मां जूनियर'')
37	मां मूवीज़ (पुराना नाम '' मां पूजा'')
38	मां म्यूज़िक
39	मां टीवी
40	जे मूवीज
41	जया मैक्स
42	जया प्लस
43	जया टीवी
44	एबीपी आनंद
45	एबीपी माझा
46	द एमजीएम
47	एनीमैक्स
48	एएक्सएन
49	सेट मैक्स
50	मिक्स
51	सब
52	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल (सेट)

क्र.सं.	चैनल का नाम
53	पिक्स
54	सिक्स
55	मैक्स 2 (पुराना नाम ''मैक्स एचडी'')
56	पल (पुराना नाम ''सब एचडी'')
57	एनडीटीवी गुड टाइम्स
58	निओ प्राइम (पुराना नाम ''निओ क्रिकेट'')
59	नियो स्पोर्ट्स
60	एनडीटीवी 24X7
61	एनडीटीवी इंडिया
62	एनडीटीवी प्रॉफिट
63	फॉक्स लाइफ (पुराना नाम ''फॉक्स ट्रेवलर'')
64	नेशनल ज्योग्राफिक चैनल (एनजीसी)
65	प्रार्थना
66	तरंग
67	तरंग म्यूज़िक
68	अलंकार
69	ईटीवी बिहार झारखण्ड
70	ईटीवी एमपी छत्तीसगढ़
71	ईटीवी राजस्थान
72	ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तरांचल
73	ईटीवी उर्दू
74	ईटीवी न्यूज़ कन्नड
75	ईटीवी न्यूज बंगला
76	ईटीवी हरियाणा/हिमाचल प्रदेश
77	ईटीवी न्यूज गुजराती
78	9एक्स टशन (पुराना नाम ''पूर्वया'')
79	ईटीवी बंगला
80	ईटीवी गुजराती
81	ईटीवी कन्नड

क्र.सं.	चैनल का नाम
82	ईटीवी मराठी
83	ईटीवी उड़ीया
84	राज म्यूज़िक कन्नड
85	राज डिजिटल प्लस
86	राज म्यूज़िक
87	राज न्यूज़
88	राज टीवी
89	विसा टीवी
90	बिगमैजिक
91	बिग मैजिक गंगा (पुराना नाम ''बिग मैजिक बिहार'')
92	सहारा फिल्मी
93	सहारा वन
94	सार्थक टीवी
95	मेगा 24
96	मेगा म्यूज़िक
97	मेगा टीवी
98	चैनल (वी)
99	स्टार स्पोटर्स 4 (''ईएसपीएन'' का पुराना नाम)
100	फॉक्स क्राइम
101	एफएक्स
102	लाइफ ओके (पुराना नाम ''स्टार वन'')
103	मूवीज़ ओके (पुराना नाम ''गोल्ड एक्शन'')
104	स्टार स्पोटर्स 3 (''स्टार क्रिकेट'' का पुराना नाम)
105	स्टार गोल्ड
106	स्टार जलसा
107	स्टार मूवीज़
108	स्टार मूवीज़ एक्शन

क्र.सं.	चैनल का नाम
109	स्टार प्लस
110	स्टार प्रवाह
111	स्टार स्पोटर्स 1 (पुराना नाम ''स्टार स्पोट्‌र्स'')
112	स्टार स्पोटर्स 2
113	स्टार वर्ल्ड
114	जलसा मूवी (पुराना नाम ''स्टार बंगाली'')
115	आदित्य टीवी
116	चिंटू टीवी
117	छुट्‌टी टीवी
118	जेमिनी कॉमेडी
119	जेमिनी लाइफ
120	जेमिनी मूवीज़
121	जेमिनी म्यूज़िक
122	जेमिनी न्यूज़
123	जेमिनी टीवी
124	के टीवी
125	किरन टीवी
126	खुशी टीवी
127	सन लाइफ
128	सन म्यूज़िक
129	सन न्यूज़
130	सूर्य म्यूजिक (पुराना नाम ''सन न्यूज इंग्लिश'')
131	सन टीवी
132	सन टीवी आरआई
133	सूर्या टीवी
134	उदय कॉमेडी
135	उदय मूवीज़
136	उदय म्यूजिक
137	उदय न्यूज
138	उदय टीवी
139	कोचु टीवी
140	टेन एक्शन
141	टेन स्पोटर्स
142	टेन गोल्फ
143	ईटी नाउ
144	टाइम्स नाउ
145	फूड फूड टीवी
146	कार्टून नेटवर्क
147	सीएनएन इंटरनेशनल
148	एचबीओ
149	पोगो
150	टूनामी (पूराना नाम ''बूमररंग'')
151	डब्ल्यूबी
152	सीएनएन–आईबीएन
153	आईबीएन 7
154	सीएनबीसी बजार
155	सीएनबीसी आवाज
156	सीएनबीसी टीवी 18
157	आज तक
158	दिल्ली आज तक
159	हेडलाइंस टुडे
160	आज तक तेज
161	हंगामा टीवी
162	डिजनी जूनियर(पूर्व में यूटीवी कॉमेडी)
163	यूटीवी मूवीज़
164	यूटीवी वर्ल्ड मूवीज़
165	बिंदास प्ले (पुराना नाम ''यूटीवी स्टार्स'')

क्र.सं.	चैनल का नाम
166	कलर्स
167	कॉमेडी सेन्ट्रल
168	एमटीवी
169	निक
170	निक जूनियर/टीन निक
171	सोनिक
172	वीएच 1
173	विजय टीवी
174	24 घंटे
175	ज़ी ईटीसी बॉलीवुड (पुराना नाम ''जी बॉलीवुड'')
176	एक्शन सिनेमा
177	ज़ी बंगला सिनेमा
178	ज़ी कैफे
179	ज़ी सिनेमा
180	क्लासिक सिनेमा
181	प्रीमीयर सिनेमा
182	ज़ी सलाम
183	ज़ी स्माइल
184	ज़ी स्टूडियोज़
185	ज़ी टॉकिज़

क्र.सं.	चैनल का नाम
186	ज़ी टीवी
187	जिंग
188	जिंदगी
189	एंड पिक्चर
190	ज़ी क्यू
191	ज़ी बंगला
192	ज़ी मराठी
193	ज़ी खाना खजाना
194	एंड टीवी
195	ज़ी 24 तास
196	ज़ी कलिंगा (पुराना नाम ''जी 24 घंटालु)
197	ज़ी बिजनेस
198	ज़ी कन्नड
199	ज़ी न्यूज़
200	ज़ी पंजाबी हरियाणा हिमाचल (पुराना नाम ''जी पंजाबी'')
201	ज़ी तेलगू
202	ज़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़
203	जी मरूधारा (पुराना नाम ''जी राजस्थान प्लस'')
204	डिज़्नी एक्सडी (पुराना नाम ''टून डिजनी'')
205	दि डिज़्नी चैनल

भारत में एचडी पे–चैनलों की सूची

क्र.सं.	प्रसारणकर्ता का नाम	चैनल का नाम
1	मैसर्स एईटीएन 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	द हिस्ट्री चैनल
2	मैसर्स बैनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड	मूवीज़ नाओ +
3	मैसर्स सेलेब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	ट्रेवल एक्सपी एचडी
4	मैसर्स डिस्कवरी कम्यूनिकेशन (इं.)	डिस्कवरी एचडी
5	मैसर्स डिस्कवरी कम्यूनिकेशन (इं.)	एनीमल प्लानेट एचडी वर्ल्ड
6	मैसर्स डिस्कवरी कम्यूनिकेशन (इं.)	टीएलसी एचडी वर्ल्ड
7	मैसर्स ईपीआईसी टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	एपिक टीवी
8	मैसर्स फोक्स चैनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	नेशनल ज्योग्राफिक एचडी
9	मैसर्स फोक्स चैनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	नेट जिओ म्यूजिक (एचडी डिस्ट्रीब्शूयन)
10	मैसर्स फोक्स चैनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	नेट जिओ वाइलड एचडी
11	मैसर्स फोक्स चैनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	नेट जिओ पीपल
12	मैसर्स फोक्स चैनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बेबी टीवी (एचडी डिस्ट्रब्शूयन)
13	मैसर्स मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	सेट एचडी
14	मैसर्स मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	सिक्स एचडी
15	मैसर्स मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	पिक्स एचडी
16	मैसर्स एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	फॉक्स लाइफ एचडी
17	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार स्पोटर्स एचडी 2
18	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार स्पोटर्स एचडी 1
19	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	लाइफ ओके एचडी
20	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार गोल्ड एचडी
21	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार मूवीज एचडी
22	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार प्लस एचडी
23	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार वर्ल्ड प्रीमियर एचडी
24	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार स्पोटर्स एचडी 3
25	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार स्पोटर्स एचडी 4
26	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टार वर्ल्ड एचडी
27	मैसर्स सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	सन टीवी एचडी

क्र.सं.	प्रसारणकर्ता का नाम	चैनल का नाम
28	मैसर्स सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	केटीवी एचडी
29	मैसर्स सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	सन म्यूज़िक एचडी
30	मैसर्स सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	जेमिनी टीवी एचडी
31	मैसर्स ताज टेलीविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	टेन एचडी
32	मैसर्स टर्नर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	एचबीओ हिट्स एचडी
33	मैसर्स टर्नर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	एचबीओ डिफाइंड एचडी
34	मैसर्स टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड	सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम एचडी
35	मैसर्स वायाकॉम 18 मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	कलर्स एचडी
36	मैसर्स वायाकॉम 18 मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एमटीवी इंडीज़
37	मैसर्स ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड	ज़ी टीवी एचडी
38	मैसर्स ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड	जी सिनेमा एचडी
39	मैसर्स ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड	जी स्टूडियो एचडी
40	मैसर्स ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड	एंड टीवी एचडी
41	मैसर्स ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड	एंड पिक्चर एचडी
42	मैसर्स ज़ूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड	मूवीज़ नाओ

पे प्रसारणकर्ताओं की सूची

क्र.सं.	प्रसारणकर्ता का नाम
1	मैसर्स 9एक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	मैसर्स एईटीएन 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3	मैसर्स एशियानेट कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
4	मैसर्स एजालिया ब्रॉडकॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड
5	मैसर्स बी4यू टेलीविजन नेटवर्क इंडिया लिमिटेड
6	मैसर्स बंगला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
7	मैसर्स बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	मैसर्स बेनेट, कोलेमैन एंड कंपनी लिमिटेड
9	मैसर्स बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड
10	मैसर्स सेलिब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
11	मैसर्स दक्षिण गेमिंग मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
12	मैसर्स डिस्कवरी कम्यूनिकेशन्स इंडिया
13	ई–24 ग्लेमर लिमिटेड
14	मैसर्स इनाडू टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
15	मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
16	मैसर्स फोक्स चैनल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
17	मैसर्स जेनएक्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड
18	मैसर्स आईबीएन लोकमत न्यूज प्राइवेट लिमिटेड
19	मैसर्स मां टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड
20	मैसर्स माविस सतकॉम लिमिटेड
21	मैसर्स मीडिया कंटेंट एंड कम्युनिकेशन्स सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	मैसर्स एमजीएम प्रोग्रामिंग सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	मैसर्स मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
24	मैसर्स एनडीटीवी लाइफस्टायल लिमिटेड
25	मैसर्स नीओ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
26	मैसर्स न्यू डेल्ही टेलीविजन लिमिटेड
27	मैसर्स एनजीसी नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	प्रसारणकर्ता का नाम
28	मैसर्स ओडीसा टेलीविजन लिमिटेड
29	मैसर्स पैनोरोमा टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
30	मैसर्स पॉल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
31	मैसर्स प्रिज्म टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
32	मैसर्स राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड
33	मैसर्स रिलायंस बिग ब्रोडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
34	मैसर्स सहारा इंडिया कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड
35	मैसर्स सार्थक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
36	मैसर्स सिल्वरस्टार कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
37	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
38	मैसर्स सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड
39	मैसर्स ताज टेलीविजन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
40	मैसर्स टाइम्स ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड
41	मैसर्स टर्मरिक विजन प्राइवेट लिमिटेड
42	मैसर्स टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
43	मैसर्स टीवी18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
44	मैसर्स टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड
45	मैसर्स यूनाइटिड होम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
46	मैसर्स यूटीवी एंटरटेनमेंट टेलीविजन लिमिटेड
47	मैसर्स वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
48	मैसर्स विजय टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
49	मैसर्स ज़ी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड
50	मैसर्स ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड
51	मैसर्स ज़ी मीडिया कार्पोरेशन लिमिटेड
52	मैसर्स ज़ूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड
53	मैसर्स द वाल्ट डिजनी कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

पे–डीटीएच ऑपरेटरों की सूची

क्र.सं.	डीटीएच ऑपरेटर
1.	मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड
2.	मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
3.	मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड
4.	मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड
5.	मैसर्स रिलायंस बिग टीवी प्राइवेट लिमिटेड
6.	मैसर्स वीडियोकॉन डी2एच लिमिटेड

अनुमति प्राप्त टेलीपोर्टों की सूची

क्र.सं.	टेलीपोर्ट का नाम
1	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड
2	सन टीवी लिमिटेड
3	एंटरटेनमेंट टीवी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
4	उशोदय एंटरप्राइजेज लिमिटेड
5	एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
6	एशियानेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
7	एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
8	सहारा संचार लिमिटेड
9	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड
10	न्यू डेल्ही टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी)
11	इंडियाविज़न कम्यूनिकेशन लिमिटेड
12	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क लिमिटेड
13	डिश टीवी इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती एस्सेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड
14	पॉज़िटिव टीवी प्राइवेट लिमिटेड
15	चैनल गाइड इंडिया लिमिटेड
16	इंडिया शाइन प्राइवेट लिमिटेड
17	एसोसिएटिड ब्राडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
18	एवी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
19	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड
20	अमृता इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
21	माविस सतकाम लिमिटेड
22	टाटा कम्युनिकेशन्स लि. वीएसएनएल
23	टाटा कम्युनिकेशन्स लि. वीएसएनएल
24	टाटा कम्युनिकेशन्स लि. वीएसएनएल
25	टाटा कम्युनिकेशन्स लि. वीएसएनएल
26	टाटा कम्युनिकेशन्स लि. वीएसएनएल

क्र.सं.	टेलीपोर्ट का नाम
27	लामहास सैटेलाइट लिमिटेड
28	मलयालम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
29	संस्कार इन्फो टीवी प्राइवेट लिमिटेड
30	बैनेट कोलमैन एंड कम्पनी लिमिटेड
31	सीनियर मीडिया लिमिटेड
32	लोक प्रकाशन लिमिटेड
33	कलकत्ता टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
34	कोहिनूर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
35	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड
36	कामयाब टीवी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती एमडी टीवी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में प्रसिद्ध)
37	कस्तूरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
38	एसएसटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
40	एमएम टीवी लिमिटेड
41	इन केबलनेट (आन्ध्रा) लिमिटेड
42	इंदिरा टेलीविजन लिमिटेड
43	सन टीवी लिमिटेड
44	मीडिया कन्टेन्ट एंड कम्यूनिकेशन्स सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
45	टाटा स्काई लिमिटेड
46	सतीश शुगर्स लिमिटेड
47	शीतल फाइबर लिमिटेड
48	एमएचवन टीवी नेटवर्क लिमिटेड
49	एसटीवी एंटरप्राइजेज लिमिटेड,
50	एआईआरआर एक्स मीडिया लिमिटेड
51	ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
52	विनिंग कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
53	इंडिया शाइन प्राइवेट लिमिटेड
54	इंडिया शाइन प्राइवेट लिमिटेड
55	रचना टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	टेलीपोर्ट का नाम
56	ओरटेल कम्यूनिकेशन्स लिमिटेडण
57	सौभाग्य एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
58	एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
59	प्रज्ञा विजन प्राइवेट लिमिटेड
60	ब्रहमपुत्र टेली–प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
61	ज़ी नेकस्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
62	इंडिया शाइन प्राइवेट लिमिटेड
63	टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
64	पॉज़िटिव टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
65	ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड
66	राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड
67	प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
68	इंडिया शाइन प्राइवेट लिमिटेड
69	विनटेज स्टुडियो प्राइवेट लिमिटेड
70	स्काईलाइन टेली मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
71	इन्फारमेशन टीवी प्राइवेट लिमिटेड
72	यूनीलेजर एक्सपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट कंसलटेंट्स लिमिटेड
73	कास्टमैट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
74	भारती टेलीपोर्ट्स लिमिटेड
75	श्री वेंकटेश्वर चैनल प्राइवेट लिमिटेड
76	टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
77	रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपीटीटिव एग्जामिनेशन प्राइवेट लिमिटेड
78	इण्डिपिन्डेन्ट न्यूज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
79	राज टेलीविजन, नेटवर्क लिमिटेड
80	एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
81	कनसन न्यूज प्राइवेट लिमिटेड
82	टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड वीएसएनएल
83	डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
84	आस्था ब्राडकास्टिंग नेटवर्क लिमिटेड

क्र.सं.	टेलीपोर्ट का नाम
85	महुआ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
86	आरटीआर ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
87	सिल्वर स्टार कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
88	लमहास सैटेलाइट सर्विस लिमिटेड
89	स्काइलाइन टेली मीडिया सर्विस लिमिटेड
90	भारती टेलीर्पोटस लिमिटेड

भाग-II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और परिचालन की समीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और परिचालन की समीक्षा

2.1 रिपोर्ट का भाग—एक प्रसारण और केबल सेवाओं सहित दूरसंचार क्षेत्र में प्रचलित सामान्य वातावरण का सिंहावलोकन प्रदान करता है और 2014—15 के दौरान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश के अनुरूप, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। एक निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण उपलब्ध कराना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सभी सेवा प्रदाताओं हेतु एकसमान अवसर को बढावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करना और सभी के लिए तकनीकी लाभों को सक्षम करना, इसका प्रयास रहा है।

2.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अंतर्गत भादूविप्रा को अन्य बातों के साथ ही साथ लाईसेंस के नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, टैरिफ नीति विनिर्दिष्ट करना और नये सेवा प्रदाताओं के प्रवेश हेतु शर्तों के साथ ही साथ किसी सेवा प्रदाता को लाईसेंस के लिए नियम व शर्तों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। भादूविप्रा के कामकाज के दायरे में टैरिफ नीति की निगरानी, अंतःसंयोजन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं, कॉल रूटिंग और कॉल हैंडओवर के सिद्धांतों, जनता हेतु विभिन्न सेवा प्रदाताओं तक स्वतंत्र चुनाव और आसान पहुंच, बाजार के घटनाक्रमों और विभिन्न टेलीकॉम सेवाओं हेतु विविध नेटवर्क संरचनाओं के कारण पैदा होने वाले विवादों का समाधान, मौजूदा नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की आवश्यकता और सेवा प्रदाताओं के बीच तथा प्राधिकरण के उपभोक्ता संगठनों के साथ संपर्क हेतु मंचों का विकास भी शामिल है। सरकार ने दिनांक 09 जनवरी, 2004 एक अधिसूचना जारी की है, जिसके द्वारा प्रसारण

सेवाओं और केबल सेवाओं को भी दूरसंचार सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, इस प्रकार, इन क्षेत्रों को भादूविप्रा के दायरे में लाया गया है। सरकार ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (घ) के अंतर्गत दिनांक 09 जनवरी, 2004 को एक दूसरी अधिसूचना भी जारी की, जिससे भादूविप्रा को कुछ अतिरिक्त कार्य सौंपे गये हैं। ये कार्य उपभोक्ताओं को ''एड्रेसेबल सिस्टम'' उपलब्ध कराने और पे चैनलों के साथ–साथ अन्य चैनलों पर विज्ञापनों हेतु अधिकतम समय के विनियमन के लिए मानदंडों के बारे में नियमों और शर्तों की सिफारिश करने से संबंधित थे।

2.3 सिफारिशें तैयार करने और नीतिगत पहलों के सुझाव देने के लिए, भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं, उनके संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों, जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क करता है। इसने एक प्रक्रिया विकसित की है, जो सभी हितधारकों और आम जनता को मांगे जाने पर अपने विचार रखकर नीति निर्माण के संबंध में विचार–विमर्श में भाग लेने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए एक परामर्श पत्र को जारी करना और उन मुद्दों पर हितधारकों के मत प्राप्त करना, देश के विभिन्न भागों में खुला मंच चर्चा बैठकें आयोजित करना, ई–मेल पर और पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना और नीतिगत मुद्दों पर विभिन्न विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श के सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/आदेशों में व्याख्यात्मक ज्ञापन होता है, जो कि निर्णय लेने के आधार की व्याख्या करता है। भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई भागीदारी व व्याख्यात्मक प्रक्रिया को व्यापक सराहना प्राप्त हुई है।

2.4 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विचारों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ भी संपर्क करता है। इसके पास दूरसंचार कार्यों से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अंतराल पर उनके साथ संपर्क करने की एक प्रणाली मौजूद है। भादूविप्रा, उपभोक्ता संगठनों को मजबूत बनाने के लिए उपायों को लगातार अपनाता रहता है। यह विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ सम्मेलनों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है तथा हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य अनुसंधान संस्थानों को इन सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

2.5 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1)(क) के अंतर्गत, दूरसंचार और केबल सेवाओं के मामले में प्राधिकरण को या तो स्वयः अथवा लाईसेंस प्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर अनुशंसाएं करनी होती हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान भादूविप्रा द्वारा सरकार को दी गई सिफारिशें नीचे दी गई हैं।

दूरसंचार क्षेत्र

सिफारिशों की सूची

1. ''इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान और न्यूनतम परिकल्पित एजीआर के प्रावधान हेतु लाइसेंस समझौतों में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा'' के संबंध में दिनांक 01 मई, 2014 की सिफारिशें।

2. ''इनमारसैट/सैटेलाइट फोन सेवाओं का प्रावधान करने'' के संबंध में दिनांक 12 मई, 2014 की सिफारिशें।

3. ''पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी'' के संबंध में दूरसंचार विभाग के दिनांक 02.07.2014 के संदर्भ में भादूविप्रा का दिनांक 21 जुलाई, 2014 का उत्तर।

4. ''स्पेक्ट्रम साझा करने संबंधी दिशानिर्देश'' के संबंध में दिनांक 21 जुलाई, 2014 की सिफारिशें।

5. ''अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने'' के संबंध में दिनांक 22 जुलाई, 2014 की सिफारिशें।

6. ''माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियरों के आवंटन और मूल्य निर्धारण'' के संबंध में दिनांक 29 अगस्त, 2014 की सिफारिशें।

7. ''स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्यः 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंस'' के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 की सिफारिशें।

8. ''स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्यः वर्ष 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंस'' के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 की सिफारिशें के बारे में दूरसंचार विभाग के वापसी संदर्भ पर भादूविप्रा का दिनांक 24 नवंबर, 2014 का उत्तर।

9. ''800 मेगाहर्टज में स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य'' के संबंध में दिनांक 22 फरवरी, 2014 की सिफारिशों के बारे में दूरसंचार विभाग के वापसी संदर्भ पर भादूविप्रा का दिनांक 27 नवंबर, 2014 का उत्तर।

10. ''स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्यः 2100 मेगाहर्टज'' के संबंध में दिनांक 31 दिसंबर, 2014 की सिफारिशें।

11. ''लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना हेतु राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा'' के संबंध में दिनांक 6 जनवरी, 2015 की सिफारिशें।

12. ''स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्यः 2100 मेगाहर्टज बैंड'' के संबंध में दिनांक 31 दिसंबर, 2014 सिफारिशों के बारे में दूरसंचार विभाग के वापसी संदर्भ पर भादूविप्रा का दिनांक 15 जनवरी, 2015 का उत्तर।

सिफारिशें

➢ ''इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान और न्यूनतम परिकल्पित एजीआर के प्रावधान हेतु लाइसेंस समझौतों में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा'' के संबंध में सिफारिशें दिनांक 01 मई, 2014

2.5.1 दूरसंचार विभाग ने दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 के पत्र द्वारा निम्न पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी (1) 1998, 2002, और 2007 के दिशानिर्देशों में दिए गए इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान हेतु आईएसपी लाईसेंस समझौतों में एजीआर की परिभाषा (2) इंटरनेट सेवा के अंतर्गत बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम धारकों हेतु न्यूनतम परिकल्पित एजीआर की प्रयोज्यता और मूल्य, यदि लागू हो तो, और (3) इंटरनेट सेवा लाईसेंसधारियों की विभिन्न श्रेणियों के द्वारा संसूचित किए जाने वाले ''राजस्व और लाईसेंस शुल्क के वक्तव्य के प्रारूप'' में संशोधन।

परामर्श और मुद्दों के विश्लेषण के पश्चात्, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं हेतु एक सरल और स्पष्ट लाईसेंस तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक एकीकृत लाईसेंस को लागू करने का तार्किक कदम उठाने से एजीआर की परिभाषा

और लाईसेंस शुल्क सभी आईएसपी लाईसेंस हेतु अन्य दूरसंचार सेवाओं हेतु लाईसेंस के समान लागू होना चाहिए। यह विचार पूर्व में विभिन्न अवसरों पर दी गई प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुरूप है कि विनियामक तंत्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए सभी लाइसेंसधारियों हेतु समान अवसर और लाईसेंस के किसी भी नियम व शर्त के दुरूपयोग को रोकना सुनिश्चित करे। प्राधिकरण ने दिनांक 01 मई, 2014 को अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को अग्रेषित कीं। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैः–

(1) एजीआर का 8 प्रतिशत, एक समान लाइसेंस शुल्क सभी आईएसपी लाइसेंसधारियों हेतु लागू होगा। आईएसपी लाइसेंस हेतु लाइसेंस शुल्क के प्रयोजनार्थ राजस्व में इंटरनेट सेवाओं से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के राजस्व शामिल होंगे, इसमें व्यय हेतु बिना किसी राशि को अलग रखे, केवल उन्हीं कटौतियों की अनुमति होगी जो पास–थ्रू प्रभारों और करों/उद्ग्रहण हेतु उपलब्ध हों, जैसा कि उपयोग सेवाओं के मामले में होता है। इंटरनेट सेवाओं से राजस्व को भी एजीआर की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

(2) लाइसेंस शुल्क के प्रयोजनार्थ, न्यूनतम परिकल्पित एजीआर बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम धारक मौजूदा आईएसपी पर लागू होगा, जैसाकि उन लाइसेंसधारियों पर लागू होता है, जिन्होंने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एक्सेस स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है।

(3) जिन मौजूदा आईएसपी के पास वर्ष 2010 की नीलामी से प्राप्त बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम है, उनके लिए परिकल्पित एजीआर का मूल्य संबंधित सेवा क्षेत्र हेतु लाइसेंसधारी द्वारा कुल बोली की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर होगा, जिस प्रकार नवंबर, 2012 और मार्च, 2013 में आयोजित नीलामी में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले लाइसेंसधारियों पर लागू है।

➢ ''इनमारसैट/सैटेलाइट फोन सेवाओं का प्रावधान करने'' के संबंध में दिनांक 12 मई, 2014 की सिफारिशें

2.5.2 दूरसंचार विभाग ने अपने 13 दिसम्बर, 2013 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से इनमारसैट सेवाओं को ''एकीकृत लाइसेंस जीएमपीसीएस प्राधिकार'' के अंतर्गत शामिल करने के औचित्य और व्यवहार्यता अथवा एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत दूसरा प्राधिकार तय करने के संबंध में सिफारिशों की मांग की। प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें तैयार कर 12 मई, 2014 को अग्रेषित की। इन सिफारिशों का सार हैः–

(क) दूरसंचार विभाग 'सुई जेनेरिस' श्रेणी के तहत गेट–वे स्थापित करने के लिए तुरंत बीएसएनएल को अधिकृत कर सकता है।

(ख) दूरसंचार विभाग ऐसे प्राधिकार के लिए प्रवेश शुल्क, आवेदन संसाधित किए जाने हेतु शुल्क और निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) की छूट हेतु बीएसएनएल के अनुरोध पर विचार कर सकता है।

(ग) ऐसी सेवाओं हेतु लाइसेंस शुल्क एजीआर के 8 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहित किया जा सकता है।

➢ ''पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी'' के संबंध में दूरसंचार विभाग के दिनांक 02.07.2014 के संदर्भ में भादूविप्राका दिनांक 21 जुलाई, 2014 का उत्तर

2.5.3. भादूविप्रा को देश भर में ''पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी'' को लागू करने हेतु सिफारिशें देने के लिए दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था। हितधारकों के साथ परामर्श और विभिन्न मुद्दों की जांच के पश्चात्, प्राधिकरण ने ''पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी'' के संबंध में दिनांक 25 सितंबर,

2013 को अपनी सिफारिशें दी। यह सिफारिशें अंतर सेवा क्षेत्र एमएनपी के क्रियान्वयन हेतु एक तकनीकी समाधान उपलब्ध कराती हैं, जिनके द्वारा कोई उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर एक सेवा क्षेत्र से दूसरे सेवा क्षेत्र में ले जाने में सक्षम हो सकेगा। एमएनपी को एक केन्द्रीय क्लियरिंग हॉउस के माध्यम से शासित किया जाता है और नंबर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस का रखरखाव दो एमएनपी सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है। दिनांक 02 जुलाई, 2014 को दूरसंचार विभाग ने पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के संबंध में भादूविप्रा की सिफारिशों की सैद्वांतिक स्वीकृति से अवगत करा दिया और "पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी" को लागू करने के कारण मौजूदा लाइसेंसधारियों के लाइसेंस के दायरे में वृद्वि को मद्देनजर रखते हुए उनसे अतिरिक्त प्रवेश शुल्क, निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) और वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) वसूलने के संबंध में भादूविप्रा से अपनी राय देने को कहा गया। सभी मुद्दों की जांच के पश्चात, प्राधिकरण ने इन्हें अंतिम रूप देकर दिनांक 21 जुलाई, 2014 को अपनी प्रतिक्रिया प्रदान की। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं:–

(1) पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए एमएनपी सेवा प्रदाताओं हेतु प्रवेश शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं।

(2) एमएनपी सेवा प्रदातों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी और वित्तीय बैंक गारंटी को मौजूदा लाइसेंस शर्तों के अनुसार जारी रखा जाना चाहिए।

➢ "स्पेक्ट्रम साझा करने संबंधी दिशानिर्देश" के संबंध में दिनांक 21 जुलाई, 2014 की सिफारिशें

2.5.4 फरवरी, 2014 में प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम साझा करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के उद्देश्य से भादूविप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी टीएसपी के प्रतिनिधियों वाली एक संचालन समिति का गठन किया था। संचालन समिति के विचार–विमर्श और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने 'स्पेक्ट्रम साझा करने के संबंध में' अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं हैं:–

- स्पेक्ट्रम साझा करने का अर्थ दो एक्सेस लाइसेंसधारियों (सीएमटीएस/यूएएसएल/यूएल(एएस)/यूएल) के बीच एक ऐसी व्यवस्था से है, जहां दोनों लाइसेंसधारी, एक ही बैंड में, एक साझा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) का उपयोग कर, एक ही लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में अपने संबंधित स्पेक्ट्रम को पूल करते हैं। साझे आरएएन को प्रत्येक लाइसेंसधारी के मुख्य नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। दोनों लाइसेंसधारियों का अपने स्वयं के स्पेक्ट्रम पर प्राथमिक अधिकार बना रहेगा।
- स्पेक्ट्रम साझा करने का मूल उद्देश्य टीएसपी को उनके स्पेक्ट्रम अधिकार को पूल करने का अवसर उपलब्ध कराना है और बेहतर स्पेक्ट्रम संबंध कार्यक्षमता प्राप्त करना है। स्पेक्ट्रम बंटवारे में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले दोनों सेवा प्रदाता शामिल होंगे। स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने की अनुमति नहीं है।
- सभी एक्सेस स्पेक्ट्रम अर्थात 800/900/1800/2100/2300/2500 मेगाहर्टज के बैंड में स्पेक्ट्रम को साझा किया जा सकता है बशर्ते, दोनों लाइसेंसधारियों के पास उसी बैंड में स्पेक्ट्रम हो।
- अपने स्पेक्ट्रम साझा करने के इच्छुक दोनों लाइसेंसधारी स्पेक्ट्रम साझा करने का समझौता करने के समय लाइसेंस प्रदाता को सूचित करेंगे।
- वर्तमान में 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज और 1800 मेगाहर्टज बैंड में बहुत से ऐसे लाइसेंसधारी हैं , जिनके पास शासकीय प्रक्रिया के अनुरूप

आवंटित स्पेक्ट्रम हैं। यदि अपना स्पेक्ट्रम साझा कर रहे दोनों लाइसेंसधारियों में से किसी एक के पास उस बैंड में प्रशासनिक रूप से सौंपा गया स्पेक्ट्रम है, तब स्पेक्ट्रम साझा करने के पश्चात, उन्हें केवल उन्हीं सेवाओं को देने की अनुमति होगी, जिन्हें शासकीय प्रक्रिया के अनुरूप आवंटित स्पेक्ट्रम के माध्यम से दिया जा सकता है।

- यदि दोनों लाइसेंसधारी वर्ष 2010 अथवा उसके पश्चात नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम को साझा कर रहे हैं या फिर जिस पर लाइसेंसधारी ने सरकार को पहले ही निर्धारित बाजार मूल्य (समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित) का भुगतान कर दिया है, तो वे उन सभी तकनीकों (अर्थात जीएसएम, सीडीएमए, डब्ल्यूसीडीएमए, एलटीई आदि) का उपयोग करते हुए सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं, जिन्हें वे अपने स्वयं के स्पेक्ट्रम द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान कर सकते हैं।

- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्पेक्ट्रम बंटवारे का परिणाम बेहतर स्पेक्ट्रम कुशलता होता है, तैयार की गई अतिरिक्त क्षमता के एक हिस्से को कुल आवंटित स्पेक्ट्रम के 25 प्रतिशत और एक बैंड के 50 प्रतिशत की निर्धारित स्पेक्ट्रम सीमा लागू करने के उद्देश्य के लिए गिने जाने की आवश्यकता है। निर्धारित स्पेक्ट्रम सीमा को लागू करने के सीमित उद्देश्य हेतु बैंड में दूसरे लाइसेंसधारी द्वारा साझे किए जा रहे स्पेक्ट्रम के 50 प्रतिशत की गणना लाइसेंसधारी द्वारा रखे गए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के रूप में की जाएगी।

- इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि स्पेक्ट्रम बंटवारे का परिणाम स्पेक्ट्रम की अतिरिक्त मात्रा होता है, जिसमें दोनों लाइसेंसधारियों द्वारा अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की जाती है। सहभागिता पश्चात् प्रत्येक लाइसेंसधारी की एसयूसी दर में एजीआर के 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

➢ ''अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने'' के संबंध में दिनांक 22 जुलाई, 2014 की सिफारिशें

2.5.5 दूरसंचार विभाग ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (एएनआई) और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने और इन द्वीपों में गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निवेश का आंकलन करने के लिए एक व्यापक योजना पर भादूविप्रा से सिफारिशों की मांग की थी।

मौजूदा दूरसंचार सुविधाओं, उनकी कमियों और दूरसंचार नेटवर्क के विकास में चुनौतियों का आंकलन करने के लिए भादूविप्रा के अधिकारियों के एक दल ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप का दौरा किया और संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासन और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सेवाएं प्रदान कर रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया।

इन द्वीपों में बेहतर दूरसंचार सेवाओं हेतु प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई व्यापक दूरसंचार योजना में, प्राधिकरण ने लगभग 2278 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश की सिफारिश की है। इस निवेश में लगभग 1773 करोड़ रूपये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए (समुद्र के नीचे तार डालने से जुड़ी परियोजना के लिए 1000 करोड़ रूपये सहित, जिसे योजना आयोग द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है) और लगभग 505 करोड़ रूपये लक्षद्वीप हेतु (समुद्र के नीचे तार डालने हेतु 468 करोड़ रूपये सहित)। एकमुश्त पूंजी निवेश के अतिरिक्त, प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि दूरसंचार विभाग/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में वार्षिक आधार पर दूरसंचार संचालन को क्षतिपूर्ति दें। इसने पांच वर्षों हेतु वार्षिक आधार पर 130 करोड़ रूपये (104 करोड़ रूपये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और 26 करोड़ रूपये

लक्षद्वीप हेतु) की सिफारिश की है।

प्राधिकरण ने इन द्वीपों हेतु दूरसंचार योजना तैयार करते समय और निवेश की आवश्यकता का आंकलन करने में निम्नलिखित उद्देश्य सामने रखे हैं:–

– ब्रॉडबैंड और ई–गवर्नेंस सेवाओं के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ।

– 100 या अधिक की आबादी वाले सभी कस्बों/गांवों में 2–जी सेवाएं।

– सभी जिला मुख्यालयों/उप–जिला मुख्यालयों और कस्बों में 3–जी सेवाएं।

– कवरेज और यातायात वहन क्षमता में सुधार के लिए कस्बों/गांवों में 2जी और 3जी नेटवर्क का विस्तार।

– पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए मोबाइल कवरेज का विस्तार करना।

एनटीपी, 2012 के उद्देश्य 'मांग पर ब्रॉडबैंड' के अनुरूप ब्रॉडबैंड और ई–गवर्नेंस सेवाओं के लिए समुचित बैंडविड्थ उपलब्ध कराने और न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने एक द्विआयामी रणनीति तैयार की है। रणनीति का एक उद्देश्य अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए चेन्नई से पोर्टब्लेयर और कोलकाता से पोर्टब्लेयर तथा कोच्चि से लक्षद्वीप द्वीपसमूह के कवारत्ती तक समुद्र के नीचे तार डालने से जुड़ी परियोजना द्वारा संपर्क के माध्यम से दीर्घकालिक समाधान उपलब्ध कराना है और दूसरे का उद्देश्य सैटेलाइट बैंडविड्थ के विस्तार के माध्यम से तात्कालिक और लघुकालिक समाधान उपलब्ध कराना है।

प्राधिकरण ने अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार विकास की सुविधा के लिए कुछ नीतिगत पहल करने की भी सिफारिश की है। उनमें से कुछ हैं:–

– इन द्वीपों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सैटेलाइट बैंडविड्थ किराये पर लेने के वार्षिक प्रभारों का वहन पूरी तरह से यूएसओएफ द्वारा किया जाना चाहिए।

– संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को बीएसएनएल/अन्य टीएसपी द्वारा टावर अथवा ओएफसी आदि बिछाने, जैसे किसी भी दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन और अनिवार्य स्वीकृतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

➢ ''माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ वाहकों के आवंटन और मूल्य निर्धारण'' के संबंध में दिनांक 29 अगस्त, 2014 की सिफारिशें

2.5.6 दूरसंचार विभाग द्वारा नंवबर, 2012 में, जून, 2013 और अगस्त, 2014 में अतिरिक्त स्पष्टीकरणों के साथ, ''माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ वाहकों के आवंटन और मूल्य निर्धारण'' हेतु अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए भादूविप्रा से अनुरोध किया था।

प्राधिकरण ने इस विषय पर दिनांक 29 अगस्त, 2014 को अपनी सिफारिशें भेजीं। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं:–

● प्राधिकरण ने किसी भी टीएसपी को दिए जा सकने वाले एमडब्ल्यूए वाहकों की संख्या निश्चित करने की सिफारिश की है, जोकि टीएसपी के पास उपलब्ध एक्सेस स्पेक्ट्रम की मात्रा पर आधारित हैं। टीएसपी को उनके अनुरोध के अनुसार एमडब्ल्यूए वाहक दिए जाने चाहिए, जब तक कि यह निश्चित सीमा के अंदर हो।

● एमडब्ल्यूए वाहक का आवंटन 13–42 गीगाहर्टज रेंज में विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड हेतु समस्त लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए विशेष आधार पर किया जाना चाहिए, जबकि एमडब्ल्यूबी वाहक का

आवंटन लिंक–टु–लिंक आधार पर किया जाना चाहिए।

- एमडब्ल्यूए और एडब्ल्यूबी वाहक का आवंटन प्रशासनिक आधार पर किया जाना, जारी रखना चाहिए।
- एक्सेस स्पेक्ट्रम और एडब्ल्यूए वाहक, दोनों का ही आवंटन टीएसपी द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम हेतु भुगतान किए जाने की तिथि के एक महीने के अंदर एक साथ किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर टीएसपी को उसके द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए पहले ही भुगतान की जा चुकी राशि के एसबीआई पीएलआर दर पर मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।
- 26 गीगाहर्टज, 28 गीगाहर्टज, 32 गीगाहर्टज, 38 गीगाहर्टज और 42 गीगाहर्टज, जैसे उच्च फ्रीक्वेंसी वाले बैंड को भी नियत पॉईन्ट–टु–पॉईन्ट एमडब्ल्यू वाहक हेतु निर्धारित किया जाना चाहिए।
- एमडब्ल्यूए वाहक हेतु प्रतिशत एजीआर पर आधारित मौजूदा स्पेक्ट्रम प्रभार तंत्र जारी रखना चाहिए। तथापि, एमडब्ल्यूबी वाहक हेतु, प्रभार लिंक–टु–लिंक आधार पर लिए जाने चाहिए, जैसाकि अन्य सभी स्थलीय एमडब्ल्यू लिंक हेतु किया जा रहा है।
- 13/15 गीगाहर्टज बैंड, 18/21 गीगाहर्टज बैंड, 26/28/32 गीगाहर्टज बैंड और 38/42 गीगाहर्टज बैंड में एडब्ल्यूए कैरियर के लिए प्रति वाहक प्रभार एजीआर का क्रमशः 0.17 प्रतिशत, 0.12 प्रतिशत, 0.1 प्रतिशत और 0.07 प्रतिशत होना चाहिए।
- एमडब्ल्यूबी लिंक हेतु स्पेक्ट्रम प्रभार 13,900/– रूपये प्रति किमी प्रतिवर्ष होगा।
- स्थलीय पॉईन्ट–टु–पॉईन्ट एमडब्ल्यू लिंक (सेल्युलर नेटवर्क में प्रयुक्त एमडब्ल्यूबी लिंक के अलावा) हेतु मौजूदा स्पेक्ट्रम प्रभार को तर्कसंगत बनाया जाए और इसे एमडब्ल्यूबी लिंक हेतु की गई सिफारिश के अनुरूप ही होना चाहिए।
- भारत में ब्रॉडबैंड की पहुंच को बढ़ाने के लिए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आवंटन के लिए उच्च क्षमता बैकहॉल ई–बैंड (71–76/81–86 गीगाहर्टज) और वी–बैंड (57–64 मेगाहर्टज) के उपयोग को का सहारा लिये जाने पर विचार किया जा सकता है। ई–बैंड और वी–बैंड को 'लाईट टच रेग्यूलेशन' की नीति के आधार पर खोला जाना चाहिए और आवंटन 'संपर्क दर संपर्क' आधार पर किया जाना चाहिए।

➢ ''स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्य : वर्ष 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंसों'' के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 की सिफारिशें

2.5.7 दूरसंचार विभाग ने दिनांक 17 अप्रैल, 2014 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लाइसेंस दिसंबर, 2015 और 2016 की शुरूआत में समाप्त हो रहे हैं तथा 900 मेगाहर्टज और 1800 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु सभी सेवा क्षेत्रों पर लागू आरक्षित मूल्य के संबंध में भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी।

भादूविप्रा ने दिनांक 07 अगस्त, 2014 को ''स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण तथा आरक्षित मूल्य : वर्ष 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंसों'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें स्पेक्ट्रम की निकटता, ब्लॉक आकार, 900/1800 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम बैंड में मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्य आदि से संबंधित विशेष मुददों पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई। भादूविप्रा द्वारा दिनांक 22 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में सभी हितधारकों के साथ एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने तथा और विश्लेषण करने के पश्चात्, भादूविप्रा ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को ''स्पेक्ट्रम के

मूल्य निर्धारण तथा आरक्षित मूल्य : वर्ष 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंसों'' के संबंध में अपनी सिफारिशें दीं। इन सिफारिशों में प्राधिकरण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जिन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस वर्ष 2015–16 में समाप्त हो रहे हैं उनके लिए आगामी नीलामी महत्वपूर्ण है। यह लाइसेंसधारी किसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इस स्पेक्ट्रम को पुनः पाना चाहेंगे। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो लाइसेंस सेवा क्षेत्र में किया गया भारी निवेश खतरे में पड़ जाएगा। लाखों उपभोक्ताओं के लिए सेवा की निरंतरता भी दांव पर है। आगामी नीलामी में समाप्त हो रहे लाइसेंसधारियों के पास मौजूद ज्यादातर स्पेक्ट्रम के नीलामी के लिए रखे जाने की संभावना है। इस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण ने नीलामी आयोजित करने से **पूर्व** अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराये जाने पर बल दिया है। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैंः–

- वाणिज्यिक उपयोग हेतु अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा रक्षा मंत्री के स्तर पर संवाद आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- सरकार को 700 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु रूपरेखा की घोषणा करनी चाहिए। इसे 900/1800 मेगाहर्टज बैंड में आगामी नीलामी के आयोजन से **पूर्व** किया जाना चाहिए।
- आगामी/नीलामी को आपूर्ति बाधाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के पश्चात निर्धारित किया जाना चाहिए। 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज और 2100 मेगाहर्टज बैंड की नीलामी एक साथ आयोजित की जाए।
- निवेश की गति को तेज करने और दूरसंचार सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्र हेतु आरक्षित मूल्य की गणना, आरक्षित मूल्य पर 50 प्रतिशत की छूट पर तय की गई है।
- 1800 मेगाहर्टज और 900 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम हेतु अनुशंसित आरक्षित मूल्य को नीचे सारणीबद्व किया गया हैः–

अनुशंसित आरक्षित मूल्य (प्रति मेगाहर्टज)

(करोड़ रुपये में)

लाइसेंस सेवा क्षेत्र	श्रेणी	1800 मेगाहर्टज हेतु अनुशंसित आरक्षित मूल्य	900 मेगाहर्टज हेतु अनुशंसित आरक्षित मूल्य
दिल्ली	महानगर	364	@
मुंबई	महानगर	272	@
कोलकाता	महानगर	73	@
आंध्र प्रदेश	क	163	271
गुजरात	क	238	339
कर्नाटक	क	155	286
महाराष्ट्र	क	*	420

लाइसेंस सेवा क्षेत्र	श्रेणी	1800 मेगाहर्टज हेतु अनुशंसित आरक्षित मूल्य	900 मेगाहर्टज हेतु अनुशंसित आरक्षित मूल्य
तमिलनाडु	क	208	338
हरियाणा	ख	32	64
केरल	ख	75	150
मध्य प्रदेश	ख	69	138
पंजाब	ख	71	141
राजस्थान	ख	60	172
यूपी (पूर्व)	ख	97	195
यूपी (पश्चिम)	ख	95	152
पश्चिम बंगाल	ख	*	70
असम	ग	36	58
बिहार	ग	62	123
हिमाचल प्रदेश	ग	9	19
जम्मू व कश्मीर	ग	25	@
पूर्वोत्तर	ग	11	21
ओडिशा	ग	23	47

* लाइसेंस सेवा क्षेत्र के बहुत कम जिलों में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के कारण आरक्षित मूल्य की अनुशंसा नहीं की गई।

@ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा जम्मू व कश्मीर लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 900 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं है/उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। इसलिए, आरक्षित मूल्य नहीं दिया गया है।

➢ ''स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्य : वर्ष 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंसों'' के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 की सिफारिशों के बारे में दूरसंचार विभाग के वापसी संदर्भ पर भादूविप्रा का दिनांक 24 नवंबर, 2014 का उत्तर

2.5.8 प्राधिकरण ने **''स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण तथा आरक्षित मूल्य : वर्ष 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंस'' के संबंध में अपनी दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 सिफारिशें** दूरसंचार विभाग को प्रेषित की थी। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 14 नवंबर, 2014 को कुछ सिफारिशों के संबंध में स्पष्टीकरण/पुनर्विचार करने की मांग की।

दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण ने सरकार को अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित की। प्राधिकरण ने विस्तृत तर्कों के साथ अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया है। इन सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ ही साथ निम्न शामिल हैं:–

(1) जैसाकि पहले सिफारिश की गई थी, 900 मेगाहर्टज और 1800 मेगाहर्टज बैंड के स्पेक्ट्रम हेतु आरक्षित मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(2) स्पेक्ट्रम की सीमित आपूर्ति, समाप्त हो रहे लाइसेंसधारियों के लाखों उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं की निरंतरता के लिए वास्तविक खतरा बन गई है। साथ ही, पर्याप्त स्पेक्ट्रम की अनुपलब्धता ब्रॉडबैंड के विस्तार हेतु एनटीपी–2012 में वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। तदनुसार, प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर पुनः बल दिया।

(3) प्राधिकरण ने इस बात को दोहराया कि वाणिज्यिक उपयोग हेतु अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा रक्षा मंत्री के स्तर पर संवाद आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।

(4) प्राधिकरण ने इस बात को दोहराया कि 900, 1800 और 2100 मेगाहर्टज बैंड में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिसके लिए बीएसएनएल से 900 मेगाहर्टज में से 1.2 मेगाहर्टज वापस लिया जाए, रक्षा क्षेत्र बैंड के 1800 मेगाहर्टज निष्क्रिय बैंड को उपयोग किया जाए और रक्षा क्षेत्र के पास मौजूद 1800 मेगाहर्टज बैंड में से 20 मेगाहर्टज के अधिक बैंड को खाली कराया जाए।

(5) प्राधिकरण द्वारा ई–जीएसएम बैंड को लागू करने की सिफारिश, 900 मेगाहर्टज बैंड स्पेक्ट्रम की आपूर्ति बढ़ाने के तरीकों में से एक है, जिसे ऑपरेटरों (बाजार) द्वारा सबसे कीमती स्पेक्ट्रम माना जाता है। इस विकल्प पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

(6) 2100 मेगाहर्टज बैंड, में 2x5 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त 3 ब्लॉकों को इस बैंड में रक्षा क्षेत्र के साथ स्पेक्ट्रम बदल कर, उपलब्ध कराया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र को 1900 मेगाहर्टज बैंड (1910–1920/1980–1990 मेगाहर्टज) में स्पेक्ट्रम आवंटित किया जा सकता है।

(7) 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज और 2100 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी एक साथ (साथ–साथ) की जानी चाहिए। यदि 2100 मेगाहर्टज में स्पेक्ट्रम की नीलामी बाद में की जाती है तो अनिश्चितता बनी रहेगी।

(8) सरकार को एपीटी700 बैंड प्लान को स्वीकार करने के संबंध में अपने निर्णय की घोषणा करनी चाहिए। इसे 700 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु रूपरेखा की भी घोषणा करनी चाहिए। इसे 900/1800 मेगाहर्टज बैंड की आगामी नीलामी के आयोजन से पहले किया जाना चाहिए। इन दो निर्णयों से उपकरण प्रणाली के तीव्र विकास में सहायता मिलेगी। इससे टीएसपी को भी आगामी नीलामी में 800/900/1800 मेगाहर्टज बैंड में बोली लगाते समय समुचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

➢ ''800 मेगाहर्टज में स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य'' के संबंध में दिनांक 22 फरवरी, 2014 की सिफारिशों के बारे में दूरसंचार विभाग के वापसी संदर्भ पर भादूविप्रा का दिनांक 27 नवंबर, 2014 का उत्तर

2.5.9 प्राधिकरण ने दिनांक 22 फरवरी, 2014 को दूरसंचार विभाग को '800 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य' के संबंध में अपनी सिफारिशें भेजीं। दिनांक 14 नवंबर, 2014 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कुछ सिफारिशों पर स्पष्टीकरण/पुनर्विचार करने की मांग की।

दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत, प्राधिकरण ने अपना उत्तर सरकार को प्रेषित किया। भादूविप्रा के प्रत्युत्तर में से कुछ प्रमुख बिंदु हैं:–

(1) प्राधिकरण ने अपने इस सिफारिश को दोहराया कि 800 मेगाहर्टज बैंड में दूरसंचार विभाग के पास उपलब्ध समस्त स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा जाना चाहिए।

(2) चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एमटीएनएल/बीएसएनएल) 800 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए, प्राधिकरण ने अपनी इस सिफारिश को दोहराया है कि ''दूरसंचार विभाग को 800 मेगाहर्टज बैंड में एमटीएनएल के पास मौजूद सारे स्पेक्ट्रम को वापिस लेना चाहिए। बीएसएनएल के पास जम्मू व कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्र, जहां यह दोनों वाहक रख सकता है, के अलावा सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में केवल एक ही सीडीएमए कैरियर रखने की अनुमति दी जाए। दूरसंचार विभाग को 800 मेगाहर्टज बैंड में बीएसएनएल को आवंटित अन्य वाहक वापिस लेने चाहिए।''

(3) यदि 5 मेगाहर्टज के सन्निहित स्पेक्ट्रम की पेशकश की जाती है, तो किसी संभावित नये बोलीदाता के भाग लेने की संभावना अधिक होगी। इससे किसी नई तकनीक को लाया जाना व्यवहारिक होगा। इसलिए, प्राधिकरण ने अपनी इस सिफारिश को दोहराया है कि ''नीलामी से पहले सन्निहित स्पेक्ट्रम (अर्थात चार वाहक) के कम से कम एक हिस्से को अलग कर लिया जाए। नए सेवा प्रदाताओं को केवल निर्धारित सन्निहित वाहक ही आवंटित किया जाना चाहिए।''

(4) फरवरी, 2014 में किए गए मूल्यांकन के बाद से मौजूदा आंकडों के रूझानों और अन्य प्रासंगिक कारकों के प्रकाश में, प्राधिकरण ने 800 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम के नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। तदनुसार, प्राधिकरण द्वारा 800 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम हेतु प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए की गई आरक्षित मूल्य की सिफारिश निम्न तालिका के अनुसार हैः–

तालिका

800 मेगाहर्टज बैंड में प्रति मेगाहर्टज आरक्षित मूल्य

(करोड़ रुपये में)

एलएसए	श्रेणी	प्रति मेगाहर्टज् के लिए आरक्षित संस्तुत मूल्य
दिल्ली	महानगर	494
मुंबई	महानगर	352
कोलकाता	महानगर	117
आन्ध्र प्रदेश	क	187
गुजरात	क	220
कर्नाटक	क	242
महाराष्ट्र	क	272
तमिलनाडु	क	288
हरियाणा	ख	38

एलएसए	श्रेणी	प्रति मेगाहर्टज् के लिए आरक्षित संस्तुत मूल्य
केरल	ख	99
मध्य प्रदेश	ख	91
पंजाब	ख	85
राजस्थान	ख	124
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	ख	134
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	ख	95
पश्चिम बंगाल	ख	57
असम	ग	28
बिहार	ग	85
हिमाचल प्रदेश	ग	19
जम्मू व कश्मीर	ग	28
पूर्वोत्तर	ग	11
ओडिशा	ग	38
संपूर्ण भारत		**3104**

➢ ''स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्य: 2100 मेगाहर्टज'' के संबंध में दिनांक 31 दिसंबर, 2014 की सिफारिशें

2.5.10 दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के पत्र द्वारा 2100 मेगाहर्टज, 2300 मेगाहर्टज और 2500 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार की नीलामी करने हेतु आरक्षित मूल्य के संबंध में प्राधिकरण की सिफारिशों की मांग की। तत्पश्चात, दिनांक 27 नवंबर, 2014 को दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से 2100 मेगाहर्टज बैंड के आरक्षित मूल्य के संबंध में अपनी सिफारिशों की प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध किया ताकि इस बैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी फरवरी, 2015 में निर्धारित 800/900/1800 मेगाहर्टज बैंड की नीलामी के साथ की जा सके।

भादूविप्रा ने दिनांक 02 दिसंबर, 2014 को ''स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण तथा आरक्षित मूल्य : 2100 मेगाहर्टज बैंड'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया। भादूविप्रा द्वारा दिनांक 22 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में सभी हितधारकों के साथ एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने तथा और विश्लेषण करने के पश्चात्, भादूविप्रा ने दिनांक 31 दिसंबर, 2014 को ''स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण तथा आरक्षित मूल्य : 2100 मेगाहर्टज'' के संबंध में अपनी सिफारिशें जारी की। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं:—

(1) प्राधिकरण ने अपनी इस सिफारिश को दोहराया है कि 2100 मेगाहर्टज् बैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी 800/900/2100 मेगाहर्टज बैंड के साथ की जानी चाहिए।

(2) रक्षा मंत्रालय ने भादूविप्रा को सूचित किया है कि 1900 मेगाहर्टज बैंड में वाणिज्यिक स्पेक्ट्रम की बराबर मात्रा के बदले अखिल भारतीय स्तर पर 2100 मेगाहर्टज बैंड में 15 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम छोडने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया है तथा दूरसंचार विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। 2100 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम में इस 15 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम (जोकि संबंधित डॉउनलिंक स्पेक्ट्रम के साथ जोड़ने पर 2X5 मेगाहर्टज के 3 ब्लॉक के समतुल्य है) को रक्षा मंत्रालय के साथ हुए सैद्वांतिक समझौते के दृष्टिगत नीलाम किया जाना चाहिए। तथापि, यह तुरंत उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए की वास्तविक कार्य को तुरंत निष्पादित नहीं किया जाना था। आवंटन की वास्तविक तिथि एनआईए में दी जा सकती है।

(3) सेवा आरंभ करने संबंधी बाध्यताओं, जिन्हें 2100 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु 2010 की नीलामी में अनिवार्य कर दिया गया था, को 2100 मेगाहर्टज बैंड की आगामी नीलामी में लागू किया जाना चाहिए। तथापि, इन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए 3 वर्ष (5 वर्ष के स्थान पर) का समय दिया जाना चाहिए।

(4) 2100 मेगाहर्टज बैंड के स्पेक्ट्रम की आगामी नीलामी में, इस नीलामी हेतु विशेष सीमा लगाई जानी चाहिए कि यदि किसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 3 से 4 ब्लॉक उपलब्ध है, तो किसी भी बोलीदाता को उस लाइसेंस सेवा क्षेत्र में दो से अधिक ब्लॉक के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(5) प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र हेतु 2100 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम की औसत संभावित मूल्यांकन चार मूल्यांकन दृष्टिकोणों के साधारण औसत द्वारा तय किया गया है, जिसे अपनाया गया है (एसबीआई आधार दर का उपयोग कर 2010 की नीलामी का इंडेक्सेशन, 2100 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम का निर्धारित मूल्य, 1800 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन के तकनीकी कार्यक्षमता कारक का 0.83 गुना, निर्माता अधिशेष मॉडल और डाटा उपयोग में वृद्धि पर आधारित मॉडल)।

(6) आगामी 2100 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र के औसत मूल्यांकन के 80 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाएगा। निवेश की गति को तेज करने और दूरसंचार सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए उत्तर–पूर्व लाइसेंस सेवा क्षेत्र हेतु आरक्षित मूल्य को आरक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत की छूट पर निर्धारित किया गया है (80 प्रतिशत के कारक का उपयोग कर प्राप्त)।

(7) 2100 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम हेतु अनुशंसित आरक्षित मूल्य निम्न प्रकार हैं:–

2100 मेगाहर्टज बैंड में प्रति मेगाहर्टज आरक्षित मूल्य

(करोड रुपये में)

एलएसए	श्रेणी	संस्तुत आरक्षित मूल्य
दिल्ली	महानगर	446
मुंबई	महानगर	340
कोलकाता	महानगर	77
आन्ध्र प्रदेश	क	183
गुजरात	क	195
कर्नाटक	क	241
महाराष्ट्र	क	227
तमिलनाडु	क	260
हरियाणा	ख	44
केरल	ख	107
मध्य प्रदेश	ख	84
पंजाब	ख	65
राजस्थान	ख	84
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	ख	82
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	ख	96

एलएसए	श्रेणी	संस्तुत आरक्षित मूल्य
पश्चिम बंगाल	ख	30
असम	ग	29
बिहार	ग	66
हिमाचल प्रदेश	ग	10
जम्मू और कश्मीर	ग	14
पूर्वोत्तर	ग	8
ओडिशा	ग	32
संपूर्ण भारत		2720

➢ **''लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के परिकलन हेतु राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा'' के संबंध में दिनांक 06 जनवरी, 2015 की सिफारिशें**

2.5.11 भादूविप्रा ने दिनांक 06 जनवरी, 2015 को ''लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा'' के संबंध में अपनी सिफारिशें जारी की।

प्राधिकरण ने विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत सकल राजस्व (जीआर) और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा के संबंध में लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंसधारियों के बीच विवादों/मुकदमों का जायजा लिया और उद्ग्रहण को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता भी दर्शायी। इसलिए, प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्व की मौजूदा परिभाषा, लाइसेंस शुल्क की दर और अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने 07 जुलाई, 2014 में एक संदर्भ भी दिया था (सं. 800–23/2011–वीएएस) जिसमें भादूविप्रा से एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था के तहत वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों आदि के माध्यम से सेवाओं के वितरण से नेटवर्क के लाइसेंस के पृथक करने से संबंधित मुद्दों, जैसे एजीआर, निष्क्रिय और सक्रिय बुनियादी सुविधाओं के बंटवारे के मामले आदि के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

प्राधिकरण ने दिनांक 31 जुलाई, 2014 को ''लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया। दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने तथा और विश्लेषण करने के पश्चात् प्राधिकरण ने इस विषय के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं। इन सिफारिशों की संक्षेप में मुख्य विशेषताएं हैं:–

- एलएफ और एसयूसी की गणना को एजीआर के आधार पर जारी रखा जाना चाहिए।
- जीआर में लाइसेंस प्राप्त कंपनी को व्यय की संबंधित मदों हेतु बिना कोई व्यवस्था किए, सभी प्रचालनों/क्रियाकलापों तथा ब्याज, लाभांश, किराये, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, विविध आय आदि से प्राप्त होने वाले राजस्व शामिल होंगे।
- लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) की अवधारणा को आरंभ किया गया है। एपीजीआर निम्न से कम करते हुए लाइसेंसधारी के कुल सकल राजस्व के बराबर होगाः

(1) दूरसंचार क्रियाकलापों/प्रचालनों के साथ–साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी लाइसेंस/अनुमति के अंतर्गत क्रियाकलापों के इतर प्रचालनों से राजस्व;

(2) यूएसओ निधि से प्राप्तियां; और

(3) 'सकारात्मक सूची' में यथा सूचीबद्ध 'अन्य आय' की मदें (सिफारिशों की तालिका 2.1)

- विभिन्न लाइसेंसों के तहत पास–थ्रू प्रभारों (अर्थात् कटौतियों) की मौजूदा परिभाषा में कोई परिवर्तन न करने की सिफारिश, की है।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से सभी लाइसेंस के लिए एलएफ में यूएसओ लेवी के हिस्से को एजीआर के मौजूदा 5 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत किया जाना चाहिए।
- एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये से कम एजीआर वाले आईएसपी, 10 लाख रूपये अथवा लागू दर पर आधारित वास्तविक एलएफ, इनमें से जो भी कम हो, के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगे।
- दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए किसी भी लाइसेंस(सों) के लिए न्यूनतम परिकल्पित एजीआर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- एजीआर की गणना के लिए अन्य संस्थाओं को प्रदत्त राशि से किसी भी प्रकार से राशियों के एकीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- एक ही सर्किल के अंदर रोमिंग शुल्क को एपीजीआर से कटौती किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- दूरसंचार विभाग को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से लाइसेंस शुल्क की स्रोत पर कटौती (एलएफडीएस) की प्रणाली को आरंभ करने और दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से एलएफ और एसयूसी प्रस्तुत करने के लिए एक ई–पोर्टल विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

  राजस्व और पीटीसी की प्रत्येक मद के लिए एक विशिष्ट कोड आवंटित कर, दूरसंचार विभाग को सत्यापन की एक मानकीकृत प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए।

➢ ''स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्य : 2100 मेगाहर्टज बैंड'' के संबंध में दिनांक 31 दिसंबर, 2014 की सिफारिशों के बारे में दूरसंचार विभाग के वापसी संदर्भ पर भादूविप्रा का दिनांक 15 जनवरी, 2015 का उत्तर

2.5.12 प्राधिकरण ने ''स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण तथा आरक्षित मूल्य : 2100 मेगाहर्टज बैंड'' के संबंध में अपनी सिफारिशें दिनांक 31 दिसंबर, 2014 को दूरसंचार विभाग को प्रेषित की थी। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 08 जनवरी, 2015 को बहुत सी सिफारिशों के संबंध में स्पष्टीकरण/पुनर्विचार करने की मांग की।

दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण ने दिनांक 15 जनवरी, 2015 को सरकार को अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित की। प्राधिकरण ने विस्तृत तर्कों के साथ अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया है। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ ही साथ निम्न शामिल हैं:–

(1) जैसा कि पहले सिफारिश की गई थी, 2100 मेगाहर्टज बैंड के स्पेक्ट्रम हेतु आरक्षित मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(2) यदि 2100 मेगाहर्टज बैंड में पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो फरवरी, 2015 में 2100 मेगाहर्टज बैंड स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम के साथ रखने का संपूर्ण उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। 2100 मेगाहर्टज की विभाजित नीलामी (01 फरवरी, 2015 में, बाकी, जैसे कि रक्षा क्षेत्र से उपलब्ध होने के पश्चात दिसंबर, 2015 में) आपूर्ति की गंभीर बाधाओं के कारण फरवरी, 2015 में 2100 मेगाहर्टज के बाजार मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ा देगी। 2100 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम में रक्षा मंत्रालय द्वारा छोड़े जा रहे 15 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम को रक्षा मंत्रालय के साथ हुए सैद्धांतिक समझौते को देखते हुए नीलाम किया जाना चाहिए, भले ही यह तत्काल उपलब्ध न हो।

(3) प्राधिकरण ने यह दोहराया कि 2100 मेगाहर्टज बैंड के स्पेक्ट्रम की आगामी नीलामी में, इस नीलामी में विशेष सीमा रखी जानी चाहिए ताकि यदि किसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 3 से 4 ब्लॉक उपलब्ध हैं तो किसी भी बोलीदाता को उस लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 2 अधिक ब्लॉक के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(4) यह सुनिश्चित करना दूरसंचार विभाग की जिम्मेदारी है कि नीलाम किया जा रहा स्पेक्ट्रम हस्तक्षेप से मुक्त है अथवा उन क्षेत्रों के बारे में अग्रिम जानकारी साझा करने करने के लिए है जहां हस्तक्षेप होने की संभावना है ताकि नीलामी में भाग ले रहे टीएसपी सुविचारित निर्णय ले सकें।

प्रसारण और केबल टेलीविजन सेक्टर

सिफारिशों की सूची

1. ''नये डीटीएच लाइसेंस से संबंधित मुद्दे'' के संबंध में दिनांक 23 जुलाई, 2014 की सिफारिशें।

2. ''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे'' के संबंध में दिनांक 12 अगस्त, 2014 की सिफारिशें।

3. ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे'' के संबंध में दिनांक 29 अगस्त, 2014 की सिफारिशें।

4. ''800 किलोहर्टज से 400 किलोहर्टज के लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर न्यूनतम चैनल स्पेसिंग की कमी करने और चरण–1 से चरण–2 में एफएम रेडियो प्रसारकों के अंतरण'' के संबंध में दिनांक 05 सितंबर, 2014 की अतिरिक्त सिफारिशें/प्रतिक्रिया।

5. खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007 (आगे से, खेल अधिनियम) के एक प्रावधान के लिए प्रसार भारती के प्रस्तावित संशोधन के मुद्दे के संबंध में दिनांक 14 नवंबर, 2014 की सिफारिशें/स्पष्टीकरण।

6. ''प्लेटफॉर्म सेवाओं हेतु विनियामक तंत्र'' के संबंध में दिनांक 19 नवंबर, 2014 की सिफारिशें।

7. ''केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा डीटीएच का उपयोग करने'' के संबंध में 22 जनवरी, 2015 की सिफारिशें/स्पष्टीकरण।

8. ''नये शहरों में एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य'' के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 2015 की सिफारिशें।

➢ ''नये डीटीएच लाइसेंस से संबंधित मुद्दे'' के संबंध में दिनांक 23 जुलाई, 2014 की सिफारिशें

2.5.13 ''नये डीटीएच लाइसेंस से संबंधित मुद्दे'' के संबंध में दिनांक 23 जुलाई, 2014 को सिफारिशें सरकार को दी गई थी। यह सिफारिश की गई थी कि सरकार डीटीएच क्षेत्र के लिए एक नई डीटीएच लाइसेंस व्यवस्था लाए, जो अन्य बातों के साथ ही साथ एक लंबे समय तक लाइसेंस की अवधि, तर्कसंगत लाइसेंस शुल्क, डीटीएच ऑपरेटरों सहित प्रसारकों और वितरण मंच ऑपरेटरों के बीच एक तर्कसंगत और विनियमित क्रॉस–होल्डिंग और उर्ध्वाधर एकीकरण की अनुमति देती है। इन सिफारिशों में मौजूदा व्यवस्था से नई व्यवस्था में ऑपरेटरों के जाने के लिए एक प्रणाली का भी सुझाव है। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैंः–

(1) नई डीटीएच लाइसेंस व्यवस्था

(क) मौजूदा डीटीएच दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाए और नये लाइसेंस जारी करने तथा मौजूदा डीटीएच लाइसेंसधारियों के पलायन के मुद्दे हेतु एक नई डीटीएच व्यवस्था लाई जाए।

(ख) डीटीएच लाइसेंस की अवधि को मौजूदा 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष किया जाए, जिसका एक बार में 10 वर्ष के लिए नवीकरण किया जाए।

(ग) नई डीटीएच लाइसेंस व्यवस्था में 10 करोड़ रूपये का एकमुश्त लाइसेंस शुल्क वसूला जाए।

(घ) दूरसंचार लाइसेंस की तरह मौजूदा लाइसेंस शुल्क को सकल राजस्व के 10 प्रतिशत से घटाकर समायोजित सकल राजस्व का 8 प्रतिशत किया जाए।

(ड़) मौजूदा डीटीएच लाइसेंसधारियों को उनके मौजूदा लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय नई व्यवस्था में जाने की अनुमति दी जाए, जो मौजूदा डीटीएच ऑपरेटर, नई डीटीएच लाइसेंस व्यवस्था में जाना चाहते हैं उनसे "अंतरण शुल्क" वसूला जाए।

(च) वार्षिक लाइसेंस शुल्क, प्रवेश शुल्क के न्यूनतम 10 प्रतिशत के अधीन होगा।

(छ) भारतीय मानक ब्यूरो, भादूविप्रा के साथ परामर्श कर सेट टॉप बॉक्स हेतु नवीनतम मानक तय करेगा, जिनका डीटीएच लाइसेंसधारकों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

(ज) लाइसेंस की शर्तों में लाइसेंसधारी द्वारा वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनता हेतु निर्धारित टैरिफ आदेश/योजना का अनुपालन करने का आदेश होना चाहिए।

(2) प्रसारण और वितरण क्षेत्रों में क्रॉस–होल्डिंग/नियंत्रण

(क) प्रसारण और वितरण क्षेत्रों में एकरूपता लाने के लिए क्रॉस–होल्डिंग/नियंत्रण संबंधी नीति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(ख) प्रसारण और वितरण के सभी वर्गों में 'नियंत्रण' की व्यापक परिभाषा को समान रूप से अपनाया जाए।

(ग) डीटीएच हेतु प्रासंगिक बाजार, संपूर्ण देश हो सकता है और एमएसओ/एचआईटीएस हेतु कोई भी राज्य।

(घ) प्रसारकों और वितरण मंच ऑपरेटरों (डीपीओ)–एमएसओ/एचआईटीएस और डीटीएच ऑपरेटर कानून, एक पृथक कंपनी होनी चाहिए।

(ड़) प्रसारकों और डीपीओ के बीच तर्कसंगत और विनियमित उर्ध्वाधर एकीकरण की अनुमति दी जाए।

- उर्ध्वाधर एकीकृत प्रसारक और डीपीओ विनियमों के अतिरिक्त सेट के अधीन हो।
- एक उर्ध्वाधर एकीकृत प्रसारक को केवल एक ही डीपीओ को नियंत्रित करने की अनुमति दी जाए।
- एक उर्ध्वाधर एकीकृत डीपीओ को संगत बाजार में अन्य श्रेणी के अन्य डीपीओ को नियंत्रित करने से रोका जाए।
- एक उर्ध्वाधर एकीकृत डीपीओ को प्रासंगिक बाजार में 33 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्से को प्राप्त करने की अनुमति न दी जाए।

(च) उर्ध्वाधर एकीकृत प्रसारक हेतु अतिरिक्त विनियमों में शामिल किए जाएं:–

- डीपीओ के साथ समझौते, भेदभाव रहित और प्रभार–प्रति–उपभोक्ता (सीपीएस) आधार पर किए जाने चाहिएं।
- प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने हेतु 'रेफरेंस–इंटरकनेक्ट ऑफर' (आरआईओ) को दायर करना। सभी अंतर्संयोजन समझौते आरआईओ में विनिर्दिष्ट शर्तों पर किये जाने चाहिए।
- प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित उद्घटन करना।

(छ) उर्ध्वाधर एकीकृत डीपीओ हेतु अतिरिक्त विनियमों में शामिल किए जाएं:–

- डीपीओ द्वारा अपने चैनल की वाहक क्षमता और इस क्षमता के 15 प्रतिशत से अधिक क्षमता को अपने उर्ध्वाधर एकीकृत प्रसारक हेतु आरक्षित न करने संबंधी घोषणा करना। शेष

क्षमता को भेदभाव रहित आधार पर अन्य प्रसारकों को पेशकश करना।

- डीपीओ द्वारा अपने नेटवर्क पर चैनलों के कैरिज हेतु उपयोग शुल्क को प्रकाशित करना। उपयोग शुल्क की वसूली भेदभाव रहित आधार पर की जानी चाहिए।
- प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रकटन करना।

➢ ''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे'' के संबंध में दिनांक 12 अगस्त, 2014 की सिफारिशें

2.5.14 ''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दें'' के संबंध में दिनांक 12 अगस्त 2104 की सिफारिश सरकार को भेजी गई थीं। इन सिफारिशों में ''नियंत्रण'', क्रॉस–मीडिया स्वामित्व, उर्ध्वाधर एकीकरण और आंतरिक बहुलता की व्यापक परिभाषा शामिल हैं। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं:–

(1) किसी मीडिया संस्था का स्वामी कौन है और कौन उसे नियंत्रित करता है, की परिभाषा– संक्षेप में, मीडिया संस्था में मतदान के अधिकार के कम से कम पचास प्रतिशत से अधिक की अधिकारी संस्था और उसके निदेशक मंडल के सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों को नियुक्त कर सकने वाले को इसे नियंत्रित करने वाला समझा जाएगा। सिफारिशों ने ऋण के माध्यम से नियंत्रण पर भी विचार किया है और उस ऋण सीमा की भी सिफारिश की है, जिससे किसी मीडिया संस्था को ऋण देने वाले के नियंत्रण में समझा जाएगा।

(2) क्रॉस–मीडिया स्वामित्व – क्रॉस मीडिया स्वामित्व के संबंध में अनुशंसित प्रतिबंध उन मीडिया संस्थाओं पर लागू होंगे, जो केवल टेलीविजन और प्रिंट क्षेत्रों में समाचार और समसामयिक मामलों के समाचार देते हैं, क्योंकि भारत में राय बनाने के मामले में रेडियो और इंटरनेट का प्रभाव कम हैं। प्रिंट क्षेत्र में, केवल दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें व्यापार और वित्तीय समाचार पत्र शामिल हैं, पर विचार किया जाना चाहिए। संक्षेप में सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:–

- यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई मीडिया बाजार केंद्रित है और क्या किसी संस्था के पास आय से अधिक बाजार हिस्सेधारी है, किसी प्रासंगिक बाजार के एक मीडिया खंड में सघनता मापने के लिए 'हर्फिनडह्ल हिर्चमैन सूचकांक' (एचएचआई) को अपनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- प्रासंगिक भौगोलिक बाजारों को भाषा और राज्य(ों) जिसमें वह भाषा बहुतायत में बोली जाती है, के संदर्भों में परिभाषित किया गया है। टेलीविजन खंड हेतु बाजार हिस्सेदारी की गणना के लिए खपत मैट्रिक्स की पहुंच और मात्रा के संयोजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रिंट क्षेत्र के लिए, केवल पहुंच मैट्रिक्स का उपयोग पर्याप्त माना गया है।
- एचएचआई पर आधारित लागू किये जाने वाले नियम हैं–टेलिविजन के साथ ही साथ समाचार पत्र के बाजारों को सघन माना जाएगा, यदि प्रत्येक में एचएचआई 1800 से कम है, तो ऐसे मामले में, टेलिविजन बाजार के एचएचआई के लिए 1000 से ज्यादा का योगदान करने वाली मीडिया संस्था, साथ ही समाचार पत्र बाजार में एचएचआई के संबंध में 1000 से ज्यादा का योगदान नहीं कर सकती, तथा प्रतिलोमतः भी ऐसा ही है। यदि यह ऐसा करती है तो इसे दोनों क्षेत्रों में से किसी एक में अपना नियंत्रण कम करना होगा। यह नियम तभी लागू होता है यदि एचएचआई की सीमा का लगातार दो वर्षों तक उल्लंघन किया जाता है।
- लाइसेंसप्रदाता और विनियामक के समक्ष वार्षिक आधार पर दी जाने वाली विस्तृत रिर्पोटिंग अपेक्षाओं का भी उपबंध किया गया है।

(3) मीडिया संस्थाओं के बीच उर्ध्वाधर एकीकरण–प्रसारकों और डीपीओं के बीच उर्ध्वाधर एकीकरण के संबंध में प्राधिकरण ने दिनांक 23 जुलाई, 2014 की अपनी ''नये डीटीएच लाइसेंस से संबंधित मुद्दे संबंधी सिफारिशों'' में निहित अपनी सिफारिशों को दोहराया है।

(4) आंतरिक बहुलता को प्रभावित करने वाले मुद्दे–आंतरिक बहुलता के संबंध में प्राधिकरण ने यह ध्यान देते हुए कि 'कौन मीडिया संस्थाओं का स्वामित्व नहीं प्राप्त कर सकता' के बारे में दिनांक 12 नवंबर 2008 और दिनांक 28 दिसंबर, 2012 की इसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, दृढ़तापूर्वक सिफारिश की है कि उन्हें तुरंत लागू किया जाए। साथ ही, नये मुद्दों की जांच के संबंध में प्राधिकरण ने ये सिफारिशें जारी की हैं:–

- 'निजी संधियों', 'विज्ञापनों' और 'पैसे देकर खबरे छापने' के क्षतिकारक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए और सच्चे तथा निष्पक्ष समाचारों पहुंचाने को कमजोर करने की क्षमता को मद्देनजर रखते हुए ऐसे आचरण को निषिद्ध किया जाना चाहिए।

- संपादकीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक ''मीडिया विनियामक'' की स्थापना। ''मीडिया विनियामक'' के संदर्भ में, प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ ही साथ यह सिफारिश की है कि सरकार को मीडिया को विनियमित नहीं करना चाहिए, टेलीविजन और प्रिंट माध्यमों हेतु केवल एक विनियामक प्राधिकरण होना चाहिए, विनियामक संस्था में मीडिया सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए लेकिन इसे मुख्य रूप से प्रख्यात मीडिया से इतर व्यक्तियों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए और इसे शिकायतों की जांच करने और दंड लगाने की एक उचित व्यवस्था लागू करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

- प्राधिकरण ने यह ध्यान देते हुए कि दीर्घकाल में एक मजबूत संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए विधायी और कानूनी तंत्र के एक व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, यह सिफारिश की है कि मीडिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों सहित विभिन्न मौजूदा संस्थानों की भूमिका और प्रदर्शन की व्यापक जांच करने और आगे के लिए, संभवतः, उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की जाए।

➢ ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे'' के संबंध में दिनांक 29 अगस्त, 2014 की सिफारिशें

2.5.15 ''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दें'' के संबंध में दिनांक 29 अगस्त, 2014 को सिफारिशें जारी की गई थी। इस सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं:–

(1) किसी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को चलाने के लिए प्रारंभ में पांच (5) वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाए।

(2) निष्पादन के मूल्यांकन आधार पर, एक बार में पांच (5) वर्षों के लिए विस्तार की अनुमति प्रदान की जाए।

(3) सामुदायिक रेडियो स्टेशन को विशेष रूप से ऑल इंडिया रेडियो हेतु अभिप्रेत स्थानीय भाषा/बोली में अनुवाद में मूल रूप से अनुदित स्थानीय प्रासंगिक समाचारों और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रसारण की अनुमति दी जाए।

(4) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा शमन और राहत कार्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का पूरा उपयोग करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग के वायरलेस आयोजना और समन्वय स्कंध के साथ परामर्श कर विस्तृत दिशानिर्देशों को तैयार करना।

(5) सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने के लिए समस्त आवेदन/अनुमोदन प्रक्रिया के एकीकरण हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना। ऑनलाइन प्रणाली अनुमोदन प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न सरकारी विभागों को एकीकृत करते हुए एक बाधारहित ई–गवर्नेंस मंच पर आधारित होना चाहिए। सिफारिशें का पूर्ण पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त सिफारिशें दिनांक 21 मई, 2014 को 'सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे' के संबंधित परामर्श पत्र से पहले जारी की गई थी।

➢ **"800 किलोहर्टज से 400 किलोहर्टज के लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर न्यूनतम चैनल स्पेसिंग की कमी करने और चरण–1 से चरण–2 में एफएम रेडियो प्रसारकों के अंतरण" के संबंध में दिनांक 05 सितंबर, 2014 की अतिरिक्त सिफारिशें/प्रतिक्रिया**

2.5.16 800 किलोहर्टज से 400 किलोहर्टज् के लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर चैनल में न्यूनतम अंतर को कम करने और चरण–1 से चरण–2 में एफएम रेडियो प्रसारकों के अंतरण करने" के संबंध में अतिरिक्त सिफारिशें/प्रतिक्रिया सरकार को दिनांक 05 सितंबर, 2014 भेज दी गई थी। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:–

- 400 किलोहर्टज के लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर चैनल में न्यूनतम अंतर को कम करने के पीछे का तर्काधार, दुलर्भ स्पेक्ट्रम संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना और जिन क्षेत्रों में तकनीकी तौर पर संभव है और, मांग पहले से ही चिन्हित चैनलों की संख्या की तुलना में अधिक है वहां एफएम रेडियो की अतिरिक्त संख्या उपलब्ध कराना है।
- चूंकि भादूविप्रा की दिनांक 19 अप्रैल, 2012 की सिफारिशों और उसके बाद ईजीओएम के दिनांक 06 मार्च, 2013 के निर्णय के माध्यम से दिये गये निर्देश को काफी समय बीत चुका है, इसलिए बीईसीआईएल को समयबद्ध तरीके से व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि चरण–3 हेतु आगामी नीलामी का कार्यक्रम प्रभावित न हो।
- किसी विशेष परिस्थिति में, यदि बीईसीआईएल समय से व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो सरकार को तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन 400 किलोहर्टज के लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर चैनल में न्यूनतम अंतर को कम करने हेतु भादूविप्रा की सिफारिशों को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए और इसे चरण–3 हेतु एनआईए दस्तावेज में घोषित करना चाहिए ताकि संभावित बोलीदाता सुविचारित निर्णय ले सकें।
- चरण–3 में नये शहरों हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली के मुद्दे के संबंध में, भादूविप्रा ने अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराया है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को परामर्श दिया है कि यदि मामले में किसी विशिष्ट सिफारिश की अपेक्षित हो तो भादूविप्रा के पास नया संदर्भ भेजा जाए।

➢ **खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007 (आगे से, खेल अधिनियम) के एक प्रावधान के लिए प्रसार भारती के प्रस्तावित संशोधन के मुद्दे के संबंध में दिनांक 14 नवंबर, 2014 की सिफारिशें/स्पष्टीकरण**

2.5.17 खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007 (इसके

पश्चात् इसे खेल अधिनियम कहा जाएगा) के एक उपबंध हेतु प्रसार भारती के प्रस्तावित संशोधन के मुद्दे के संबंध में सरकार को दिनांक 14 नवंबर, 2014 को सिफारिशें/स्पष्टीकरण भेजी गई थी। प्राधिकरण ने महसूस किया कि यदि खेल अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से प्रसार भारती को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई तो विभिन्न तकनीकी–वाणिज्यिक कारणों यह ऐसी प्रतियोगिताओं को डीडी–नेशनल के स्थान पर डीडी न्यूज, जैसे किसी टेरेस्ट्रियल चैनल के माध्यम से प्रसारित कर सकता है। ऐसे परिदृश्य में, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में ऐसी प्रतियोगिताओं की पहुंच सीमित हो जाएगी क्योंकि टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में ऐसे किसी भी चैनल की केवल एक सीमित पहुंच है। साथ ही, यदि प्रसार भारती ऐसी प्रतियोगिताओं को ऐसे चैनल पर ले जाने का निर्णय करता है जोकि केवल एक सैटेलाइट चैनल है तो इसके टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के उपभोक्ता ऐसी प्रतियोगिताओं को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, प्राधिकरण ने सिफारिश की कि प्रसार भारती के मौजूदा नेटवर्क अवसंरचना के साथ यदि खेल अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को प्रभावी बनाया गया तो यह खेल अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों को बदल देगा और सरकार से तदनुसार इस मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया।

➢ ''प्लेटफॉर्म सेवाओं हेतु विनियामक तंत्र'' के संबंध में दिनांक 19 नवंबर, 2014 की सिफारिशें

2.5.18 ''प्लेटफॉर्म सेवाओं हेतु विनियामककारी तंत्र'' के संबंध में सरकार को दिनांक 19 नवंबर, 2014 को सिफारिशें भेजी गईं थी। इन सिफारिशों में केबल टेलीविजन ऑपरेटरों द्वारा संचालित 'ग्राउंड बेस्ड चैनलों' और डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही कार्यक्रम सेवाओं को शामिल किया गया था। समग्र रूप से, संवितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) द्वारा दी जा रही इस प्रकार की सेवाओं को प्लेटफॉर्म सेवाएं कहा जाता है। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैंः–

(1) 'प्लेटफॉर्म सेवा' क्या है और इन चैनलों पर दिखाई जा सकने वाली विषय–वस्तु को परिभाषित करना;

(2) दी जारी सभी प्लेटफॉर्म सेवाओं को पंजीकृत करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करना। सूचना के एक सरल सेट के आधार पर और 1000 रूपये प्रति चैनल के नाममात्र पंजीकरण शुल्क पर पंजीकरण किया जाएगा;

(3) किसी स्थानीय सूचना हेतु जिला प्रशासन से पूर्व मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए, स्थानीय समाचार बुलेटिन, जिन्हें प्रसारित किया जा सकता है;

(4) प्लेटफॉर्म सेवाएं उपलब्ध कराने के इच्छुक सभी डीपीओ हेतु भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक कंपनी के तौर पर निगमन, और

(5) प्लेटफॉर्म सेवा चैनलों की संख्या की सीमा निर्धारित की गई है, जिन्हें कोई डीपीओ अपने उपभोक्ताओं को पेशकश कर सकता है।

प्लेटफॉर्म सेवाओं के संबंध में सिफारिशों के अतिरिक्त भादूविप्रा ने स्वतः 'ग्रॉउन्ड बेस्ड प्रसारकों' हेतु एक विनियामक तंत्र के लिए सिफारिशें दी हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि भारत में किसी भी टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित हो रहा कोई भी टेलीविजन चैनल एक विनियामक तंत्र के तहत आए, चाहे इसे किसी सैटेलाइट–बेस्ड प्रसारक से प्राप्त किया गया हो, नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा बनाया गया हो अथवा टेरेस्ट्रियल प्रसारक

से प्राप्त किया गया हो। उस संबंध में, ग्राउन्ड–बेस्ड प्रसारकों हेतु सिफारिशें, दूरसंचार विभाग और अंतरिक्ष विभाग से स्पेक्ट्रम और अनुमोदन की मांग की आवश्यकता को छोड़कर, काफी हद तक सैटेलाइट प्रसारकों हेतु सिफारिशों के समान हैं।

➢ "केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा डीटीएच का उपयोग करने" के संबंध में 22 जनवरी, 2015 की सिफारिशें/स्पष्टीकरण

2.5.19 केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा डीटीएच का उपयोग करने के मुद्दे के संबंध में सिफारिशें/स्पष्टीकरण और तत्संबंध में दिशानिर्देश दिनांक 22 जनवरी, 2015 को सरकार को भेजे गए थे। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं:–

1. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा शैक्षिक उद्देश्य हेतु डीटीएच का गैर–वाणिज्यिक उपयोग, प्रसार भारती और संबंधित केन्द्र/राज्य सरकारों के बीच समुचित समझौतों के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से किया जाना चाहिए।

2. प्रसार भारती यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे गैर–वाणिज्यिक शैक्षिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित सामग्री भारत में स्थापित प्रसारण की आचरण संहिता का अनुपालन करती है, जैसे कार्यक्रम संहिता, एआईआर संहिता आदि और इन चैनलों के माध्यम से प्रसारित सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए, जो प्रसार भारती के किसी भी नियमित चैनल का भाग बन सके।

3. चूंकि आज की तारीख में ट्रांसपौंडर क्षमता एक दुर्लभ संसाधन है, इसलिए गैर–वाणिज्यिक आधार पर डीटीएच शैक्षिक चैनल चलाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को ट्रांसपौंडर क्षमता का आवंटन बहुत ही सावधानी और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। इससे ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि जहां एक तरफ तो ट्रांसपौंडर क्षमता को निष्क्रिय रखा गया है वहीं दूसरी तरफ सेवा प्रदाता उसके लिए प्रतीक्षारत हो, जिससे उनकी सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता में सुधार पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

4. प्राधिकरण ने सरकार और प्रसार भारती के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने तथा प्रसार भारती के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य व स्वायत्त शासन से संबंधित अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराया है।

➢ "नये शहरों में एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य" के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 2015 की सिफारिशें

2.5.20 सरकार को "नये शहरों में एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य"के संबंध में सिफारिशें दिनांक 24 मार्च, 2015 को दी गईं थी। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं:–

(1) 253 नये शहरों में एफएम रेडियो चैनलों का मूल्यांकन तीन मूल्यांकन दृष्टिकोणों के सामान्य औसत के तौर पर निकाला गया है। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित अस्थायी कारकों (वैरियेबल्स) पर आधारित है:–

- शहर की जनसंख्या;
- प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद;
- एफएम रेडियो के श्रोतागण;
- मौजूदा एफएम रेडियो ऑपरेटरों द्वारा अर्जित प्रति व्यक्ति सकल राजस्व;

(2) 253 नये शहरों में से प्रत्येक शहर के लिए एफएम रेडियो चैनलों हेतु आरक्षित मूल्य प्रत्येक शहर के मूल्यांकन के आधार पर 80 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(3) 253 नये शहरों में से प्रत्येक हेतु एफएम रेडियो चैनलों के लिए आरक्षित मूल्य सिफारिशों में दिया गया है।

(4) जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 'अन्य श्रेणी' के 11 शहरों हेतु इन सभी शहरों में प्रत्येक एफएम चैनल के लिए आरक्षित मूल्य 5 लाख रूपए रखा गया है, जैसा कि चरण–तीन की नीति में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2.6 भादूविप्रा ने वर्ष 2014–15 के दौरान भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अंतर्गत इसे सौंपें गए कार्यों के निर्वहन हेतु दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में निम्नलिखित विनियमों तैयार किए है।

दूरसंचार सेक्टर

विनियमों की सूची

1. दिनांक 07 अप्रैल, 2014 का दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2014
2. दिनांक 25 जून, 2014 का ब्रॉडबैंड सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014
3. दिनांक 26 जून 2014 का दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (तीसरा संशोधन) विनियम 2014
4. दिनांक 01 जुलाई, 2014 का दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014
5. दिनांक 24 जुलाई, 2014 का वायरलेस डाटा सेवाओं हेतु सेवा की गुणवत्ता के मानक (संशोधन) विनियम, 2014
6. दिनांक 19 अगस्त, 2014 का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवा (एक्सेस प्रभार) विनियम, 2014
7. दिनांक 21 अगस्त, 2014 का बुनियादी टेलिफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन सेवा की गुणवत्ता के मानक (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014
8. दिनांक 10 दिसंबर, 2014 का दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014
9. दिनांक 23 फरवरी, 2015 का दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015
10. दिनांक 24 फरवरी, 2015 का दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (बारहवां संशोधन) विनियम, 2015
11. दिनांक 25 फरवरी, 2015 का दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (छठा संशोधन) विनियम, 2015

विनियम

➢ दिनांक 07 अप्रैल, 2014 का दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2014

2.6.1 भादूविप्रा ने दिनांक 15 दिसंबर, 2010 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 जारी किया था जो कि अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को रोकने के लिएक व्यापक विनियामक तंत्र उपलब्ध कराता है। मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए, इन्हें ओर सक्षम करने हेतु इन विनियमों में समय–समय पर संशोधन किया गया है। इस तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए, तेरहवें संशोधन के माध्यम से, यह प्रावधान किया गया है कि बैंकों, बीमा कंपनियों और रियल एस्टेट कंपनियों जैसी संस्थाओं, जिनके नाम पर अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण भेजे जाते हैं, ऐसे संगठनों के विरूद्ध एक निवारक बनाने और

उनमें जिम्मेदारी की एक बड़ी भावना पैदा करने के लिए उनके दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जाएगा।

इन संस्थाओं में से कुछ ने अपने काटे गए संसाधनों को दोबारा जोड़ने के लिए, प्राधिकरण से अनुरोध किया। प्राधिकरण ने महसूस किया कि इन संस्थाओं, उनके चैनल सहयोगियों, डीलरों, एजेंटों आदि ने विनियमों का अनुपालन करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। जांच के बाद, जहां कहीं भी प्राधिकरण इस प्रकार के उपायों से संतुष्ट था, प्राधिकरण ने ऐसी संस्थाओं के कटे हुए दूरसंचार संसाधनों को पुनः जोड़ने के आदेश दिए, सिवाय उन संसाधनों के जिनका उपयोग अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषणों का सृजन करने के लिए किया गया था।

ऐसी संस्थाओं हेतु पुनः कनेक्शन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए प्राधिकरण ने इन विनियमों के माध्यम से इन संस्थाओं से 500 रूपये प्रति दूरसंचार संसाधन पुनः कनेक्शन प्रभार (अधिकतम 5,00,000) वसूल करना निर्धारित किया है। यह प्रभार अवांछित कॉल हेतु दूरसंचार संसाधनों के दुरूपयोग के खिलाफ एक और निवारक के रूप में काम करेंगे।

➢ दिनांक 25 जून, 2014 का ब्रॉडबैंड सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014

2.6.2 प्राधिकरण ने दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 के ब्रॉडबैंड सेवा की सेवाओं की गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं हेतु सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए थे। उपरोक्त संशोधन के माध्यम से 'ब्रॉडबैंड' की परिभाषा को पहले की परिभाषा के 256 केबीपीएस की न्यूनतम गति वाले कनेक्शन से बदलकर न्यूनतम 512 केबीपीएस की डॉउनलोड गति वाले कनेक्शन किया गया है। यह उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्ता, तेज और आसान इंटरनेट उपयोग सुनिश्चित करेगा।

➢ दिनांक 26 जून, 2014 का दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014

2.6.3 प्राधिकरण ने दूरसंचार उपभोक्ता और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) को दिनांक 15 जून, 2007 को अधिसूचित किया था। विनियम के संदर्भ में, "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि" नाम की एक निधि बनायी गई थी। निधि से होने वाली आय को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग संबंधी समिति (सीयूटीसीईएफ) की सिफारिशों पर दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं को शिक्षित करने हेतु कार्यक्रम चलाने के लिए उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में, विनियम 5 के उप–विनियम (4) में उल्लिखित खातों का संचालन पीठासीन–सदस्य अर्थात् सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और विनियम 8 के खंड (ङ) में उल्लिखित सदस्य अर्थात प्रधान सलाहकार/सलाहकार, वित्त और आर्थिक विश्लेषण प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। दिनांक 26 जून, 2014 के संशोधन के द्वारा इस विनियम में संशोधन किया गया ताकि उक्त सदस्यों द्वारा संयुक्त अथवा उप सलाहकार, उपभोक्ता मामले और सेवा की गुणवत्ता प्रभाग और संयुक्त अथवा उप सलाहकार, वित्त और आर्थिक विश्लेषण प्रभाग को खातों का संचालन करने हेतु प्राधिकृत किया जा सके।

➢ दिनांक 01 जुलाई, 2014 का दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014

2.6.4 प्राधिकरण ने नीचे दिए गए अनुसार ब्रॉडबैंड की परिभाषा को शामिल करने के लिए दूरसंचार

उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 के विनियम 2 को निम्नानुसार संशोधित किया है:–

(च) "ब्रॉडबैंड" अथवा "ब्रॉडबैंड सेवा" से आशय ऐसे डाटा कनेक्शन से है जो इंटरनेट पहुंच सहित इंटरएक्टिव सेवाओं का सहायता प्रदान करने में सक्षम हो और ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के इच्छुक सेवा प्रदाता की उपस्थिति के बिंदु (पीओपी) से किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए न्यूनतम पांच सौ बारह किलोबाइट प्रति सेकेण्ड (512 केबीपीएस) की न्यूनतम डॉउनलोड स्पीड की क्षमता रखता हो"।

इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करते समय उपभोक्ताओं को तीव्र गति और बेहतर अनुभव प्राप्त हो।

- **दिनांक 24 जुलाई, 2014 का वायरलेस डाटा सेवाओं हेतु सेवा की गुणवत्ता के मानक (संशोधन) विनियम, 2014**

2.6.5 उपभोक्ताओं हेतु वायरलेस डाटा सेवाओं के बेहतर वितरण, सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 04 दिसंबर, 2012 को वायरलेस डाटा सेवाओं हेतु सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2012 के माध्यम से वायरलेस डाटा सेवाओं हेतु सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित किये हैं। इन विनियमों में "न्यूनतम डाउनलोड गति" सेवा की गुणवत्ता के मानकों में से एक है। यह अधिदेशित किया गया था कि टीएसपी, प्रदान किए जा रहे प्रत्येक डाटा प्लान की निर्धारित परीक्षण पद्धति के अनुसार न्यूनतम डाउनलोड गति को मापेंगे और भादूविप्रा को इसकी सूचना देंगे। उपभोक्ताओं द्वारा चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि टीएसपी अपनी पेशकश में न्यूनतम डाउनलोड गति का उल्लेख नहीं कर रहे। इस संशोधन के माध्यम से, प्राधिकरण ने टीएसपी को सभी डाटा प्लान में उपलब्ध न्यूनतम डाउनलोड गति उपभोक्ताओं को बताने का आदेश दिया। टीएसपी को यह भी आदेश दिया गया कि वे वायरलेस डाटा प्लान के वाउचरों, उनकी वेबसाइट, उनके शिकायत केंद्रों और बिक्री केंद्रों पर न्यूनतम डाउनलोड गति का ब्यौरा प्रकाशित करें।

- **दिनांक 19 अगस्त, 2014 का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवा (एक्सेस प्रभार) विनियम, 2014**

2.6.6 भादूविप्रा ने अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) की कॉलिंग कार्ड सेवा का उपयोग एक्सेस सर्विस प्रदाता के उपभोक्ता द्वारा किये जाने की स्थिति में आईएलडीओ द्वारा एक्सेस सेवा प्रदाता को देय एक्सेस प्रभार निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवा संबंधी विनियम जारी किये हैं। इन विनियमों के अनुसार, आईएलडीओ द्वारा वायरलेस सेवाओं हेतु एक्सेस प्रोवाइडर को 40 पैसे प्रति मिनट की दर से और वायरलाइन सेवाओं हेतु 1.20 रूपये प्रति मिनट की दर से एक्सेस प्रभार दिए जाएंगे। इन विनियमों से कॉलिंग कार्ड की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त होने की आशा है, जिससे किसी उपभोक्ता के पास अपने अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के ऑपरेटरों को चुनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आगे चलकर आईएसडी कॉल्स की दरें कम होंगी।

- **दिनांक 21 अगस्त, 2014 का बुनियादी टेलिफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन सेवा की गुणवत्ता के मानक (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014**

2.6.7 प्राधिकरण ने बुनियादी टेलिफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन

सेवा की गुणवत्ता के मानक (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 (वर्ष 2009 का सातवां) के अंतर्गत टीएसपी द्वारा दूरसंचार उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही वायरलाइन और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं से संबंधित विभिन्न मानकों हेतु मानदण्ड जारी किये हैं। प्राधिकरण द्वारा आवधिक आधार पर विभिन्न टीएसपी द्वारा इन मानदण्डों के अनुपालन की निगरानी की गई है और जब कभी भी वे निर्धारित मानदण्डों को खरा नहीं उतरे, टीएसपी पर वित्तीय हतोत्साहन लगाये गये। टीएसपी की निगरानी से प्राधिकरण ने यह पाया कि गलती की घटनाएं, गलती सुधाने और सहायता हेतु उपभोक्ता के लिए प्रतिक्रिया समय से संबंधित मानकों हेतु मानदण्डों का अनुपालन, बार–बार होने वाली समस्या रही है। इन टीएसपी ने निर्धारित मानदण्डों को प्राप्त करने में अपनी अक्षमता और व्यवहारिक कठिनाइयों को प्राधिकरण के समक्ष व्यक्त किया है और कुछ मानकों हेतु मानदण्डों की समीक्षा करने के लिए प्राधिकरण ने अनुरोध किया है। सेवा प्रदाताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के पश्चात् प्राधिकरण ने बुनियादी टेलिफोन (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन की सेवा की गुणवत्ता के मानकों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की। परामर्श और आंतरिक आंकलनों के पश्चात् यह पाया गया कि सेवा की गुणवत्ता के कुछ मानदण्डों को हासिल करने में व्यावहारिक और वास्तविक कठिनाइयां हैं। व्यापक विश्लेषण के पश्चात, टीएसपी द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मानदण्डों को इस संशोधन के माध्यम से तर्कसंगत बनाया गया है। यह कदम वायरलाइन और मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए सेवा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

➢ दिनांक 10 दिसंबर, 2014 का दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014

2.6.8 प्राधिकरण ने अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉल) के खतरे को रोकने के लिए एक के बाद एक अनेक उपाय किए थे। ऐसा ही एक उपाय लेन–देन से जुड़े संदेशों को भेजने के लिए, बिना जवाबी पथ, केवल एक अल्फा हेडर के संबंध में आदेश था। प्राधिकरण को विभिन्न हितधारकों से लेन–देन से जुडे संदेशों में एक वापसी रास्ते की अनुमति देने के संबंध में अनुरोध वाले कई अभ्यावेदन मिले क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कई एप्लीकेशन के लिए दोतरफा अथवा इंटरएक्टिव संचार की जरूरत होती है। इस संशोधन के माध्यम से, प्राधिकरण ने उपयोगकर्त्ताओं के अनुकूल विभिन्न एप्लीकेशनों हेतु 5 से शुरू होने वाले एक उचित हेडर के माध्यम से दोतरफा इंटरएक्टिव एसएमएस लेन–देन से जुडे संप्रेषण को सक्षम बनाया है। इस संशोधन के माध्यम से, विभिन्न आईएलडीओ को भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अंतर्राष्ट्रीय लेन–देन से जुड़े संदेशों को लेने की भी अनुमति दी गई है।

जवाबी पथ के दुरूपयोग के विरूद्ध समुचित रक्षातंत्र सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लेन–देन से जुडे संदेशों हेतु वित्तीय हतोत्साहन सामान्य लेन–देन से जुडे संदेशों की तुलना में दोगुने हैं।

➢ दिनांक 23 फरवरी, 2015 का दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015

2.6.9 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने संशोधित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभारों

को विहित करते हुए दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभाव विनियमों का संशोधन किया। घरेलू समापन प्रभार वे प्रभार होते हैं, जो एक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी), जिसका उपभोक्ता कॉल करता है, उसके द्वारा उस टीएसपी को देय होते हैं जिसके नेटवर्क में कॉल समाप्त होती है। मौजूदा 'कॉल करने वाला, भुगतान करेगा' (कॉलिंग पार्टी पे) व्यवस्था में, कॉल करने वाला कॉल हेतु अपने टीएसपी को भुगतान करता है जो, बदले में, जिसे कॉल की गई है उसके टीएसपी को अंतःसंयोजन/नेटवर्क उपयोग लागत की पूर्ति के लिए समापन प्रभारों का भुगतान करता है। अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार (आईटीसी) वे प्रभार होते हैं, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के ऑपरेटर (आईएलडीओ) द्वारा, जो देश के बाहर से कॉल प्राप्त करता है, देश में उस टीएसपी को देय होते है, जिसके नेटवर्क में कॉल समाप्त होती है।

विनियम की मुख्य विशेषताएं हैं:–

(1) वायरलेस नेटवर्क से जाने वाली और उसमें समाप्त होने वाली सभी कॉल के लिए मोबाइल समापन प्रभार (एमटीसी) को 20 पैसे प्रति मिनट से घटाकर 14 पैसे प्रति मिनट कर दिया गया है;

(2) देश में उच्च गति के इंटरनेट की सुविधा के एक प्रभावी साधन के लिए वायरलाइन नेटवर्क में निवेश और इसे अपनाने के लिए, प्राधिकरण ने वायरलाइन से वायरलेस कॉल हेतु निर्धारित समापन प्रभार (एफटीसी) के साथ–साथ एमटीसी को शून्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है। तदुनसार,

(क) वायरलाइन से शुरू होने वाली सभी कॉल हेतु एमटीसी शून्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वायरलाइन अथवा वायरलेस नेटवर्क से शुरू होने वाली सभी कॉल हेतु एफटीसी शून्य निर्धारित किया गया है;

(3) अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉल हेतु समापन शुल्क को मौजूदा 40 पैसे प्रति मिनट से बढ़ाकर 53 पैसे प्रति मिनट किया गया है।

ये विनियम 01 मार्च, 2015 से लागू हुए।

➢ दिनांक 24 फरवरी, 2015 का दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (बारहवां संशोधन) विनियम, 2015

2.6.10 भादूविप्रा ने घरेलू वाहक प्रभार की पेशकश कर अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियमों में संशोधन जारी किया है। भारत में कोई एक्सेस सेवा प्रदाता केवल लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंदर ही एक्सेस सेवाओं की पेशकश कर सकता है। अंतःएलएसए कॉल को किसी राष्ट्रीय लम्बी दूरी के ऑपरेटर (एनएलडीओ) के माध्यम से ही भेजा जाना है। अंतःएलएसए कॉल को ले जाने के लिए किसी एक्सेस प्रदाता द्वारा एनएलडीओ को भुगतान किए जाने वाले प्रभारों को वाहक प्रभार कहा जाता है। भादूविप्रा ने अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम दिनांक 23 फरवरी, 2006 के माध्यम से वाहक प्रभार निर्धारित किये थे, जिसमें 0.65 रूपये (65 पैसे) प्रति मिनट की सीमा निर्धारित की गई थी। इन प्रभारों की समीक्षा वर्ष 2008/2009 में दोबारा की गई थी किन्तु इसी सीमा को बरकरार रखा गया था।

इन विनियमों के माध्यम से, प्राधिकरण ने डोमेस्टिक कैरिज चार्जेज की सीमा को मौजूदा 0.65 रूपये (0.65 पैसे) से घटाकर 0.35 रूपये (35 पैसे) प्रति मिनट किया गया।

ये विनियम 01 मार्च, 2015 से प्रभावी हुए।

➢ दिनांक 25 फरवरी, 2015 का दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (छठा संशोधन) विनियम, 2015

2.6.11 भादूविप्रा ने दिनांक 25 फरवरी, 2015 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 का छठा संशोधन जारी किया, जिससे देश में 03 मई, 2015 से पूर्ण एमएनपी (अखिल भारतीय पोर्टेबिलिटी) की सुविधा होगी।

इससे पूर्व, भादूविप्रा ने पूर्ण एमएनपी/राष्ट्रीय एमएनपी को लागू करने हेतु दूरसंचार विभाग के लिए सिफारिशें की थी और एमएनपी सेवा प्रदाताओं और मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस में संशोधन करने का सुझाव दिया था।

तदनुसार, दिनांक 03 नवंबर, 2014 को दूरसंचार विभाग ने एमएनपी लाइसेंस समझौते में संशोधन जारी किये थे। दूरसंचार विभाग के अनुसार, पूर्ण एमएनपी को लाइसेंस में संशोधन करने की तिथि अर्थात् 03 मई, 2015 से 6 महीने की अवधि के अंदर देश में लागू किया जाना है।

पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन को मद्देनजर रखते हुए, एमएनपी विनियम, 2009 (यथा संशोधित) में कुछ परिवर्तन किए जाने अपेक्षित थे। तदनुसार, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 के लिए एक मसौदा संशोधन तैयार किया गया और हितधारकों के साथ परामर्श हेतु भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। हितधारकों की टिप्पणियों और आंतरिक विश्लेषण के पश्चात एमएनपी विनियमों में आवश्यक संशोधन किए गए।

तदुनसार, इस संशोधन में अखिल भारतीय पोर्टेबिलिटी को सुविधाजनक बनाने के साथ–साथ पोर्टिंग प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं।

प्रसारण और केबल टेलीविजन सेक्टर

विनियमों की सूची

1. दिनांक 18 जुलाई, 2014 का दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014
2. दिनांक 18 जुलाई, 2014 का दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाए) अंतःसंयोजन (आठवां संशोधन) विनियम, 2014
3. दिनांक 25 मार्च, 2015 का सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2015

विनियम

➢ दिनांक 18 जुलाई, 2014 का दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014 और दिनांक 18 जुलाई, 2014 का दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (आठवां संशोधन) विनियम, 2014

2.6.12 अन्य के साथ ही साथ डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों और गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों, दोनों के लिए लागू अंतःसंयोजन विनियम में संशोधनों में ''वाणिज्यिक प्रतिष्ठान'' की परिभाषा को समाविष्ट किया गया है और ''वाणिज्यिक उपभोक्ता'' की परिभाषा में समुचित रूप से संशोधन किया गया था। यह टैरिफ निर्धारण और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टेलीविजन सेवाओं की पेशकश करने के तरीके के अनुरूप भी है। विनियामक तंत्र में इन

परिवर्तनों के प्रभावी होने से, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टेलीविजन सेवाओं का वितरण सुव्यवस्थित होगा और उन्हें प्रतिस्पर्धी दरों पर सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी। विनियामक तंत्र से वैल्यू चेन में सभी हितधारकों के हितों में संतुलन और व्यापारिक लेन–देन में पूर्ण पारदर्शिता प्राप्त होने की संभावना है।

➢ दिनांक 25 मार्च, 2015 का सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2015 (वर्ष 2015 का चौथा)

2.6.13 भादूविप्रा ने दिनांक 25 मार्च, 2015 को डिजिटल ऐड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही केबल टेलीविजन सेवाओं पर लागू सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2015 को, उन मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) पर वित्तीय हतोत्साहनों का उद्ग्रहण करने हेतु प्रावधानों को समाविष्ट करते हुए अधिसूचित किया, जो बिलिंग और उपभोक्ताओं द्वारा किए गए भुगतान के लिए रसीदों को जारी करने के संबंध में गुणवत्ता के मानकों के विनियामक प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। संशोधित विनियम में प्रति उपभोक्ता 20/–रुपये से अनधिक की राशि के वित्तीय हतोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

गुणवत्ता के मानक विनियमों में यह भी निर्धारित किया गया है कि उपभोक्ता को केबल टेलीविजन सेवाओं की पेशकश, प्री–पेड अथवा पोस्ट–पेड दोनों ही मॉडल पर की जाएगी और उपभोक्ताओं के पास चुनाव करने का विकल्प होगा। एमएसओ द्वारा पेशकश किए जाने वाले प्री–पेड विकल्प को इलेक्ट्रॉनिक प्री–पेड तंत्र द्वारा लागू किया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा समय से दिए गए प्री–पेड अथवा पोस्ट–पेड विकल्प का प्रत्येक बार उल्लंघन करने पर एमएसओ पर प्रति उपभोक्ता 100/– से अधिक का वित्तीय हतोत्साहन लगाया गया है।

एमएसओ को विनियमों के प्रावधानों के साथ अनुपालन हेतु उनकी व्यवसायिक प्रक्रियाओं को संरेखित करने के लिए 60 दिनों की समय–सीमा का उपबंध किया गया है।

2.7 वर्ष 2014–15 के दौरान, प्राधिकरण ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किये:–

दूरसंचार क्षेत्र

टैरिफ आदेशों की सूची

1. दिनांक 14 जुलाई, 2014 का दूरसंचार टैरिफ (सत्तावनवां) संशोधन आदेश, 2014
2. दिनांक 01 अगस्त, 2014 का दूरसंचार टैरिफ (अट्ठावनवां) संशोधन आदेश, 2014
3. दिनांक 21 नवंबर, 2014 का दूरसंचार टैरिफ (उनसठवां) संशोधन आदेश, 2014

टैरिफ आदेश

➢ दिनांक 14 जुलाई, 2014 का दूरसंचार टैरिफ (सत्तावनवां) संशोधन आदेश, 2014 और दिनांक 01 अगस्त 2014 का दूरसंचार टैरिफ (अट्ठावनवां) संशोधन आदेश, 2014

2.7.1 एक लीज्ड सर्किट किसी उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने की पद्धति के अनपेक्षतः उसके विशिष्ट उपयोग हेतु दोतरफा संपर्क होता है। भारत के अंदर दोनों अंतःलिंक वाले लीज्ड सर्किट को डोमेस्टिक लीज्ड सर्किट (डीएलसी) कहा गया

है। देश की मौजूदा लाइसेंस व्यवस्था के अनुसार, राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (एनएलडीओ) और एक्सेस सेवा प्रदाता (एएसपी), दोनों ही डीएलसी उपलब्ध करा सकते हैं। पिछली बार डीएलसी के लिए टैरिफ की सीमा को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2005 के दूरसंचार टैरिफ (छत्तीसवां संशोधन) आदेश, 2005 के माध्यम से निर्धारित किया गया था। वर्ष 2014 में यह पाया गया कि सघन रूटों पर डीएलसी के प्रचलित टैरिफ, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित टैरिफ सीमा से काफी कम थे। यद्यपि, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में टैरिफ सीमा दरों पर काम कर रहे थे। यह पाया गया कि (1) पारेषण तकनीकों में उन्नति (2) पारेषण अवसंरचना में वृद्धि और (3) पारेषण मीडिया की बैंडविड्थ में वृद्धि के चलते डीएलसी उपलब्ध कराने की प्रति यूनिट लागत में कमी आई थी। प्राधिकरण को देश के कुछ भागों में प्रतिस्पर्धा में कमी भी दिखाई दी। टैरिफ सीमा को वर्तमान लागत के साथ संरेखित करने के दृष्टिकोण से प्राधिकरण ने डीएलसी हेतु टैरिफ सीमा की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

व्यापक परामर्श के बाद प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ आदेश (सत्तावनवां संशोधन), 2014 के माध्यम से डीएलसी हेतु टैरिफ व्यवस्था में निम्न परिवर्तन कियेः–

(1) ई1 क्षमता से कम वाले डीएलसी हेतु टैरिफ को आस्थगित रखा गया है।

(2) ई1, डीएस–3 और एसटीएम–1 क्षमता वाले डीएलसी हेतु टैरिफ सीमा को कम किया गया है।

(3) एसटीएम–4 क्षमता वाले डीएलसी, जिसके लिए टैरिफ धैर्य के अंतर्गत था, को टैरिफ सीमा के निर्धारण के द्वारा टैरिफ विनियम के अंतर्गत लाया गया है।

यह आशा की जाती है कि कम की गई टैरिफ सीमा को लागू करने से छोटे शहरों को जोड़ने वाले कम सघन रूटों, असम, पूर्वोत्तर, जम्मू व कश्मीर जैसे दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा आदि (अर्थात जो रूट पर्याप्त तौर पर प्रतिस्पर्धी नहीं है) को फायदा होगा। प्राधिकरण का मत है कि डीएलसी में टैरिफ सीमा में कमी करने से मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी और बदले में अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।

➢ दिनांक 21 नवंबर, 2014 का दूरसंचार टैरिफ (उनसठवां) संशोधन आदेश, 2014

2.7.2 प्राधिकरण ने दिनांक 21 नवंबर, 2014 के दूरसंचार टैरिफ (उनसठवां संशोधन) आदेश, 2014 के द्वारा आईएसपी को टैरिफ रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित छूट दीं:–

(1) किसी आईएसपी को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान टैरिफ रिपोर्टिंग आवश्यकता से छूट दी जाएगी यदि पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उसके उपभोक्ताओं की कुल संख्या दस हजार से कम है (<10,000)।

(2) किसी निविदा प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में अथवा एक्सेस प्रदाता और ऐसे थोक उपभोक्ताओं के बीच वार्ता के परिणाम के रूप में थोक ग्राहकों को पेशकश की गई टैरिफ योजनाओं के संबंध में एक्सेस सेवा प्रदाताओं को दी गई मौजूदा छूट को आईएसपी को भी दिया गया है।

इस प्रकार की छूट से छोटे आईएसपी को उनकी अनुपालन लागत कम करने में सहायता मिलेगी और एक बार जब वे 10,000 उपभोक्ताओं का आधार प्राप्त कर लेंगे तो वे टैरिफ रिपोर्टिंग आवश्यकता के दायरे के अंतर्गत आ जाएंगे।

प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र

टैरिफ आदेशों की सूची

1. दिनांक 16 जुलाई, 2014 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (बारहवां संशोधन) आदेश, 2014

2. दिनांक 18 जुलाई, 2014 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2014

3. दिनांक 31 दिसंबर, 2014 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2014

4. दिनांक 06 जनवरी, 2015 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015

टैरिफ आदेश

➢ दिनांक 16 जुलाई, 2014 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (बारहवां संशोधन) आदेश, 2014 और दिनांक 18 जुलाई, 2014 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2014

2.7.3 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने वाले एक टैरिफ आदेश से संबंधित एक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल, 2014 से भादूविप्रा से ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एक नई टैरिफ व्यवस्था बनाने के लिए कहा। तदुनसार, भादूविप्रा ने दिनांक 16 जुलाई और दिनांक 18 जुलाई, 2014 को प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से संबंधित टैरिफ आदेशों में संशोधन अधिसूचित किए। टैरिफ आदेशों की मुख्य विशेषताएं हैं:—

(1) जो वाणिज्यिक संस्थान ग्राहकों/आगंतुकों से टेलीविजन कार्यक्रम उपलब्ध कराने/दिखाने की एवज में विशेष तौर पर शुल्क नहीं लेते हैं और ऐसी सेवाओं की पेशकश सुविधाओं के भाग के रूप में करते हैं, उनसे सामान्य ग्राहकों की तरह व्यवहार किया जाना है और प्रभार प्रति—टेलीविजन आधार पर लिए जाएंगे;

(2) जिन मामलों में वाणिज्यिक संस्थान ग्राहकों/आगंतुकों से टेलीविजन कार्यक्रम उपलब्ध कराने/दिखाने के एवज में विशेष शुल्क लेते हैं, उनके लिए टैरिफ का निर्धारण प्रसारणकर्त्ता और वाणिज्यिक ग्राहक के बीच आपसी सहमति की शर्तों पर किया जाएगा।

(3) सभी मामलों में, वाणिज्यिक उपभोक्ता टेलीविजन सेवाएं केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर से प्राप्त करेगा (एमएसओ/डीटीएच ऑपरेटर/केबल ऑपरेटर/आईपी टेलीविजन ऑपरेटर/एचआईटीएस ऑपरेटर)।

यह संशोधन वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टेलीविजन सिग्नलों के वितरण के तरीके में स्पष्टता लाने, टेलीविजन सिग्नलों के अभीष्ट उपयोग पर आधारित टैरिफ निर्धारित करने और टैरिफ विनियम में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लक्ष्य से लाए गए हैं।

➢ दिनांक 31 दिसंबर, 2014 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2014

2.7.4 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, वर्ष 2004 से ही प्रसारण और केबल टेलीविजन

सेवाओं हेतु टैरिफ का विनियमन कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के उपभोक्ताओं को केबल टेलीविजन प्रभारों में होने वाली लगातार बढ़ोत्तरी से राहत और संरक्षण दिलाना है। तदनुसार, एनालॉग केबल टीवी प्रणालियों के माध्यम से दी जाने वाली केबल टेलीविजन सेवाओं हेतु 2004 में मुख्य टैरिफ आदेश अधिसूचित किया गया था, भादूविप्रा ने 26 दिसंबर, 2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तरों पर प्रचलित प्रभार की टैरिफ सीमा निर्धारित की थी। हालांकि, भादूविप्रा ने मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने हेतु समय–समय पर निर्धारित सीमा की समीक्षा की। यद्यपि, मुद्रास्फीति से जुड़े समायोजन करने के लिए जनवरी, 2009 से मार्च, 2014 तक आवधिक समीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि टैरिफ आदेश के कतिपय प्रावधान वर्ष 2008 से न्यायिक जांच के दायरे में थे और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार टैरिफ निर्धारण का काम चल रहा था। इसलिए, मार्च, 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय की सहमति ने प्राधिकरण ने समीक्षा को अंजाम दिया।

पिछले पांच वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में हुई वृद्धि के आधार पर और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के उपरांत, प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि थोक और खुदरा दोनों की स्तरों पर समग्र रूप से 27.5 प्रतिशत मुद्रास्फीति वृद्धि की अनुमति दी जाएगी। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने इस बढ़ोत्तरी को दो किश्तों में लागू करने का निर्णय लिया। 15 प्रतिशत की पहली किश्त को दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से लागू किया गया था। इसे दिनांक 31 मार्च, 2014 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (ग्यारहवां संशोधन) आदेश द्वारा अधिसूचित किया गया। मुद्रास्फीति आधारित शेष बढ़ोत्तरी की दूसरी किश्त 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी की जाएगी, जिसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा। इससे इन वृद्धि को समायोजित करने के लिए सभी हितधारकों को पर्याप्त और उचित समय देने की आशा है। मुद्रास्फीति आधारित बढ़ोत्तरी की दूसरी किश्त के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 31 दिसंबर, 2014 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (तेहरवां संशोधन) आदेश, 2014 अधिसूचित किया।

➢ दिनांक 06 जनवरी, 2015 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015

2.7.5 भादूविप्रा ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 17 सितंबर, 2014 के आदेश के अनुरूप दिनांक 06 जनवरी, 2015 को गैर–एड्रेसेबल (एनॉलाग केबल टीवी) हेतु लागू टैरिफ (संशोधन) आदेश अधिसूचित किया। उक्त टैरिफ आदेश के मुख्य उपबंध नये चैनलों और फ्री–टु–एयर से पे चैनल में परिवर्तित चैनलों हेतु मूल्य निर्धारण के सिद्धांत, थोक स्तर पर चैनलों की अनिवार्य अ–ला–कार्टे पेशकश और गैर–एड्रेसेबल (एनालॉग केबल टीवी) प्रणालियों हेतु समरूप स्थितियों से संबंधित हैं।

इसके अतिरिक्त, इस टैरिफ (संशोधन) आदेश में विशेष रूप से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में ऑपरेटर सरकार द्वारा अधिसूचित अंतिम तिथियों से पहले डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों (डीएएस) को लागू करते हैं, वहां डीएएस से संबंधित विनियामक व्यवस्था लागू होगी और कि प्रसारणकर्त्ता को विनिर्दिष्ट जेनरे में से चैनलों के जेनरे को घोषित करना होगा।

2.8 भादूविप्रा ने अपने आदेश/विनियमों के अनुपालन हेतु वर्ष 2014–15 के दौरान सेवा प्रदाताओं के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं, इनमें से कुछ दिशानिर्देशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

दूरसंचार क्षेत्र

निदेशों की सूची

1. दिनांक 28 नवम्बर, 2014 को सीएमटीएस लाइसेंस समाप्त होने के कारण मुंबई लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में सेवाएं समाप्त करने के संबंध में मैसर्स लूप मोबाइल (भारत) लिमिटेड को दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के निदेश।

2. दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को सीएमटीएस लाइसेंस समाप्त होने के कारण मुंबई लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में सेवाएं समाप्त करने के संबंध में मैसर्स लूप मोबाइल (भारत) लिमिटेड को दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के निदेश।

3. सिम कार्ड के सिम एप्लीकेशन टूल किट (एसटीके) में निहित गैर–सब्सक्रिप्शन आधारित मूल्यवर्धित सेवा उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने संबंधी दिनांक 14 नवम्बर, 2014 का निदेश।

4. विशिष्ट पोर्टिंग कोड हेतु सेवा प्रदाता कोड को अद्यतन करने के संबंध में दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निदेश में दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 का तृतीय संशोधन।

5. टर्मिनेशन प्रभारों को समाप्त किए जाने के संबंध में एक्सेस प्रदाताओं (बुनियादी टेलीफोन प्रदाता, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन प्रदाता तथा एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं) तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों को दिनांक 5 जनवरी, 2015 के निदेश सेल्युलर।

6. लघु कोड तथा विशेष वर्ण के उपयोग के संबंध में दिनांक 5 फरवरी, 2015 के निदेश।

7. स्तर 111 के उपयोग को बंद करने के लिए मैसर्स वोडाफोन (भारत) लिमिटेड को दिनांक 02 मार्च, 2015 का निदेश।

8. स्तर 111 के उपयोग को बंद करने के लिए मैसर्स वोडाफोन (भारत) लिमिटेड को दिनांक 02 मार्च, 2015 के निदेश में 27 मार्च, 2015 का संशोधन।

निदेश

➢ दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को सीएमटीएस लाइसेंस समाप्त होने के कारण मुंबई लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में सेवाएं समाप्त करने के संबंध में मैसर्स लूप मोबाइल (भारत) लिमिटेड को दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तथा 07 नवम्बर, 2014 के निदेश

2.8.1 सेल्युलर मोबाइल सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मैसर्स लूप मोबाइल (भारत) लिमिटेड ने दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को अपना प्रचालन बंद कर दिया।

मैसर्स लूप के उपभोक्ताओं के बारे में अग्रिम जानकारी उपलब्ध कराना तथा मैसर्स लूप के उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के अन्य सेवा प्रदाताओं के पास बिना किसी परेशानी, पोर्ट करवाने की सुविधा प्रदान कर उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए भादूविप्रा ने मैसर्स लूप (इंडिया) लिमिटेड को दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मुंबई एलएसए में इसकी सेवाओं को बंद किए जाने के संबंध में निम्न को जानकारी प्रदान करने का निदेश दिया:–

(1) मुंबई सेवा क्षेत्र में उक्त निदेश दिए जाने की तिथि से दस दिनों के अंदर इसके सभी मौजूदा उपभोक्ताओं को लिखित में अथवा एसएमएस/ई–मेल भेजकर;

(2) प्रत्येक नए उपभोक्ताओं को इसके नेटवर्क पर नामांकन के दौरान।

इस निदेश के अनुपालन में, मैसर्स लूप के इस अनुरोध पर कि मौजूदा प्रणाली, उपभोक्ताओं को एसएमएस ब्लास्ट किए जाने पर प्राप्त अनुरोधों में हुई वृद्धि का उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं होगी। इसलिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को पोर्ट ऑउट करने का विकल्प देने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 7 नवम्बर, 2014 के निदेश के माध्यम से मैसर्स लूप को एक अतिरिक्त सेवा प्रदाता कोड आवंटित किया ताकि इसे सभी उपभोक्ता आधार के लिए बड़ी संख्या में एक विशिष्ट पोर्टिंग कोड का सृजन करने में सक्षम बनाया जा सके तथा इसके बारे में इसमें सभी उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान की जा सके ताकि उपभोक्ता अपने मोबाइल नम्बर को पोर्ट ऑउट कर सकें।

भादूविप्रा ने मुंबई सेवा क्षेत्र में मैसर्स लूप के सभी उपभोक्ताओं को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 29 नवम्बर, 2014 से पूर्व लूप के नेटवर्क से पोर्ट ऑउट करने की जानकारी प्रदान की।

➢ सिम कार्ड के सिम एप्लीकेशन टूल किट (एसटीके) में निहित गैर सब्सक्रिप्शन आधारित मूल्यवर्धित सेवा उत्पादों को उपलब्ध करवाने के लिए उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने संबंधी दिनांक 14 नवम्बर, 2014 का निदेश

2.8.2 जबकि भादूविप्रा विनियमों के माध्यम से दोहरी पुष्टि प्रक्रिया द्वारा मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) आधारित सब्सक्रिप्शन को सक्रिय किये जाने की समस्या का काफी हद तक समाधान कर दिया गया था। उपभोक्ता से स्वयं एसआईएम में अंतर्विष्ट विभिन्न वीएएस को गलत तरीके से सक्रिय किए जाने के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस निदेश के माध्यम से किसी सिम कार्ड में सिम एप्लीकेशन टूल किट (एसटीएम) में जुड़े गैर सब्सक्रिप्शन आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद (वीएएस) सेवा को सक्रिय अथवा निष्क्रिय किए जाने से जुड़े मुद्दे का समाधान किया गया। उपभोक्ता संरक्षण के उपाय के रूप में सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि सिम में अंतर्विष्ट उत्पादों हेतु वीएएस के उपभोक्ताओं को केवल उपभोक्ताओं की स्पष्ट अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही उपलब्ध कराया जा सकता है। निदेश में यह भी परिभाषित किया गया कि सेवा प्रदाताओं को किस प्रकार उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी।

➢ विशिष्ट पोर्टिंग कोड हेतु सेवा प्रदाता कोड को अद्यतन करने के संबंध में दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निदेश में दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 का संशोधन

2.8.3 उपभोक्ताओं को टीएसपी द्वारा भेजे गए एसएमएस के स्रोत तथा उत्पत्ति की पहचान करने में मदद करने के लिए भादूविप्रा ने यह निदेश दिया कि सेवा क्षेत्र के कोड सहित अंक और शब्दों में उपलब्ध करायी गयी पहचान को एसएमएस भेजने वाले की पहचान करने के लिए सभी वाणिज्यिक एसएमएस के लिये भेजा जाए। निदेश जारी करने के उपरांत, कुछ सेवा प्रदाताओं ने प्रचालन बंद कर दिया है तथा नए सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसमें सेवा प्रदाताओं हेतु कोड के नए आवंटन

को अनिवार्य बनाया गया है। इस संशोधन के माध्यम से सेवा प्रदाताओं हेतु कोड की संशोधित सूची को अधिसूचित किया गया था।

➢ टर्मिनेशन प्रभारों को समाप्त करने के संबंध में एक्सेस प्रदाताओं (बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन प्रदाताओं तथा एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं) तथा लंबी दूरी के ऑपरेटरों को दिनांक 05 जनवरी, 2015 का निदेश

2.8.4 दूरसंचार विभाग ने आईयूसी टर्मिनेशन प्रभारों को समाप्त करने के संबंध में मैसर्स एयरसेल के दिनांक 17 सितम्बर, 2014 के अभ्यावेदन को अग्रेषित किया, जिसे जम्मू व कश्मीर के कॉल को आरंभ करने वाले (ओरिजिनेटिंग) ऑपरेटर को (संपूर्ण देश के सेवा क्षेत्रों में) कॉल को प्राप्त करने वाले (टर्मिनेटिंग) ऑपरेटर को दो दिनों अर्थात् 10 सितम्बर, 2014 से 11 सितम्बर, 2014 तक भुगतान करना था। सेवा प्रदाता ने उल्लेख किया कि सितम्बर, 2014 के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य में बाढ़ की अप्रत्याशित और आपातस्थिति के दौरान, मैसर्स एयरसेल ने एक बड़े ऑपरेटर होने के नाते संपूर्ण दो दिनों तक सभी जम्मू व कश्मीर के उपभोक्ताओं के शत–प्रतिशत निशुल्क स्थानीय तथा राष्ट्रीय वॉयस कॉलिंग उपलब्ध कराई।

भादूविप्रा ने इस मुद्दे पर एक्सेस प्रदाताओं की टिप्पणियां आमंत्रित की तथा विचार–विमर्श पश्चात्, टर्मिनेशन प्रभार को समाप्त किए जाने के अनुरोध पर सहमत हो गया। तदनुसार, दिनांक 5 जनवरी, 2015 को भादूविप्रा द्वारा सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं तथा एनएलडीओ को 10 और 11 सितम्बर, 2014 को जम्मू व कश्मीर राज्य के उनके उपभोक्ताओं द्वारा की गई कॉलों के संबंध में टर्मिनेशन प्रभारों को समाप्त करने का एक निदेश जारी किया।

➢ लघु कोड तथा विशेष वर्ण के उपयोग पर दिनांक 05 फरवरी, 2015 के निदेश

2.8.5 भादूविप्रा ने दिनांक 4 जुलाई, 2014 के पत्र के माध्यम से सेवा प्रदाताओं को विहित प्रारूप में सेवा प्रदाताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया। सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टों में यह नोट किया गया कि सेवा प्रदाताओं ने नेशनल नम्बरिंग प्लान के उपबंधों तथा लघु कोड के संबंध में अनुदेशों का उल्लंघन किया है।

इसके अलावा, भादूविप्रा ने अपने दिनांक 05 फरवरी, 2015 के निदेश के माध्यम से सभी एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस प्रदाता), एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदताओं, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को लघु कोड तथा विशेष वर्ण के उपयोग के संबंध में निदेश जारी किए हैं ताकिः–

(क) लाइसेंस प्रदाता द्वारा दिनांक 23 मई, 2006 के पत्र सं. 16–7/2006–बीएस.II, दिनांक 30 नवम्बर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 16–3/2003–बीएस.II/खण्ड IV दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 16–3/2003–बीएस.II/खण्ड IV दिनांक 07 मई, 2007 के पत्र सं. 16–3/2003–बीएस.II/खण्ड IV/441 के माध्यम से जारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

(ख) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (2012 का 02) के विनियम 10 के उप–विनियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन किया जाए।

(ग) अपनी वेबसाइटों पर विहित प्रारूप में 'लघु कोड तथा विशेष अक्षर' शीर्षक के तहत जानकारी देना तथा ऐसी सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं तथा टैरिफ के लिए पेशकश की जा रही सेवाओं का ब्यौरा देना और इन जानकारियों में परिवर्तन होने पर तुरंत अद्यतन करना; और

(घ) भादूविप्रा को तिमाही आधार पर, तिमाही के अंत से दस दिनों के अंदर, मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही से विहित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

➢ मैसर्स वोडाफोन लिमिटेड को लेवल '111' को बंद करने हेतु दिनांक 02 मार्च, 2015 का निदेश

2.8.6 दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय नम्बरिंग प्लान, 2013 जारी किया था, जिसमें किसी भी प्रकार की सेवा के लिये नम्बर/उपसर्ग 111 से 115 को आवंटित नही किया तथा इन्हें 'जरूरत के लिए अलग रखा' था।

भादूविप्रा ने मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर दिए गए विज्ञापनों से पाया कि उपभोक्ताओं को उनके हैंडसेट पर प्रीपेड डेटा ऑफर 3–जी डेटा पैक, डेटा सेवाओं हेतु स्वयं की मदद करने, ब्लैक बैरी इंटरनेट ऑफर तथा शेष राशि जानने के लिए इंटरनेट सेटिंग प्राप्त करने हेतु '111' नंबर पर कॉल करने को कहा जाता था।

भादूविप्रा ने मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को नेशनल नम्बरिग प्लॉन, 2003 के उल्लंघन के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2015 का कारण बताओ नोटिस जारी किया।

भादूविप्रा ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड से प्राप्त दिनांक 18 फरवरी, 2015 के उत्तर की जांच की तथा उसका मत था कि दूरसंचार विभाग की अनुमति के बिना स्तर '111' का उपयोग करके मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड ने नेशनल नंबरिंग प्लान के उपबंधों का उल्लंघन किया है। इसलिए, भादूविप्रा ने दिनांक 02 मार्च, 2015 के निदेशों के माध्यम से मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को '111' स्तर का उपयोग बंद करने तथा एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निदेश दिया।

➢ मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को '111' स्तर का उपयोग बंद करने के संबंध में दिनांक 02 मार्च, 2015 के निदेश सं. 413–2/2014 एनएसएल–I में दिनांक 27 मार्च, 2015 का संशोधन

2.8.7 मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड ने भादूविप्रा के दिनांक 02 मार्च, 2015 के पत्र में अपने दिनांक 05 मार्च, 2015 के प्रत्युत्तर में यह उल्लेख किया कि वह मौजूदा स्तर '111' से दूसरे स्तर पर अपने उपभोक्ताओं की हेल्पलाइन के अंतरण हेतु क्रियाकलापों को सूचीबद्ध कर रहा है। इसके अलावा, उसने दिनांक 02 मार्च, 2015 के निदेश का अनुपालन करने की मंशा जताई। तथापि, तकनीकी तथा उपभोक्ता के अनुभव दोनों पहलुओं की दृष्टि से सभी अनिवार्य क्रियाकलाप पूर्ण करने तथा उपभोक्ताओं को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए उसने अंतरण हेतु उपयुक्त समय दिए जाने तथा नए और पुराने दोनों कोड को एक साथ चलाने के लिए अनुरोध किया।

भादूविप्रा ने मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को उपर्युक्त निदेश पर 30 अप्रैल, 2015 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

प्रसारण और केबल टेलीविजन क्षेत्र

निदेशों की सूची

1. डीएएस क्षेत्रों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसडी) को दिनांक 27 मई, 2014 का निदेश

निदेश

➢ डीएएस क्षेत्रों में मल्टी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसडी) को दिनांक 27 मई, 2014 का निदेश

2.8.8 इस निदेश के माध्यम से भादूविप्रा ने डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों (डीएएस) क्षेत्रों में एमएसओ को उन क्षेत्रों में जहां डीएएस कार्यान्वित किया जा चुका है, प्रत्येक उपभोक्ता को बिल पहुंचाने, ऑनलाइन बिल भुगतान का विकल्प देने तथा किए गए भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक पावती प्रदान करना सुनिश्चित करने के निदेश दिए।

2.9 उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित आदेश भी जारी किए गए :–

आदेश

आदेशों की सूची

1. भादूविप्रा अधिनियम, 1994 की धारा 12 के तहत डीएएस चरण–1 तथा चरण–2 के तहत कवर क्षेत्रों में प्रचालनरत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को उनके और केबल ऑपरेटरों के बीच हस्ताक्षर किए गए अंतःसंयोजन करार के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश।

2. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत प्रसारकों की डीएएस चरण–1 तथा चरण–2 के तहत कवर किए गए क्षेत्रों में प्रचालनरत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के साथ अंतःसंयोजन करारों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश।

3. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत (1994 का 24वां) डॉयरेक्ट–टु–होम ऑपरेटरों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता परिसर उपस्कर (सीपीई) से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 24.10.2014 का आदेश।

➢ भादूविप्रा अधिनियम, 1994 की धारा 12 के तहत डीएएस चरण–1 तथा चरण–2 के तहत कवर क्षेत्रों में प्रचालनरत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को उनके और केबल ऑपरेटरों के बीच हस्ताक्षर किए गए अंतःसंयोजन करार के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश।

भादूविप्रा ने 15 बड़े एमएसओ को दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 का आदेश जारी किया, जिसमें एलसीओ के साथ किए गए अंतःसंयोजन करार का ब्यौरा देने को कहा गया।

➢ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत प्रसारकों की डीएएस चरण–2 तथा चरण–2 के तहत कवर किए गए क्षेत्रों में प्रचालनरत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के साथ अंतःसंयोजन करारों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश।

भादूविप्रा ने 15 बड़े प्रसारकों को डीएएस चरण–1 तथा चरण–2 के तहत कवर किए गए क्षेत्रों में प्रचालनरत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के साथ किए गए अंतःसंयोजन करारों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 का एक आदेश जारी किया।

➢ **भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत (1994 का 24वां) डॉयरेक्ट–टु–होम ऑपरेटरों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता परिसर उपस्कर (सीपीई) से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश।**

भादूविप्रा ने सभी पे–डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता परिसर उपस्कर (सीपीजी) से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 24 अक्तूबर, 2014 का आदेश जारी किया।

2.10 भादूविप्रा ने विभिन्न हितधारकों जैसे सेवा प्रदाता, उनके संगठनों, उपभोक्ता जागरूकता समूहों/उपभोक्ता संगठनों तथा इस क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों से बातचीत करता है। इसने एक प्रक्रिया विकसित की है, जिसमें सभी हितधारकों तथा जनसाधारण से परामर्श पत्रों हेतु उनके मत आमंत्रित किये जाने पर अपने विचार रखकर नीति निर्माण में भागीदारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, परामर्श पत्र, सिफारिशें/विनियम/दूरसंचार टैरिफ आदेश जारी करने का आधार होते है। वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित परामर्श पत्र भी जारी किए गए :–

दूरसंचार क्षेत्र

परामर्श पत्रों की सूची

1. 'आईपी आधारित नेटवर्कों में अंतरण' संबंधी दिनांक 30 जून, 2014 का परामर्श पत्र।
2. 'बॉडबैंड सेवा त्वरित रूप से प्रदत्त किया जाना : हमें क्या करने की आवश्यकता है' संबंधी दिनांक 24 सितम्बर, 2014 का परामर्श पत्र।
3. 'अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार' के संबंध में 19 नवम्बर, 2014 का परामर्श पत्र।
4. 'वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों के माध्यम से सेवा सुपुदर्गी से नेटवर्कों के लाइसेंस के पृथक्कीकरण' के संबंध में दिनांक 05 दिसम्बर, 2015 का परामर्श पत्र।
5. 'ओवर–द–टॉप (ओटीटी) सेवाओं हेतु विनियामककारी तंत्र' संबंधी दिनांक 27 मार्च, 2015 का परामर्श पत्र।

परामर्श पत्र

➢ **'आईपी आधारित नेटवर्कों में अंतरण' संबंधी दिनांक 30 जून, 2014 का परामर्श पत्र**

2.10.1 पारम्परिक दूरसंचार प्रणालियां अत्यधिक शक्तिशाली तथा व्यावहारिक इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित दूरसंचार प्रणालियों में अंतरित हो रही हैं। आईपी आधारित नेटवर्क में अंतरण से 'लीगेसी नेटवर्क' तथा आईपी आधारित नेटवर्क का सह–अस्तित्व संभव हो पाएगा। नए आईपी आधारित नेटवर्क साथ ही इसके लीगेसी नेटवर्क के साथ सह–अस्तित्व से अनेक प्रचालनात्मक अंतःसंयोजन तथा सेवा गुणवत्ता मुद्दे उत्पन्न होंगे, जिनका सफलतापूर्वक आईपी आधारित नेटवर्कों में अंतरण हेतु समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इनके मद्देनजर, भादूविप्रा ने दिनांक 30 जून, 2014 को हितधारकों के साथ परामर्श हेतु "आईपी आधारित नेटवर्कों में अंतरण" विषय पर एक परामर्श पत्र निकाला। परामर्श हेतु महत्वपूर्ण मुद्दे थेः– (1) आईपी अंतःसंयोजन मुद्दे (2) 'लीगेसी नेटवर्क' का आईपी आधारित नेटवर्कों के साथ सह–अस्तित्व (3) आईपी आधारित अंतःसंयोजनमें विनियामककारी हस्तक्षेप की आवश्यकता (4) एप्लीकेशन तथा विषय–वस्तु सेवा प्रदाताओं हेतु अंतःसंयोजन संबंधी अपेक्षाएं (5) सेवा गुणवत्ता संबंधी मुद्दे (6) नेटवर्क एलीमेंट की सहभागिता, आपातकालीन नम्बर आदि जैसे विभिन्न अन्य प्रचालनात्मक मुद्दे।

➢ 'बॉडबैंड सेवा त्वरित रूप से प्रदत्त किया जाना : हमें क्या करने की आवश्यकता है' संबंधी दिनांक 24 सितम्बर, 2014 का परामर्श पत्र

2.10.2 सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी, सेवाएं तथा एप्लीकेशन आधुनिक समाज के लिए अनिवार्य हैं, जो बड़े पैमाने पर सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं और विकासशील देशों में अधिक महत्वपूर्ण हैं। अधिकाधिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि अधिकाधिक ब्रॉडबैंड उपयोग सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार तथा आय में वृद्धि कर सकता है तथा गरीबी और भूखमरी से मुकाबला करने में मददगार हो सकता है। जबकि देश में वर्ष 2004 से एक ब्रॉडबैंड नीति मौजूद है तथा सरकार ने देश में ब्रॉडबैंड के प्रसार को बढ़ाने के लिए अनेक पहल की हैं। इसके बावजूद विश्व में अधिकांश अन्य देशों की तुलना में निष्पादन अत्यंत निराशाजनक है। इस पृष्ठभूमि में, भादूविप्रा ने देश में ब्रॉडबैंड के अत्यंत सीमित प्रसार तथा देश में ब्रॉडबैंड उपयोग को गति देने के लिये किये जाने वाले अपेक्षित उपायों के मुद्दे के संबंध में हितधारकों तथा अन्य से सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया।

इसके पश्चात्, भादूविप्रा ने इस विषय पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया तथा इन्हें दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को सरकार को भेजा।

➢ 'अंत:संयोजन उपयोग प्रभार' के संबंध में 19 नवम्बर, 2014 का परामर्श पत्र

2.10.3 आईयूसी प्रणाली में न केवल सेवा प्रदाताओं को प्रोद्भूत होने वाले राजस्व का निर्धारण करता है बल्कि उनके बीच किस प्रकार राजस्व का संवितरण किया जायेगा, इसका भी निर्धारण करता है। कार्यकुशल अंत:संयोजन प्रभार प्रणाली नेटवर्कों के भीतर एक कार्यकुशल तथा बाधारहित संपर्क का मूल आधार है।

मौजूदा आईयूसी प्रणाली दिनांक 09 मार्च, 2009 को अधिसूचित की गई थी तथा यह 01 अप्रैल, 2009 से प्रभावी हुई। इस प्रणाली में, फिक्सलाइन तथा मोबाइल के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉयस कॉल के लिये टर्मिनेशन प्रभार को 0.20 पैसा (बीस पैसे) प्रति मिनट की समान दर पर निर्धारित किया गया था तथा इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल के लिये टर्मिनेशन प्रभार 0.40 पैसा (चलीस पैसे) प्रति मिनट की समान दर पर निर्धारित किया गया था। पिछली समीक्षा से लेकर अब तक लम्बा समय बीत चुका है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भादूविप्रा ने समीक्षा प्रक्रिया आरंभ की। परामर्श पत्र में हितधारकों से अन्य बातों के साथ–साथ मुख्यत: निम्नलिखित मुद्दों पर उनके विचार आमंत्रित किए गए थे:–

(क) मोबाइल तथा फिक्स टर्मिनेशन प्रभार को विहित करने के लिये लागतोन्मुखी अथवा बिल एण्ड कीप, दोनों में से कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपर्युक्त है?

(ख) मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार तथा निर्धारित टर्मिनेशन लागत का अनुमान लगाने के लिये कौन–सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है?

(ग) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनेशन प्रभार हेतु सबसे उपयुक्त स्तर क्या है?

(घ) घरेलू कैरिज प्रभार तथा ट्रांजिट प्रभारों का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति होनी चाहिए।

➢ 'वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों के माध्यम से सेवा सुपुदर्गी से नेटवर्कों के लाइसेंस के पृथक्कीकरण' के संबंध में दिनांक 05 दिसम्बर, 2015 का परामर्श पत्र

2.10.4 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 07 जुलाई, 2014 के पत्र के माध्यम से तथा एकीकृत

लाइसेंसिग प्रणाली के तहत समायोजित सकल राजस्व, सक्रिय और असक्रिय अवसंरचना की सहभागिता की शर्तों आदि के संबंद्ध में मुद्दों सहित वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर आदि के माध्यम से सेवाओं की सुपुदर्गी को नेटवर्कों के लाइसेंसिंग से पृथक करने के संबंध में भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी।

भादूविप्रा ने पूर्व में दिनांक 03 सितम्बर, 2014 को वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) के माध्यम से सेवाओं की सुपुदर्गी को नेटवर्कों के लाइसेसिंग से पृथक करने'' के संबंध में पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया था।

पूर्व–परामर्श के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, भादूविप्रा ने वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) के माध्यम से सेवाओं की सुपुदर्गी को नेटवर्कों के लाइसेसिंग से पृथक करने'' के संबंध में दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 को एक परामर्श पत्र जारी किया। प्राधिकरण ने हितधारकों हेतु विचार करने के लिए विशिष्ट मुद्दे उठाए। तत्पश्चात् प्राधिकरण ने दिनांक 01 मई, 2015 को उक्त विषय पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया तथा सरकार को अग्रेषित किया।

➢ 'ओवर–द–टॉप (ओटीटी) सेवाओं हेतु विनियामककारी तंत्र' संबंधी दिनांक 27 मार्च, 2015 का परामर्श पत्र

2.10.5 फिक्स तथा मोबाइल टेलीफोनी की पेशकश करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को वर्तमान में ऑनलाइन विषय–वस्तु से लाभ पहुंच रहा है, जिसे ओवर–द–टॉप (ओटीटी) एप्लीकेशन तथा सेवाओं के नाम से जाना जाता है। ओवर–द–टॉप (ओटीटी) शब्दों का अभिप्राय ऐसी एप्लीकेशन तथा सेवाओं से हैं, जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं तथा इंटरनेट एक्सेस सेवाओं तथा सोशल नेटवर्क सर्च इंजन, अमेचर वीडियो को संग्रहित करने वाली सॉइट आदि की पेशकश करने वाले ऑपरेटर के नेटवर्क पर चलाई जा सकती हैं। ओटीटी प्रदाता, अपने उपभोक्ताओं तक एक्सेस बनाने के लिए टीएसपी की अवसंरचना का उपयोग करते हैं तथा उत्पाद/सेवाओं की पेशकश करते हैं, जिससे वे न केवल धन अर्जन करते हैं बल्कि टीएसपी द्वारा पेशकश की जाने वाली पारम्परिक सेवाओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह एप्लीकेशन स्थावर प्रतिस्पर्धियों यथा ई–कॉमर्स साईटों, बैंक आदि से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। आज, उपयोगकर्ता अनेक इंटरनेट से जुड़े उपभोक्ता उपकरणों का उपयोग कर किसी भी स्थान, किसी भी समय पर इन एप्लीकेशन तक ऑनलाइन पहुंच बना सकते हैं।

स्मार्टफोन के बढ़ते प्रचलन तथा टीएसपी द्वारा पहुंच नेटवर्कों के उन्नयन ऐसे महत्वपूर्ण कारकों में से कारक हैं, जो ओटीटी की वृद्धि में योगदान देते हैं। विषय–वस्तु के डिजिटाईजेशन से संरक्षण, उद्धरण तथा संवितरण लागत में कमी आई है, जिसने परिणामस्वरूप, ऑनलाइन विषय–वस्तु की आपूर्ति में विस्फोटक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। यह विरोधाभासी है कि टीएसपी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे ब्रॉडबैंड नेटवर्क को ओटीटी कंपनियों द्वारा नये व्यापार के विकास के लिए प्लेटफार्म के रूप में उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते इंटरनेट टैफ्रिक के अलावा ओटीटी एप्लीकेशनों ने तीव्र ब्रॉडबैंड गति हेतु बढ़ती मांग तैयार की है, जिसके लिए टीएसपी द्वारा नेटवर्क उन्नयन में बड़े पैमाने पर निवेश किये जाने की आवश्यकता होती है।

विश्वभर में, सरकारों, उद्योग तथा उपभोक्ताओं के बीच ओटीटी सेवाओं तथा नेट–निरपेक्षता के संबंध में वाद–विवाद चल रहा है। इस पृष्ठभूमि में, भादूविप्रा ने दिनांक 27 मार्च, 2015 को ओवर–द–टॉप (ओटीटी) सेवाओं हेतु

विनियामककारी तंत्र के संबंध में परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र में नेट–निरपेक्षता, नेट–निरपेक्षता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तथा ओटीटी (संचार तथा गैर–संचार) विनियम, जैसे सभी मुद्दों को कवर किया गया है।

इस परामर्श पत्र में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें शामिल हैं:–

(क) विनियम के लिये अनिवार्य नीतिगत तथा विनियामककारी परिवेश;

(ख) टीएसपी की तुलना में ओटीटी सेवा प्रदाता हेतु मौजूदा नीतिगत विधान;

(ग) संचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाले ओटीटी सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएं;

(घ) उपभोक्ताओं की सुरक्षा, संरक्षा तथा निजता से संबंधित मुद्दे;

(ड.) नेट–निरपेक्षता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले मुद्दे;

(च) नेटवर्क से जुड़े भेदभाव तथा नेटवर्क पर भीड़–भाड़ प्रबंधन पद्धतियां;

(छ) सेवाओं में मूल्येत्तर संबंधी भेदभाव तथा उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना;

(ज) डेटा एक्सेस हेतु विभेदककारी मूल्यनिर्धारण सहित मूल्य संबंधी मुद्दे।

प्रसारण और केबल टेलीविजन सेक्टर

परामर्श पत्र की सूची

1. डीटीएच सेवाओं में उपभोक्ता परिसर उपस्कर की वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनता हेतु रूपरेखा विहित करने के लिए मसौदा टैरिफ आदेश संबंधी दिनांक 27 फरवरी, 2015 का परामर्श पत्र

परामर्श पत्र

➢ **डीटीएच सेवाओं में उपभोक्ता परिसर उपस्कर की वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनता हेतु रूपरेखा विहित करने के लिए मसौदा टैरिफ आदेश संबंधी दिनांक 27 फरवरी, 2015 का परामर्श पत्र**

2.10.6 डायरेक्ट–टु–होम (डीटीएच) ऑपरेटरों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को भवन उपस्कर की वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनता हेतु रूपरेखा विहित करने के लिए मसौदा टैरिफ आदेश दिनांक 27 फरवरी, 2015 को जारी किया गया, जिसके माध्यम से हितधारकों की टिप्पणियां/दृष्टिकोण आमंत्रित की गईं थी। यदि उपभोक्ता, एक ऑपरेटर/प्लेटफार्म से दूसरे ऑपरेटर/प्लेटफार्म में जाना चाहते हैं तो वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनता, उपभोक्ताओं को एक व्यवहारिक निकास विकल्प उपलब्ध कराता है। मसौदा टैफिक आदेश के माध्यम से उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं के हितों के बीच एक संतुलन बिठाया जाना था और साथ ही सीपीई के कारण ई–अपशिष्ट के बढ़ते ढेर को रोकना था। मसौदा टैफिक आदेश निम्नलिखित पहलुओं को कवर करता है :–

- डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा सभी प्रकार के सीपीई के मूल्य, उनकी संस्थापना तथा सक्रियण प्रभार तथा लागू करों की घोषणा करना।
- डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा स्टैण्डॉलोन आधार पर सभी प्रकार सीपीई हेतु मानक योजना को विनिर्दिष्ट करते हुए पृथक रूप से सीपीई के मूल्य, कर तथा अन्य प्रभारों आदि को विनिर्दिष्ट करते हुए अनिवार्य पेशकश करना।
- अन्य योजनाओं की पेशकश करने के लिए डीटीएच ऑपरेटरों को छूट प्रदान करना।
- डीटीएच ऑपरेटरों को नए तथा मरम्मत किए गये सीपीई की पेशकश करने की छूट प्रदान करना।

- सीपीई हेतु बंडल की गई योजनाओं सहित सभी पेशकश की गई सभी योजनाओं में वापसी—खरीद/रिफंड विकल्प का उपबंध करना;
- सीपीई हेतु मानक तथा अन्य योजनाओं हेतु वापसी—खरीद/रिफंड हेतु प्रणाली;
- यदि उपभोक्ता, एक ऑपरेटर को छोड़कर दूसरे ऑपरेटर के पास जाना चाहे तो सीपीई हेतु पेशकश की गई योजनाओं में रिफंड के प्रयोजनार्थ लॉक—इन अवधि का उपबंध;
- पेशकश किए गये सीपीई के सभी प्रकार के लिए वापसी—खरीद/रिफंड विकल्प की अनुप्रयोजनीयता;
- वापस किये गये पीसीई को पुनः उपयोग में लाने के संबंध में डीटीएच ऑपरेटरों को विकल्प देना;
- कनेक्शन को छोड़ने के लिए अनुरोध के पंजीकरण हेतु प्रणाली;
- उपभोक्ताओं के रिफंड/वापसी—खरीद के निपटारे हेतु समय—सीमा का निर्धारण।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण तथा प्रचालन की समीक्षा

2.11 भादूविप्रा के कार्यकरण तथा प्रचालन की नीतिगत ढांचे के विशिष्ट संदर्भ में समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में, निम्नवत पैरा में की गई हैः (क) ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क; (ख) दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार; (ग) मूलभूत तथा मूल्यवर्धित सेवा में निजी क्षेत्र का प्रवेश; (घ) तकनीकी अनुकूलता तथा सेवा प्रदाताओं के साथ प्रभावी अंतःसंयोजन; (ड.) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन; (छ) सेवा की गुणवत्ता; और (ज) वैश्विक सेवा बाध्यता को नीचे स्पष्ट किया गया हैः—

(क) ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क

2.11.1 कुल ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2014 को 377.73 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2015 को 419.31 मिलियन हो गई। निष्पादन सूचक रिपोर्ट के अनुसार अब 42.08 प्रतिशत कुल उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में है।

ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार घट रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण वायरलाइन आधार दिनांक 31 मार्च, 2014 के अंत में 5.96 मिलियन के मुकाबले दिनांक 31 मार्च, 2015 को 5.12 मिलियन रहा। जबकि, इसी अवधि के दौरान ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ता आधार में वृद्धि दर्ज की गई। वायरलेस ग्रामीण बाजार दिनांक 31 मार्च, 2014 के 371. 78 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2015 को 414.18 मिलियन हो गया। अब, कुल वायरलेस उपभोक्ताओं का 42.70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है।

(ख) दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार

2.11.2 दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, कुल वायरलाइन उपभोक्ता आधार 26.59 मिलियन था। बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के उपभोक्ता आधार में क्रमशः 61.71 प्रतिशत तथा 13.36 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि सभी छह निजी क्षेत्र के ऑपरेटरों की समेकित हिस्सेदारी 24.93 प्रति है। निजी क्षेत्र के ऑपरेटरों की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 22.07 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2015 को 24.93 प्रतिशत हो गई।

वायरलेस उपभोक्ता आधार दिनांक 31 मार्च, 2015 के 904.51 मिलियन के मुकाबले 31 मार्च, 2015 को 969.89 रहा। वित्तीय वर्ष 2014—15 में उपभोक्ता आधार 65.38 मिलियन बढ़ गया। वायरलेस सेवाओं का कुल उपभोक्ता

आधार मार्च, 2010 में 584.32 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2015 में 969.89 मिलियन हो गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत तक 969.89 मिलियन उपभोक्ताओं में से 917.73 मिलियन (94.62 प्रतिशत) जीसीएम उपभोक्ता थे तथा 52.16 मिलियन (5.38 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे।

जीएसएम के वायरलेस क्षेत्र में उपभोक्ता आधार मार्च, 2014 के अंत में 847.41 मिलियन की तुलना में मार्च, 2015 के अंत में 917.75 मिलियन रहा। वर्ष के दौरान जीएसएम उपभोक्ता आधार लगभग 70.32 मिलियन बढ़ गया।

जीएसएम सेवाओं के उपभोक्ता आधार तथा बाजार हिस्सेदारी के संदर्भ में मैसर्स भारती, 226.02 मिलियन उपभोक्ता आधार के साथ सबसे बड़ा जीएसएम सेवा प्रदाता रहा जिसके बाद मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया और मैसर्स रिलायन्स का उपभोक्ता आधार क्रमशः 183.80, 157.81 तथा 82.43 मिलियन रहा।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, सीडीएमए उपभोक्ता आधार 52.16 मिलियन रहा। उपभोक्ता आधार तथा बाजार हिस्सेदारी के संदर्भ में 27.04 मिलियन उपभोक्ता आधार के साथ मैसर्स रिलायन्स सबसे बड़ा सीडीएम ऑपरेटर रहा, जिसके बाद मैसर्स टाटा तथा मैसर्स सिस्टेमा क्रमशः 14.18 मिलियन तथा 8.86 मिलियन उपभोक्ताओं की संख्या के साथ सबसे बड़े सीडीएमए ऑपरेटर रहे।

(ग) मूलभूत तथा मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

2.11.3 वर्तमान में, देश में कुल 167 एक्सेस सेवा लाइसेंसधारी हैं, जो मूलभूत तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान कर रहे हैं। लाइसेंसवार ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

लाइसेंस/प्राधिकार का नाम	प्रदान किए गए लाइसेन्सों की संख्या
यूएल	6
यूएल(एएस)	6
यूएएसएल	118
सीएमटीएस	37
कुल	**167**

(घ) तकनीकी व्यावहार्यता तथा सेवा प्रदाताओं के साथ प्रभावी अंतःसंयोजन

2.11.4 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के तहत, भादूविप्रा अंतःसंयोजन की निबंधन व शर्तों को निर्धारित करने और सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता तथा प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित है। बहु–प्रचालक परिवेश में दूरसंचार व्यापार मूलरूप से अंतःसंयोजन पर आधारित है। अंतःसंयोजन की निबंधन और शर्तों को विनियमित करने की आवश्यकता है ताकि सेवा प्रदाताओं को समान अवसर प्रदान किया जा सके। तदनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भादूविप्रा द्वारा निम्नलिखित अंतःसंयोजन प्रभार विहित किए गए :–

(i) दिनांक 19 अगस्त, 2014 का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवा (एक्सेस प्रभार) विनियम, 2014

भादूविप्रा ने एक्सेस सेवा प्रदाता के उपभोक्ता द्वारा आईएलडीओ के कॉलिग कार्ड सेवा का लाभ प्राप्त करने पर अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर (आईएलडीओ) द्वारा एक्सेस सेवा प्रदाता को भुगतान किये जाने वाले एक्सेस प्रभार विहित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवा के संबंध में विनियम जारी किए थे। इन विनियमों के अनुसार, वायरलेस सेवाओं के

लिए आईएलडीओ द्वारा एक्सेस सेवा प्रदाता को 40 पैसा प्रति मिनट तथा वायरलाइन सेवा के लिए 1.20 रुपए प्रति मिनट के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इन विनियमों से कॉलिंग कार्ड को आरंभ किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता के पास अपने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर का चयन करने का विकल्प होगा, जिससे आईएसडी कॉल टैफिक में और कमी होगी।

(ii) दिनांक 23 फरवरी, 2015 का दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015

भादूविप्रा ने आईयूसी विनियमों में संशोधन कर, संशोधित घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनेशन प्रभार विहित किए। इन विनियमों की मुख्य विशेषताएं हैं:—

(i) वायरलेस नेटवर्क में आरंभ होने तथा समाप्त होने वाली कॉलों के लिए मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार (एमटीसी) को 20 पैसे प्रति मिनट से कम करके, 14 पैसा प्रति मिनट कर दी गई है।

(ii) वायरलाइन से आरंभ होने वाली कालों के लिए एमटीसी को शून्य, साथ ही वायरलाइन नेटवर्क अथवा वायरलेस नेटवर्क से आरंभ होने वाली कॉलों के लिए एफटीसी को भी शून्य कर दिया गया है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय इनकंमिग कॉलों के लिए टर्मिनेशन प्रभार को मौजूदा 40 पैसे प्रति मिनट से बढ़ाकर 53 पैसा प्रति मिनट कर दिया गया है।

(iii) दिनांक 24 फरवरी, 2015 का दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (बारहवां संशोधन) विनियम, 2015

इन संशोधनों के माध्यम से, भादूविप्रा ने घरेलू कैरिज प्रभार के प्रभारों की अधिकतम राशि को मौजूदा 0.65 रुपया (65 पैसा) प्रति मिनट से कम करके 0.35 रुपया (35 पैसा) प्रति मिनट कर दिया गया।

(ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी

(i) दूरसंचार क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

भादूविप्रा ने दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की 'हरित दूरसंचार की दिशा में कार्य आरंभ करने' संबंधी अपनी सिफारिशों के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश की है। भादूविप्रा की सिफारिशों के आधार पर, दूरसंचार विभाग ने जनवरी, 2012 में सभी एनएलडी/आईएलडी/आईएसपी/सीएमटीएस/यूएएसएल/बीएसएनएल तथा एमटीएनएल सहित मूलभूत लाइसेंसधारियों को निदेश जारी किये। निदेशों के पश्चात्, दूरसंचार विभाग ने आगे दिनांक 18 सितम्बर, 2012 तथा 19 नवम्बर, 2012 के स्पष्टीकरण जारी किए।

- दूरसंचार विभाग के निदेशों के अनुसार सभी सेवा प्रदाताओं को वर्ष में दो बार भादूविप्रा द्वारा विहित प्ररूप में उनके नेटवर्क प्रचालनों के कार्बन फुटप्रिंट के ब्यौरे के संबंध में घोषणा करनी होगी।
- दूरसंचार विभाग के निदेशों के अनुसार ऊर्जा कार्यक्षम नेटवर्क आयोजना, ऊर्जा कार्यक्षम प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर अवसंरचना सहभागिता तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी (आरईटी) को अंगीकार करते हुए, सेवा प्रदाताओं को उनके संघ के माध्यम से आपसी सहमति से स्वैच्छिक पद्धति संहिता तैयार करने के लिए अधिदेशित किया गया है कि स्वैच्छिक पद्धति संहिता भादूविप्रा को प्रस्तुत की जाए।
- तदनुसार, भादूविप्रा ने स्पष्टीकरण हेतु विभिन्न बैठकें आयोजित की तथा सेवा प्रदाताओं को पत्र तथा अनुस्मारक जारी किए ताकि दूरसंचार विभाग के निदेशों के संबंध में अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करवाया जा सके।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (एक्सेस एसपी, एनएलडी/आईएलडी तथा आईएसपी) ने आधार

वर्ष अर्थात् 2011–12 और उसके पश्चात् समय से कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

- दूरसंचार विभाग के निदेशानुसार, भादूविप्रा को दूरसंचार संघ से स्वैच्छिक पद्धति संहिता प्राप्त हो चुकी है।
- वर्ष 2014–15 के दौरान, एच2 (2013–14) तथा एच1 (2014–15) के लिए एनएलडी/आईएलडी/आईएसपी तथा एक्सेस सेवा प्रदाताओं की कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्ट, भादूविप्रा में प्राप्त हो चुकी है।

(ii) अगली जनरेशन (पीढ़ी) के नेटवर्क (एनजीएन)

वर्तमान में, नेटवर्क वस्तुतः पृथक हैं तथा निर्धारित सेवाएं, मोबाइल सेवाएं तथा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अगली पीढ़ी के नेटवर्कों में अलग–अलग स्वरूप के ट्रैफिक (वॉयस, वीडियो तथा डेटा आदि) को एक नेटवर्क में जोड़ने की क्षमता है। यह अनिवार्यतः एक प्रबंधित आईपी आधारित (अर्थात् पैकेट–स्विच्ड) नेटवर्क है, जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं को सहायता प्रदान करता है। पूर्व में, भादूविप्रा ने अगली पीढ़ी के नेटवर्कों (एनजीएन) पर उपयुक्त पुलिस तथा विनियामककारी तंत्र को संस्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की थी। परामर्शदात्री कार्य के क्षेत्राधिकार में एनजीएन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया जाना, मसौदा परामर्श पत्र तैयार किया जाना, उद्योग हेतु एनजीएन संबंधी कार्यशाला आयोजित करना, मूल्यांकन उपरांत के कार्य हेतु भादूविप्रा को सहायता प्रदान करना शामिल है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, परामर्शदाताओं से प्राप्त जानकारी तथा भादूविप्रा के स्वयं के विश्लेषण के आधार पर ''आईपी आधारित नेटवर्कों में अंतरण'' पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा द्वारा 30 जून, 2014 को जारी किया ताकि सभी संगत मुद्दों पर हितधारकों को एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। हितधारकों की टिप्पणियां तथा प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात, दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई। जन–परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों का भादूविप्रा में विश्लेषण किया जा रहा है।

(iii) ओवर–द–टॉप सेवाओं हेतु विनियामककारी तंत्र

फिक्स तथा मोबाइल टेलीफोनी की पेशकश करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को वर्तमान में ऑनलाइन विषयवस्तु से लाभ पहुंच रहा है, जिसे ओवर–द–टॉप (ओटीटी) एप्लीकेशन तथा सेवाओं के नाम से जाना जाता है। ओवर–द–टॉप (ओटीटी) शब्दों का अभिप्राय ऐसी एप्लीकेशन तथा सेवाओं से हैं, जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं तथा इंटरनेट एक्सेस सेवाओं तथा सोशल नेटवर्क सर्च इंजन, अमेचर वीडियो को संग्रहित करने वाली सॉइट आदि की पेशकश करने वाले ऑपरेटर के नेटवर्क पर चलाई जा सकती हैं। ओटीटी प्रदाता, अपने उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए टीएसपी की अवसंरचना का उपयोग करते हैं तथा उत्पाद/सेवाओं की पेशकश करते हैं जिससे वे न केवल धन अर्जन करते हैं बल्कि टीएसपी द्वारा पेशकश की जाने वाली पारम्परिक सेवाओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। टीएसपी के अलावा, यह एप्लीकेशन स्थावर प्रतिस्पर्धियों यथा ई–कामर्स साईटों, बैंक आदि से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। आज, उपयोगकर्ता अनेक इंटरनेट से जुड़े उपभोक्ता उपकरणों का उपयोग कर किसी भी स्थान, किसी भी समय पर इन एप्लीकेशन तक ऑनलाइन पहुंच बना सकते हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान, भादूविप्रा ने दिनांक 27 मार्च, 2015 को ओवर–द–टॉप (ओटीटी) सेवाओं हेतु विनियामककारी तंत्र के संबंध में

परामर्श पत्र जारी किया ताकि सभी संगत मुद्दों पर व्यापक परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों को शामिल किया जा सके। इस परामर्श पत्र में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें शामिल हैं:–

(क) विनियम के लिये अनिवार्य नीतिगत तथा विनियामककारी परिवेश

(ख) टीएसपी की तुलना में ओटीटी सेवा प्रदाता हेतु मौजूदा नीतिगत विधान

(ग) संचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाले ओटीटी सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएं

(घ) उपभोक्ताओं की सुरक्षा, संरक्षा तथा निजता से संबंधित मुद्दे

(ड.) नेट–निरपेक्षता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले मुद्दे

(च) नेटवर्क से जुड़े भेदभाव तथा नेटवर्क पर भीड़–भाड़ प्रबंधन पद्धतियां

(छ) सेवाओं में मूल्येत्तर संबंधी भेदभाव तथा उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना

(ज) डेटा एक्सेस हेतु विभेदककारी मूल्यनिर्धारण सहित मूल्य संबंधी मुद्दे

(iv) मोबाइल टावरों तथा हैंडसेट से विद्युत चुबंकीय क्षेत्र विकिरण के प्रभाव के संबंध में सूचना पत्र

दूरसंचार टावरों से निकलने वाले ईएमएफ विकिरण के लगातार प्रभाव में आने के संबंध में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक तापीय तथा गैर–तापीय प्रभाव पैदा करते हैं। ईएमएफ पर जानकारी पत्र में इस संबंध में संदेहों को दूर करने तथा सभी हितधारकों को ईएमएफ विकिरण के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा विहित मानदण्डों सहित मोबाइल टावरों तथा मोबाइल हैंडसेट से निकलने वाले विकिरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करता है।

(v) प्रौद्योगिकी सार–संग्रह का प्रकाशन

नई प्रौद्योगिकी का सतत् रूप से विकास किया जा रहा है तथा इसका उपयोग दूरसंचार नेटवर्क का निर्माण करने वाली तकनीकी प्रणालियों में किया जाता है। तथापि, अधिकांश दूरसंचार पेशेवरों के लिये दूरसंचार प्रौद्योगिकी में नए विकास के साथ तालमेल रख पाना मुश्किल होता है। नई प्रौद्योगिकी के रूझानों की पहचान करने तथा उन्हें उद्योग जगत के साथ साझा करने के लिए भादूविप्रा "प्रौद्योगिकी सार–संग्रह" के नाम से एक प्रौद्योगिकी समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहा है, जिसमें प्रत्येक अंक में एक प्रौद्योगिकी पहलू पर विचार दिया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान 'लॉट्स ऑफ डेटा' और 'डीओसीएसआईएस' विषय पर प्रौद्योगिकी सार संग्रह जारी किया गया।

(vi) एमआईएस परियोजना

वर्ष 2014–15 के दौरान, एमआईएस पोर्टल आरंभ किया गया है। सेवा प्रदाताओं ने इस पोर्टल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया है। यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में विभिन्न रिपोर्टों को संग्रहित करने में मदद करेगा तथा आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सभी प्रकार की रिपोर्ट तथा डैशबोर्ड का सृजन करने में मदद करेगा। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है।

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) का कार्यान्वयन

2.11.6 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में 'एक राष्ट्र पूर्ण–मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी' (एफएमएनपी) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप, भादूविप्रा ने

परामर्श प्रक्रिया तथा उसमें अंतर्विष्ट विभिन्न मुद्दों की जांच करने के पश्चात् सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों पर एफएमएनपी संबंधी अपनी सिफारिशों को दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को अग्रेषित किया। भादूविप्रा ने एमएनपी सेवा प्रदाताओं तथा मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लाइसेंसों में संशोधन की सिफारिश की।

तदनुसार, दिनांक 3 नवम्बर, 2014 को दूरसंचार विभाग ने एमएनपी लाइसेंस करार में संशोधन जारी किए। दूरसंचार विभाग के अनुसार, लाइसेंसों में संशोधन की तिथि अर्थात् 03 मई, 2014 से छह माह की अवधि के भीतर देशभर में पूर्ण एनएनपी लागू की जाएगी।

तदनुसार, भादूविप्रा ने 25 फरवरी, 2015 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में छठा संशोधन जारी किया, जो 03 मई, 2015 से देशभर में पूर्ण एमएनपी (संपूर्ण देश में पोर्टिबिलिटी) की सुविधा प्रदान करेगा। इस संशोधन के माध्यम से संपूर्ण भारत में पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ–साथ पोर्टिंग प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं।

(छ) सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)

2.11.7 भादूविप्रा ने निम्न संशोधन के माध्यम से विभिन्न सेवा गुणवत्ता मानदण्डों के लिए बैंचमार्क निर्धारित किए हैं:–

(क) बुनियादी टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन की सेवा गुणवत्ता संबंधी सेवा विनियम, 2009

(ख) ब्रॉडबैंड सेवा के सेवा गुणवत्ता विनियम, 2006

(ग) वायरलेस डेटा सेवा हेतु सेवा गुणवत्ता विनियम, 2012

सेवा प्रदाताओं की सेवा गुणवत्ता निष्पादन का मूल्यांकन, बैंचमार्कों के समक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। अनुपालन रिपोर्टों को तिमाही आधार पर जमा किया जाता है। सेवा गुणवत्ता बैचमार्कों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को जारी द्वितीय संशोधन विनियम के माध्यम से वित्तीय हतोत्साहन की प्रणाली आरंभ की है। यह विनियम बैंचमार्कों का अनुपालन नहीं किये जाने, अनुपालन रिपोर्टें जमा करने में विलम्ब करने तथा गलत जानकारी देन पर, वित्तीय हतोत्साहन का उपबंध करते हैं। तथापि, नेटवर्क मानदण्डों के लिए सेल्युलर मोबाइल सेवा के मामले में द्वितीय तथा उसके बाद अनुपालन नहीं किए जाने के मामले में वित्तीय हतोत्साहन 1,00,000 रुपए प्रति मानदण्ड है। गलत जानकारी दिए जाने के मामले में वित्तीय हतोत्साहन प्रति मानदण्ड 10,00,000/– रुपए प्रति मानदण्ड है।

भादूविप्रा स्वतंत्र एजेन्सियों के माध्यम से सेवा गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा मूल्यांकन भी करता है। लेखापरीक्षा कार्य, जोन के आधार पर मैसर्स सीएस डाटामेशन (दक्षिणी अंचल), मैसर्स टीयूवी साउथ एशिया (उत्तर तथा पश्चिमी अंचल) तथा मैसर्स आईएमआरबी (पूर्वी अंचल) को दिया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान, लेखापरीक्षा एजेंसियों द्वारा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया तथा उन्हें सभी हितधारकों की जानकारी के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर जारी किया गया। भादूविप्रा, सर्वेक्षणों तथा सर्वेक्षण रिपोर्टों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण का स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा आंकलन करवाता है। साथ ही, इसे सभी हितधारकों की जानकारी के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर भी जारी करता है। **विस्तृत सर्वेक्षण भाग–2 में दिए गए हैं।**

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्टों और साथ ही भादूविप्रा द्वारा जिन

लेखापरीक्षा एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं, उनकी रिपोर्टों के आधार पर प्रत्येक तिमाही सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। जहां कहीं भी सेवा प्रदाताओं की आवधिक रिपोर्टों, स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से लेखापरीक्षा तथा सेवा गुणवत्ता के मूल्यांकन की सूक्ष्म निगरानी के माध्यम से सेवा गुणवत्ता बैंचमार्कों को प्राप्त करने में कमियां पाई जाती हैं, भादूविप्रा, विभिन्न मानदण्डों हेतु बैंचमार्कों को प्राप्त करने में ऐसी कमियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ इन्हें उठाता रहा है। इस संबंध में, भादूविप्रा द्वारा समय–समय पर सेवा प्रदाताओं के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं। यह बैठकें तथा सेवा प्रदाताओं के साथ कृत कार्रवाई, सेवा गुणवत्ता में सुधार करने के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। इसके अलावा, अनुपालन रिपोर्टों के आधार पर जहां कहीं भी ऐसा पाया जाता है कि बैंचमार्कों के अनुपालन नहीं किया गया है, उस स्थिति में सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है तथा सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, सेवा में सुधार करने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, वित्तीय हतोत्साहन लगाये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान क्यूओएस विनियमों के उल्लंघन के कारण वित्तीय हतोत्साहन के रूप में 4.15 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा निष्पादन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी प्रकाशित करता है तथा स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा की गई लेखापरीक्षा, सेवा गुणवत्ता संबंधी आकंलन तथा सेवा के बारे में उपभोक्ता के दृष्टिकोण के संबंध में किये गये सर्वेक्षण के परिणाम को हितधारकों की जानकारी के लिये वेबसाइट के माध्यम से प्रदान करता है। सेवा की गुणवत्ता संबंधी जानकारी को प्रकाशित करने से सेवा प्रदाता सेवा की गुणवत्ता संबंधी निष्पादन में सुधार करने साथ ही बैंचमार्क का अनुपालन करने में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु बाध्य होते हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान, भादूविप्रा ने हितधारकों के दृष्टिकोण प्राप्त करने हेतु सेवा गुणवत्ता के संबंध में निम्न परामर्श पत्र/मसौदा विनियम जारी किए:–

(i) दिनांक 21 अप्रैल, 2014 का वायरलेस डेटा सेवाओं हेतु गुणवत्ता के मानदण्डों में संशोधन संबंधी विनियम, 2012 पर परामर्श पत्र।

(ii) दिनांक 21 मई, 2014 का बुनियादी टेलीफोन सेवाओं (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदण्डों की समीक्षा पर परामर्श पत्र।

(iii) दिनांक 28 जनवरी, 2015 का बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (चौथा संशोधन) की सेवा गुणवत्ता संबंधी मानदण्ड मसौदा विनियम, 2014''।

भादूविप्रा ने सेवा गुणवत्ता के संबंध में वर्ष 2014–15 में निम्न विनियम जारी किए:–

(i) दिनांक 07 अप्रैल, 2014 का दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (पन्द्रहवां संशोधन) विनियम, 2014.

(ii) दिनांक 25 जून, 2014 का ब्रॉडबैंड सेवा (द्वितीय संशोधन) की सेवा गुणवत्ता संबंधी विनियम, 2014.

(iii) दिनांक 01 जुलाई, 2014 का दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014.

(iv) दिनांक 24 जुलाई, 2014 का वायरलेस डेटा सेवाओं हेतु सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदण्ड (संशोधन) विनियम, 2014.

(v) दिनांक 21 अगस्त, 2014 का बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानदण्ड (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014.

(vi) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को जारी किया गया दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014.

उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

वर्ष 2014–15 के दौरान, भादूविप्रा द्वारा देश के विभिन्न भागों में कुल 96 उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए गए। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सीओपी आयोजित की गई। इसके अलावा, भादूविप्रा द्वारा देश के विभिन्न भागों में सीएजी के क्षमता निर्माण पर पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं तथा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से आयोजित उपभोक्ता सपंर्क कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	राज्य	स्थान	दिनांक
1	असम	गुवाहाटी	10.04.14
2		डिब्रूगढ़	15.12.14
3	आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना	राजमुंदरी	29.05.14
4		महबूबनगर	30.06.14
5		गुंटूर	31.07.14
6		कुरनूल	23.08.14
7		निजामाबाद	28.08.14
8		करीमनगर	28.11.14
9		सांगारेड्डी	13.03.15
10	बिहार	पटना	15.07.14
11		मुज्जफरपुर	27.02.15
12	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	08.08.14
13		चण्डीगढ़(बीएण्डसीएस)	16.01.15
14	छत्तीसगढ़	जगदालपुर	26.11.14
15		रायपुर	21.11.14
16		रायगढ़	11.03.15
17	दिल्ली	दिल्ली	27.03.15
18	गुजरात	मेहसाणा	16.04.14
19		जामनगर	12.08.14
20		पालनपुर	16.10.14
21		सूरत	26.09.14
22		भुज	16.12.14
23	हरियाणा	फरीदाबाद	15.5.14
24		सिरसा	08.05.14
25		गुड़गांव	28.06.14
26		यमुनानगर	24.07.14
27	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	21.05.14
28		सोलन	10.07.14
29		मण्डी	12.11.14
30	जम्मू व कश्मीर	जम्मू	12.03.15
31	झारखण्ड	रांची	20.08.14
32		जमशेदपुर	25.11.14
33		धनबाद	19.02.15
34		बोकारो	26.03.15
35	कर्नाटक	दावेनगेरे	30.04.14
36		शिमोगा	12.06.14
37		बेल्लारी	24.07.14
38		बीजापुर	13.11.14
39		हासन	11.12.14
40		बंगलोर	30.03.15
41	केरल	थोड्डूपुज्जा	26.06.14
42		कासरगोड़	06.08.14
43		पाथानामिथ्था	20.11.14
44		कोचीन(बीएण्डसीएस)	20.02.15
45	लक्षद्वीप	करावत्ती	18.02.15
46	मध्य प्रदेश	मंदसौर	11.07.14
47		रीवा	12.08.14

क्र.सं.	राज्य	स्थान	दिनांक
48		गुना	26.08.14
49		शाहजांहपुर	16.09.14
50		रतलाम	20.11.14
51		शहडोल	10.12.14
52	महाराष्ट्र	पुणे	29.05.14
53		सतारा	18.09.14
54		कोल्हापुर	30.10.14
55		थाणे	18.12.14
56		नागपुर	22.01.15
57		अमरावती	12.02.15
58	मेघालय	शिलांग	26.05.14
59	मिजोरम	आईजौल	28.08.14
60	ओड़ीशा	भुवनेश्वर	26.09.14
61		धेनाकानाल	25.02.15
62		बलेश्वर	27.02.15
63	पुदुचेरी	यनाम	03.12.14
64		काराईकल	29.12.14
65		पुदुचेरी	19.02.15
66	पंजाब	लुधियाना	12.06.14
67		पटियाला	10.09.14
68		जालंधर	29.10.14
69	राजस्थान	नागौर	21.01.15
70		भरतपुर	29.01.15
71		सवाईमाधोपुर	12.02.15
72	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	29.04.14
73		वेल्लोर	24.06.14
74		कोडईकनाल	30.03.15
75		डिंडीगुल	31.03.15
76	त्रिपुरा	अगरतला	08.11.14
77	उत्तर प्रदेश	झांसी	23.05.14
78		आगरा	27.05.14

क्र.सं.	राज्य	स्थान	दिनांक
79		नोएडा	09.06.14
80		कानपुर	06.06.14
81		मथुरा	25.06.14
82		लखनऊ	18.07.14
83		गाजियाबाद	26.07.14
84		मेरठ	13.09.14
85		आगरा	31.10.14
86		इलाहाबाद	18.12.14
87		फैजाबाद	02.02.15
88		मुरादाबाद	24.03.15
89	उत्तरांखण्ड	देहरादून	19.12.14
90		अलमोड़ा	23.02.15
91	पश्चिम बंगाल	माल्दा	30.04.14
92		साल्ट लेक	30.06.14
93		बराईपुर	24.06.14
94		मुरर्शिदाबाद	10.09.14
95		तामलुक	17.10.14
96		नाडिया	28.01.15

सीएजी की क्षमता निर्माण के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	डब्ल्यूएस/सीपीई का स्थान	दिनांक
1.	शिलांग	26.05.14
2.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	18.07.14
3.	सूरत गुजरात)	26.09.14
4.	रायपुर (छत्तीसगढ़)	21.11.14
5.	पुदुचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	20.02.15

(ज) वैश्विक सेवा बाध्यता (यूएसओ)

2.11.8 भादूविप्रा ने दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से पूर्व संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों हेतु सहायता के संबंध में दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिशों में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से पूर्व संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों को जारी रखने के लिए मैसर्स बीएसएनएल को दो वर्ष के लिए सहायता जारी रखी जाए। प्रथम वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपए तथा द्वितीय वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए।

(झ) अन्य क्रियाकलाप

एमआईएस परियोजना

वर्ष 2014—15 के दौरान, एमआईएस पोर्टल आरंभ किया गया है। सेवा प्रदाताओं ने इस पोर्टल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया है। यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में विभिन्न रिपोर्टों को संग्रहित करने में मदद करेगा तथा आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सभी प्रकार की रिपोर्ट तथा डैशबोर्ड का सृजन करने में मदद करेगा। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं के लिए विवरण पुस्तिका

वर्ष 2014—15 के दौरान, भादूविप्रा ने उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रमों के दौरान उपभोक्ताओं को बांटने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में दूरसंचार पर उपभोक्ता नियम पुस्तिका की 70,000 प्रतियों का प्रकाशन कार्य आरंभ किया, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 30,000 प्रतियां प्रकाशित कर, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों में वितरित करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी गई हैं।

न्यूज लैटर

भादूविप्रा द्वारा महत्वपूर्ण क्रियाकलापों/पहल तथा दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में अन्य घटनाक्रमों को एक साथ संकलित कर, सभी सीएजी के बीच इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मासिक समाचार पत्र के रूप में परिचालित किया गया।

उपभोक्ता जागरूकता

भादूविप्रा ने टावर स्थापना के संबंध में धोखाधडी किए जाने के लिए जनसाधारण को जागरूक करने के लिए देशभर में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए। भादूविप्रा ने देशभर में एफएम रेडियो चैनलों के माध्यम से मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) तथा अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी) के बारे में रेडियो पर गान तैयार कर प्रसारित किए।

क्रियाकलापों पर रिपोर्ट

01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक भादूविप्रा के क्रियाकलापों के संबंध में रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई ताकि हितधारकों को भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार तथा प्रसारण क्षेत्र के विकास के लिए की गई पहल साथ ही उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये किए गए उपायों को उनके समक्ष मोटे तौर पर रखकर उनकी बेहतर समझ विकसित की जा सके।

आईटीयू—भादूविप्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्मार्ट सिटी के प्रार्दुभाव में आईसीटी के महत्व को समझते हुए, एशिया—प्रशांत क्षेत्र हेतु ''स्मार्ट और धारणीय शहरों हेतु आईसीटी के उपयोग'' पर एक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) की संयुक्त पहल के माध्यम से 24 से 26 मार्च, 2015 को नई दिल्ली में एक

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पांच आईटीयू विशेषज्ञों के अलावा मलेशिया, साउथ कोरिया, चीन, हॉगकॉग नेपाल, मंगोलिया तथा अफगानिस्तान तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात् आईटीयू, डब्ल्यूएचओ से 18 अंतर्राष्ट्रीय भागीदार शामिल हुए। देश से विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों, दूरसंचार विभाग (डीओटी), दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) तथा उनके संघ से भागीदार इसमें शामिल हुए। आईटीयू के एशिया प्रशांत क्षेत्र कार्यालय ने इस विषय पर विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ/वक्ताओं को अपने अनुभव साझा करने के लिये आमंत्रित किया। भादूविप्रा, भारत सरकार तथा उद्योग जगत से अनेक विशेषज्ञों/प्रख्यात वक्ताओं ने भी एसएससी से संबंधित अनेक मुद्दों पर अपने अनुभव साझा किए।

भादूविप्रा–आईटीयू परिचर्चा

24 से 26 मार्च, 2015 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रम में भादूविप्रा–आईटीयू ने दिनांक 27 मार्च, 2015 को "भारतीय स्मार्ट सिटी में आईसीटी विनियामककारी चुनौतियां" विषय पर एक दिवसीय परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा का एजेन्डा 'भारतीय स्मार्ट शहर विषय में की गई पहल' रहा तथा हितधारकों द्वारा समाना किये जा रहे मुद्दों/चुनौतियों की चर्चा की गई। परिचर्चा में, भारत में प्रस्तावित स्मार्ट शहरों में आईसीटी विनियामककारी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

प्रसारण तथा केबल सेवाओं के संबंध में क्रियाकलाप

(क) भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित विनियामककारी तंत्र के अनुपालन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में केवल टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एमएसओ के हैड–एण्ड का भादूविप्रा तथा बीईसीआईएल (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया।

(ख) डीएएस के कार्यान्यन के पहलू पर, दिनांक 19 और 20 जनवरी, 2015 को भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(ञ) अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2.10.10 द्विपीक्षीय बैठकें

(i) श्री सुमन प्रसाद शर्मा, सचिव, सूचना एवं संचार मंत्रालय, नेपाल के नेतृत्व में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए) से एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 18 जून, 2014 को द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए भादूविप्रा का दौरा किया।

(ii) इंजीनियर, यूएसए, मॉस्का, कार्यकारी आयुक्त, नाईजीरिया की अगुवाई में नाईजिरियन संचार आयोग से एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 25 अगस्त, 2014 को भादूविप्रा के सचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकरण का दौरा किया।

(iii) बांग्लादेश के श्री मो0 सरवार आलम, बांग्लादेश दूरसंचार विनियामक आयोग ने दिनांक 18 सितम्बर, को भादूविप्रा के सचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकरण का दौरा किया।

(iv) अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों से वरिष्ठ कार्यकारियों के अमेरिकी–भारतीय व्यापार परिषद् (यूएसआईबीसी) प्रतिनिधिमण्डल ने भादूविप्रा के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय में भाग लेने के लिए 20 नवम्बर, 2014 को प्राधिकरण का दौरा किया।

(v) भूटान इन्फोकॉम एण्ड मीडिया अथॉरिटी (बीआईसीएमए) से एक प्रतिनिधिमण्डल ने लेखांकन पृथक्कीकरण तथा स्पेक्ट्रम प्रबंधन तथा आयोजना से जुड़े विषय पर एक 'अटैचमेंट कार्यक्रम' में भाग लेने के लिए दिनांक 19 से 23 जनवरी, 2015 को प्राधिकरण का दौरा किया।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) :

भादूविप्रा ने भूटान इन्फोकॉम एण्ड मीडिया अथारिटी (बीआईसीएमए) भूटान के साथ दिनांक 5 अगस्त, 2014 को भूटान, पारो में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भादूविप्रा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन

भादूविप्रा ने दिनांक 24 से 26 मार्च, 2015 को ''एशिया पेसेफिक हेतु स्मार्ट धारणीय शहरों के लिए आईसीटी का लाभ उठाने'' के विषय पर आईटीयू–भादूविप्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया तथा ''भारतीय स्मार्ट शहरों में आईसीटी विनियामककारी चुनौतियां'' विषय पर दिनांक 27 मार्च, 2015 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में एक भादूविप्रा परिचर्चा आयोजित की गई।

नई दिल्ली में दिनांक 24 से 26 मार्च, 2015 को धारणीय स्मार्ट शहरों के लिए आईसीटी का लाभ उठाने'' के विषय पर आयोजित आईटीयू–भादूविप्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम

नई दिल्ली में दिनांक 27 मार्च, 2015 को ''भारतीय स्मार्ट सिटी में आईसीटी विनियामककारी चुनौतियां'' विषय पर आयोजित भादूविप्रा–आईटीयू परिचर्चा

(बायें से दायें) दिनांक 19 जून, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित खुला मंर्च चर्चा के दौरान विचार–विमर्श करते हुए श्री सुधीर गुप्ता, सचिव, भादूविप्रा, श्री आर.के. ऑर्नल्ड, सदस्य, भादूविप्रा, डॉ0 विजयलक्ष्मी के. गुप्ता, सदस्य, भादूविप्रा एवं श्री संजीव बॉंझल, सलाहकार, भादूविप्रा

(बायें से दायें) दिनांक 19 जून, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित खुला मंर्च चर्चा के दौरान विचार–विमर्श करते हुए श्री सुधीर गुप्ता, सचिव, भादूविप्रा, श्री आर.के. ऑर्नल्ड, सदस्य, भादूविप्रा तथा डॉ0 विजयलक्ष्मी के. गुप्ता, सदस्य, भादूविप्रा

दिनांक 05 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में ओटीटी सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क विषय पर आयोजित सेमिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान मंच पर उपस्थित श्री रॉबर्ट जे. रवि, सलाहकार, भादूविप्रा, श्री सुधीर गुप्ता, सचिव, भादूविप्रा, श्री राहुल खुल्लर, अध्यक्ष, भादूविप्रा, डॉ0 विजयलक्ष्मी के. गुप्ता, सदस्य, भादूविप्रा तथा एवं श्री सुरेश कुमार गुप्ता, प्रधान सलाहकार, भादूविप्रा

भाग-III

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, यथा संशोधित, की धारा 11 में प्रावधान किया गया है कि –

(1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण के निम्न कार्य होंगे–

(क) संस्तुति करना, स्वतः अथवा लाइसेन्सदाता से अनुरोध पर, निम्नलिखित मामलों पर, नामतः :

(i) नए सेवा प्रदाता के प्रवेश हेतु आवश्यकता और समय निर्धारण;

(ii) सेवा प्रदाता को लाइसेन्स के नियम और शर्तें;

(iii) लाइसेन्स के नियम और शर्तों का पालन नहीं करने पर लाइसेन्स निरस्तीकरण;

(iv) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा सुकर बनाने तथा दक्षता के प्रोत्साहन हेतु उपाय करना, ताकि इन सेवाओं का विकास सुसाध्य बनाया जा सके;

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुधार करना;

(vi) नेटवर्क में प्रयुक्त उपस्कर के निरीक्षण के उपरान्त सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर का प्रकार निर्धारित करना;

(vii) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा ऐसे अन्य मामलों हेतु उपाय करना, जो साधारण रूप में दूरसंचार उद्योग से संबद्ध करने योग्य है;

(viii) उपलब्ध स्पेक्ट्रम का दक्षतापूर्ण प्रबंधन;

(ख) निम्नलिखित कार्यदायित्वों का निर्वहन, नामत :

(i) लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2000 लागू होने से पहले स्वीकृत लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन के नियम एवं शर्तें निर्धारित करना;

(iii) तकनीकी समायोजनीयता तथा भिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर अंतःसंयोजन सुनिश्चित करना;

(iv) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से व्युत्पन्न राजस्व में सेवा प्रदाताओं के मध्य उनकी हिस्सेदारी के लिए व्यवस्था विनियमित करना;

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करना ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं का हित संरक्षित किया जा सके;

(vi) भिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लम्बी दूरी के परिपथ उपलब्ध कराने हेतु समय अवधि निर्धारित और सुनिश्चित करना;

(vii) अंतःसंयोजन अनुबंधों तथा ऐसे सभी मामलों का रजिस्टर तैयार करना, जिनका प्रावधान विनियमों में किया गया है;

(viii) खंड (vii) के तहत अनुरक्षित रजिस्टर, जनता के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए, उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान तथा विनियमों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने पर, उपलब्ध रखना;

(ix) सर्वसामान्य सेवा दायित्वों का कारगर अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) शुल्क तथा अन्य प्रभार ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में वसूल करना जैसाकि विनियम में निर्धारित किया गया है;

(घ) ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा इसको सौंपे गए प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य अथवा इस अधिनियम के प्रावधानो के लागू करने हेतु आवश्यक कार्य सम्मिलित हैंः

बशर्तें यह है कि इस उप–धारा के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की संस्तुतियां केन्द्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी।

बशर्तें यह भी है कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को जारी करने हेतु नए लाइसेन्स के संबंध में इस उप–धारा के खंड (क) और उप–खंड (i) एवं (ii) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्राधिकरण की संस्तुतियां मांगेगी तथा प्राधिकरण अपनी संस्तुतियां सरकार द्वारा संस्तुतियां मांगे जाने की तिथि से साठ दिन के भीतर अग्रसरित करेगाः

बशर्तें यह भी है कि प्राधिकरण केन्द्र सरकार से ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जो इस उप–धारा के खंड (क) और उप–खंड (i) एवं (ii) के अधीन संस्तुतियां करने हेतु आवश्यक है तथा कि सरकार ऐसी सूचना उस हेतु अनुरोध की प्राप्ति से सात दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी :

बशर्तें यह भी है कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को लाइसेन्स जारी कर सकती है, यदि द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि अथवा केन्द्र सरकार और प्राधिकरण के बीच परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर कोई संस्तुति प्राप्त नहीं होती है :

बशर्तें यह भी है कि यदि केन्द्र सरकार प्राधिकरण की संस्तुति पर विचार किए जाने के बाद प्रथमदृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राधिकरण की संस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है अथवा कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है, यह संस्तुति प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगी तथा प्राधिकरण, पुनर्विचार अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर, सरकार द्वारा संदर्भित पुनर्विचार के उपरांत अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को अग्रेसित करेगा। केन्द्र सरकार अतिरिक्त संस्तुति, यदि कोई, की प्राप्ति के पश्चात अंतिम निर्णय करेगी।

(2) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण, समय–समय पर, आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में दरें अनुसूचित कर सकता है, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भारत के भीतर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इनमें वे दर शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश संचारित किया जा सकता है :

बशर्तें यह है कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए भिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है तथा जहां उपरोक्तानुसार भिन्न दरें निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलेखबद्ध करेगा।

(3) प्राधिकरण उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के अधीन अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता के हितविरूद्ध कार्य नहीं करेगा।

(4) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

3. प्राधिकरण ने, उद्योग का विकास सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हित संरक्षित करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसरण में, स्वतः स्फूर्त विधि में अथवा सरकार द्वारा इसके विचारार्थ प्रेषित मामलों पर अनेक संस्तुतियां की हैं; अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विनियम अधिसूचित किए हैं; लाइसेन्स के नियम एवं शर्तें लागू करने हेतु कार्रवाई की है; तथा अन्य अनेक मुद्दों पर कार्य आरंभ किया है। विभिन्न संस्तुति संबंधी तथा विनियामक कार्यों के निर्वहन द्वारा भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा पूरे देश में दूरसंचार सेवाए प्रदायक नेटवर्क उपलब्ध कराने के रूप में दूरसंचार सेवाओं के विकास में अपना योगदान दिया है। इन सतत उपायों के परिणामस्वरूप उपभोक्तागण सेवाओं के विकल्प, दूरसंचार सेवा की घटी दरों, सेवा की बेहतर गुणवत्ता इत्यादि के रूप में समग्र रूप से लाभान्वित हुए हैं। भादूविप्रा द्वारा, भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में विभिन्न मामलों के संबंध में निष्पादित कुछ विशिष्ट कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

क) दूरसंचार दरें, भारत के अंदर और भारत से बाहर दोनों के लिए, जिनमें भारत से बाहर किसी देश को संदेश संचारित करने हेतु दरें सम्मिलित हैं।

3.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 भादूविप्रा (संशोशन) अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती हैं, जिन पर भारत के अंदर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, इनमें वे दरें सम्मिलित हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश संचारित किया जा सकता है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए भिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं हेतु लागू टैरिफ व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अतिरिक्त, भादूविप्रा से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बाजार में विद्यमान टैरिफ विनिर्दिष्ट टैरिफ व्यवस्था के अनुरूप हैं। इस प्रयोजन हेतु, प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए वसूल की जा रही दरों की निगरानी भी करता है। इसके अतिरिक्त, भुगतान चैनलों के लिए तथा केबल सेवाओं के लिए दरें तय करने हेतु मानदंड निर्धारित करने का कार्य भी भादूविप्रा को सौंपा गया है। भादूविप्रा द्वारा 2014–15 के दौरान दूरसंचार सेक्टर तथा प्रसारण एवं केबल सेक्टर में की गई कार्रवाई की चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

3.1.1 भादूविप्रा टैरिफ विनियम द्वारा उपभोक्ता हितों की संरक्षा करता है। टैरिफ विनियम, उपभोक्ताओं को टैरिफ ऑफर्स में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा जहां, बाजार यथेष्ट दरें प्रदान नहीं कर रहा है, वहां टैरिफ प्रभार तय किए जाने के रूप में होता है। दूरसंचार सेक्टर में निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :–

➢ दूरसंचार टैरिफ (सत्तावनवां संशोधन) आदेश 2014 दिनांक 14 जुलाई, 2014 एवं दूरसंचार टैरिफ (अठ्ठावनवां संशोधन) आदेश 2014 दिनांक 01 अगस्त, 2014

व्यापक परामर्श के पश्चात, प्राधिकरण ने टीटीओ (सत्तावनवां संशोधन) आदेश, 2014

के माध्यम से डीएलसी के लिए टैरिफ व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं;

(i) ई1 से कम क्षमता वाले डीएलसी के लिए टैरिफ स्थगित रखे गए हैं।

(ii) ई1, डीएस–3 तथा एसटीएम–1 क्षमताओं वाले डीएलसी के लिए सीलिंग टैरिफ कम किए गए हैं।

(iii) एसटीएम–4 क्षमता वाले डीएलसी, जिनके संबंध में टैरिफ स्थगित रखा गया था, सीलिंग टैरिफ के निर्धारण द्वारा टैरिफ नियंत्रण के अधीन लाए गए हैं।

आशा की जाती है कि सीलिंग टैरिफ में कमी से छोटे नगरों तथा पहाड़ी क्षेत्रों जैसेकि असम, पूर्वोत्तर, जम्मू एवं कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा इत्यादि को जोड़ने वाले विरल मार्गों (जिन मार्गों पर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं है) पर डीएलसी के इच्छुक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

➢ दूरसंचार टैरिफ (उनसठवां) संशोधन आदेश 2014 दिनांक 21 नवम्बर, 2014

दूरसंचार टैरिफ (उनसठवां) संशोधन आदेश 2014 दिनांक 21 नवम्बर, 2014, प्राधिकरण द्वारा टैरिफ रिपोर्टिंग आवश्यकता के संबंध में आईएसपी को निम्नलिखित छूट प्रदान की गईं :–

(i) आईएसपी को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, टैरिफ रिपोर्टिंग आवश्यकता से छूट प्रदान की जाएगी, यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उपभोक्ताओं की संख्या दस हजार से कम (<10,000) है।

(ii) एक्सेस सेवा प्रदाताओं को थोक ग्राहक को ऑफर की गई टैरिफ स्कीमों के सबंध में निविदा प्रक्रिया की अनुक्रिया में अथवा एक्सेस सेवा प्रदाताओं और ऐसे थोक ग्राहक के बीच वार्ता के परिणामस्वरूप दी गई विद्यमान छूट आईएसपी को भी प्रदान की गई है।

इस छूट से छोटे आईएसपी को अपनी अनुपालन लागतें कम करने में सहायता प्राप्त होगी तथा वे जैसे ही 10,000 का उपभोक्ता आधार प्राप्त कर लेंगे वे टैरिफ रिपोर्टिंग आवश्यकता के दायरे में आ जाएंगे।

3.1.2 प्रसारण सेक्टर में भी, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए प्रसारण टैरिफ के विनियम हेतु डीएएस, डीटीएच के लिए विभिन्न टैरिफ आदेश अधिसूचित किए गए। प्रसारण सेक्टर में निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :–

➢ "वाणिज्यिक उपभोक्ताओं" से संबंधित टैरिफ आदेशों का संशोधन

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ निर्धारण संबंधी एक टैरिफ आदेश के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल 2014 में, भादूविप्रा से ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एक नई टैरिफ व्यवस्था तैयार करने का आदेश दिया था। तदनुसार, 16 जुलाई तथा 18 जुलाई, 2014 को भादूविप्रा द्वारा प्रसारण तथा केबल टीवी सेवाओं के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से संबंधित टैरिफ आदेशों/विनियमों में संशोधन अधिसूचित किए गए। इन संशोधनों से टैरिफ विनियम में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टीवी सिग्नल के वितरण, टीवी सिग्नल के आशयकृत उपयोग के आधार पर टैरिफ निर्धारण के ढंग में स्पष्टता लाई गई है। टैरिफ आदेशों/विनियमों की प्रमुख विशेषताएं हैं :–

- ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो विनिर्दिष्ट रूप से ग्राहकों/अतिथियों से उनको उपलब्ध कराए/दिखाए जा रहे टेलीविजन कार्यक्रमों के आधार पर प्रभार वसूल नहीं करते हैं तथा ऐसी सेवाएं सुख–सुविधाओं के रूप में प्रदान करते हैं, साधारण उपभोक्ताओं की श्रेणी में रखे जाएंगे तथा प्रभार प्रति टेलीविजन आधार पर होंगे;

- ऐसे मामलों में जहां वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ग्राहकों/अतिथियों से विनिर्दिष्ट रूप से उनको उपलब्ध कराए/दिखाए जा रहे टेलीविजन कार्यक्रमों के आधार पर प्रभार वसूल करते हैं, टैरिफ का निर्धारण प्रसारक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बीच परस्पर सहमत शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा;

- प्रत्येक मामले में, वाणिज्यिक उपभोक्ता टेलीविजन सेवाएं केवल वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटर (एमएसओ/डीटीएच ऑपरेटर/केबल ऑपरेटर/आईपीटीवी ऑपरेटर/एचआईटीएस ऑपरेटर) से ही प्राप्त करेगा।

➢ अनुरूप केबल टीवी प्रणालियों हेतु टैरिफ आदेश का संशोधन

भादूविप्रा द्वारा प्रसारण तथा केबल टीवी सेवाओ हेतु टैरिफ का विनियम, 2004 से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रसारण तथा केबल टीवी सेवाओ के उपभोक्ताओं को केबल टीवी प्रभारों में बार–बार वृद्धि से राहत और उनको संरक्षण प्रदान करना निर्धारित किया गया है। तदनुसार, अनुरूप केबल टीवी प्रणालियों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली केबल टीवी सेवाओं के लिए वर्ष 2004 में अधिसूचित मूल टैरिफ आदेश में, भादूविप्रा द्वारा निर्धारित किया गया कि दिनांक 26 दिसम्बर, 2003 को विभिन्न स्तरों पर विद्यमान दरें टैरिफ सीलिंग मान्य होंगी। तथापि, भादूविप्रा ने, मुद्रास्फीति के साथ समायोजन हेतु, इन निर्धारित सीलिंग्स की, समय समय पर, समीक्षा की है। टैरिफ आदेश के कुछ प्रावधान वर्ष 2008 से न्यायिक संवीक्षा के अधीन थे तथा टैरिफ निर्धारण का कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किया जा रहा था। अतएव, जनवरी, 2009 से मार्च, 2014 तक मुद्रास्फीति से संबंधित समायोजनों की आवधिक समीक्षा नहीं की जा सकी थी। मार्च, 2014 में, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की गई है।

विगत पांच वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में वृद्धि के आधार पर तथा अन्य संबद्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर समग्रतः 27.5 प्रतिशत मुद्रास्फीति वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है। उपभोक्ता हित को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया कि यह वृद्धि दो किश्तों में लागू की जानी चाहिए। 15 प्रतिशत की पहली किश्त 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी की गई। इसकी अधिसूचना दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा (द्वितीय) टैरिफ (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2014 दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा जारी की गई। मुद्रास्फीति के साथ संबद्ध वृद्धि की दूसरी किश्त 01 जनवरी, 2015 से लागू की जानी थी, जो बाद में अधिसूचित की जानी थी। इससे सभी हितधारकों को इन वृद्धियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत समय प्राप्त होने की आशा की गई थी। मुद्रास्फीति के साथ संबद्ध वृद्धि की दूसरी किश्त के

संबंध में प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा (द्वितीय) टैरिफ (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2014 दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई। इन टैरिफ आदेशों के संबंध में टीडीसैट में अपील दायर की गई है तथा वर्तमान में यह न्यायालय के विचाराधीन है।

➢ गैर–एड्रेसेबल (अनुरूप केबल टीवी) प्रणालियों हेतु लागू टैरिफ आदेश का संशोधन

भादूविप्रा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17 सितम्बर, 2014 के अनुसार गैर–एड्रेसेबल (अनुरूप केबल टीवी) प्रणालियों हेतु लागू टैरिफ (संशोधन) आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2015 को अधिसूचित किया गया। उक्त टैरिफ आदेश में मुख्य प्रावधान नए चैनलों तथा पे चैनल्स के रूप में परिवर्तित फ्री–टु–एयर चैनल्स, गैर–एड्रेसेबल (अनुरूप केबल टीवी) प्रणालियों के लिए थोक स्तर पर तथा युगल शर्तों पर अनिवार्य अ–ला–कार्टे ऑफर करने वाले चैनल्स के मूल्यनिर्धारण हेतु सिद्धांत से संबंधित हैं। इस संबंध में विद्यमान प्रावधान में परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस टैरिफ (संशोधन) आदेश में, यह भी विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां ऑपरेटर सरकार द्वारा अधिसूचित विच्छेदन तिथियों से पहले डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियां (डीएएस) लागू करते हैं, डीएएस से संबंधित विनियामक व्यवस्था लागू होगी तथा प्रसारक को विनिर्दिष्ट शैलियों में से चैनलों की शैली घोषित करनी होगी।

ख) (1) नए सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता और समय निर्धारण; (2) नए सेवा प्रदाताओं के लाइसेन्स के नियम एवं शर्तें; तथा (3) लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में लाइसेन्स निरस्तीकरण के संबंध में संस्तुतियां।

3.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) के अधीन, प्राधिकरण से स्वतः स्फूर्त रूप से अथवा लाइसेन्सदाता अर्थात दूरसंचार विभाग अथवा प्रसारण एवं केबल सेवाओं के मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध पर संस्तुतियां की जानी अपेक्षित हैं। भादूविप्रा द्वारा 2014–15 के दौरान सरकार को अग्रेसित संस्तुतियां नीचे दी गई हैं :–

- "इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान हेतु लाइसेन्स अनुबंधों में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) तथा न्यूनतम आनुमानिक एजीआर की परिभाषा" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 1 मई, 2014.
- "इनमारसैट/उपग्रह फोन सेवाओं का प्रावधान" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 12 मई, 2014.
- "पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी" पर डीओटी के संदर्भ दिनांक 2 जुलाई, 2014 के संबंध में भादूविप्रा का प्रत्युत्तर दिनांक 21 जुलाई, 2014.
- "स्पेक्ट्रम हिस्सेदारी के संबंध में दिशानिर्देश" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 21 जुलाई, 2014.
- "अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं का सुधार" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 22 जुलाई, 2014
- "माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) तथा माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियर्स का

आबंटन तथा मूल्यनिर्धारण" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 29 अगस्त, 2014

- "स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य : 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेन्स" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 15 अक्टूबर, 2014.
- "स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य : 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेन्स" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 पर डीओटी द्वारा पुनर्विचार हेतु वापसी के संदर्भ में भादूविप्रा का प्रत्युत्तर दिनांक 24 नवम्बर, 2014.
- "800 एमएचजैड में स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 22 फरवरी, 2014 पर डीओटी द्वारा पुनर्विचार हेतु वापसी के संदर्भ में भादूविप्रा का प्रत्युत्तर दिनांक 27 नवम्बर, 2014.
- "स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य : 2100 एमएचजैड" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 31 दिसम्बर, 2014.
- "लाइसेन्स शुल्क तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 6 जनवरी, 2015
- "स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य : 2100 एमएचजैड बैंड दिनांक 31 दिसम्बर, 2014" पर डीओटी द्वारा पुनर्विचार हेतु वापसी के संदर्भ में भादूविप्रा का प्रत्युत्तर दिनांक 15 जनवरी, 2015.
- "नए डीटीएच लाइसेन्सों से संबंधित मुद्दे" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 23 जुलाई, 2014.
- "मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 12 अगस्त, 2014.
- "कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 29 अगस्त, 2014.
- "एक लाइसेन्स सेवा क्षेत्र के अंदर न्यूनतम चैनल अंतराल 800 केएचजैड से घटाकर 400 केएचजैड करना तथा एफएम रेडियो प्रसारकों का फेज़–2 से फेज़–3 को स्थानांतरण" के विषय में अतिरिक्त संस्तुतियां/प्रत्युत्तर दिनांक 5 सितम्बर, 2014.
- खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (एतद्पश्चात, खेल अधिनियम) के एक प्रावधान में प्रसार भारती के प्रस्तावित संशोधन के मुद्दे पर संस्तुति/स्पष्टीकरण दिनांक 14 नवम्बर, 2014.
- "प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 19 नवम्बर, 2014.
- "केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा डीटीएच का उपयोग" पर संस्तुति/स्पष्टीकरण दिनांक 22 जनवरी, 2015.
- "नए शहरों में एफएम रेडियो चैनल्स की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य" पर संस्तुतियां दिनांक 24 मार्च, 2015.

इन संस्तुतियों के विस्तृत विवरण की चर्चा इस प्रतिवेदन के भाग–2 में पहले ही की जा चुकी है।

ग) तकनीकी अनुकूलनीयता और प्रभावोत्पादक अंतःसंयोजन का सुनिश्चयन

3.3 सभी नेटवर्क में निर्बाध दूरसंचार सुकर बनाने के लिए भिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ा

जाना आवश्यक है। लाइसेन्स की शर्त में भी यह निर्धारित किया गया है कि सभी एक्सेस प्रदाता आपस में एक दूसरे के साथ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के ऑपरेटरों के नेटवर्क के साथ जुड़े हों। तदनुसार, भादूविप्रा द्वारा, प्रतिवेदन अवधि के दौरान, निम्नलिखित अंतःसंयोजन प्रभार निर्धारित किए गए थे :–

➢ **"अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)" पर परामर्श पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2014**

आईयूसी व्यवस्था न केवल सेवा प्रदाताओं हेतु उद्भार्य राजस्व निर्धारित करता है बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि यह राजस्व उनके मध्य किस प्रकार वितरित किया जाना है। एक दक्ष अंतःसंयोजन और प्रभारण व्यवस्था नेटवर्क के बीच दक्ष एवं निर्बाध संयोजन की धुरी होती है। प्राधिकरण ने इस परामर्श के माध्यम से समीक्षा कार्य का निष्पादन किया है।

➢ **दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 दिनांक 23 फरवरी, 2015**

परामर्श प्रक्रिया तथा आंतरिक विश्लेषण के निष्कर्ष के आधार पर, प्राधिकरण ने संशोधित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति प्रभारों द्वारा आईयूसी विनियमों का संशोधन जारी किया है। विनियमों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

(i) वायरलेस नेटवर्क से प्रारंभ और समाप्त होने वाली सभी कॉल्स के लिए मोबाइल समाप्ति प्रभार (एमटीसी) 20 पैसा प्रति मिनट से घटाकर 14 पैसे प्रति मिनट किया गया है;

(ii) वायरलाइन नेटवर्क में निवेश के प्रोत्साहन तथा इसको देश में उच्च गति इंटरनेट की प्रदायगी हेतु एक कारगर वाहन के रूप में अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, प्राधिकरण ने वायरलाइन से वायरलेस कॉल्स के लिए नियत समाप्ति प्रभार (एफटीसी) तथा एमटीसी शून्य रखने का निर्णय किया है। तदनुसार,

(क) वायरलाइन से प्रारंभ होने वाली सभी कॉल्स के लिए एमटीसी शून्य निर्धारित की गई है;

(ख) वायरलाइन नेटवर्क अथवा वायरलेस नेटवर्क से प्रारंभ होने वाली सभी कॉल्स के लिए एफटीसी शून्य निर्धारित की गई है;

(iii) अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉल्स के लिए समाप्ति प्रभार विद्यमान 40 पैसे प्रति मिनट से बढ़ाकर 53 पैसे प्रति मिनट कर दिया गया है;

विनियम, 01 मार्च, 2015 से प्रभावी हो चुके हैं।

➢ **दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (बारहवां संशोधन) विनियम, 2015 दिनांक 24 फरवरी, 2015**

प्राधिकरण ने सम्यक् परामर्श प्रक्रिया के पश्चात घरेलू वहन प्रभारों हेतु आईयूसी विनियम संशोधित किए हैं। प्राधिकरण ने, इन संशोधनों के माध्यम से, घरेलू वहन प्रभार की सीमा विद्यमान रू. 0.65 (65 पैसे) प्रति मिनट से घटाकर रू. 0.35 (35 पैसे) प्रति मिनट कर दी है। ये विनियम, 01 मार्च, 2015 से प्रभावी हो चुके हैं।

प्रसारण सेक्टर

➢ **दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल**

केबल टेलीविजन प्रणालियां) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 एवं दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014.

डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों तथा गैर–एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों दोनों के लिए लागू अंतःसंयोजन विनियम में संशोधन में, अन्य के साथ, "वाणिज्यिक प्रतिष्ठान" तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता की उपयुक्त रूप से संशोधित परिभाषा सम्मिलित है। यह टैरिफ निर्धारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने के ढंग के अनुरूप भी है। विनियामक संरचना में इन परिवर्तनों के प्रभावी होने से, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टीवी सेवाओं का वितरण सुव्यवस्थित हो जाएगा तथा उनको सेवाएं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होंगी। विनियामक संरचना से मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों के हितों का संतुलन बने रहने तथा व्यवसाय निष्पादनों में पूर्ण पारदर्शिता आने की संभावना है।

घ) दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने से जनित राजस्व में सेवा प्रदाताओं के मध्य हिस्सेदारी के लिए विनियामक व्यवस्था

3.4 **अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवाएं (सुलभता प्रभार) विनियम, 2014 दिनांक 19 अगस्त, 2014**

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् परामर्श और मामले के विश्लेषण के उपरांत, सुलभता सेवा प्रदाता के उपभोक्ता द्वारा आईएलडीओ की कॉलिंग कार्ड सेवा का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी ऑपरेटर (आईएलडीओ) द्वारा सुलभता सेवा प्रदाता को देय सुलभता प्रभार निर्धारित किए गए तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवा के विषय में विनियम जारी किए। इन विनियमों के अनुसार, आईएलडीओ द्वारा सुलभता प्रदाता को भुगतान किए जाने वाले सुलभता प्रभार वायरलेस सेवाओं के लिए 40 पैसे प्रति मिनट होंगे तथा वायरलाइन सेवाओं के लिए रू. 1.20 पैसे प्रति मिनट होंगे।

ङ) भिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लम्बी दूरी के परिपथ उपलब्ध कराने हेतु समय अवधि

3.5 पारदर्शिता, भविष्यवाचकता और तर्कसंगतता सुनिश्चित करने तथा डीएलसी/स्थानीय लीड का प्रावधान एक गैर विभेदकारी ढंग में करने की अनुमति के लिए एक संरचना उपलब्ध कराने हेतु, भादूविप्रा द्वारा 14 सितम्बर, 2007 को डीएलसी विनियम जारी किया। इन विनियमों में किसी भी माध्यम पर अर्थात तांबा, फाइबर, वायरलेस इत्यादि पर तथा किसी भी पारेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई डीएलसी तथा स्थानीय लीड सम्मिलित की गई हैं। इन विनियमों के अधीन उन सभी सेवा प्रदाताओं, जो तांबा, फाइबर या वायरलेस की क्षमताधारक हैं तथा जिनको लाइसेन्स के तहत डीएलसी सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है, के लिए इसको अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करना अनिवार्य बनाया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनों के विश्लेषण से यह पाया गया है कि डीएलसी विनियम जारी किए जाने के उपरांत डीएलसी/स्थानीय लीड्स का प्रावधान सुव्यवस्थित हुआ है।

च) लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चयन

3.6 दूरसंचार विभाग द्वारा संक्षिप्त कूटों तथा विशेष वर्णों के उपयोग के संबंध में जारी अनुदेशों के पालन हेतु सेवा प्रदाताओं को निदेश दिनांक 5 फरवरी, 2015

प्राधिकरण ने इसके पत्र दिनांक 4 जुलाई, 2014 के माध्यम से सेवा प्रदाताओं को संक्षिप्त कूटों संबंधी सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सेवा प्रदाताओं से प्राप्त प्रतिवेदनों में, यह नोट किया गया कि सेवा प्रदाताओं ने संक्षिप्त कूटों तथा राष्ट्रीय नंबर योजना के प्रावधानों के विषय में लाइसेन्सदाता के अनुदेशों का उल्लंघन किया है।

तदनुसार, प्राधिकरण ने इसके पत्र दिनांक 5 फरवरी, 2015 के माध्यम से सभी एकीकृत लाइसेन्स (सुलभता सेवा), एकीकृत सुलभता सेवा प्रदाताओं, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को संक्षिप्त कूटों तथा विशेष वर्णों के उपयोग के विषय में लाइसेन्सदाता द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमा, 2012 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है।

➢ मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को लेवल "111" का उपयोग बंद करने के लिए निर्देश दिनांक 2 मार्च, 2015

दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय नंबर योजना, 2003 जारी की गई थी, जिसमें 111 से 115 तक के क्रमांक/पूर्वप्रत्यय किसी भी प्रकार की सेवा के लिए आबंटित नहीं किए गए थे तथा "अतिरिक्त" के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं।

प्राधिकरण ने देखा कि मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के उपभोक्ताओं से उनके हैंडसेट पर प्री–पेड डेटा ऑफर्स, पोस्ट पेड 3जी डेटा पैक्स, डेटा सेवाओं हेतु स्वयं सहायता, ब्लैकबेरी इंटरनेट ऑफर्स तथा शेष राशि की जानकारी के लिए इंटरनेट सेटिंग्स के लिए "111" पर कॉल करने का अनुरोध किया जा रहा है।

प्राधिकरण ने मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को राष्ट्रीय नंबर योजना के उल्लंघन हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 2 फरवरी, 2015 जारी किया।

प्राधिकरण ने इसके निर्देश दिनांक 02 मार्च, 2015 तथा संशोधन, दिनांक 27 मार्च, 2015 के माध्यम से संबंधित सेवा प्रदाता को 30 अप्रैल, 2015 तक उपरोक्त निर्देश पर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

छ) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

(1) सेवा प्रदाताओं द्वारा मीटरिंग तथा बिलिंग के संबंध में पालन की जा रही प्रक्रियाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाने; (2) माप की सटीकता, बिलिंग की विश्वसनीयता से संबंधित मानदंड निर्धारित करने; (3) समय समय पर सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई बिलिंग की सटीकता मापने और निष्पादन के स्तर का आंकलन करने के लिए उनकी तुलना मानदंडों के साथ करने; (4) बिलिंग संबंधी शिकायतों की घटनाएं न्यूनतम रखने; (5) तथा दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के क्रम में, भादूविप्रा द्वारा हाल ही में सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग तथा बिलिंग सटीकता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2006 की समीक्षा की गई तथा 25 मार्च, 2013 को सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग

तथा बिलिंग सटीकता के लिए पद्धति संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 जारी किया। इस विनियम में सेवा प्रदाताओं को अपनी मीटरिंग तथा बिलिंग प्रणाली का ऑडिट, वार्षिक आधार पर, भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित किसी ऑडीटर द्वारा करवाने तथा उसका ऑडिट प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक भादूविप्रा के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया है। विनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि सेवा प्रदाताओं को एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र में इंगित की गई कमियों, यदि कोई, के संबंध में सुधार कार्रवाई करनी होगी तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 नवम्बर तक भादूविप्रा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा ने इन विनियमों को कारगर तरीके से लागू करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भादूविप्रा के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब हेतु रू. 1,00,000/– प्रति सप्ताह अर्थदंड तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट में असत्य अथवा अपूर्ण सूचना हेतु प्रति रिपोर्ट अधिकतम रू. 10,00,000/– अर्थदंड लगाने का उपबंध किया है। सेवा प्रदाताओं द्वारा ऑडिट रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की गई हैं। ऑडिट से बिलिंग तथा प्रभारण संबंधी कमियां चिन्हित करने में सहायता मिली है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित उपभोक्ताओं को वसूल किए गए अतिरिक्त प्रभारों की वापसी हुई है तथा प्रणालीगत मुद्दों का संबोधन किया गया है।

➢ सिम कार्ड के सिम एप्लीकेशन टूल किट (एसटीके) में अंतःस्थापित गैर–अंशदान आधारित मूल्यवर्धित सेवा उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिनांक 14 नवम्बर, 2014

यह निर्देश सिम कार्ड के सिम एप्लीकेशन टूल किट (एसटीके) में अंतःस्थापित गैर–अंशदान आधारित मूल्यवर्धित सेवा उत्पादों के चालू और निष्क्रिय किए जाने के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास है। सेवा प्रदाताओं को निदेशित किया गया था कि सिम कार्ड के सिम एप्लीकेशन टूल किट (एसटीके) में अंतःस्थापित गैर–अंशदान आधारित मूल्यवर्धित सेवा उत्पाद उपभोक्ता को उसकी सुस्पष्ट सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही उपलब्ध कराई जा सकती है। निर्देश में सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं की सुस्पष्ट सहमति प्राप्त करने का ढंग भी परिभाषित किया गया है।

➢ मैसर्स लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड को इसका लाइसेन्स 29 नवम्बर, 2014 को समाप्त हो जाने के कारण मुंबई लाइसेन्स सेवा क्षेत्र (एलएसए) में सेवाएं बंद करने के संबंध में निर्देश दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तथा 7 नवम्बर, 2014.

मैसर्स लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड ने इसका सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (सीटीएमएस) लाइसेन्स समाप्त होने के कारण 29 नवम्बर, 2014 को कार्य करना बंद कर दिया। मैसर्स लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए तथा मैसर्स लूप की सेवा बंद होने और उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर, बिना किसी बाधा के, अपनी पसंद के सेवा प्रदाता पर पोर्ट करने के बारे में अग्रिम सूचना प्रदान

करने के लिए, प्राधिकरण ने मैसर्स लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड को 30 सितम्बर, 2014 को निर्देश दिया कि वह मुंबई एलएसए में अपने सभी उपभोक्ताओं को इसकी सेवाएं बंद होने की तिथि की सूचना लिखित रूप में अथवा एसएमएस/ई–मेल भेजकर, उक्त निर्देश जारी करने की तिथि से दस दिन के अंदर प्रेषित करे। प्राधिकरण द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मुंबई सेवा क्षेत्र में मैसर्स लूप के सभी उपभोक्ताओं को भी 29 नवम्बर, 2014 से पहले लूप के नेटवर्क से पोर्ट आउट करने हेतु सूचित किया गया।

प्रसारण सेवाएं

प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के क्रम में, प्राधिकरण द्वारा 25 मार्च, 2015 को सेवा की गुणवत्ता के मानदंड (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियां) विनियम, 2012 तथा सेवा की गुणवत्ता के मानदंड (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2015 की समीक्षा की गई। यह देखा गया कि एमएसओ द्वारा बिलिंग और उपभोक्ताओं द्वारा किए गए प्रत्येक भुगतान की रसीद जारी करने के संबंध में निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में वैध शिकायतें प्राप्त हुईं।

क्यूओएस विनियम में निर्धारित किया गया है कि उपभोक्ताओं को केबल टीवी सेवाएं प्री–पेड तथा पोस्ट–पेड दोनों प्रकार के भुगतान मॉडलों पर प्रस्तावित की जाएंगी तथा उपभोक्ता उनमें से कोई एक मॉडल चुन सकता है। अधिसूचित, संशोधन विनियम में, एक व्याख्या समाविष्ट की गई, जिसके द्वारा स्पष्ट किया गया कि एमएसओ द्वारा प्रस्तावित प्री–पेड विकल्प इलेक्ट्रॉनिक प्री–पेड तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता द्वारा चुने गए प्री–पेड अथवा पोस्ट–पेड विकल्प को एमएसओ द्वारा समयबद्ध ढंग में, स्वीकार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, एमएसओ पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए अधिकतम रू. 100/– प्रति उपभोक्ता का वित्तीय निरूत्साहन निर्धारित किया गया है।

एमएसओ को अपनी व्यवसाय प्रक्रिया विनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था। प्राधिकरण का मानना है कि वित्तीय निरूत्साहन लागू करने से विनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कारगर ढंग से कमी आएगी तथा इससे उपभोक्तागण और केबल टीवी सेक्टर लाभान्वित होगा।

➢ विशिष्ट पोर्टिंग कोड के लिए सेवा प्रदाता कोड्स के अद्यतनीकरण के संबंध में निर्देश दिनांक 10 फरवरी 2010 का तृतीय संशोधन

टीएसपी द्वारा भेजे गए एसएमएस के स्रोत तथा उत्पत्ति की पहचान में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए, प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रेषक की पहचान के लिए सभी वाणिज्यिक एसएमएस के लिए उपलब्ध कराया गया वर्ण अंक पहचान तथा सेवा क्षेत्र का कोड प्रेषित किया जाए। निर्देश जारी करने के बाद, कुछ सेवा प्रदाताओं ने काम करना बंद कर दिया है तथा सेवा प्रदाताओं के लिए कोड्स के नए आबंटन की आवश्यकता के अनुरूप नए सेवा प्रदाताओं को लाइसेन्स जारी किए गए हैं। इस संशोधन के माध्यम से, सेवा प्रदाताओं हेतु कोड्स की संशोधित सूची अधिसूचित की गई थी।

ज) दूरसंचार सेवाओं के परिचालन में प्रतिस्पर्धा तथा दक्षता प्रोत्साहन सुकर बनाने के लिए उठाए गए कदम, ताकि इन सेवाओं में विकास सुकर बनाया जा सके।

3.8.1 भादूविप्रा ने सदैव ऐसी नीतियां स्थापित करने का प्रयास किया है, जो समसामयिक, वर्तमान विकास के अनुरूप, सरल और परिणामवादी हैं। उनका प्रतिस्पर्धा, आधारसंरचना, राजस्व तथा उपभोक्ता कल्याण पर वांछित प्रभाव देखा गया है। प्राधिकरण इस तथ्य के प्रति भी सजग रहा है कि उपयुक्त व्यवसाय रणनीतियां तैयार करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसके द्वारा नवाविष्कारों के फल उपभोक्ता को प्रदान करने के लिए विनियामक निश्चितता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भादूविप्रा ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं को प्रवेश सुगम बनाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया है। संस्तुतियों/विनियमों/टैरिफ आदेशों/निर्देशों इत्यादि के रूप में किए गए उपाय उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

3.8.2 दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के परिचालन में प्रतिस्पर्धा तथा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भादूविप्रा द्वारा 2014–15 के दौरान निम्नलिखित विनियम जारी किए गए हैं :–

- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 07 अप्रैल, 2014
- ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा की गुणवत्ता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 25 जून, 2014.
- दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा ओर संरक्षण निधि (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 26 जून, 2014.
- दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 1 जुलाई, 2014.
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवा) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014.
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवा) अंतःसंयोजन (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014.
- वायरलेस डेटा सेवा हेतु सेवा की गुणवत्ता के मानदंड (संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 24 जुलाई, 2014.
- अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवाएं (सुलभता प्रभार) विनियम, 2014 दिनांक 19 अगस्त, 2014
- प्राथमिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014, दिनांक 21 अगस्त, 2014
- दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014.
- दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (बारहवां संशोधन) विनियम, 2015 दिनांक 24 फरवरी, 2015.
- दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (छठा संशोधन) विनियम, 2015 दिनांक 25 फरवरी, 2015.
- सेवा की गुणवत्ता के मानदंड (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2015 दिनांक 25 मार्च, 2015.

इन विनियमों के विवरण की चर्चा इस रिपोर्ट के भाग–2 में पहले ही की जा चुकी है।

झ) शुल्क तथा अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में, जो इन विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं

3.9 भादूविप्रा को दूरसंचार तथा प्रसारण सेवाओं के लिए टैरिफ नीतियों का निर्णय करने का आदेश प्राप्त है। भादूविप्रा टैरिफ विनियमन के माध्यम से उपभोक्ता हितों की देखभाल की जाती है। टैरिफ विनियम उपभोक्ताओं को टैरिफ प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता तथा जहां बाजार यथेष्ट दरें प्रदान नहीं कर रहा होता, वहां टैरिफ प्रभार निर्धारित करने का रूप लेते हैं। इस दिशा में किए गए विशिष्ट उपाय थे :–

- दूरसंचार टैरिफ (सत्तावनवां) संशोधन आदेश दिनांक 14 जुलाई, 2014.
- दूरसंचार टैरिफ (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (बारहवां संशोधन) आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2014.
- दूरसंचार टैरिफ (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ (चतुर्थ) संशोधन) आदेश दिनांक 18 जुलाई, 2014.
- दूरसंचार टैरिफ (अठ्ठावनवां) संशोधन आदेश दिनांक 1 अगस्त, 2014.
- दूरसंचार टैरिफ (उनसठवां) संशोधन आदेश दिनांक 21 नवम्बर, 2014.
- दूरसंचार टैरिफ (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (तेरहवां संशोधन) आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014.
- दूरसंचार टैरिफ (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश दिनांक 6 जनवरी, 2015.

इन विनियमों के विवरण की चर्चा इस रिपोर्ट के भाग–2 में पहले ही की जा चुकी है।

ञ) सर्वसामान्य सेवा दायित्व (यूएसओ) का कारगर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.10 प्राधिकरण ने ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शन्स के लिए सहायता पर इसकी संस्तुति दिनांक 14 मई, 2012 में संस्तुति की है कि 01 अप्रैल, 2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शन्स के सम्पोषण हेतु मैसर्स बीएसएनएल को सहायता दो वर्ष के लिए जारी रखी जाए। सहायता की राशि प्रथम वर्ष के लिए रू. 1500 करोड़ तथा दूसरे वर्ष के लिए रू. 1250 करोड़ हो सकती है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने "अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं का सुधार" पर अपनी संस्तुतियां दिनांक 22 जुलाई, 2014 के माध्यम से इन क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के सुधार हेतु उपायों की संस्तुति की है।

ट) केन्द्र सरकार को दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास और दूरसंचार उद्योग के साथ साधारण रूप में जुड़े अन्य मामलों के संबंध में दी गई सलाह का विवरण।

3.11 भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार तथा प्रसारण केबल सेक्टर के विकास से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार को दी गई सलाह का विवरण नीचे दिया गया है :–

- "इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान हेतु लाइसेन्स अनुबंधों में समायोजित सकल राजस्व

(एजीआर) तथा न्यूनतम आनुमानिक एजीआर की परिभाषा" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 1 मई, 2014.

- "इनमारसैट/उपग्रह फोन सेवाओं का प्रावधान" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 12 मई, 2014.
- "पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी" पर डीओटी के संदर्भ दिनांक 2 जुलाई, 2014 के संबंध में भादूविप्रा का प्रत्युत्तर दिनांक 21 जुलाई, 2014.
- "स्पेक्ट्रम हिस्सेदारी के संबंध में दिशानिर्देश" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 21 जुलाई, 2014.
- "अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं का सुधार" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 22 जुलाई, 2014.
- "नए डीटीएच लाइसेन्सों के साथ संबंधित मुद्दे" पर संस्तुतियां दिनांक 23 जुलाई, 2014.
- "मीडिया स्वामित्व के साथ संबंधित मुद्दे" पर संस्तुतियां दिनांक 12 अगस्त, 2014.
- "माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) तथा माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियर्स का आबंटन तथा मूल्यनिर्धारण" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 29 अगस्त, 2014.
- "कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 29 अगस्त, 2014.
- "एक लाइसेन्स सेवा क्षेत्र के अंदर न्यूनतम चैनल अंतराल 800 केएचजैड से घटाकर 400 केएचजैड करना तथा एफएम रेडियो प्रसारकों का फेज़–2 से फेज़–3 को स्थानांतरण" के विषय में अतिरिक्त संस्तुतियां/प्रत्युत्तर दिनांक 5 सितम्बर, 2014.
- "स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य : 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेन्स" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 15 अक्टूबर, 2014.
- "स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य : 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेन्स" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 पर डीओटी द्वारा पुनर्विचार हेतु वापसी के संदर्भ में भादूविप्रा का प्रत्युत्तर दिनांक 24 नवम्बर, 2014.
- खेल प्रसारण सिगनल्स (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (एतद्पश्चात, खेल अधिनियम) के एक प्रावधान में प्रसार भारती के प्रस्तावित संशोधन के मुद्दे पर संस्तुति/स्पष्टीकरण दिनांक 14 नवम्बर, 2014.
- "800 एमएचजैड में स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 22 फरवरी, 2014 पर डीओटी द्वारा पुनर्विचार हेतु वापसी के संदर्भ में भादूविप्रा का प्रत्युत्तर दिनांक 27 नवम्बर, 2014.
- "प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र' के विषय में संस्तुतियां दिनांक 19 नवम्बर, 2014.
- "स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा सुरक्षितं मूल्य : 2100 एमएचजैड" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 31 दिसम्बर, 2014.
- "केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा डीटीएच का उपयोग" पर संस्तुति/स्पष्टीकरण दिनांक 22 जनवरी, 2015.
- "लाइसेन्स शुल्क तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा" के विषय में संस्तुतियां दिनांक 6 जनवरी, 2015.

- "स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य : 2100 एमएचजैड बैंड दिनांक 31 दिसम्बर, 2014" पर डीओटी द्वारा पुनर्विचार हेतु वापसी के संदर्भ में भादूविप्रा का प्रत्युत्तर दिनांक 15 जनवरी, 2015.

- "नए शहरों में एफएम रेडियो चैनल्स की नीलामी के लिए सुरक्षित मूल्य" पर संस्तुतियां दिनांक 24 मार्च, 2015

इन संस्तुतियों के विस्तृत विवरण की चर्चा इस रिपोर्ट के भाग–2 में पहले ही की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा द्वारा केन्द्र सरकार को प्रसारण तथा केबल सेक्टर के विकास से संबंधित विषयों में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :–

- "एफएम रेडियो प्रसारकों का फैज़–2 से फेज़–3 में स्थानांतरण पर संस्तुतियां दिनांक 20 फरवरी, 2014" पर एमआईबी द्वारा पुनर्विचार हेतु वापसी के संदर्भ दिनांक 25 अगस्त, 2014 के विषय में भादूविप्रा का प्रत्युत्तर दिनांक 5 सितम्बर, 2014.

- डीटीएच ऑपरेटर द्वारा विविधता साइट की स्थापना के लिए अनुमति की मंजूरी के संबंध में एमआईबी के पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2014 के विषय में प्राधिकरण की सलाह दिनांक 8 मई, 2014.

- डीटीएच ऑपरेटरों के लिए अतिरिक्त/फालतू अपलिंकिंग ऐंटीना की स्थापना के लिए अनुमति की मंजूरी से संबंधित मुद्दों पर एमआईबी के पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2014 के विषय में प्राधिकरण की सलाह दिनांक 27 जून, 2014.

- इंडियन न्यूज एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग के लिए अनुमति की मंजूरी के संबंध में अपलिंकिंग मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपयुक्त संशोधनों के संबंध में एमआईबी के पत्र दिनांक 25 जून, 2014 के विषय में प्राधिकरण का पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2014.

ठ) सेवाओं की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसी सेवाओं के प्रोत्साहन सर्वेक्षण का विवरण

क) बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाएं

भादूविप्रा बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा निष्पादन का मॉनीटरन उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार करता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की गुणवत्ता के सुधार के क्रम में, भादूविप्रा ने बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के माध्यम से बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा ऑपरेटरों पर नेटवर्क सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों तथा उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों के लिए मानदंडों का पालन नहीं किए जाने पर वित्तीय निरूत्साहन निर्धारित किए हैं। इन विनियमों में सेवा मानदंडों की गुणवत्ता की असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए वित्तीय निरूत्साहन के रूप में दंडात्मक सुधार की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।

ख) ब्रॉडबैंड सेवा

भादूविप्रा इसके द्वारा निर्धारित सेवा मानदंडों की गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की मॉनीटरिंग ब्रॉडबैंड सेवा की

गुणवत्ता विनियम दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 के तहत तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से करता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट का विश्लेषण क्यूओएस मानदंड के संबंध में उनके निष्पादन के आंकलन हेतु किया जाता है। मानदंडों का स्तर और ऊंचा करने के लिए भादूविप्रा द्वारा ब्रॉडबैंड के गति सुधार के लिए 25 जून, 2014 को ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा की गुणवत्ता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012 जारी की गई।

ग) नेटवर्क/अंतःसंयोजन का बिन्दु (पीओआई) रिपोर्ट

भादूविप्रा, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच पीओआई पर व्यस्तता के स्तर की मासिक आधार पर मॉनीटरिंग कर रहा है। यह ऑपरेटर एक नेटवर्क के उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य नेटवर्क के उपभोक्ता के साथ संचार की आसानी दर्शाता है। यह दर्शाता है कि दो नेटवर्क के बीच अंतःसंयोजन कितनी प्रभावपूर्ण है। भादूविप्रा द्वारा इस ऑपरेटर हेतु क्यूओएस विनियम में अधिसूचित मानदंड <0.5 प्रतिशत है। भादूविप्रा सेवा की गुणवत्ता मानदंडों के संबंध में बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के निष्पादन के आंकलन हेतु उनसे मासिक पीओआई व्यस्तता रिपोर्ट प्राप्त करता है।

घ) निष्पक्ष एजेंसियों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता का आंकलन

भादूविप्रा, निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा किए गए ऑडिट तथा आंकलन के माध्यम से भी सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करता है। इन रिपोर्ट का विश्लेषण किए जाने के बाद इन्हें, सभी हितधारकों की सूचना के लिए, भादूविप्रा की वेबसाइट पर डाला जाता है। रिपोर्ट में इंगित किए गए चिन्ता के सभी क्षेत्रों को सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ साझा भी किया जाता है।

ङ) सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवा के बारे में उपभोक्ता बोध का आंकलन

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में, भादूविप्रा निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के बारे में उपभोक्ता के बोध का आंकलन करता है। इस आंकलन के कार्यों में (1) उपभोक्ताओं के हित में भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों, निर्देशो तथा आदेशों की प्रभावोत्पादकता का कार्य रूप में परिणित किया जाना तथा (2) बेसिक, सेल्युलर मोबाइल तथा ब्रॉडबैण्ड सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दूरसंचार सेवाओं के बारे में उपभोक्ता बोध का आंकलन, जोन आधार पर अर्थात उत्तर जोन, पश्चिम जोन, दक्षिण जोन तथा पूर्व जोन के लिए, सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाना शामिल है। जोन में सभी सेवा क्षेत्रों का सर्वेक्षण वर्ष में एक बार किया जाता है। पश्चिम जोन, पूर्व जोन उत्तर जोन, तथा दक्षिण जोन के लिए सर्वेक्षण का कार्य निष्पक्ष एजेंसियों नामतः क्रमशः मैसर्स स्पेक्ट्रम इंडिया प्लानिंग लिमिटेड, मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, मैसर्स वॉइस तथा मैसर्स मॉट मैक्डोनाल्ड को सौंपा गया है।

सर्वेक्षण की क्रियाविधि के अनुसार, विनियम में विनिर्दिष्ट सात गुणवत्ता ऑपरेटरों के संबंध में उपभोक्ता बोध आंकलन तथा शिकायत निवारण तंत्र, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी का

कार्यान्वयन एवं यूसीसी विनियम के बारे में जागरूकता के संबंध में विनियमों की प्रभावोत्पादकता के आंकलन के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली तैयार की गई है। उत्तरदाताओं से अपनी संतुष्टि का मूल्यांकन 1–7 के पैमाने पर करने को कहा गया था, जिसमें 1 का अभिप्राय "अति असंतुष्ट" और 7 का अभिप्राय "अति संतुष्ट" था। विभिन्न क्यूओएस मानदंडो पर संतुष्ट उपभोक्ताओं का प्रतिशत मापने के लिए, 4–7 स्कोर को मान्यता दी गई थी, जहां 4 का अभिप्राय "असंतुष्ट नहीं", 5 का अभिप्राय "संतुष्ट", 6 का अभिप्राय "बहुत संतुष्ट" तथा 7 का अभिप्राय "अति संतुष्ट" था। उपभोक्ता संतुष्टि (सीएस) का परिकलन सीएस = (ए / एन)*100 सूत्र के उपयोग द्वारा किया जाता है, जिसमें ए उन उपभोक्ताओं का योग है, जो प्रत्येक व्यापक मानदंड पर "असंतुष्ट नहीं" + "संतुष्ट" + "बहुत संतुष्ट" + "अति संतुष्ट" थे और एन कुल उपलब्ध प्रतिदर्श आकार है।

सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट, हितधारकों की सूचना हेतु भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं।

भाग-IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन

क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

1. इस खंड में, भादूविप्रा के संगठनात्मक मामलों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गई है, विशेष रूप से जो संगठन, निधियन, मानव संसाधन से संबंधित है तथा इनमें भर्ती, प्रशिक्षण तथा सेमिनार के क्षेत्र और कुछ सामान्य मुद्दे शामिल किए गए हैं।

(क) संगठन

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) उपरोक्त नाम द्वारा एक निगमित निकाय है, जिसको सतत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुद्रा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, चल एवं अचल सम्पत्तियां अधिग्रहीत करने, धारण करने तथा निपटान करने और संविदा करने की शक्ति प्राप्त है तथा यह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा अथवा इसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम,

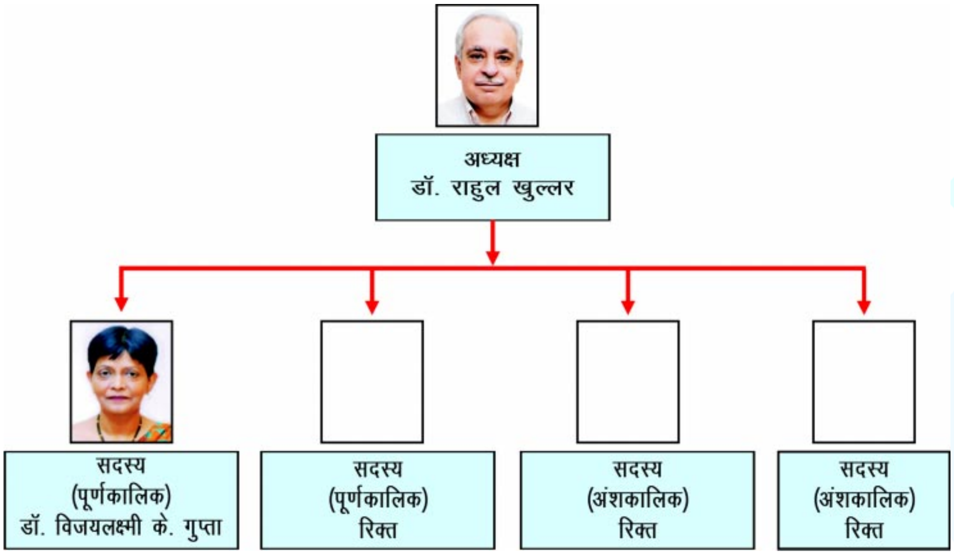

1997 के अधीन की गई थी। भादूविप्रा(संशोधित) अधिनियम, 2000 के परिणामतः प्राधिकरण का पुनर्गठन सम्पन्न हुआ। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दिनांक 31 मार्च, 2015 को प्राधिकरण का गठन पिछले पृष्ठ पर दिया गया है।

(ख) भादूविप्रा का सचिवालय (मुख्यालय)

3. प्राधिकरण एक सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता सचिव और सहायता सात प्रभागों द्वारा की जाती है, जो निम्नानुसार हैं :–

(1) सामान्य प्रशासन (जीए); (2) प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एवं सीएस); (3) उपभोक्ता मामले तथा सेवा की गुणवत्ता (सीए एवं क्यूओएस); (4) वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एवं ईए); (5) विधि; (6) नेटवर्क स्पेक्ट्रम तथा लाइसेन्सिंग (एनएसएल); (7) प्रौद्योगिकी विकास (टीडी)।

सामान्य प्रशासन

4. सामान्य प्रशासन प्रभाग सभी प्रशासनिक तथा कार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जिनमें भादूविप्रा में मानव संसाधन विकास की योजना एवं नियंत्रण के साथ प्राधिकरण के उपयोग के लिए भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए सभी विनियमों/निर्देशों/आदेशों के प्रवर्तन पर सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। सामान्य प्रशासन प्रभाग की जिम्मेदारी में प्रशासन एवं कार्मिक अनुभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग, संचार अनुभाग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुभाग, आरई एवं आरओ अनुभाग, राजभाषा अनुभाग, एमआर अनुभाग तथा आरटीआई अनुभाग के कार्यकलापों का प्रबंधन और नियंत्रण शामिल है। विनियामक प्रवर्तन के लिए भी, यह प्रभाग उत्तरदायी है, जो संबद्ध विनियम के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तथापि, सामान्य प्रशासन प्रभाग सभी प्रभागों के संबंध में सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करता है तथा प्राधिकरण के उपयोग हेतु सूचना का परितुलन करता है। यह प्रभाग अपने आईआर अनुभाग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करता है, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/निकायों जैसेकि आईटीयू, एपीटी, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, एडीबी, एसएटीआरसी, ओईसीडी तथा अन्य देशों में विनियामक निकाय शामिल हैं।

प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एवं सीएस) प्रभाग

5. प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एवं सीएस) प्रभाग प्राधिकरण को प्रसारण, केबल टीवी और एफएम रेडियो सेक्टरों के लिए समग्र विनियामक संरचना निर्धारित करने के संबंध में सलाह देने हेतु उत्तरदायी है, जिसके दायरे में अंतःसंयोजन, सेवा की गुणवत्ताा तथा टैरिफ पहलू सम्मिलित हैं, ताकि सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर अंतःसंयोजन, सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता तथा टैरिफ मानदंडों का कार्यान्वयन तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेन्स शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। बी एवं सीएस प्रभाग प्रसारण, केबल टीवी और एफएम रेडियो सेक्टरों के आधुनिकीकरण/डिजिटाइजेशन से संबंधित मुद्दों की जांच और उसके संबंध में सुझाव देने अथवा आवश्यक विनियामक संरचना निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रभाग को निगरानी तथा शिकायतों के संबंध में, विनियमों में निर्धारित अनुसार कार्रवाई करने, उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के हितों के संरक्षण के उपाय करने तथा प्रसारण,

केबल टीवी और एफएम रेडियो सेक्टरों में नई सेवाएं प्रारंभ करने के संबंध में सुझाव देने का कार्य भी सौंपा गया है।

उपभोक्ता मामले तथा सेवा गुणवत्ता (सीए एवं क्यूओएस) प्रभाग

6. उपभोक्ता मामले तथा सेवा गुणवत्ता (सीए एवं क्यूओएस) प्रभाग, दूरसंचार सेक्टर में उपभोक्ता समर्थन के विकास के लिए तथा भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बारे में उपभोक्ताओं में सामान्य जागरूकता सृजन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग देश भर के उपभोक्ता संगठनों तथा गैर–सरकारी संगठनों का भादूविप्रा के साथ पंजीकरण करता है और उनके साथ उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अन्योन्यक्रिया करता है। प्रभाग के उपभोक्ता हितों के संरक्षण के अन्य कार्यकलापों में देश के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन, भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों को जिला और ब्लॉक स्तर पर उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाओं के आयोजन में सहायता करना और परंपरागत उपभोक्ता शिकायतों की देखभाल करना शामिल है।

यह प्रभाग, सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता हेतु मानदंड निर्धारित करने; सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करने हेतु उत्तरदायी है। यह प्रभाग अंतःसंयोजन अनुबंधों तथा विनियमों में प्रावधानित अन्य सभी विषयों के रजिस्टर अनुरक्षित करने के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एवं ईए) प्रभाग

7. वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एवं ईए) प्रभाग, दूरसंचार सेवाओं की लागत क्रियाविधियों तथा लागत निर्धारण, लेखा पृथक्करण तथा सेवा प्रदाताओं के वित्तीय विवरणो के विश्लेषण इत्यादि से संबंधित सभी पहलुओं पर सुझाव देने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग, प्राधिकरण को समय–समय पर दूरसंचार सेवाओं हेतु उपयुक्त टैरिफ नीति तैयार करने; भारत में टैरिफ विनियमन के अधीन विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में सलाह देता है, जिनमें घरेलू लीज्ड सर्किट्स, अंतर्राष्ट्रीय लीज्ड सर्किट्स, तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं में राष्ट्रीय रोमिंग शामिल हैं। यह प्रभाग, लागत आधारित अंतःसंयोजन प्रभार तय करने संबंधी मामलों तथा भारत में दूरसंचार सेवा बाजार के विभिन्न खंडों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु उपायों पर भी सलाह देता है। यह प्रभाग "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट" का संकलन और तिमाही आधार पर इसका प्रकाशन भी करता है।

प्रधान सलाहकार (एफ एवं ईए) भादूविप्रा का आंतरिक वित्तीय सलाहकार भी होता है तथा प्राधिकरण को वित्तीय मामलों, आय एवं व्यय लेखा, वित्तीय लेखापरीक्षा तथा वित्तीय लेन–देन की संवीक्षा के विषय में सलाह देता है।

नेटवर्क स्पेक्ट्रम तथा लाइसेन्सिंग (एनएसएल) प्रभाग

8. नेटवर्क स्पेक्ट्रम तथा लाइसेन्सिंग (एनएसएल) प्रभाग अंतःसंयोजन के नियम एवं शर्तें निर्धारित करने, सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने, अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) निर्धारण सहित अंतःसंयोजन के सभी मुद्दों का संचालन करने

तथा उसकी समीक्षा करने, ऑप्टिकल एक्सेस मुद्दों तथा केबल लैंडिंग स्टेशनों से संबंधित एक्सेस प्रभारो के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग बेसिक, राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) लाइसेन्सों के नियम एवं शर्तों और इस प्रभाग द्वारा जारी किए गए विनियमों/निर्देशों/आदेशों के अनुपालन के लिए भी उत्तरदायी है।

यह प्रभाग, स्पेक्ट्रम के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के लिए भी उत्तरदायी है, जिनमें अन्य के साथ इसका दक्षतापूर्ण उपयोग तथा इसकी पुनर्रचना भी सम्मिलित है। यह नई वायरलेस प्रौद्योगिकी आरंभ करने से संबंधित मुद्दों तथा विनियामक मुद्दों को भी निपटाता है। यह प्रभाग, मोबाइल ऑपरेटरों को जारी किए गए लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों के अनुपालन संबंधी मुद्दों को देखने; मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सहित वायरलेस सेवा के विभिन्न मुद्दों/पहलुओं; सर्वसामान्य सेवा दायित्वों और दूरसंचार सेवाओं के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम के दक्षतापूर्ण प्रबंधन; मोबाइल सेवाओं से संबंधित तिमाही पीएमआर तैयार करने तथा आईटीयू/एपीटी अध्ययन समूह की गतिविधियों के संबंध में सुझाव देने का कार्य भी करता है।

विधि प्रभाग

9. विधि प्रभाग, प्राधिकरण को सभी विनियामक मुद्दों पर विधिक सलाह प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह प्रभाग उन सभी वाद मामलों का प्रबंधन करता है, जिसमें भादूविप्रा एक पक्ष होता है।

प्रौद्योगिकी विकास (टीडी) प्रभाग

10. दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास का समय के साथ पैदा होने वाली विनियामक पद्धतियों पर गहन प्रभाव पड़ता है। नए प्रकार के नेटवर्क एवं प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए एक सहायक विनियामक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो एक कालावधि में निश्चितता प्रदान करती है। भादूविप्रा का टीडी प्रभाग प्रौद्योगिकियों के प्रचलनों, उनके उपयोगों तथा संभावित उपयोग को समझने तथा चिन्हित करने के उद्देश्य के साथ दूरसंचार में तकनीकी अनुसंधान हेतु क्षमता निर्माण का प्रयास करता है, ताकि भादूविप्रा संचार बाजारों के विनियमन में सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं तथा नागरिकों की उलझनों को समझते हुए, समझदारी के साथ निर्णय कर सके। यह प्रभाग अगली पीढ़ी के नेटवर्क मामलों, दूरसंचार सेक्टर हेतु विनिर्माण, पर्यावरण संबंधी मुद्दों, आधार संरचना प्रबंधन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण तथा लोक संरक्षा और विभिन्न रूपों में परिवर्तन से जुड़े मुद्दों का कार्य करता है। ऐसे विनियमन तथा क्षेत्रों, जिनके लिए नए अथवा भिन्न विनियामक अथवा गैर–विनियामक अनुक्रियाओं की अपेक्षा है, के नए विकास की जटिलताएं विशेष महत्वपूर्ण होंगी। इस प्रभाग को स्थानीय तथा सुदूरवर्ती सर्वर्स सहित आईटी संसाधनों के प्रबंधन और टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट के प्रकाशन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है, जिसके प्रत्येक अंक में प्रौद्योगिकी पर फोकस किया जाता है।

(ग) मानव संसाधन

(i) भादूविप्रा मुख्यालय में स्टाफ की संख्या (31–03–2015 को)

11. भादूविप्रा के सचिवालय (एचक्यू) में कार्य संचालन हेतु कुल 186 (31–03–2015 को) स्टाफ सदस्य हैं, जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करते हैं। जहां आवश्यक होता है, परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

12. 31–03–2015 को भादूविप्रा (मुख्यालय) की स्टाफ संख्या अगले पृष्ठ पर दी गई है।

क्र. सं.	पद	स्वीकृत	वास्तविक
1	सचिव	01	01
2	प्रधान सलाहकार/सलाहकार	14	14
3	संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	35	27
4	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	03
5	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	37	24
6	पीपीएस	02	02
7	तकनीकी अधिकारी	12	12
8	अनुभाग अधिकारी	19	10
9	निजी सचिव	14	09
10	सहायक	48	47
11	लाइब्रेरियन	01	–
12	निजी सहायक	18	14
13	स्टेनो "डी"	01	–
14	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01	–
15	एलडीसी	07	02
16	चालक	15	13
17	पीसीएम ऑपरेटर	02	02
18	डिस्पैच राइडर	01	01
19	परिचर	08	05
	योग	**239**	**186**

13. भादूविप्रा (मुख्यालय) में सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/धारित पद	
1.	श्री सुधीर गुप्ता सचिव	
2.	श्री एन. परमेश्वरन प्रधान सलाहकार (एनएसएल)	

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/धारित पद	
3.	श्री सुरेश कुमार गुप्ता प्रधान सलाहकार (सीए एवं क्यूओएस) (टीडी)	
4.	श्री एस. के. मिश्रा प्रधान सलाहकार (एफ एवं ईए)	

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/धारित पद	
5.	श्री सुनील कुमार गुप्ता प्रधान सलाहकार (बी एवं सीएस)	
6.	श्री सी.पी.एस. बक्शी सलाहकार (प्रशा. एवं आईआर)	
7.	श्री वसी अहमद सलाहकार (बी एवं सीएस)-I	
8.	श्री सुनील कुमार सिंघल सलाहकार (बी एवं सीएस)-II	
9.	श्री अग्नेश्वर सेन सलाहकार (बी एवं सीएस/सीए)	
10.	श्री अरविन्द कुमार सलाहकार (एनएसएल)-I	
11.	श्री संजीव बांझल सलाहकार (एनएसएल)-II	
12.	श्री अमित मोहन गोविल सलाहकार (विधि)	
13.	श्री ए. रॉबर्ट जेरार्ड रवि सलाहकार (सीए एवं क्यूओएस)	
14.	श्री मनीष सिन्हा सलाहकार (एफ एवं ईए)	
15.	श्री मूर्ति प्रसाद तंगीराला सलाहकार (एफ एवं ईए)	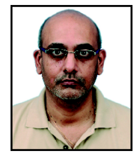

14. भादूविप्रा में पदाधिकारी प्रारंभतः सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले दूरसंचार, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन इत्यादि क्षेत्रों में अनुभवी इन पदाधिकारियों को प्रारंभ में दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके पश्चात, यदि अपेक्षित होता है, संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों को उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है। प्रशिक्षित और अनुभवी विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तार का प्रयास प्रायः कठिन सिद्ध होता है। जबकि प्राधिकरण के कार्यों का दायरा, स्तर और जटिलता लगातार तेजी से बढ़ रही है, प्राधिकरण इन प्रतिनियुक्तों को उनके मूल विभागों को वापस भेजे जाने के कारण प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिक की समस्या से जूझ रहा है। अतएव, प्राधिकरण ने भादूविप्रा में स्थायी रूप से समाहित करने के विकल्प के साथ विशिष्ट महारत और कौशलधारी स्टाफ का एक विशिष्ट वर्ग गठित किया है।

(ii) भर्ती

15. प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए पदाधिकारियों को समाहित कर, अधिकारियों तथा स्टाफ का अपना स्वयं का एक विशिष्ट वर्ग तैयार किया है। तथापि, अधिकांश प्रतिनियुक्त, विशेष रूप से वरिष्ठ और मध्य स्तर के पदाधिकारी स्थायी रूप से समाहित किए जाने के विकल्प का वरण नहीं करते हैं। इसलिए, इसके सचिवालय के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू से प्रतिनियुक्ति द्वारा कार्मिक भर्ती अभी जारी है। इसके दो कारण हैं। प्रथमतः, विद्यमान पारिश्रमिक पैकेज प्राधिकरण द्वारा आवृत्त क्षेत्रों में विशेषज्ञ तथा अनुभवी स्वतंत्र प्रतिभा को आकर्षित नहीं करता है। द्वितीयतः, सरकारी कर्मचारियों में, संबंधित विशेषज्ञता प्रमुख रूप से मंत्रालयों अथवा सरकारी स्वाधिकृत दूरसंचार ऑपरेटरों के पास उपलब्ध है। तथापि, सेवा के अनाकर्षक नियमों एवं शर्तों के कारण प्राधिकरण विशेषज्ञताधारक जनशक्ति भर्ती करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है।

(iii) प्रशिक्षण

16. भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्रों में विशेष रूप से टैरिफ और सेवा की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता पर सर्वेक्षण संचालन तथा अन्य उपभोक्ता संबंधी मामलों के क्षेत्र में अपने स्टाफ के लिए विशेषज्ञता विकसित करने के लिए मानव संसाधन पहलों को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। यह पहल, इसके अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए परामर्श दस्तावेज तैयार करने तथा प्राप्त सुझावों तथा प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने दोनों के माध्यम से प्राधिकरण के वास्ते परामर्शी प्रक्रिया में प्रभावोत्पादक ढंग से भाग लेने हेतु तथा खुला मंच चर्चा के दौरान भी उपयोगी सिद्ध हुई है। इससे दूरसंचार सेक्टर के नियंत्रण में उठने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए नीति संरचना विकसित करने में भी सहायता मिली है। प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के चयन तथा तैयार करने में, भादूविप्रा वृहद स्तर नीति और नीतियों के कार्यान्वयन तथा निगरानी हेतु प्रासंगिक तकनीकी–आर्थिक कार्य विवरण के संचालन के लिए विविध कौशल प्रदान करने हेतु प्रयास करता है। भादूविप्रा की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान अथवा तैयार किए व चलाए जाने की जरूरत को ध्यान में रखकर प्राधिकरण अपने अधिकारियों को संगठन के भीतर उनकी विशेषज्ञता के और अधिक विकास के लिए "संस्थानिक क्षमता निर्माण परियोजना" के अधीन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित करता है।

17. इस वर्ष, भादूविप्रा के कुछ अधिकारी विभिन्न संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु भेजे गए। अधिकारियों ने इन प्रशिक्षणों के माध्यम से बहुमूल्य जानकारियां हासिल की हैं तथा विनियामक कार्य के उनके संबद्ध क्षेत्र में उनका कौशल बढ़ा है। भादूविप्रा के 55 अधिकारी/पदाधिकारी विभिन्न घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजे गए थे, जिनमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्वतः डीओईएसीसी सोसायटी), नई दिल्ली के माध्यम से संचालित "आईटी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम" उच्च स्तर दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, बीएसएनएल, गाज़ियाबाद के माध्यम से संचालित "3जी मोबाइल, ब्रॉडबैंड एवं ओएफसी" तथा एनआईएफएम, फरीदाबाद एवं एएससीआई,

हैदराबाद के माध्यम से संचालित "लेखा एवं वित्त" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि सम्मिलित हैं।

18. भादूविप्रा की गृह प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं की एक उपयुक्त व्यवस्था भी मौजूद है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठ विशेषज्ञ दूरसंचार सेक्टर में नवीनतम विकास के बारे में अधिकारियो के साथ अन्योन्यक्रिया के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। ये भादूविप्रा द्वारा इसके अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए क्षमता निर्माण के लिए उठाए गए कदम हैं।

(iv) गोष्ठियां / कार्यशालाएं

19. विश्व भर में हो रहे विकास के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए, प्राधिकरण द्वारा इसके स्टाफ सदस्यों को 24 अंतराष्ट्रीय आयोजनों, बैठकों तथा संगोष्ठियों में प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया, जिससे इसकी अपनी नीति बनाने हेतु बहुमूल्य सुझाव/जानकारियां जुटाने में मदद के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवीनतम विकास की जानकारी मिली बल्कि भारत तथा अन्य कई देशों में प्रमुख विनियामक चिन्ताओं के मुद्दों पर फोकस करने में योगदान दिया है और भारत को वैश्विक सूचना सोसायटी में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाया है।

(v) कार्यालय परिसर

20. भारत सरकार की नीति के अनुसार, भादूविप्रा सरकारी पूल से कार्यालय परिसर के लिए पात्र कार्यालय है। परंतु, वर्ष 1997 में इसकी स्थापना के समय से भादूविप्रा किराए के परिसर से कार्यरत है। विगत अवधि में भादूविप्रा ने संचार एवं आईटी मंत्रालय के माध्यम से अपना स्वयं का कार्यालय परिसर प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए थे, परंतु ये सभी प्रयास निष्फल रहे। भादूविप्रा को दूरसंचार सेक्टर तथा प्रसारण एवं केबल सेवाओं के मामलों के नियंत्रण हेतु स्वायत्त विनियामक निकाय होने के नाते अपने स्वयं के कार्यालय परिसर की आवश्यकता है, ताकि इसके स्वायत्त चरित्र को अक्षुण रखा जा सके। वर्तमान में, भादूविप्रा का कार्यालय एमटीएनएल की बिल्डिंग में किराया आधार पर अवस्थित है।

(vi) भादूविप्रा स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टर

21. भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा विशेष लाइसेन्स के भुगतान पर सामान्य पूल आवास में बने रहने की अनुमति है, जो प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों से वसूल किया जा सकता है। प्रतिधारण की अनुमत अवधि, कर्मचारियों के सेवानिवृति अथवा प्राधिकरण में उनके सेवाकाल, जो भी पहले हो, तक होगी। सामान्य पूल आवासीय परिसर के आबंटन हेतु पात्रता भादूविप्रा द्वारा सम्पदा निदेशालय को विशेष लाइसेन्स शुल्क के भुगतान पर प्राधिकरण (भादूविप्रा) के दिल्ली सचिवालय में तैनात उन अधिकारियों तक सीमित होगी जो प्राधिकरण में नियुक्त किए जाने से पूर्व सामान्य पूल आवासीय परिसर के आबंटन हेतु ग्राह्य थे। पूर्ववर्ती स्थिति के दृष्टिगत, सम्पदा निदेशालय, भादूविप्रा में अधिकारियों अथवा स्टाफ को समाहित किए जाने के बाद न तो सामान्य पूल से आवास आबंटित कर रहा है और न ही पहले आबंटित आवास प्रतिधारण की अनुमति दे रहा है।

(घ) निधियन

22. भादूविप्रा एक स्वायत्त निकाय है तथा यह भारत की समेकित निधि से प्राप्त अनुदान द्वारा

पूर्णतः निधिकृत है। भादूविप्रा के कार्यों पर वर्ष 2014–15 में कुल व्यय 58.64 करोड़ रुपए था; इसमें से 10.66 करोड़ रुपए 2014–15 के दौरान "संस्थानिक क्षमता निर्माण परियोजना" पर व्यय किए गए थे, जिसमें कुछ परामर्शी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे।

23. भादूविप्रा का मानना है कि एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में कारगर तरीके से काम करने के लिए, इसका निधियन इसके नियंत्रितियों से प्रशासन की लागत के रूप में वसूल किए गए लाइसेन्स शुल्क के एक अल्पांश से किया जाना चाहिए और इसको इसके कर्मचारियों के नियम एवं शर्तें निर्धारण करने में नम्यता का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि यह गैर–सरकारी स्रोतों तथा अन्य स्तरों से प्रतिभाशाली व्यक्तियों/प्रोफेशनल्स को भर्ती कर सके। उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य राष्ट्रीय विनियामक निकायों जैसेकि आईआरडीए तथा एसईबीआई का निधीयन उनके द्वारा नियंत्रित सेक्टर से वसूल किए जाने वाले शुल्क के अंश से किया जाता है और इस प्रकार ये प्राधिकरण अपने कार्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इन निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

(ङ) भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

24. प्राधिकरण द्वारा देश भर में विभिन्न अवस्थितियों पर भादूविप्रा के 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्राधिकरण ने 2014–15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा की और चंडीगढ़, पटना, मुंबई, गुवाहाटी तथा लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बंद करने तथा हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरू, भोपाल, जयपुर एवं दिल्ली स्थित 6 क्षेत्रीय कार्यालय संशोधित लाइसेन्स सेवा क्षेत्रों के साथ जारी रखने का अनुमोदन किया। भादूविप्रा के ये क्षेत्रीय कार्यालय भादूविप्रा की क्षमता निर्माण परियोजना के अंश के रूप में योजना निधि के अधीन प्रायोगिक परियोजना आधार पर काम कर रहे हैं। संशोधित लाइसेन्स सेवा क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय की अवस्थितियां (2014–15 के दौरान) निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	भादूविप्रा के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति	प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन लाइसेन्स सेवा क्षेत्र
1	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, कोलकाता, उत्तर पूर्व, असम, बिहार
2	बेंगलुरू	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई
3	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु चेन्नई सहित, उड़ीसा
4	भोपाल	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
5	जयपुर	राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, गुजरात
6	दिल्ली	दिल्ली

भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्टाफ संख्या (31–03–2015 को)

25. 31–03–2015 को भादूविप्रा (क्षेत्रीय कार्यालयों) की स्टाफ संख्या निम्नानुसार थी :–

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	वास्तविक
1	सलाहकार	6	5
2	संयुक्त सलाहकार / उप सलाहकार	12	0
3	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	12	9
4	सहायक	6	2
	योग	**36**	**16**

26. **भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों में सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण (31.3.2015 को)**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम / पद	
1.	रूपा पाल चौधरी सलाहकार कोलकाता	
2.	जी. मुरलीधर सलाहकार हैदराबाद	
3.	अरविन्द सिन्हा सलाहकार भोपाल	

क्र.सं.	अधिकारी का नाम / पद	
4.	डा. सिबिचेन के. मैथ्यू सलाहकार बेंगलुरू	
5.	रामदेव आर्य सलाहकार जयपुर	
6.	रिक्त सलाहकार दिल्ली	

27. उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) की भूमिका और कार्य हैं :–

(i) टैरिफ से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के खुदरा टैरिफ की कारगर मानीटरिंग सुनिश्चित करना;

(ii) सेवा प्रदाताओं के साथ विनियामक तथा विपणन पहलुओं के संबंध में समुचित समन्वय करना;

(iii) सेवा की गुणवत्ता की मानीटरिंग तथा उपभोक्ता शिकायतों का निवारण;

(iv) खुला मंच चर्चा (ओएचडी) / भादूविप्रा के उपभोक्ता समर्थन समूहों (सीएजी) की बैठकें आयोजित करना;

(v) भादूविप्रा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा ऑडिट तथा सर्वेक्षण का समन्वय एवं निगरानी करना;

(vi) सीएजी का जिला/ब्लॉक स्तर तक विकास तथा सीएजी के साथ निकट अन्योन्यक्रिया करना;

(vii) उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करना;

(viii) डीओटी के टर्म प्रकोष्ठ के साथ निकट अन्योन्यक्रिया करना;

(ix) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियमों तथा अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(x) प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जो भादूविप्रा के मुख्यालय द्वारा इसको सौंपे जाते हैं अथवा जो भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों के निष्पादन हेतु आवश्यक हैं।

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम

28. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जो 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हुआ है, भादूविप्रा पर भी लागू होता है। तदनुसार अधिनियम के प्रावधानों की संगति में, प्राधिकरण ने भादूविप्रा में एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है, जिसकी सहायता केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा की जाती है। अधिनियम के तहत प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारियों को अपील प्राधिकारी तथा पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम और आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन प्रकाशित की जानी अपेक्षित सूचना भादूविप्रा की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।

29. वर्ष 2014–15 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अधीन 776 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों को तत्परता के साथ देखा गया और निर्धारित समयावधि के भीतर उनका जवाब दिया गया।

(छ) भादूविप्रा का आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणन

30. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा भादूविप्रा को दिसम्बर, 2004 में आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। यह तीन वर्ष की वैधता अवधि के साथ तीन बार 2007, 2010 तथा 2013 में नवीनीकृत किया गया। भादूविप्रा को प्रदान किया गया आईएसओ मानकों की वर्तमान श्रृंखला का आईएस/आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र नवम्बर, 2016 तक के लिए वैध है। भादूविप्रा में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन तथा प्रभाविता के मूल्यांकन हेतु बीआईएस द्वारा दिसम्बर, 2004 से प्रत्येक वर्ष में एक बार निगरानी ऑडिट संचालित किया गया था तथा तीन नवीनीकरण ऑडिट किए जा चुके हैं। गुणवत्ता ऑडीटरों ने क्यूएमएस कार्य संतोषजनक पाया है तथा बीआईएस द्वारा जारी लाइसेन्स जारी रखने की अनुशंसा की है।

31. अर्द्ध–वार्षिक आधार पर आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट संचालन से भी प्रणाली में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया गया है। भादूविप्रा में इस प्रयोजन हेतु 43 आंतरिक गुणवत्ता ऑडीटर्स हैं। सचिव द्वारा मासिक आधार पर तथा शीर्ष प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की जाती है।

(ज) राजभाषा नीति का क्रियान्वन

32. भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण में सचिव, भादूविप्रा के अंतर्गत राजभाषा अनुभाग, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा इस विषय में समय–समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के कार्यान्वयन का काम कर रहा है। भादूविप्रा संघीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु पूर्ण प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, जब कभी विनियम, प्रेस संचार, निविदा सूचनाएं, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं, यह विभिन्न प्रभागों की अनुवाद आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है।

33. भादूविप्रा के सभी प्रभागों तथा अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग, सलाहकार (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा की जाती है। ओएलआईसी की बैठकें हर तिमाही में नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में सरकारी कामकाज में राजभाषा का उपयोग निरंतर बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की जाती है तथा इस संबंध में भविष्य की कार्य–योजना भी तैयार की जाती है। राजभाषा से संबंधित कार्य को गति प्रदान करने के लिए समिति के सदस्यों से बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। रिपोर्ट अवधि के दौरान, ओएलआईसी की 4 बैठकें क्रमशः 17 जुलाई, 2014, 08 अक्टूबर, 2014, 31 दिसम्बर, 2014 तथा 31 मार्च, 2015 को आयोजित की गईं।

34. राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में, भादूविप्रा में 14 अगस्त, 2014 से 12 सितम्बर, 2014 तक "हिंदी माह" का आयोजन किया गया। इस अवधि में विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं यथा हिंदी निबन्ध लेखन, कविता पाठ, भाषण, टिप्पणी/प्रारूप तैयार करना इत्यादि का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के स्तर तक के अधिकारियों तथा स्टाफ ने प्रतियोगिता में अत्यंत उत्साह तथा प्रेरणा के साथ भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर, राजभाषा नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भादूविप्रा के अध्यक्ष का संदेश अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों के मध्य वितरित किया गया। भादूविप्रा द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 13 अक्टूबर, 2014 को आयोजित एक समारोह में नकद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। "हिंदी माह" सितम्बर के पूर्ण माह के दौरान कार्यालय के कार्य में हिंदी के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहन तथा प्रचार की दृष्टि से सफल सिद्ध हुआ है।

35. कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी का उपयोग निरंतर बढ़ाने के क्रम में भादूविप्रा में विगत छह वर्ष से अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक प्रोत्साहन योजना नामतः वार्षिक प्रोत्साहन योजना चल रही है। इस योजना के तहत अधिकारियों/कर्मचारियों को योजना अवधि के दौरान कार्यालय का कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह योजना, स्टाफ के बीच अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है तथा इससे स्टाफ पूरे वर्ष के दौरान अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करने हेतु प्रेरित हुआ है।

36. अधिकारियों/स्टाफ को टिप्पणी तथा प्रारूप तैयार करने का काम हिंदी में करना सरल बनाने के लिए और उनको संघ सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देने के लिए भादूविप्रा में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। इन कार्यशालाओं के दौरान प्रतिभागियों के बीच शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावली, सहायता/संदर्भ पुस्तकें इत्यादि वितरित की जाती हैं, जो उनको अपना कार्यालय कार्य हिन्दी में करने हेतु उपयोगी सिद्ध होती हैं। रिपोर्ट अवधि के दौरान, भादूविप्रा में 07 मई, 2014, 19 एवं 20 अगस्त, 2014, 31 दिसम्बर, 2014 तथा 31 मार्च, 2015 को चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

37. द्विभाषी पत्रिका "भादूविप्रा दर्पण" भादूविप्रा की प्रतिनिधि गृह पत्रिका है, जो अर्द्ध–वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट अवधि के दौरान "भादूविप्रा दर्पण" के दो अंक (अंक संख्या 15 एवं 16) प्रकाशित किए गए हैं। इन दोनों अंको को प्राधिकरण के अंदर तथा दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा व्यापक सराहना की गई है।

(झ) आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण का क्रियान्वयन

38. वर्ष के दौरान, भादूविप्रा में कोई सीधी भर्ती नहीं की गई। भादूविप्रा द्वारा पदोन्नति करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य योग्य श्रेणियों के लिए लागू आरक्षण के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में, उप सचिव के रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। भादूविप्रा में पदोन्नति से संबंधित सभी फाइलें, संपर्क अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है।

13 अक्टूबर, 2014 को भादूविप्रा में आयोजित हिंदी माह समारोह में प्रतियोगिता के विजेता को नकद पुरस्कार तथा विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए भादूविप्रा के सदस्य (पूर्णकालिक)

हिंदी माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिता के विजेता को नकद पुरस्कार तथा विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए सचिव, भादूविप्रा

(ख) वर्ष 2014–15 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित लेखे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखपरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23(2) के साथ पठित नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में श्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हैं, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत–बयानी से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में शामिल है – परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा साथ ही वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आंकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की

समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:–

i. हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट द्वारा लेखापरीक्षित तुलन–पत्र तथा आय व व्यय के लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23 (1) के अंतर्गत महालेखा–नियंत्रक द्वारा अनुमोदित "लेखे के एक समान फॉर्मेट" में तैयार किए गए हैं।

iii. हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लेखाबहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

iv. हम आगे सूचित करते हैं कि :–

अनुदान सहायता

1. गैर–योजनागत

वर्ष के दौरान प्राप्त 4540 लाख रुपये (पूर्व के वर्ष के 290 लाख रुपये के अव्ययित शेष सहित) के सहायता अनुदान (गैर–योजनागत) में से 31 मार्च, 2015 तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 4359 लाख रुपये का उपयोग कर पाया तथा 181 लाख रुपये की राशि शेष बच गई।

2. योजनागत

इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्राप्त 1399 लाख रुपये (पूर्व के वर्ष के 99 लाख रुपये के अव्ययित शेष सहित) के सहायता अनुदान (योजनागत) में से 31 मार्च, 2015 तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1263 लाख रुपये का उपयोग कर पाया तथा 136 लाख रुपये की राशि शेष बच गई।

i. पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार है।

ii. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण मामलों एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुबंध–I** में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के व्यवसाय की स्थिति के दिनांक 31 मार्च, 2015 (योजना और गैर–योजनागत दोनों) के तुलन पत्र से संबंधित है, और

(ख) जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखे (योजना और गैर–योजनागत दोनों) से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/–

(मीरा स्वरूप)
महानिदेशक–लेखापरीक्षा (डाक एवं तार)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 29 अक्टूबर, 2015

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुबंध–I

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण का स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग है जिसके प्रभारी एसआरओ (आईए) हैं, जो सचिव भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सीधे रिपोर्ट करते है। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिये इसे सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात् आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित प्रभागों को अग्रेषित किया जाता है। प्रभागों द्वारा की गई कार्यवाही की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्राधिकार

आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन का क्षेत्राधिकार तथा कार्यकरण, कार्य के स्वरूप, अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, व्यय का स्वरूप तथा प्रमात्रा आदि पर निर्भर करता है। वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा उन पर नियमित रूप से कार्य की जाती है। तथापि, विशिष्ट रूप से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संगठन के कर्तव्यों तथा कार्यकरणों को विनिर्दिष्ट करते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा की नियम पुस्तिका तैयार की जा रही है।

आंतरिक लेखा परीक्षा के कर्तव्य

आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन के कर्तव्यों में निम्नवत शामिल हैं :–

(i) विहित लेखांकन प्रक्रियाओं का इस दृष्टिकोण से अध्ययन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सटीक, पर्याप्त तथा किसी त्रुटि तथा चूक से मुक्त हों;

(ii) विहित प्रक्रियाओं तथा समय–समय पर जारी आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(iii) लेखांकन इकाईयों की संवीक्षा तथा भुगतान और लेखांकन कार्य की जांच करना;

(iv) सभी लेखा अभिलेखों की आवधिक समीक्षा करना;

(v) प्रत्येक योजना का मूल्यांकन, निगरानी तथा आंकलन करना;

(vi) सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता, विषेशरूप से वित्तीय प्रणालियों के सटीक स्थिति में होने और वित्तीय तथा लेखांकन रिपोर्टों की विश्वसनीयता का आंकलन करना;

(vii) परिणामी बजट में अंतर्विष्ट जोखिम कारकों सहित, जोखिम कारकों की पहचान तथा निगरानी करना;

(viii) मध्यावधि में सुधार करने के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना।

लेखापरीक्षा की प्रमात्रा

आंतरिक लेखापरीक्षा ने पिछले निरीक्षण से लेकर आज तक कार्यालय द्वारा रख–रखाव किये गये सभी अभिलेखों की एक सामान्य

समीक्षा की है। सामान्य समीक्षा के अलावा, इसने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभारी द्वारा वर्ष में कम से कम चयनित एक माह के लेखा अभिलेखों की व्यापक जांच भी की है। जांच की सीमा तथा स्वरूप में निम्नवत शामिल है:

(क) आहरण और संवितरण अधिकारी के कार्यालय में अनुरक्षित किये जाने हेतु अपेक्षित लेखा अभिलेखों की व्यापक रूप से संवीक्षा;

(ख) आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं सहित भुगतान तथा लेखा प्रक्रियाओं की जांच;

(ग) यह जांच करना कि बिलों में की गई वसूलियां तथा कटौतियां ठीक हैं; जहां कहीं भी अपेक्षित हो जांच करना कि स्रोत पर ठीक से ब्याज को काटा गया है अथवा उसका ठीक से हिसाब–किताब रखा गया है;

(घ) संस्वीकृति प्रदान किये जाने तथा क्रय प्रक्रिया की संवीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी भी त्रुटि तथा चूक से मुक्त हों; संविदा की निबंधन और शर्तों के संबंध में संविदाओं की जांच करना;

(ड.) परिसम्पत्तियों के निपटान आदि हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं की जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका अनुपयोगी घोषित किए जाने तथा निपटान किए जाने हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप निपटान किया गया है;

(च) सटीक बीजगणित परिकलन के साथ भुगतान हेतु निर्धारित नियमों तथा आदेशों के अनुरूप ही भुगतान किया जाए;

(छ) वित्तीय तथा लेखा निहितार्थों वाले क्षेत्रों में कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा अपनाई गई सामान्य कार्यालय प्रबंधन प्रक्रियाओं की संवीक्षा करना ताकि प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण को चुस्त–दुरुस्त बनाने, व्यय को कम किए जाने अथवा लेखा को सुग्राही बनाने के लिये उपाय सुझाए जा सकें।

प्राप्तियों की जांच

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में संबंधित प्रभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है कि सभी राजस्व (शुल्क/दण्ड आदि) अथवा प्राधिकरण की देयताओं का सटीकता तथा उपर्युक्त रूप से निर्धारण किया जाए, उनकी वसूली की जाए तथा संबंधित खातों में जमा किया जाए।

आंतरिक लेखापरीक्षा ने यह पता लगाने के लिए अनिवार्य जांच की है कि क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी राजस्व प्राप्तियों तथा प्रतिदायों के संग्रहण तथा लेखाकरण की प्रभावी जांच के लिये पर्याप्त विनियम और प्रक्रियाएं विहित की हैं और उनका सही ढंग से पालन किया जा रहा है।

आंतरिक लेखापरीक्षा किए जाने की अवधि

महत्वपूर्ण इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार की गई थी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आकार तथा कार्यकरण के स्वरूप के आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्तता

प्राधिकरण ने प्राधिकरण के अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन के निर्धारण, सलाहकार की कार्याविधि को बढ़ाने, व्यक्तिक दावों के निपटान, यात्रा भत्ते के दावे, अधिकारियों और कर्मचारिवृंदों के प्रशिक्षण तथा अध्ययन दौरों से संबंधित

विभिन्न मामलों हेतु नीतियां तथा प्रक्रियाएं तैयार की हैं। इनका पालन किया जा रहा है। नकदी की प्राप्ति तथा संवितरण तथा नकदी बही का रखरखाव संगत नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में उपर्युक्त रूप से किया गया है। नकदी की वास्तविक जांच नियमित रूप से की गई है तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा विहित शेष नकदी की अधिकतम सीमा का रखरखाव किया गया था। प्राधिकरण द्वारा योजनागत तथा गैर योजनागत–दो प्रकार की निधियों का रखरखाव किया जाता है तथा प्रत्येक निधि के लिए पृथक लेखा बही का रखरखाव किया जा रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सामान्य निधियों का दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा रखरखाव किया गया है। भारत सरकार से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को योजनागत तथा गैर–योजनागत शीर्षों के तहत प्राप्त होने वाले अनुदानों को इस निधि में जमा किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय को दूरसंचार विभाग द्वारा योजनागत और गैर–योजनागत शीर्षों के तहत अनुदान जारी किया जाता है और प्राप्त अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार विभाग को उपलब्ध कराए जाते हैं।

हमारे विचार से, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके आकार और कार्यकरण के स्वरूप से अनुरूप है।

(3) स्थायी परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में रजिस्टरों का हाथ से तथा कम्प्यूटरीकृत ढंग से रखरखाव किया जाता है। परिसम्पत्तियों/भण्डार सामग्री की वास्तविक जांच हेतु एक समिति का गठन किया जा रहा है।

हमारे विचार से, संगठन की स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(4) मालसूची की वास्तविक जांच हेतु प्रणाली

मालसूची के अभिलेखों का उपर्युक्त ढंग से रखरखाव किया गया है। वर्ष 2014–15 के लिये मालसूची की वास्तविक जांच की गई है।

हमारे विचार से, भण्डार के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(5) सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य सांविधिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं है।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि–रुपये)

	अनुसूची	गैर–योजना		योजना	
		चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
संग्रह/पूंजीगत निधि	1	22,62,52,597	13,10,72,337	65,40,90,217	45,79,41,975
आरक्षित एवं अधिशेष	2				
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3				
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4				
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5				
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6				
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	19,69,79,662	15,80,28,429	7,73,25,540	8,81,89,019
कुल		**42,32,32,259**	**28,91,00,766**	**73,14,15,757**	**54,61,30,994**
परिसंपत्तियां					
स्थायी परिसंपत्तियां	8	1,61,87,431	2,11,42,180	7,30,78,721	6,12,44,135
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9				
निवेश – अन्य	10				
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	40,70,44,828	26,79,58,586	65,83,37,036	48,48,86,859
विविध खर्च (बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)					
कुल		**42,32,32,259**	**28,91,00,766**	**73,14,15,757**	**54,61,30,994**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25				

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि–रुपये में)

	अनुसूची	गैर–योजना		योजना	
		चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
आय					
बिक्री/सेवाओं से आय	12				
अनुदान/सब्सिडी	13	41,50,00,000	41,00,00,000	300,000,000	22,00,00,000
शुल्क/अंशदान	14				
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15				
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16				
अर्जित ब्याज	17	1,48,898	2,41,775	3,756	
अन्य आय	18	15,98,47,834	15,73,61,030	1,459	
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19				
कुल (क)		**57,49,96,732**	**56,76,02,805**	**30,00,05,215**	**22,00,00,000**
व्यय					
स्थापना व्यय	20	22,57,03,861	20,40,57,521		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	24,69,71,933	23,66,98,713	10,06,97,598	10,08,29,431
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22				
ब्याज	23				
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)		71,66,449	57,75,308	58,68,861	32,24,977
कुल (ख)		**47,98,42,243**	**44,65,31,542**	**10,65,66,459**	**10,40,54,408**

	अनुसूची	गैर–योजना		योजना	
		चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)					
विशेष आरक्षित को अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)					
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण					
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष		9,51,54,489	12,10,71,263	19,34,38,756	11,59,45,592
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25				

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31—03—2015 की स्थिति के अनुसार तुलन—पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 — संग्रह/पूंजीगत निधि

(राशि—रुपये में)

	गैर—योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
वर्ष के आरंभ में शेष	131,072,337	10,377,491	45,79,41,975	34,20,37,200
जोड़ें/घटाएंः संग्रह/पूंजीगत निधि की ओर योगदान	25,771	-376,417	27,09,486	-40,817
जोड़ें/(कटौती) : आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	9,51,54,489	12,10,71,263	19,34,38,756	11,59,45,592
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**22,62,52,597**	**13,10,72,337**	**65,40,90,217**	**45,79,41,975**

अनुसूची 2 — आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि—रुपये में)

	गैर—योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1. पूंजी रिजर्व	-		-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-		-
वर्ष के दौरान जमा	-		-	-
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

ह0/—
सलाहकार

अनुसूची–3 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि–रुपये में)

	निधिवार ब्यौरा				कुल			
					योजनेत्तर		योजना	
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
क) निधि का प्रारंभिक शेष ख) निधि में जमा राशियां i. दान/अनुदान ii. निधियों में से किए निवेश से आय iii. अन्य प्राप्तियां (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)								
योग (क+ख)								
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय i. पूंजीगत व्यय - स्थायी परिसंपत्तियां - अन्य					शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल								
ii. राजस्व व्यय - वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि - किराया - अन्य प्रशासनिक व्यय								
कुल								
योग (ग)								
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)								

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संबंध शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।
2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 4 – प्रतिभूति ऋण एवं उधार

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
4. बैंक -	-	-	-	
क) सावधि–ऋण	-	-	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-	-	-
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची 5 – अप्रतिभूति ऋण एवं उधार

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं		-		-
4. बैंक -		-		
क) सावधि–ऋण		-		-
– ब्याज प्रोद्भूत और देय		-		-
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		-		-
– ब्याज प्रोद्भूत और देय		-		-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर और बॉण्ड		-		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग		-		-

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1. पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के आडमान द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-	-	-
2. अन्य	-	-	-	-

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
क. चालू देयताएं				
1) स्वीकार्यता	-	-	-	-
2) विविध ऋणदाता	-	-	-	-
क) वस्तुओं के लिए	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
3) प्राप्त अग्रिम	-	-	-	-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:	-	-	-	-
क) प्रतिभूति ऋण/उधार	-	-	-	-
ख) अप्रतिभूति ऋण/उधार	-	-	-	-
5) सांविधिक देयताएं	-	-	-	-
क) अतिदेय	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
6) अन्य चालू देयताएं	-	-	-	-
1) ट्राई सामान्य निधि (ईएमडी) के लिए	11,81,500	14,15,900	67,500	3,16,942
2) टेलीमार्किटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए	-	-	-	-
3) ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए	-	-	-	-
4) टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	-	-	-	-
कुल (क)	**11,81,500**	**14,15,900**	**67,500**	**3,16,942**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
2. ग्रेच्युटी	3,17,21,294	2,57,04,542	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन				
4. संचित अवकाश नकदीकरण	3,53,04,506	2,81,82,416	-	-
5. व्यापार वारंटी/दावे				
6. अन्य (निर्दिष्ट करें) व्यय के लिए प्रावधान	128,772,362	10,27,25,571	7,72,58,040	8,78,72,077
कुल (ख)	**19,57,98,162**	**15,66,12,529**	**7,72,58,040**	**8,78,72,077**
कुल (क+ख)	**19,69,79,662**	**15,80,28,429**	**7,73,25,540**	**8,81,89,019**

ह0/–

संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां गैर–योजना

(राशि–रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) फ्रीहोल्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लीज़होल्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. वाहन	86,84,212	–	8,23,313	78,60,899	41,39,681	7,95,691	6,20,095	43,15,277	35,45,622	45,44,531
5. फर्नीचर, फिक्सचर	1,99,14,200	8,96,618	–	2,08,10,818	1,36,80,328	16,41,457	–	1,53,21,785	54,89,033	62,33,872
6. कार्यालय उपस्कर	1,16,77,498	12,25,696	67,000	1,28,36,194	96,42,980	11,64,254	26,319	1,07,80,915	20,55,279	20,34,518

(क्रमशः...)

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां गैर–योजना (जारी...)

(राशि–रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
7. कंप्यूटर / पेरिफिरल	3,19,27,593	2,32,996	–	3,21,60,589	2,70,87,596	20,32,741	–	2,91,20,337	30,40,252	48,39,997
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन	76,70,717	90,047	–	77,60,764	42,92,283	14,35,348	–	57,27,631	20,33,133	33,78,434
9. पुस्तकालय पुस्तकें	37,80,960	10,242	–	37,91,202	36,70,132	96,958	–	37,67,090	24,112	1,10,828
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चालू वर्ष का योग	8,36,55,180	24,55,599	890,313	8,52,20,466	6,25,13,000	71,66,449	6,46,414	6,90,33,035	1,61,87,431	2,11,42,180
पिछला वर्ष	7,88,82,334	54,66,122	6,93,276	8,36,55,180	5,73,85,028	57,75,308	6,47,336	6,25,13,000	2,11,42,180	2,14,97,306
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां योजना

(राशि–रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि -	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) फ्रीहोल्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लीज़जोल्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. संयत्र मशीनें एवं उपकरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. फर्नीचर, फिक्सचर	17,24,714	1,36,702	–	18,61,416	244,092	1,65,697	–	4,09,789	14,51,627	1,480,622
6. कार्यालय उपस्कर	18,25,608	4,57,653	–	22,83,261	470,576	4,77,213	–	9,47,789	13,35,472	1,355,032

(क्रमशः...)

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां योजना (जारी...)

(राशि–रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
7. कंप्यूटर / पेरिफिरल	6,31,86,975	–	63,226	6,31,23,749	4,826,269	51,76,214	26,979	99,75,504	5,31,48,245	58,360,706
7क. सर्वर और लैन (कार्य प्रगति पर)	–	1,71,32,399	–	1,71,32,399	–	–	–	–	1,71,32,399	–
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन	–	12,940	–	12,940	–	1,962	–	1,962	10,978	–
9. पुस्तकालय पुस्तकें	3,64,407	–	–	3,64,407	3,16,632	47,775	–	3,64,407	–	47,775
चालू वर्ष का योग	**6,71,01,704**	**1,77,39,694**	**63,226**	**8,47,78,172**	**58,57,569**	**58,68,861**	**26,979**	**1,16,99,451**	**7,30,78,721**	**6,12,44,135**
पिछला वर्ष	**1,95,92,034**	**47,538,670**	**29,000**	**6,71,01,704**	**26,39,804**	**32,24,977**	**7,212**	**58,57,569**	**6,12,44,135**	**1,69,52,230**
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुसूची 10 – अन्य निवेश

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
क. चालू परिसंपत्तियांः				
1. सामान				
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड	-	-	-	-
तैयार माल	-	-	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
कच्चा माल	-	-	-	-
2. विविध ऋण				
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया ऋण	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	52,214	1,20,060	-	-
4. बैंक शेषः				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-		-
- चालू खाता ट्राई सामान्य निधि पर	2,43,14,898	3,17,85,009	13,361,434	1,04,79,312
- चालू खाता पंजीकरण शुल्क पर	2,32,000	2,32,000	-	-
टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	2,34,95,840	1,65,26,783	-	-
- बचत खाता ग्राहक शिक्षा शुल्क पर	7,21,52,777	6,07,46,851	-	-
- बचत खाता वित्तीय निवर्तक पर	25,48,63,211	11,35,56,707	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ				
- चालू खाता पर	-	-	-	-
- जमा खाते पर	-	-	-	-
- बचत पर	-	-	-	-
5. डाकघर बचत खाता	-	-	-	-
कुल (क)	**37,51,10,940**	**22,29,67,410**	**1,33,61,434**	**1,04,79,312**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण				
क) स्टाफ	11,77,328	17,70,800	-	-
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं				
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को टीए, एलटीसी एवं त्यौहार अग्रिम)	1,35,500	20,12,480	-	9,07,547
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः				
क) पूंजीगत खाते पर	2,75,00,000	3,75,00,000	643,500,000	47,35,00,000
ख) पूर्व भुगतान				
ग) अन्य	9,08,999	8,59,928	1,475,602	-
3. प्रोद्भूत आय				
क) निधार्रित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर				
ख) निवेश – अन्य पर				
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	17,22,968	22,86,559	-	-
घ) अन्य (देय आय में वसूली न गई राशि सहित)				
5. दावे प्राप्त योग्य	4,89,093	5,61,409	-	-
कुल (ख)	**3,19,33,888**	**4,49,91,176**	**64,49,75,602**	**47,44,07,547**
कुल (क + ख)	**40,70,44,828**	**26,79,58,586**	**65,83,37,036**	**48,48,86,859**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1. बिक्री से आय	-	-	-	-
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री	-	-	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-
ग) स्क्रैप से बिक्री	-	-	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-	-	-
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं	-	-	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
(अपरिवर्तनीय अनुदान एवं प्राप्त सहायता)				
1) केन्द्र सरकार	41,50,00,000	41,00,00,000	30,00,00,000	22,00,00,000
2) राज्य सरकार (रें)				
3) सरकारी एजेंसियां				
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय				
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन				
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल	**41,50,00,000**	**41,00,00,000**	**30,00,00,000**	**22,00,00,000**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1. प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-	-	-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणीः–प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिएं।

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से किए गए निवेश से हुई आय का निधि में अंतरण)				
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2) लाभांश	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-		-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3) किराया	-	-	-	-
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल				
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित				

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1. रॉयल्टी से आय	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1) सावधि जमा पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-		-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-		-
घ) अन्य	-		-	-
2) बचत खाते पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-		-
घ) अन्य	-	-	-	-
3) ऋणों पर	-	-	-	-
क) कर्मचारी / स्टाफ	1,48,898	2,41,775	3,756	-
ख) अन्य	-	-	-	-
4) देनदारों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-	-	-
कुल	**1,48,898**	**2,41,775**	**3,756**	**-**

टिप्पणी :–स्रोत पर काटा गया कर, दर्शाया जाए।

ह0 / –
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ	-	-	-	-
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	204,184	-	-
ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-	-	-
4. विविध आय	1,66,347	69,631	1,459	-
5. टेलीमार्केटर से पंजीकरण शुल्क	-	98,000	-	-
6. टेलीमार्केटर से ग्राहक जागरूकता शुल्क	1,14,05,926	3,96,72,723	-	-
7. टेलीमार्केटर से जुर्माना	69,69,057	38,62,652	-	-
8. वित्तीय निरूत्साहन	14,13,06,504	11,34,53,840	-	-
कुल	**15,98,47,834**	**15,73,61,030**	**1,459**	**-**

अनुसूची 19 – निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
क) अंतिम स्टॉक				
- तैयार माल	-	-	-	-
- चल रहे कार्य	-	-	-	-
ख) घटाएं प्रारंभिक स्टॉक				
- तैयार माल	-	-	-	-
- चल रहे कार्य	-	-	-	-
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	**-**	**-**	**-**	**-**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
क) वेतन एवं मजदूरी	18,36,04,659	16,34,81,888	-	-
ख) भत्ते एवं बोनस	2,73,577	2,85,789	-	-
ग) भविष्य निधि में योगदान	49,08,811	44,84,133	-	-
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)			-	-
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च	5,00,941	5,20,248	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ	2,45,55,823	2,40,44,617	-	-
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को एलटीसी, मेडिकल और स्टाफ को ओटीए)	1,18,60,050	1,12,40,846	-	-
कुल	**22,57,03,861**	**20,40,57,521**	**-**	**-**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
क) खरीद	-	-	-	-
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय	-	-	-	-
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार	-	-	-	-
घ) विद्युत एवं पॉवर	18,85,340	17,44,264	-	-
ड़) जल प्रभार	-	-	-	-
च) बीमा	1,00,679	1,17,588	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	49,56,131	22,74,934	-	-
ज) सीमा शुल्क	-	-	-	-
झ) किराया, दर और कर	17,97,69,793	16,21,96,118	-	-
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव	22,71,580	29,46,056	-	-
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	71,50,734	74,56,065	-	-
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	50,06,366	55,88,511	-	-
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	99,92,052	1,12,54,973	-	-
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय	35,622	38,992	-	-
त) अंशदान व्यय	31,963	4,35,857	-	-
थ) शुल्क पर व्यय			-	-
द) लेखापरीक्षकों का पाश्रिमिक	1,48,070	2,40,955	-	-
ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क	14,69,957	13,41,827	-	-
न) पेशेवर शुल्क	1,96,75,359	2,61,57,462	-	-
प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
फ) बट्टे खाते डाला गया अवूसलनीय शेष	-	-	-	-
ब) संपत्तियों की बिक्री से हानि	60,718	-	-	-
भ) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-	-	-
म) वितरण व्यय	-	-	-	-
य) विज्ञापन एवं प्रचार	10,06,065	11,17,796	-	-
र) अन्य	-	-	-	-
(i) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि को भुगतान)	1,34,11,504	1,37,87,315	-	-
(ii) क्षमता निर्माण पर खर्च	-	-	10,06,97,598	10,08,29,431
कुल	**24,69,71,933**	**23,66,98,713**	**10,06,97,598**	**10,08,29,431**

ह0/–

संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-	-	-
क) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें।

अनुसूची 23 – ब्याज

(राशि–रुपये में)

	गैर–योजना		योजना	
	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
क) सावधि ऋणों पर	-	-	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-		-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.3.2015 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि–रुपये में)

प्राप्ति	गैर–योजना चालू वर्ष 2014-15	गैर–योजना पिछला वर्ष 2013-14	योजना चालू वर्ष 2014-15	योजना पिछला वर्ष 2013-14
I. आरंभिक शेष				
क) हाथ में नकदी	120060	99902		1
i) चालू खाते में	31785009	36934014	10479312	42175612
ii) जमा खाते में				
iii) बचत खाते – दंड	16526783	12664131		
पंजीकरण शुल्क	232000	134000		
ग्राहक शिक्षा शुल्क	60746851	21074128		
वित्तीय निवर्तक	113556707	102867		
II. प्राप्त अनुदान				
क) केंद्र सरकार से	425000000	387500000	130000000	72500000
ख) राज्य सरकार से				
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें) (पूंजी एवं राजव्य व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए)				
III. निम्न में निवेश से आय				
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि				
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)				
IV. प्राप्त ब्याज				
क) बैंक जमा पर				
ख) ऋण, अग्रिम आदि	715481	228835	5215	
ग) विविध	25771			

भुगतान	गैर–योजना चालू वर्ष 2014-15	गैर–योजना पिछला वर्ष 2013-14	योजना चालू वर्ष 2014-15	योजना पिछला वर्ष 2013-14
I. व्यय				
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	199810756	178887124		
ख) प्रशासनिक (अनुसूची 21 के अनुरूप)	233936025	208028204	99647755	96248906
II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)				
III. किए गए निवेश एवं जमा				
क) निर्धारित/बंदोबस्ती से				
ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)				
IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय				
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	2138261	5520075	26657841	766715
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय				
V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी				
क) भारत सरकार को				
ख) राज्य सरकार को				
ग) निधियों के लिए अन्य प्रदाताओं को (उपभोक्ता संरक्षण निधि)				
डीओटी को टेलीमार्किटर्स के पंजीकरण शुल्क के लिए				
डीओटी को ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए				

(क्रमशः...)

(राशि–रुपये में)

प्राप्ति	गैर–योजना चालू वर्ष 2014-15	गैर–योजना पिछला वर्ष 2013-14	योजना चालू वर्ष 2014-15	योजना पिछला वर्ष 2013-14	भुगतान	गैर–योजना चालू वर्ष 2014-15	गैर–योजना पिछला वर्ष 2013-14	योजना चालू वर्ष 2014-15	योजना पिछला वर्ष 2013-14
					VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)				
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)									
विविध आय को	166347	69631			VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)				
					ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा	234400	1031994	817497	7433058
VI. उधार ली गई राशि					VIII. अंतिम शेष				
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)					क) हाथ में नकदी	52214	120060		
					ख) बैंक शेष				
प्रतिभूति जमा से	2490705	335900		252468	1) चालू खाता में – ट्राई सामान्य निधि	24314898	31785009	13361434	10479312
					i) चालू खाता में – पंजीकरण शुल्क	232000	232000		
परिसंपत्तियों की बिक्री से	183181	204184			ii) जमा खाता में				
ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा से					2) बचत खाता				
पंजीकरण शुल्क से	-	98000			i) ग्राहक शिक्षा शुल्क	72152777	60746851		
ग्राहक शिक्षा शुल्क से	11405926	39672723			ii) टेलीमार्किटर्स से दंड	23495840	16526783		
टेलीमार्किटर्स से लिए दंड से	6969057	3862652			iii) वित्तीय निवर्तक	254863211	113556707		
वित्तीय निवर्तक से	141306504	113453840							
कुल	**811230382**	**616434807**	**140484527**	**114928081**	**कुल**	**811230382**	**616434807**	**140484527**	**114927991**

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)

ह0/–
सचिव

ह0/–
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा परंपराएं

(क) गैर–योजना और योजना दोनों के लिए उचित और स्पष्ट वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450–490 दिनांकित 23.07.2007 द्वारा अनुमोदित ''खातों के एकसमान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

(ख) चालू वर्ष अर्थात, 2014–15 के लिए लेखा संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) खाता बहियों में सभी निर्विवादित और ज्ञात देनदारियों के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपयों में समेकित कर दिया गया है।

(ङ) तथ्यों और इस मामले में शामिल कानूनी पहलुओं के सावधानी से मूल्यांकन के बाद आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियों को आवक भाड़े, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष खर्च को समावेशी अधिग्रहण की लागत में दर्शाया गया है।

3. मूल्यह्रासः

(क) अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के भाग ''सी'' की निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति से दिया गया है, जिसमें नीचे वर्णित श्रेणियों की संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन पर मूल्यह्रास उच्च दरों से लगाया गया है।

वर्ग	कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्यह्रास दर	लागू मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	19.00%	19.00%*
फर्निचर और फिक्स्चर	9.50%	10.00%
विद्युत उपस्कर	9.50%	10.00%
एयर कंडीशनर	9.50%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	6.33%	20.00%

** कार्यालय उपस्करों में कार्यालय संबंधी उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को मुहैया कराए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2007 के आदेश संख्या 2–1/97-LAN के तहत DoT के पैटर्न पर इन हैंडसेटों को तीन वर्षों में मुहैया/बट्टे खाते में डालने का निश्चय किया है। तदनुसार, 2007–08 से मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से प्रभारित किया गया हैं।*

(ख) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के परिवर्धन के संबंध में, मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर माना जाता है।

(ग) 5000 / – रुपये या कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती हैं।

4. विदेशी मुद्रा लेनदेनः

विदेशी मुद्राओं में नामित लेन–देन को लेन–देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में 31.03.2015 के लिए समय–समय पर बुनियादी नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, वर्ष 2014–15 के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्यूटी का प्रावधान बीमांकिक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6. सरकारी अनुदानः

(क) चालू वर्ष के दौरान विशिष्ट स्थायी संपत्तियों के संबंध में कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) सरकारी अनुदान का हिसाब सरकार द्वारा अनुमोदित आरई 2014–15 के आधार पर किया गया है।

(ग) टेलीमार्किटर्स और वित्तीय निवर्तक पर दंड के खाते में प्राप्त राशि का नकदी आधार पर हिसाब किया गया है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएंः

संस्था के खिलाफ ऋण के रूप स्वीकार नहीं किए गए दावे, वर्तमान वर्ष में (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)

2. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमः

प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर एक मूल्य है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

3. कराधानः

ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 32 के अनुसार, ट्राई को संपत्ति और आय पर कर से छूट दी गई है।

4. अनुदान

2014–15 अर्थात् लेखा वर्ष के दौरान, ट्राई के सामान्य कोष में गैर–योजना शीर्ष के तहत हस्तांतरण के लिए अनुमोदित अनुदान 41.50 करोड़ रुपए था, जिसमें से 42.50 करोड़ रुपए की राशि दूरसंचार विभाग से अनुदान के रूप में प्राप्त की गई थी। दूरसंचार विभाग से प्राप्य 2.75 करोड़ रुपए की राशि अनुसूची–11 में '' अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशि'' शीर्ष के तहत दिखाया गया है।

इसी तरह, खाते के ट्राई सामान्य निधि में योजना शीर्ष के तहत हस्तांतरण के लिए 30.00 रुपये का अनुदान अनुमोदित किया गया था, जिसके खिलाफ दूरसंचार विभाग से 13.00 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त की गई थी। दूरसंचार विभाग से प्राप्य 64.35 करोड़ रुपए को अनुसूची –11 में दिखाया गया है।

5. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 से संबंधित लेन–देन

''दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार, ट्राई ने पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्किटर्स और वित्तीय निवर्तक पर दंड के लिए कॉरपोरेशन बैंक में चार खाते खोल दिए हैं। 31 मार्च 2015 को 1,14,05,926/– रुपए, 69,69,057/– रुपए और

14,13,06,504/– रुपए की राशि क्रमशः पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्किटर्स और वित्तीय निवर्तक पर दंड के रूप में प्राप्त की गई है। इस राशि को अनुसूची 18 में – 'अन्य आय' के रूप में दिखाया गया है।

6. पिछले वर्ष के आंकड़ेः

जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष अर्थात् पूर्व अवधि से संबंधित व्यय/आय को पूंजी निधि के माध्यम से फैलाया गया है।

7. विदेशी मुद्राओं में लेनदेन

विदेशी मुद्रा में व्ययःगैर–योजना शीर्ष	*शून्य*
विदेशी मुद्रा में व्ययःयोजना शीर्ष	
(क) यात्रा :	अधिकारियों को विदेश यात्रा के टीए/डीए खर्च के लिए 44,21,029/– रुपये की राशि का भुगतान किया गया। विदेशी संस्थानों के लिए भागीदारी शुल्क हेतु 32,05,155 रु. का भुगतान किया गया था। कंसलटेंसी के लिए विदेशी कंसलटेंट को 33,69,513 रु. का भुगतान किया गया था।
(ख) वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज का भुगतान	*शून्य*
(ग) अन्य व्ययः	*शून्य*

8. योजना निधि में, LAN सिस्टम के लिए NIC को 1,71,32,399 रु. का भुगतान किया गया था। मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया था क्योंकि 31.03.2015 को कार्य प्रगति पर था।

9. 1 से 25 तक की अनुसूचियों को संलग्न किया गया है और उन्हें 31 मार्च, 2015 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवंव्यय के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।

ह0/–	**ह0/–**	**ह0/–**	**ह0/–**
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ग) वर्ष 2014–15 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखे पर 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारत सरकार, असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 में नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, श्रेष्ठ लेखांकन पद्धति, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत

आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं किः–

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 के नियम 5 अंतर्गत महालेखा–नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा द्वारा लेखे की बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

(iv) हम यह सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार हैं।

(v) हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त उल्लिखित मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुबंध–1** में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक यह 31 मार्च, 2015 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अंशदायी भविष्य निधि लेखा के तुलन–पत्र से संबंधित हैं; और

(ख) जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा 'व्यय से अधिक आय' से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/–

स्थान : दिल्ली **(मीरा स्वरूप)**

दिनांक : सितम्बर 2015 **महानिदेशक–लेखापरीक्षा (डाक एवं तार)**

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध–I

(31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 4(v) में यथानिर्दिष्ट)

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं किः–

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है। भादूविप्रा–सीपीएफ की आंतरिक लेखापरीक्षा मई, 2015 के दौरान की गई है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

हमारी राय में संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र

(राशि–रुपये में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजीगत निधि			
ट्राई – सीपीएफ सदस्य खाता	1	107769127.00	86462501.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	4903670.00	4734742.76
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3		
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4		
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5		
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	0.00	-
कुल		**112672797.00**	**91197243.76**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8		-
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		-
निवेश – अन्य	10	108000000.00	84300000.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	4672797.00	6897243.76
विविध खर्च			-
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**112672797.00**	**91197243.76**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री सुरेन्द्र चावला	श्री जे.एस. भाटिया	श्री अनुराग शर्मा	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री सी.पी.एस बक्शी
संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	उप–सलाहकार (प्रशासन)	संयुक्त सलाहकार (विधि)	पी.ए (बीएवंसीएस)	सलाहकार (प्रशासन)
सचिव (सीपीएफ)	पूर्व–पदेन न्यासी	पूर्व–पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पूर्व–पदेन अध्यक्ष

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31.3.2015 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि–रुपये में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	-	-
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15	3811934.44	3685145.65
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	4119498.70	3235300.29
अन्य आय	18	255941.00	939509.11
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोत्तरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19	-	-
कुल (क)		**8187374.14**	**7859955.05**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	0.00	30000.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2889.90	2514.12
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	8015557.00	6546891.00
म्यूचूअल फंडों में निवेश मूल्य में कमी			
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)			
कुल (ख)		**8018446.9**	**6579405.12**

(क्रमशः...)

(राशि–रुपये में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		168927.24	1280549.93
निवेशों के मूल्य में ह्रास होने के कारण विविध व्यय में कुछ सीमा तक अतंरित परंतु बटट्े खाते में नहीं डाला गया।			-
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		168927.24	1280549.93
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री सुरेन्द्र चावला	श्री जे.एस. भाटिया	श्री अनुराग शर्मा	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री सी.पी.एस बक्शी
संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	उप–सलाहकार (प्रशासन)	संयुक्त सलाहकार (विधि)	पी.ए (बीएवंसीएस)	सलाहकार (प्रशासन)
सचिव (सीपीएफ)	पूर्व–पदेन न्यासी	पूर्व–पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पूर्व–पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 – ट्राई – सीपीएफ सदस्य खाता

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष	86462501.00	75210083.00
घटाएं: पिछले वर्ष के लिए समायोजन		343030.00
जोड़ें: सदस्यों के खाते में अंशदान	21306626.00	11595448.00
जोड़ें (कटौतीं): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष		
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**107769127.00**	**86462501.00**

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजी आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामान्य आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	4734742.76	3454192.83
वर्ष के दौरान जमा	168927.24	1280549.93
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
कुल	**4903670.00**	**4734742.76**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची–3 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि–रुपये में)

	निधिवार ब्यौरा				चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड		
क) निधि का प्रारंभिक शेष ख) निधि में जमा राशियां i. दान/अनुदान ii. निधियों में से किए निवेश से आय iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति का उल्लेख करें)			लागू नहीं			
योग (क+ख)						
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय i. पूंजीगत व्यय - स्थायी परिसंपत्तियां - अन्य						
कुल						
ii. राजस्व व्यय - वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि - किराया - अन्य प्रशासनिक व्यय						लागू नहीं
कुल						
योग (ग)						
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)						

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संबंध शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 4 – प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		लागू नहीं
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची 5 – अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		लागू नहीं
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के आडमान द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		लागू नहीं
2. अन्य		
कुल		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता		
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3) प्राप्त अग्रिम		
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		
क) प्रतिभूति ऋण/उधार		लागू नहीं
ख) अप्रतिभूति ऋण/उधार		
5) सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6) अन्य चालू देयताएं		
कुल (क)		
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी		
3. अधिवर्षिता/पेंशन		
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी/दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल (ख)		
कुल (क+ख)		

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां योजना

(राशि–रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज़होल्ड										
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीज़होल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर									लागू नहीं	
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयत्र मशीनें एवं उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, फिक्सचर										
6. कार्यालय उपस्कर										

(क्रमशः...)

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां योजना (जारी...)

(राशि–रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
7. कंप्यूटर / पेरिफिरल										
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन										
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति										लागू नहीं
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		लागू नहीं
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 10 – अन्य निवेश

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	64700000.00	50700000.00
दीर्घावधि निवेश - रुपये 5,97,00,000		
चालू निवेश - रुपये 50,00,000		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (बैंक/पीएसयू में सावधि जमा) *दीर्घावधि*	43300000.00	33600000.00
कुल	**108000000.00**	**84300000.00**

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध ऋण		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		

(क्रमशः...)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी...)

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
4. बैंक शेषः		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते पर	-	-
- जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)	444259.01	2049273.02
- बचत खाते पर	226666.41	147833.74
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते पर	-	-
- जमा खाते पर	-	-
- बचत खाते पर	-	-
5. डाकघर बचत खाता		
कुल (क)	**670925.42**	**2197106.76**
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ	-	-
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूली योग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः		
क) पूंजीगत खाते पर	-	-
ख) पूर्व भुगतान	-	-
ग) अन्य	-	-
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधार्रित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर	-	-
ख) निवेश – अन्य पर	4001871.58	4700137.00
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	-	-
घ) अन्य (देय आय में वसूली न गई राशि सहित)	-	-
4. दावे प्राप्त योग्य	-	-
कुल (ख)	**4001871.58**	**4700137.00**
कुल (क + ख)	**4672797.00**	**6897243.76**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्क्रैप से बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		लागू नहीं
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अपरिवर्तनीय अनुदान एवं प्राप्त सहायता)		
1) केन्द्र सरकार		
2) राज्य सरकार (रें)		
3) सरकारी एजेंसियां		लागू नहीं
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान		
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		लागू नहीं
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी:– प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए।

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से किए गए निवेश से हुई आय का निधि में अंतरण)		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	3811934.44	3685145.65
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर		
2) लाभांश		
क) शेयरों पर		
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3) किराया		
4) अन्य – म्यूचुअल फंड की बिक्री से प्राप्त आय		
कुल	**3811934.44**	**3685145.65**

निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		लागू नहीं
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	3565608.50	2099107.49
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थाओं के साथ	536107.20	1094825.00
घ) अन्य		
2) बचत खाते पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	17783.00	41367.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4) देनदारों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	**4119498.70**	**3235300.29**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	255941.00	939509.11
कुल	**255941.00**	**939509.11**

अनुसूची 19 – निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल		
- चल रहे कार्य		लागू नहीं
ख) घटाएं प्रारंभिक स्टॉक		
- तैयार माल		
- चल रहे कार्य		
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)		

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी		
ख) भत्ते एवं बोनस		
ग) भविष्य निधि में योगदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ		
छ) अन्य	-	30000.00
कुल	**-**	**30000.00**

ह0/–
संयुक्त सलाहकार

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि–रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) खरीद	-	-
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार	-	-
घ) विद्युत एवं पावर	-	-
ड़) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
ज) सीमा शुल्क	-	-
झ) किराया, दर और कर	-	-
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव	-	-
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	-	-
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	-	-
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	-	-
ण) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय	-	-
त) अंशदान व्यय	-	-
थ) शुल्क पर व्यय	-	-
द) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	-	-
ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क	-	-
न) पेशेवर शुल्क	-	-
प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
फ) बट्टे खाते डाला गया अवूसलनीय शेष	-	-
भ) पैकिंग प्रभार	-	-
म) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
य) वितरण व्यय	-	-
र) विज्ञापन एवं प्रचार	-	-
व) अन्य – बैंक एवं वित्त प्रभार	2889.90	2514.12
कुल	**2889.90**	**2514.12**

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी		लागू नहीं
कुल		

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें।

अनुसूची 23 – ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) – *सदस्यों को देय ब्याज*	8015557.00	6546891.00
कुल	**8015557.00**	**6546891.00**

ह0/–

संयुक्त सलाहकार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31.3.2015 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि–रुपये में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. आरंभिक शेष			**1. व्यय**		
क) हाथ में नकदी		-	क) स्थापना व्यय	0.00	30000.00
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	2889.90	2514.12
i) चालू खाते में		-			
ii) जमा खाते में		-			
iii) बचत खाते में	147833.74	328102.91			
II. प्राप्त अनुदान			**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**		
क) भारत सरकार से			(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें) (पूंजी एवं राजव्य व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए)					
III. निम्न में निवेश से आय			**III. किए गए निवेश एवं जमा**		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि			क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से		
ख) स्वयं की निधियां (म्युचूअल फंड में निवेश पर)			ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)	61200000.00	34500000.00
			(निवेश – फ्लेक्सी खाता)		1096768.69
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय**		
क) बैंक जमा पर	3427598.92	1894885.89	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
ग) विविध	6109567.00	5393898.00			

(क्रमशः...)

31.3.2014 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण *(जारी...)*

(राशि–रुपये में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			**V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी**		
विविध आय को	255941.00	596479.11	क) भारत सरकार को		
			ख) राज्य सरकार को		
VI. उधार ली गई राशि			ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)			**VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)**	907467.36	179907.36
शुल्क					
पूंजीगत निधि			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
प्रकाशन की बिक्री			अंतिम भुगतान	5929021.00	6759244.00
परिसंपत्तियों की बिक्री			अग्रिम एवं निकासी	5210915.00	8203600.00
सदस्यों से अंशदान	18710700.00	14800500.00			
ट्राई से अंशदान	4817260.00	4454291.00	**VIII. अंतिम शेष**		
शेष का अंतरण	0.00	0.00	क) हाथ में नकदी		
अग्रिमों का पुनः भुगतान	903045.00	756610.00	ख) बैंक शेष		
एफडी की परिपक्वता/म्युचूअल फंड का नकदीकरण	39105014.01	22695101.00	i) चालू खाते में		
ट्राई सामान्य निधि से ब्याज कमी की वसूली	0.00	0.00	ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते मे	226666.41	147833.74
कुल	**73476959.67**	**50919867.91**	**कुल**	**73476959.67**	**50919867.91**

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री सुरेन्द्र चावला	श्री जे.एस. भाटिया	श्री अनुराग शर्मा	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री सी.पी.एस बक्शी
संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	उप–सलाहकार (प्रशासन)	संयुक्त सलाहकार (विधि)	पी.ए (बीएवंसीएस)	सलाहकार (प्रशासन)
सचिव (सीपीएफ)	पूर्व–पदेन न्यासी	पूर्व–पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पूर्व–पदेन अध्यक्ष

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा परंपराएं :

i) वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450–490 दिनांकित 23.07.2007 द्वारा अनुमोदित ''खातों के एकसमान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखा चालू वर्ष अर्थात् 2014–15 के लिए संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

iii) अनुसूची–10 (निवेश – अन्य) में दिखाया गया निवेश कीमत पर लिया गया है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएंः

1. संस्था के खिलाफ कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे – शून्य

खातों पर टिप्पणियां

1. निवेश, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) की दिनांक 14 अगस्त, 2008 की अधिसूचना जो 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है, में निर्धारित पैटर्न पर किए गए है।

2. अनुसूची 10 (निवेश–अन्य) में दर्शाये गए निवेशों में सरकारी प्रतिभूतियों में 6,47,00,000.00 रुपए की राशि और दूसरों (बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सावधि जमा) में 4,33,00,000.00 रुपए की राशि का निवेश शामिल है। सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में से 5,97,00,000.00 रुपए की राशि दीर्घावधि के निवेश हैं क्योंकि इन्हें इनके बनाए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक के लिए धारित किया जा रहा है और 50,00,000.00 रुपए की राशि का 182 डीटीबी में निवेश किया गया है, जो 9.04.2015 को परिपक्व हो जाएंगी। सावधि जमा में किए गए सभी निवेश बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दीर्घावधि निवेश हैं।

3. जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री सुरेन्द्र चावला	श्री जे.एस. भाटिया	श्री अनुराग शर्मा	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री सी.पी.एस बक्शी
संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	उप–सलाहकार (प्रशासन)	संयुक्त सलाहकार (विधि)	पी.ए (बीएवंसीएस)	सलाहकार (प्रशासन)
सचिव (सीपीएफ)	पूर्व–पदेन न्यासी	पूर्व–पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पूर्व–पदेन अध्यक्ष